



52^{वीं} वार्षिक रिपोर्ट 2015-16



बी ई एम एल लिमिटेड

रक्षा | खनन एवं निर्माण | रेल व मेट्रो

www.bemlindia.com

विषय सूची

पृष्ठ सं.

| | |
|--|-----|
| निदेशक मंडल | 1 |
| अध्यक्ष का पत्र | 2 |
| कॉर्पोरेट दूरदर्शिता, लक्ष्य एवं उद्देश्य | 3 |
| वित्तीय आंकड़े | 4 |
| बोर्ड की रिपोर्ट | 6 |
| प्रबंध द्वारा विचार विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट सहित सामूहिक शासन पर रिपोर्ट | 19 |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ | 55 |
| तुलन पत्र | 60 |
| लाभ-हानि विवरण | 61 |
| नकदी प्रवाह विवरण | 62 |
| वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ | 63 |
| स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट | 88 |
| एकल वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ | 99 |
| समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ | 100 |
| समेकित तुलन पत्र | 104 |
| समेकित लाभ-हानि विवरण | 105 |
| समेकित नकदी प्रवाह विवरण | 106 |
| समेकित वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ | 107 |
| सहायक एवं संयुक्त उद्यम कंपनियों का विवरण | 132 |
| समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट | 133 |
| समेकित वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ | 140 |
| विज्ञान इंडस्ट्रीस लिमिटेड | 141 |
| सामूहिक सूचना | 193 |

निदेशक मंडल*



श्री डी के होता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



श्रीमती सुरीना राजन
सरकारी नामित निदेशक
अतिरिक्त सचिव(रक्षा उत्पादन)
रक्षा मंत्रालय



श्री संजय प्रसाद
सरकारी नामित निदेशक
संयुक्त सचिव(भू-प्रणाली)
रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय



श्री सुधीर कुमार बेरी
स्वतंत्र निदेशक



श्री एम जी रघुवीर
स्वतंत्र निदेशक



श्री बी पी राव
स्वतंत्र निदेशक



श्री अनिरुद्ध कुमार
निदेशक
(रेल व मेट्रो व्यवसाय)



श्री बी आर विश्वनाथ
निदेशक
(खनन एवं निर्माण व्यवसाय)



श्री आर एच मुरलीधरा
निदेशक
(रक्षा व्यवसाय)

अध्यक्ष का पत्र.....

आपको यह सूचित करने में मैं गर्व महसूस करता हूँ कि आपकी कंपनी ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और वर्ष 2015-16 के दौरान कठिन कारोबारी का परिवेश और पूंजी माल क्षेत्र में प्रचलित स्थितियों को बनाए रखते हुए ₹2983.72 करोड़ की सर्वोत्कृष्ट निवल बिक्री प्राप्त की है। यह वार्षिक रिपोर्ट आपको वर्ष 2015-16 के लिए अंकेषित लेखे तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों को आगामी वार्षिक आम बैठक में विचार और अपनाने के लिए आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है।

कार्यनिष्पादन अवलोकन

दि.31.03.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन कार्य पूरा किया गया है।

खनन एवं विनिर्माण क्षेत्र के पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग में नकारात्मक वृद्धि तथा मंद वैश्विक बाजार होते हुए भी, आपकी कंपनी अपना बाजार शेयर को बनाए रखने में समर्थ रही तथा पिछले वर्ष के ₹1803.02 करोड़ की तुलना में इस वर्ष ₹1807.58 करोड़ की सकल बिक्री हासिल की है। रेल व मेट्रो खंड में पिछले वर्ष के ₹1162.60 करोड़ की तुलना में इस वर्ष ₹1250.35 करोड़ की सकल बिक्री हासिल करते हुए 7.55% प्रगति प्राप्त की है। रक्षा व्यवसाय पुनः ट्रैक पर आ गया तथा 368.09 करोड़ की सकल बिक्री हासिल किया गया, जो पिछले वर्ष की सकल बिक्री के ₹164.04 करोड़ की तुलना में दुगुनी से ज्यादा है। आपकी कंपनी ने बिक्री प्रतियोगिता मोड के माध्यम से उत्पन्न आदेशों से प्राप्त बिक्री की 88% हासिल की है।

उपर्युक्त निष्पादन के साथ, आपकी कंपनी ने वर्ष 2015-16 के दौरान ₹64.27 करोड़ की कर पूर्व लाभ हासिल किया है। कंपनी ने ₹6430 करोड़ की आदेश स्वस्थ बुक स्थिति के साथ वर्ष की समाप्ति की है। आपकी कंपनी में अनुसंधान एवं विकास को एक सतत प्रयास के रूप में चालू रखा गया है। आंतरिक अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से कई उत्पादों के उन्नयन किए जाने के साथ-साथ निम्नलिखित चार नए उत्पादों के डिजाइन, विकास एवं उन्नयन के प्रयत्न किए जाते हैं। वर्ष 2015-16 में आंतरिक रूप में विकसित अनुसंधान एवं विकास के उत्पादों ने कुल बिक्री का 54% तक योगदान दिया है।

खनन एवं विनिर्माण

➤ विनिर्माण क्षेत्र के लिए काम्पैक्ट लोडर-कम-एक्स्क्रावेटर बीएल 120एच

➤ हाइड्रोस्टाटिक ट्रान्स्मिशन के साथ 117एचपी डोजर बीडी50

रक्षा

➤ अतिरिक्त स्टीरबल रियर व्हील सहित स्मैच 8X8 & 10X10 उच्च मोबिलिटी वाहन

रेल व मेट्रो

➤ नवी मुंबई मेट्रो कॉर्पोरेशन के लिए केटनरी मेन्टेनेन्स व्हीकल

यह गर्व की बात है कि हमारे आर एण्ड डी उत्पाद 180टी इलेक्ट्रिकल एक्स्क्रावेटर - बीई1800ई ग्राहक के स्थान पर सफलतापूर्वक चालू है। मेक इन इण्डिया के लिए जोर देते हुए, उक्त देशज विकसित प्रदूषण-रहित एक्स्क्रावेटर, दोनों घरेलू और वैश्विक बाजारों में खनन प्रचालनों में उत्पादकता को तेजी लाएगा।

आत्मनिर्भरता की ओर, आपकी कंपनी ने मेनलेन खनन एवं विनिर्माण उत्पादों, रेल कोचों तथा ईएमयज में 90% से अधिक देशजीकरण प्राप्त किया है। हेवी इयूटी उच्च मोबिलिटी वाहनों तथा मेट्रो कारों में उच्चस्तरीय देशजीकरण प्राप्त करने में सभी तरह का प्रयास किया जा रहा है।

मानव संसाधन की ओर, आपकी कंपनी द्वारा भारत सरकार के कुशल इण्डिया पहल के साथ कौशल विकास किया जा रहा है। आंतरिक उत्कृष्टता केन्द्र तथा प्रतिष्ठित तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने हेतु लगातार तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल को बढ़ाने के लिए आईटीआई/एनएसी, डिप्लोमा/इंजीनियरिंग ग्रेजुएट प्रशिक्षकों को भी आंतरिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा, कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षण, क्षमता आकलन फेमवर्क एवं नेतृत्व पाइपलाइन विकास, कंपनी के औपचारिक मूल्य विवरण, बेमल फर्स्ट जैसे विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक विकासशील पहलुओं की जाति हैं, जो हमारी संगठनात्मक प्रगति के साथ सांस्कृतिक वृद्धि पर प्रभाव किया जाता है।

सीएसआर और एसडी की ओर, आपकी कंपनी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान, वर्षाजल संचयन, पवनचक्कियों का संस्थापन, परिसर के आसपास वृक्षारोपण आदि जैसे विभिन्न प्रकार की पहलुओं को करते हुए अन्य सीएसआर की चालू परियोजनाओं में ध्यान देकर समाज को संवेदनशील एवं जिम्मेदार ठहराया जाता है।

हरित ऊर्जा की ओर, कंपनी ने अबतक 14 मेगावाट के पवन ऊर्जा को संस्थापित किया है। इसके अलावा, अतिरिक्त 9 मेगावाट के लिए संस्थापन करके कंपनी आत्मनिर्भर और हरित कंपनी होने की प्रक्रिया में है।

वर्ष 2015-16 के दौरान, आपकी कंपनी को निम्नानुसार प्रमुख पुरस्कारों से नवाजा गया है।

* वर्ष 2012-13 के दौरान, निर्यात में सर्वोत्तम कार्यनिष्पादन के लिए संस्थागत पुरस्कार संवर्ग के अधीन रक्षा मंत्री का उत्कृष्टता पुरस्कार।

* वर्ष 2013-14 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट और बेहतर योगदान के लिए स्कोप पुरस्कार - विशेष संस्थागत संवर्ग (टर्नएराउण्ड)

वर्ष 2016-17 के लिए योजना

आईसीआरए रिपोर्ट के अनुसार, संवृद्ध सडक गतिविधि, रेल परियोजनाओं (वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त) का निष्पादन एवं समर्पित फ्रेट कॉरिडोर पर कार्य द्वारा कैलण्डर वर्ष 2016 के दौरान मांग की वृद्धि की प्रत्याशा है। 2016-17 के केन्द्रीय बजट भावी अंतःसंरचनात्मक गतिविधि के लिए बजटीय आबंटन में अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगी। कैलण्डर वर्ष 2017 में मांग के कारण पोर्ट, एयरपोर्ट जैसे अन्य क्षेत्रों में कार्य में सुधार होगा। खनन एवं विनिर्माण क्षेत्र में व्यवसाय के लिए यह सकारात्मक संकेत है। गुणवत्ता पर निरंतर ध्यान, ग्राहकों की मांग, बिक्री के उपरांत सेवा तथा संयुक्त प्रयास के साथ, घरेलू में उपलब्ध कारोबार में अधिकतम प्राप्ति और निर्यात बाजार में बिक्री बढ़ाने में हमें पूर्ण विश्वास है।

रक्षा क्षेत्र के संबंध में, व्यवसाय सही रास्ते पर आ गया तथा बिक्री को बढ़ाने हेतु बेहतर कार्य करके कंपनी की सकल बिक्री में महत्वपूर्ण रूप में योगदान दिया जा रहा है। प्राप्त आदेशों को अमल करने और खनन क्लीयर्सिंग प्रणाली, रिकवरी वाहन, मिसाइल प्रणालियों तथा लडाकू वाहनों के लिए समुच्चयों की आपूर्ति के लिए व्यवसाय उत्पन्न करने के द्वारा रक्षा व्यवसाय क्षेत्र के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए योजना की जा रही है।

रेल व मेट्रो व्यवसाय में, मध्यम/उच्च गति कोचस, लाइट रेल मेट्रो कार, मेन्टेनेन्स उपकरण से सुनहरे अवसर उभर आ रहे हैं। हम इनके आदेशों का अवलोकन करेंगे तथा निरंतर प्रगति करेंगे और देश के रेल परिवहन क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाएंगे।

ऐसे सकारात्मक परिदृश्य और वर्तमान आदेश बुक को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2016-17 के लिए हमने स्वयं ₹3300 करोड़ का निवल बिक्री लक्ष्य नियत कर लिया है।

मानव संसाधन क्षेत्र में, उपर्युक्त सभी तीन व्यापार कार्यक्षेत्रों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए हमारे इंजीनियरों के क्षमता निर्माण के लिए अत्यधिक प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता कर लिया है। इसके अलावा, कार्यपालकों में नेतृत्व, टीम का निर्माण, अंतर्विभागीय सामंजस्य, आदि के विभिन्न कौशल के विकास करने के लिए आउटबाउंड प्रशिक्षण जैसे सक्रिय पहल किए जाते हैं।

राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए अपेक्षित कौशल निर्माण, जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण विषय है, प्रत्येक प्रभाग/कॉम्प्लेक्स पर उत्कृष्टता केन्द्र के माध्यम से विशिष्ट कौशल के लिए विभिन्न तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है।

पिछले वर्ष में नेतृत्व पाइपलाइन का विकास ड्राइव के लिए विभिन्न योग्यता एवं नेतृत्व विकास पहल शुरू किए गए।

स्वच्छ भारत अभियान के अंश के रूप में हमने कई प्रकार के पहल और योजनाएँ सफलतापूर्वक स्थापित किए हैं।

एक कॉर्पोरेट नागरिक होते हुए, आपकी कंपनी ने सभी नियमों और विनियमों को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं भ्रष्टाचार रहित परिचालन परिवेश में कार्य के साथ अनुपालन किया है और लिस्टिंग विनियमों तथा सीपीएसई के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शनों के अधीन कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर मार्गदर्शनों के अनुपालन संबंधी विस्तृत रिपोर्ट को बोर्ड की रिपोर्ट के अंश के रूप में दिया गया है।

इस प्रकार, बीईएमएल सभी व्यवसायिक चुनौतियों का सामना करने तथा नए मानकों के मापन करने हेतु सही रूप में उचित रणनीति और कार्रवाई करती है।

मुझे पूर्ण यकीन है कि हम निरंतर समर्पित प्रयासों, प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत और बीईएमएल के चारों ओर अनुकूल कारोबारी माहौल के साथ वर्ष 2016-17 में अधिकाधिक उज्ज्वल प्राप्त करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पर्यावरण की चिंता के साथ सतत विकास के लिए गतिविधियों और पहल को लेकर अपने हितधारकों एवं समाज को बढ़ाया मूल्य सृजन के लिए प्रतिबद्ध है।

निष्कर्ष में, कंपनी के निदेशक मंडल की ओर से, मैं हमारे शेयरधारकों, मूल्यवान ग्राहकों और सभी अन्य हितधारकों को साभार व्यक्त करना चाहूँगा और अथक प्रयासों एवं योगदान के लिए सभी कर्मचारियों एवं कार्यपालकों को अत्यंत सराहना करना चाहूँगा।

इस अवसर पर मैं निदेशक मंडल के मेरे साथी निदेशकों को आपकी कंपनी के निरंतर परिचालनों के लिए उनके द्वारा अर्पित बहुमूल्य मार्गदर्शन तथा समर्थन के लिए धन्यवाद अदा करना चाहूँगा।

हमारे प्रशासनिक मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय विशेषकर रक्षा उत्पादन विभाग को कंपनी के संचालन में दिए गए समर्थन और प्रोत्साहन के लिए और भारत सरकार के अन्य प्रशासनिक विभागों को और कंपनी की प्रगति के लिए भागीदारों से प्राप्त सहयोग के लिए उनको मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ,

ह./-

(डी.के. होता)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कंपनी की कार्पोरेट दूरदर्शिता, लक्ष्य एवं उद्देश्य

क) दूरदर्शिता

बाज़ार में अग्रणी बनने के लिए, एक परिवर्तित कम्पनी के रूप में खनन और निर्माण, रेल एवं मेट्रो तथा रक्षा तथा वांतरिक्ष जैसे क्षेत्रों के लिए उत्तम उत्पाद और सेवा की आपूर्ति प्रदान करके एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर आना ।

ख) लक्ष्य

- बीईएमएल संचालित उत्पाद समूहों में बाज़ार शेयर बनाए रखने एवं बढ़ाने रखने हेतु अनुकूल सहयोग, सकुशल संबंध एवं सह-उद्यम के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाना।
- निर्यात में कम से कम **10%** पीछा करने के द्वारा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार के अवसरों का तीव्र अनुसरण करते हुए लाभदायिकता में वृद्धि करना ।
- तीन वर्षीय अनुसंधान एवं विकास रोल-आउट योजना के उद्देश्यों को हासिल करने के द्वारा प्रौद्योगिकि अंतरण एवं आंतरिक अ एवं वि प्रयत्नों के ज़रिए नवोन्मेष प्रौद्योगिकियों को अपनाना तथा नए उत्पाद उत्पन्न करना ।
- आंतरिक अनुसंधान एवं विकास से विकसित उत्पादों के **60%** टर्न ओवर के साथ नए उत्पादों सहित नई बाज़ार की लगातार विविधता लाना और वृद्धि जारी करना ।
- **5%** से भी कम उदासीनता के स्तर के साथ लोगों में सृजनात्मकता और नवीन प्रक्रिया को विकसित करके एक पारिश्रमिक और प्रेरणाप्रद वातावरण बनाना ।
- संवृद्ध ग्राहक संतुष्टि के लिए प्रौद्योगिकी और लागत हितैषी सकल समाधान अर्पित करना।

ग) उद्देश्य

- i) वर्ष **2016-17** में लगभग **10%** की वृद्धि हासिल करना ।
- ii) निवल बिक्री **8-10%** के सकल परिचालन मार्जिन प्राप्त करने हेतु कार्य करना ।
- iii) संवृद्ध ग्राहक संतुष्टि के लिए ग्राहकों को इंजीनियरी समाधान प्रदान करना ।
- iv) न्यूनतम **10%** की निर्यात बिक्री हासिल करना ।
- v) सतत आंतरिक अ एवं वि के ज़रिए बाज़ार की आवश्यकताओं तथा बेंचमार्क मानकों को प्राप्त करने हेतु कम्पनी के सभी उत्पादों को नवोन्मेष प्रौद्योगिकी सहित उन्नयन करना ।
- vi) बाज़ार की आवश्यकताओं तथा बेंचमार्क मानकों को प्राप्त करने हेतु कम्पनी के सभी उत्पादों को नवोन्मेष प्रौद्योगिकी सहित उन्नयन करना ।
- vii) आधुनिकीकरण/डी-बॉटलनेकिंग परियोजनाओं के लिए परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन ।
- viii) सामूहिक सामाजिक दायित्व एवं निर्वहणीय विकास के लिए प्रभावी रूप से योगदान करना ।



वित्तीय आंकड़े

| क्रम सं. | विवरण | यूनिट | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 |
|--|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| क | हमारा उपार्जन | | | | | | | | | |
| | सकल राजस्व | ₹ लाख | 315079 | 264532 | 318115 | 309164 | 350432 | 342957 | 343268 | 270913 |
| | निर्यात | ₹ लाख | 27523 | 48433 | 8105 | 19813 | 14405 | 21750 | 15625 | 30434 |
| | कुल सकल राजस्व | ₹ लाख | 342602 | 312965 | 326220 | 328977 | 364837 | 364707 | 358893 | 301347 |
| | घटाएं : संघटन आपूर्ति के मूल्य | ₹ लाख | 13858 | 13048 | 14203 | 29090 | 72779 | 82091 | 58302 | 8257 |
| | संघटन आपूर्ति के निवल राजस्व | ₹ लाख | 328744 | 299917 | 312017 | 299887 | 292058 | 282616 | 300591 | 293090 |
| | घटाएं : उत्पाद शुल्क | ₹ लाख | 30372 | 18998 | 20866 | 18996 | 19409 | 17392 | 13641 | 13373 |
| | परिचालन से राजस्व | ₹ लाख | 298372 | 280919 | 291151 | 280891 | 272649 | 265224 | 286950 | 279717 |
| | चालू कार्य /एसआईटी में बदलाव | ₹ लाख | (24371) | (20926) | (9706) | 6992 | 42882 | 14800 | 15099 | 28072 |
| | उत्पादन मूल्य (परिचालन से राजस्व सहित) | ₹ लाख | 274001 | 259993 | 281445 | 287883 | 315531 | 280024 | 302049 | 307789 |
| | उत्पादन मूल्य (सकल राजस्व सहित) | ₹ लाख | 318231 | 292039 | 316514 | 335969 | 407719 | 379507 | 373992 | 329419 |
| ख | हमारी निर्गामी | | | | | | | | | |
| | सामग्री मूल्य | ₹ लाख | 147724 | 137368 | 161734 | 172427 | 184633 | 165880 | 180084 | 185089 |
| | कर्मचारी पारिश्रमिक हितलाभ | ₹ लाख | 76789 | 76911 | 71676 | 73940 | 72508 | 68315 | 55514 | 56919 |
| | मूल्यहास | ₹ लाख | 5321 | 5214 | 5356 | 5025 | 4392 | 3364 | 3222 | 2731 |
| | अन्य खर्च (निवल) | ₹ लाख | 36739 | 38722 | 38654 | 45996 | 45901 | 37938 | 36996 | 31296 |
| ब्याज | ₹ लाख | 4903 | 7051 | 11046 | 14099 | 8843 | 6127 | 4893 | 3925 | |
| ग | हमारी बचत | | | | | | | | | |
| | मूल्यहास आयकर पूर्व लाभ | ₹ लाख | 16651 | 12956 | 17310 | 6891 | 19881 | 28166 | 40070 | 45403 |
| | आयकर पूर्व लाभ | ₹ लाख | 11330 | 7742 | 11954 | 1866 | 15489 | 24802 | 36848 | 42672 |
| | कर पूर्व लाभ | ₹ लाख | 6427 | 691 | 908 | (12233) | 6646 | 18675 | 31955 | 38747 |
| कर के बाद लाभ | ₹ लाख | 5265 | 676 | 468 | (7987) | 5725 | 14976 | 22285 | 26884 | |
| घ | अपनी पूँजी | | | | | | | | | |
| | इक्विटी | ₹ लाख | 4177 | 4177 | 4177 | 4177 | 4177 | 4177 | 4177 | 4177 |
| आरक्षित एवं अधिशेष | ₹ लाख | 206759 | 203498 | 203807 | 203826 | 213031 | 209727 | 199607 | 187360 | |
| ङ. | ऋण पूँजी | | | | | | | | | |
| | बैंकों से ऋण | ₹ लाख | 18420 | 24846 | 54110 | 85181 | 83335 | 67419 | 75305 | 47091 |
| अन्य ऋण | ₹ लाख | 37515 | 39498 | 41481 | 40959 | 12525 | 14091 | 15550 | 9673 | |
| च | वित्तीय आंकड़े | | | | | | | | | |
| | निवल मूल्य | ₹ लाख | 210936 | 207676 | 207984 | 208003 | 217208 | 213904 | 203639 | 190708 |
| | सकल ब्लाक | ₹ लाख | 134904 | 122627 | 120062 | 118377 | 112845 | 94543 | 79871 | 74951 |
| | मूल्यहास | ₹ लाख | 80882 | 75756 | 70193 | 65303 | 59923 | 55590 | 52484 | 49402 |
| | निवल ब्लाक | ₹ लाख | 54022 | 46871 | 49869 | 53074 | 52922 | 38953 | 27387 | 25549 |
| | मालसूचियाँ | ₹ लाख | 169632 | 192120 | 215210 | 245620 | 242241 | 188891 | 165300 | 162058 |
| | प्राप्य व्यापार | ₹ लाख | 124131 | 124207 | 115671 | 122452 | 100598 | 128840 | 136074 | 154527 |
| | कार्यशील पूँजी | ₹ लाख | 201395 | 196967 | 198422 | 206756 | 205462 | 162399 | 259646 | 218771 |
| | नियोजित पूँजी | ₹ लाख | 255417 | 243838 | 248291 | 259830 | 258384 | 201352 | 287033 | 244320 |
| | मूल्यवर्धित | ₹ लाख | 126277 | 122625 | 119711 | 115456 | 130898 | 114144 | 121965 | 122700 |
| | लाभांश - कर रहित | ₹ लाख | 1666 | 416 | 416 | 1041 | 2082 | 4164 | 4164 | 4997 |
| | अ एवं विकास व्यय | ₹ लाख | 6663 | 8292 | 8623 | 9436 | 9779 | 9433 | 9720 | 3198 |
| | कर्मचारियों की संख्या | संख्या | 8827 | 9599 | 10328 | 11005 | 11644 | 11798 | 12052 | 12600 |
| | छ | वित्तीय अनुपात | | | | | | | | |
| प्रति कर्मचारी बिक्री परिचालन में राजस्व | | ₹ लाख | 33.80 | 29.27 | 28.19 | 25.52 | 23.42 | 22.48 | 23.81 | 22.20 |
| प्रति कर्मचारी जमा मूल्य | | ₹ लाख | 14.31 | 12.77 | 11.59 | 10.49 | 11.24 | 9.67 | 10.12 | 9.74 |
| परिचालन से राजस्व के लिए कर पूर्व लाभ | | % | 2.15 | 0.25 | 0.31 | (4.36) | 2.44 | 7.04 | 11.14 | 13.85 |
| नियोजित पूँजी के लिए आयकर पूर्व लाभ | | % | 4.44 | 3.18 | 4.81 | 0.72 | 5.99 | 12.32 | 12.84 | 17.47 |
| निवल मूल्य के लिए कर के बाद लाभ | | % | 2.50 | 0.33 | 0.23 | (3.84) | 2.64 | 7.00 | 10.94 | 14.10 |
| इक्विटी अनुपात नामे | | गुना | 0.27 | 0.31 | 0.46 | 0.61 | 0.44 | 0.38 | 0.45 | 0.30 |
| ई पी एस | | ₹ | 12.64 | 1.62 | 1.12 | (19.18) | 13.75 | 35.96 | 53.51 | 64.56 |
| लाभांश | | % | 40.00 | 10.00 | 10.00 | 25.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 120.00 |
| नियोजित पूँजी के लिए कुल बिक्री | | % | 116.82 | 115.21 | 117.26 | 108.11 | 105.52 | 131.72 | 99.97 | 114.49 |

टिप्पणी :

- कुल बिक्री से संबंधित अनुपात के लिए परिचालन में राजस्व पर विचार किया गया।
- प्राप्य व्यापार में लेख में अन्य चालू परिसंपत्तियों में दर्शायी गयी ₹3326 लाख (पिछले वर्ष -₹25038 लाख) के बिल न किया हुआ राजस्व शामिल है।

वित्तीय आंकड़े

| क्रम सं. | विवरण | यूनिट | 2007-08 | 2006-07 | 2005-06 | 2004-05 | 2003-04 | 2002-03 | 2001-02 | 2000-01 |
|--|--|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| क | हमारा उपार्जन | | | | | | | | | |
| | सकल राजस्व | ₹ लाख | 251273 | 249106 | 214435 | 179745 | 171316 | 165972 | 130872 | 119760 |
| | निर्यात | ₹ लाख | 20062 | 11073 | 6149 | 5856 | 5259 | 2145 | 11543 | 14980 |
| | कुल सकल राजस्व | ₹ लाख | 271334 | 260179 | 220584 | 185601 | 176575 | 168117 | 142415 | 134740 |
| | घटाएं : संघटन आपूर्ति के मूल्य | ₹ लाख | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | संघटन आपूर्ति के निवल राजस्व | ₹ लाख | 271334 | 260179 | 220584 | 185601 | 176575 | 168117 | 142415 | 134740 |
| | घटाएं : उत्पाद शुल्क | ₹ लाख | 17374 | 17792 | 14630 | 12322 | 9354 | 11005 | 9170 | 9608 |
| | परिचालन से राजस्व | ₹ लाख | 253960 | 242387 | 205954 | 173279 | 167221 | 157112 | 133245 | 125132 |
| | चालू कार्य /एसआईटी में बदलाव | ₹ लाख | 11360 | (1104) | (2627) | 2994 | (7388) | 5899 | 1195 | (423) |
| | उत्पादन मूल्य (परिचालन से राजस्व सहित) | ₹ लाख | 265321 | 241283 | 203327 | 176273 | 159833 | 163011 | 134440 | 124709 |
| उत्पादन मूल्य (सकल राजस्व सहित) | ₹ लाख | 282695 | 259075 | 217957 | 188595 | 169187 | 174016 | 143610 | 134317 | |
| ख | हमारी निर्गामी | | | | | | | | | |
| | सामग्री मूल्य | ₹ लाख | 160957 | 148403 | 127624 | 103505 | 105319 | 111449 | 90318 | 79540 |
| | कर्मचारी पारिश्रमिक हितलाभ | ₹ लाख | 44672 | 36379 | 33357 | 35616 | 34678 | 33407 | 32562 | 36662 |
| | मूल्यहास | ₹ लाख | 1770 | 1352 | 1412 | 2299 | 1829 | 1930 | 2214 | 2340 |
| | अन्य खर्च (निवल) | ₹ लाख | 31114 | 28510 | 35136 | 27052 | 29191 | 31231 | 19171 | 15946 |
| ब्याज | ₹ लाख | 2309 | 561 | 461 | 179 | 148 | 300 | 2226 | 3120 | |
| ग | हमारी बचत | | | | | | | | | |
| | मूल्यहास आयकर पूर्व लाभ | ₹ लाख | 38880 | 33517 | 30415 | 29758 | 6995 | 6017 | 5741 | 6525 |
| | आयकर पूर्व लाभ | ₹ लाख | 37110 | 32165 | 29003 | 27459 | 5166 | 4087 | 3527 | 4185 |
| | कर पूर्व लाभ | ₹ लाख | 34801 | 31604 | 28542 | 27280 | 5018 | 3787 | 1301 | 1065 |
| कर के बाद लाभ | ₹ लाख | 22565 | 20493 | 18693 | 17528 | 2417 | 2610 | 535 | 600 | |
| घ | अपनी पूँजी | | | | | | | | | |
| | इक्विटी | ₹ लाख | 4177 | 3687 | 3687 | 3687 | 3687 | 3687 | 3687 | 3687 |
| आरक्षित एवं अधिशेष | ₹ लाख | 166393 | 99661 | 84284 | 69781 | 56437 | 54827 | 55978 | 55689 | |
| ड. | ऋण पूँजी | | | | | | | | | |
| | बैंकों से ऋण | ₹ लाख | 30327 | 2557 | 2488 | 7491 | 3148 | 3130 | 27255 | 23471 |
| अन्य ऋण | ₹ लाख | - | - | - | - | 180 | 220 | 2778 | 6288 | |
| च | वित्तीय आंकड़े | | | | | | | | | |
| | निवल मूल्य | ₹ लाख | 169176 | 101459 | 85390 | 69439 | 56888 | 53219 | 55559 | 55700 |
| | सकल ब्लाक | ₹ लाख | 68028 | 59643 | 56512 | 54395 | 54334 | 53425 | 52851 | 52695 |
| | मूल्यहास | ₹ लाख | 46970 | 45257 | 43992 | 42738 | 40949 | 39213 | 37648 | 35805 |
| | निवल ब्लाक | ₹ लाख | 21058 | 14386 | 12520 | 11657 | 13385 | 14212 | 15203 | 16890 |
| | मालसूचियाँ | ₹ लाख | 92958 | 72928 | 64908 | 62080 | 57327 | 74850 | 63886 | 63868 |
| | प्राप्य व्यापार | ₹ लाख | 149606 | 90426 | 77021 | 60820 | 44356 | 49418 | 56730 | 52067 |
| | कार्यशील पूँजी | ₹ लाख | 174884 | 86676 | 73460 | 64658 | 47933 | 43454 | 69190 | 67512 |
| | नियोजित पूँजी | ₹ लाख | 195942 | 101062 | 85980 | 76315 | 61318 | 57666 | 84393 | 84402 |
| | मूल्यवर्धित | ₹ लाख | 104364 | 92880 | 75703 | 72768 | 54514 | 51562 | 44122 | 45169 |
| | लाभांश - कर रहित | ₹ लाख | 4997 | 4409 | 3674 | 3674 | 735 | 735 | 441 | 368 |
| | अ एवं विकास व्यय | ₹ लाख | 1926 | 1805 | 1914 | 1687 | 1498 | 1754 | 1823 | 1550 |
| | कर्मचारियों की संख्या | संख्या | 12286 | 11748 | 11975 | 12189 | 12922 | 13116 | 13838 | 14357 |
| | छ | वित्तीय अनुपात | | | | | | | | |
| प्रति कर्मचारी बिक्री परिचालन में राजस्व | | ₹ लाख | 20.67 | 20.63 | 17.20 | 14.22 | 12.94 | 11.98 | 9.63 | 8.72 |
| प्रति कर्मचारी जमा मूल्य | | ₹ लाख | 8.49 | 7.91 | 6.32 | 5.97 | 4.22 | 3.93 | 3.19 | 3.15 |
| परिचालन से राजस्व के लिए कर पूर्व लाभ | | % | 13.70 | 13.04 | 13.86 | 15.74 | 3.00 | 2.41 | 0.98 | 0.85 |
| नियोजित पूँजी के लिए आयकर पूर्व लाभ | | % | 18.94 | 31.83 | 33.73 | 35.98 | 8.42 | 7.09 | 4.18 | 4.96 |
| निवल मूल्य के लिए कर के बाद लाभ | | % | 13.34 | 20.20 | 21.89 | 25.24 | 4.25 | 4.90 | 0.96 | 1.08 |
| इक्विटी अनुपात नामे | | गुना | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.54 | 0.53 |
| ई पी एस | | ₹ | 56.19 | 55.77 | 50.87 | 47.70 | 6.58 | 7.10 | 1.46 | 1.63 |
| लाभांश | | % | 120.00 | 120.00 | 100.00 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 12.00 | 10.00 |
| नियोजित पूँजी के लिए कुल बिक्री | | % | 129.61 | 239.84 | 239.54 | 227.06 | 272.71 | 272.45 | 157.89 | 148.26 |



बोर्ड की रिपोर्ट

आपके निदेशक मंडल कम्पनी के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष की 52वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखा का परीक्षित विवरण सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

वित्तीय नतीजे :

(₹ करोड़ों में)

| विवरण | 2015-16 | 2014-15 |
|----------------------------------|---------|---------|
| संघ आपूर्ति सहित सकल राजस्व | 3426.02 | 3129.65 |
| उत्पाद शुल्क सहित राजस्व | 3287.44 | 2999.17 |
| परिचालनों से निवल राजस्व | 2983.72 | 2809.19 |
| मूल्यहास, ब्याज एवं कर पूर्व लाभ | 166.51 | 129.56 |
| वित्तीय लागत | 49.03 | 70.51 |
| मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय | 53.21 | 52.14 |
| कर पूर्व लाभ | 64.27 | 6.91 |
| कर संबंधी खर्च | 11.62 | 0.15 |
| कर के बाद लाभ | 52.65 | 6.76 |
| विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ | 272.76 | 231.87 |
| विनियोजन: | | |
| प्रस्तावित लाभांश | 16.66 | 4.16 |
| लाभांश कर | 3.39 | 0.85 |
| डिबेंचर प्रतिदेय आरक्षित | 32.61 | 6.76 |
| लाभ व हानि लेखा | 220.10 | 220.10 |
| निवल मूल्य | 2109.36 | 2076.76 |

कुल बिक्री और लाभदायिकता

आपकी कम्पनी द्वारा पिछले वर्ष के ₹3129.65 करोड़ की तुलना में संघ आपूर्ति मूल्य सहित ₹3426.02 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है। परिचालनों से प्राप्त राजस्व (संघ आपूर्ति उत्पाद शुल्क का निवल) पिछले वर्ष के ₹2809.19 करोड़ की तुलना में ₹2983.72 करोड़ रहा, जो 6.21% की वृद्धि दर्शाती है। उत्पादन मूल्य (संघ आपूर्ति उत्पाद शुल्क का निवल) पिछले वर्ष के ₹2599.93 करोड़ की तुलना में ₹2740.01 करोड़ रहा। कम्पनी को पिछले वित्त वर्ष में दर्ज ₹6.91 करोड़ का कर पूर्व लाभ की तुलना में ₹64.27 करोड़ का कर पूर्व लाभ हुआ। रक्षा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 का ₹160.86 करोड़ की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान ₹329.60 करोड़ की निवल बिक्री हुई, जो 105% की वृद्धि दर्शाती है। जीएस/जीएससीएन रेल कोचों से संबंधित आदेशों की अनुपलब्धि का बावजूद, रेल व मेट्रो क्षेत्र में वर्ष 2014-15

का ₹993.16 करोड़ की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान ₹1038.80 करोड़ की निवल बिक्री दर्ज हुई जो 4.60% की वृद्धि दर्शाती है। मंदी बाजार परिस्थितियों में भी खनन एवं विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2014-15 के ₹1615.32 करोड़ की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान ₹1655.17 करोड़ वृद्धि दर्ज की गई, जो 2.41% की नकारात्मक वृद्धि दर्शाती है।

वर्ष के दौरान कम्पनी में व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका अलावा, दि.31.3.2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष से इस रिपोर्ट की तारीख तक कम्पनी की वित्तीय स्थिति को बधा डालने वाली घटना/प्रतिबद्धता नहीं हुई।

सं.ज्ञा. की तुलना में कार्यनिष्पादन :

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार आपके कम्पनी निष्पादन वर्ष 2014-15 के लिए 'अच्छा' रहा तथा इसका रेटिंग आत्म मूल्यांकन पर आधारित है और वर्ष 2015-16 के लिए भी 'अच्छा' रेटिंग मिलने का अनुमान है।

आगे वर्ष 2016-17 के लिए भी 'अच्छा' रेटिंग प्राप्त करने के लिए समझौता ज्ञापन में परिचालनों से राजस्व (कन्मोर्टियम एवं उत्पाद शुल्क का निवल)के लिए ₹3150 करोड़ तथा कर पूर्व लाभ (अन्य आय असाधारण एवं असामान्य मदों को छोड़कर) के लिए ₹28 करोड़ नियत किया गया है।

लाभांश :

पणधारियों की आकांक्षाओं को पूरा करने और पिछले कार्यनिष्पादन तथा भावी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2015-16 के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल ने ₹4 प्रति शेयर की 40% के लाभांश की सिफारिश की।

निर्यात :

वर्ष 2015-16 के दौरान आपकी कम्पनी द्वारा पिछले वर्ष के ₹484.33 करोड़ (भौतिक निर्यात ₹106.78 करोड़ तथा मान्य निर्यात ₹377.55 करोड़) की तुलना में ₹275.23 करोड़ (भौतिक निर्यात ₹34.66 करोड़ तथा मान्य निर्यात ₹240.57 करोड़) के निर्यात किया गया। कम्पनी की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति 66 देशों में विकसित हुई है जिसमें इस वर्ष के दौरान प्रवेश हुए जिबौटी तथा कांगो भी शामिल है।

गुणवत्ता :

गुणवत्ता आश्वासन की ओर सतत सुधार के लिए वर्ष के दौरान किए गए प्रमुख पहल/कार्रवाई निम्नानुसार हैं:-

- ❖ निगरानी लेखापरीक्षा सिफारिशों के आधार पर सभी विनिर्माण प्रभागों द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाणन धारित करना जारी है।
- ❖ विक्रेता आधार में वृद्धि और गुणवत्ता सुधार परियोजनाओं के संबंध में समझौता ज्ञापन के लक्ष्य प्राप्त किए गए।
- ❖ दक्षिण कोरियों में 5 से 8 अक्टूबर 2015 में सम्पन्न गुणवत्ता नियंत्रण सर्कल पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आईसीक्यूसीसी-2015 में अर्थ मूविंग प्रभाग के गुणवत्ता दल 'वीनस' भाग लेकर स्वर्ण पदक जीता।
- ❖ प्रभागों में लगभग 400 कैज़न परियोजनाओं तथा औसतन स्कोर सहित '5 एस' को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।
- ❖ परियोजना मद्दों के सभी श्रेणियों के लिए पुर्जा नंबर की तुलना में विक्रेता सूची संबंधी डाटा ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया जिससे विक्रेता आधार मुख्यवस्थित किया गया है।
- ❖ गुणवत्ता से संबंधित सुधार के प्रदर्शित के लिए इंटरनेट पर एक समर्पित स्क्रीन बी ई एम एल गुणवत्ता बोर्ड सृजित किया गया गया है।
- ❖ ग्राहक संतुष्टि की दिशा में, महत्वपूर्ण क्षेत्र गुणवत्ता के मुद्दों को संबंधित करने के लिए कंपनी भर में कार्यात्मक टीम सक्रिय हैं।
- ❖ सुधारात्मक एवं निवारक कार्रवाई स्रोत निरीक्षण टीम के माध्यम से विक्रेता अस्वीकृतियों की सशक्त निगरानी की गई है।

ऊर्जा संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी समावेश :

कम्पनी के सभी स्तर के कर्मचारियों को बीच उर्जा संरक्षण आवश्यकता की जानकारी बड़े पैमाने में दी गई है। ऊर्जा प्रयोग

की क्षमता पर प्रभावी संरक्षण के उच्चस्तर हासिल करने के लिए निगरानी रखी जाती है।

आगे कंपनी का अनुसंधान एवं विकास केन्द्र कम्पनी में लगातार उत्पादों के नमूने एवं विकास, विवेचनात्मक समुच्चयों, देशी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वर्ष के दौरान कंपनी के वर्तमान उत्पादों के लिए विभिन्न सुधारात्मक परियोजनाओं के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के साथ अ एवं वि. द्वारा बीएल120 एच ब्याकहो लोडर का डिजाइन, विकास एवं लांच किया गया।

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ड.) के अधीन कंपनी द्वारा विकसित उत्पादों सहित ऊर्जा संरक्षण और तकनीकी समावेश संबंधी सूचना अनुबंध- I में दी जाती है।

विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्गम :

वर्ष के दौरान, कम्पनी का विदेशी मुद्रा अर्जन ₹140 करोड़ तक बना रहा। वर्ष के दौरान कुल ₹579.67 करोड़ की विदेशी मुद्रा उपयोग की गयी।

व्यापार/निर्यात प्रोन्नति, बिक्री उपरांत सेवा और प्रशिक्षण के लिए कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति पर ₹1.56 करोड़ का व्यय हुआ।

वित्त :

कार्यकारी पूँजी की आवश्यकताओं को आंतरिक स्रोतों और बैंकों से नक़द उधार सुविधाओं से पूरा किया गया है।

वर्ष के दौरान कम्पनी के राजकोष के लिए ₹671.63 करोड़ का अंशदान उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर, आय कर, सम्पत्ति कर एवं उपकर के रूप में अदा किया गया।

सावधि जमा :

वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कोई भी सावधि जमा स्वीकार नहीं की गई और वर्ष के प्रारंभ/अंत में कोई सावधि जमा बकाया नहीं है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान जमा/ब्याज के भुगतान के संबंध में कोई चूक नहीं है।

उद्यम जोखिम प्रबंधन :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एन) लिस्टिंग विनियमन के विनियम 17(9) तथा डी पी ई मार्गदर्शन के पैरा 7.3 के प्रावधानों के अनुसार उद्यम जोखिम प्रबंधन की स्थापना



प्रगति के अधीन है। कंपनी के लिए उचित प्रणाली का अध्ययन एवं कार्यान्वयन के लिए मेसर्स प्राइस वाटर कूपर्स (पी डब्ल्यूसी) की सेवाएँ ली जा रही हैं।

संबद्ध पार्टी संव्यवहार लेन-देन:

कंपनी और इसके संबंध पार्टियों के बीच लेन-देन को नियमित करने के लिए आपकी कंपनी ने 'संबंध पार्टी संव्यवहार पर नीति' तैयार की है। लिस्टिंग विनयमन के विनियम 46(2)(जी) के अनुसार उक्त नीति को कंपनी की वेबसाइट <http://www.bemlindia.com/> में डाला गया है।

वर्ष 2015-16 के दौरान संबंध पार्टियों के साथ सभी संबद्ध पार्टी संव्यवहार लेन-देन निष्पक्ष, पारदर्शी एवं संभाव्य आधार पर रहा तथा कंपनी के व्यवसाय का सामान्य तरीका भी रहा। लेखापरीक्षा समिति द्वारा उक्त संबद्ध पार्टी संव्यवहार लेन-देन पर विचार किया गया तथा अनुमोदित किया गया।

आनुषंगी, तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों के कार्यनिष्पादन एवं वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट

आनुषंगी कंपनियाँ :

(i) मेसर्स विज्ञान इण्डस्ट्रीस लिमिटेड (वी आई एल) :

वीआईएल द्वारा पिछले वर्ष के ₹30.67 करोड़ की तुलना में ₹32.18 करोड़ की बिक्री की गयी है, जो पिछले वर्ष पर लगभग 5% की वृद्धि दर्शाती है। कंपनी के उत्पादन मूल्य पिछले वर्ष के ₹31.50 करोड़ की तुलना में ₹30.88 करोड़ रहा और कंपनी को पिछले वर्ष के ₹0.85 करोड़ घाटा के विरुद्ध ₹0.32 करोड़ का कर पूर्व लाभ प्राप्त हुआ। सामग्री की खपत में कमी और कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के कारण कर्मचारी लाभ खर्च में कमी के कारण कंपनी के वित्तीय मानकों में सुधार हुआ है।

उच्च धातुमिश्र कैस्टिंग्स के लिए बाजार में मांग पर विचार करते हुए रक्षा व्यवसाय से संबंधित टी-72, एआरवी, बीएमपी, आदि तथा रेल व्यवसाय संबंधित धुरा बक्स बफर असेंबली आदि के लिए ट्रेक शूल्स में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के स्टील कैस्टिंग के विकास एवं उत्पादन करने की योजना वीआईएल द्वारा बनाई जा रही है। उपर्युक्त योजनाओं द्वारा कंपनी अपनी परिप्रेक्ष्य योजना परिकल्पित अनुसार वर्ष 2020-21 तक ₹74 करोड़ हासिल करने में सहायता मिलेगी।

होलडिंग कंपनी तथा अन्य ग्राहकों से प्रत्याशित कैस्टिंग्स अपेक्षाओं सहित दिनांक 01-04-2016 तक आदेश बुक स्थिति 1,739 मेट्रिक टन रही। इसके साथ वी आई एल वर्ष 2016-17 के दौरान अच्छे परिणामों की ओर आगे बढ़ने में दृढ़ विश्वास रखती है।

(ii) मेसर्स एमएएमसी इंडस्ट्रीस लिमिटेड (एमआईएल) :

आपकी कंपनी ने मेसर्स माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी लिमिटेड (परिसमापन के अधीन) के निर्देश संपत्ति की प्राप्ति के लिए 08.06.2010 को मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और दामोदर वैली निगम (डीवीसी) के साथ एक कंसोर्टियम समझौते में प्रवेश किया है। समझौता अन्य बातों के साथ क्रमशः बीईएमएल, सीआईएल और डीवीसी के बीच 48:26:26 के शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए भी प्रावधान प्रदान करता है। कोलकाता के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पीरत आदेश के आधार पर कंपनी ने उक्त परिसमापन की ओर ₹100 करोड़ की कुल बोली पर विचार करने के दिशा में ₹48 करोड़ के अनुपात में शेयर का भुगतान किया। उक्त संपत्ति एमएएमसी कंसोर्टियम द्वारा कब्जे में ली जाती है। इसके अलावा वर्ष 2015-16 तक अनुरक्षण, सुरक्षा और अन्य संबंधित खर्च के लिए कंपनी द्वारा ₹8.76 करोड़ की राशि खर्च की गई है। संयुक्त उद्यम की पूंजी में निलंबित शेयरों के आबंटन के लिए कुल राशि ₹56.76 करोड़ को 'अन्य ऋण और अग्रिम' शीर्ष के तहत शामिल किया गया है। कंपनी इसे लंबी अवधि के निवेश के रूप में रखने के इरादा किये जाने के कारण संपत्तियों का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया गया और निवेश के मूल्य में कमी, यदि कोई हो, को व्यवसायिक योजना की तैयारी करने तथा रक्षा मंत्रालय से शेयरधारियों की सहमति के लिए अनुमोदन प्राप्त होकर परिणामस्वरूप शेयरों का आबंटन किये जाने बाद पता लगाया जा सकता है।

इसी बीच में, उक्त संयुक्त उद्यम के उद्देश्य के लिए एमएएमसी इंडस्ट्रीस लिमिटेड (एमआईएल) नामक कंपनी स्थापित होकर निगमित की गई। कंसोर्टियम के सभी तीन सदस्य बोर्ड द्वारा विधिकत मंजूर शेयरधारकों के समझौते को आवश्यक अनुमोदन के लिए रक्षा मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय द्वारा अपेक्षितानुसार प्रस्तावित संयुक्त उद्यम की

‘व्यवसाय योजना’ तथा ‘वित्तीय साध्यता रिपोर्ट’ सीआईएल का संपूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड द्वारा तैयार की जा रही है।

(iii) मेसर्स बीईएमएल ब्राजिल इंडस्ट्रीयल लिटडा (बीबीआईएल) :

माल डिब्बों तथा खनन एवं विनिर्माण उपकरणों के लिए अच्छा व्यापार क्षमता की प्रत्याशा में उत्पादों के स्थानीय मानकों को पूरा करने के लिए उत्पादों के लिए ब्रांड निर्माण अभ्यास एवं स्थानीय मूल्य संवर्धन के लिए आपकी कंपनी ने ब्राजिल बाजार में प्रवेश किया है। स्थानीय कानूनों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार इकाई स्थापित की गयी। पूछताछ के आधार पर स्थानीय ग्राहकों को कुछ खनन उपकरण की भी आपूर्ति की गयी। इस बीच में, चीनी उपकरण अपने स्थानीय विनिर्माण सुविधाओं के साथ ब्राजिली बाजार में घुस गए। इसके अलावा आपकी कंपनी को सीएटी तथा कोमाट्सू जैसे अंतरराष्ट्रीय स्पर्धियों के साथ हाई - एंड उपकरण खंड में कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पडा। इन घटनाओं को देखते हुए यह प्रस्ताव रखा गया कि ब्राजिली बाजार को सीधे निपटाया जाए तथा ब्राजिल में वर्तमान सुविधाओं को बंद किया जाए।

सह उद्यम कम्पनी - मेसर्स बी ई एम एल मिडवेस्ट लिमिटेड (बीएमडबल्यूएल) :

18.04.2007 को हैदराबाद में बीएमडबल्यूएल को कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत किया गया। बी ई एम एल के पास 45% शेयर और मेसर्स मिडवेस्ट ग्रानाइट प्राइवेट लिमिटेड (एमजीपीएल) और इन्डोनेशिया के पी टी सुम्बर मित्र जया के 55% शेयरों के साथ भागीदारी से एक व्यासायिक रूप से जुड़ी हुई कम्पनी है। कम्पनी को खनन के क्षेत्र में उभर रहे व्यासायिक अवसरों का उपयोग करने के लिए उक्त कंपनी संस्थापित की गई थी। एमजीपीएल द्वारा नामजदों के द्वारा कुछ हद तक अनाधिकृत सौदों और दमन और बद्र-इन्तेजामी के कारण, आपकी कम्पनी ने एक याचिका दायर की है। माननीय कम्पनी विधि बोर्ड (सीएलबी) के सम्मुख प्रति उपाय के रूप में एमजीपीएल ने भी एक याचिका दायर की है। सीएलबी अपने दि.01.06.2012 के आदेशानुसार केन्द्र

सरकार को बीएमडबल्यूएल के व्यवहार की जाँच करने हेतु एक निरीक्षक की नियुक्ति करने का निदेश दिया है। इस बीच कानूनी विशेषज्ञों द्वारा दी गई सलाहों के अनुसार, आपकी कंपनी ने सीएलबी के समान आदेशों के खिलाफ हैदराबाद में आंध्रप्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दो अपीलों को दर्ज किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने 19.08.2013 को आदेश पारित किया, जिसके तहत एक आम आदेश लागू कराकर, सीएलबी द्वारा विवादित पुराने आदेश से प्रभावित न होकर, जाँच की रिपोर्ट में ध्यान देकर कानून और गुण के आधार पर इस मुद्दे पर तय करके उचित आदेश पारित करने हेतु एक ताजी जांच के साथ आगे बढ़ने के लिए सीएलबी को निर्देश दिये जाने का उल्लेख किया गया। कंपनी ने सीएलबी को आवेदन दिया जिसमें सीएलबी द्वारा श्रेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, हैदराबाद को जाँच के समयबद्ध समापन हेतु आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध दिया गया। ताकि इस मुद्दे पर सीएलबी द्वारा प्रभावी ढंग से सुनवाई की जा सके।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई ऐसी कंपनी नहीं जो कंपनी के अनुषंगिक, संयुक्त उद्यम या एसोशिएट हुए या रोके रखा गया।

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुसार प्रत्येक अनुषंगिक, संयुक्त उद्यम कंपनी के कार्यनिष्पादन एवं वित्तीय स्थिति संबंधी रिपोर्ट पर अलग-से भाग कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में प्रपत्र एओसी-1 के अधीन दर्शाया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण:

आपके कंपनी तथा उसके अनुषंगियों तथा संयुक्त उद्यम के समेकित वित्तीय विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किए जाते हैं।

सतर्कता :

कंपनी में मुख्य सतर्कता अधिकारी (मुसअधि) के नेतृत्व में एक स्वतंत्र सतर्कता विभाग कार्यरत है। सतर्कता विभाग द्वारा शिकायतों संभालती जाती है, जाँच/ सत्यापन आयोजित किए गए अनुशासनिक कार्रवाई, की सिफारिश की गई और संगठन में इमानदारी पारदर्शिता, जवाबदेही, समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ निवारक सतर्कता और कार्य और ठेके की तकनीकी परीक्षा/निरीक्षण करने तथा प्रौद्योगिकी का प्रयोग के



दक्षता और उत्पादकता में वृद्धि लाने में भ्रष्टाचार विरोधी कार्य किया गया है।

वर्ष के दौरान, प्रभावी रणनीति और संगठन में अपनाये जानेवाले उपायों सहित निवारक सतर्कता पर एक अवधारणा पत्र तैयार किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए जोखिम प्रबंधन का दृष्टिकोण पर ध्यान दिया गया। इसके साथ-साथ, सतर्कता विभाग ने आंतरिक अनुभव के साथ अन्य सार्वजनिक प्रणाली में अपनाई जानेवाली सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित निश्चित व्यवस्था सुधार की सिफारिश की है।

खरीद :

आपकी कंपनी ईआरपी प्रणाली पर ई-प्रापण प्लैटफॉर्म के माध्यम से सामग्रियों तथा सेवाओं की खरीद करने में तत्पर है। वर्ष के दौरान कुल अपेक्षाओं के लगभग 75% ई-प्रापण के माध्यम से स्रोत किया गया।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम :

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) आदेश 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कदम उठाए गए :-

- एमएसई विक्रेताओं की सूचना के लिए एमएसई से खरीदी जा सकती घटकों की सूची कंपनी की वेबसाइट www.bemlindia.com में दर्शाया जाता है।
- वार्षिक कुल खरीद में से एमएसई से 20% की समग्र खरीद प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ उक्त नीति के संबंध में सभी पंजीकृत विक्रेताओं को सूचना भेजी गयी। इसके अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व के एमएसई से खरीद को बढ़ावा देकर लाभ पहुँचाने हेतु सभी विक्रेताओं के विवरण इकट्ठा करके डेटा बैंक को अद्यतन किया जाता है।
- नीति के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2015-16 से लेकर समझौता ज्ञापन में एमएसई के लिए समुचित महत्व दिया गया है।
- एमएसई से विक्रेता आधार को बढ़ावा देने के लिए आपकी कंपनी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, राष्ट्रीय

लघु उद्योग निगम, आदि द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों में भाग लेती है।

- वर्ष 2015-16 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा एमएसई से ₹188.58 करोड़ तक मूल्यवाले माल और सेवाओं के लिए आदेश दिए गए, जो ₹1524.45 करोड़ मूल्यवाले कुल खरीद का 12.37% ठहरता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अधीन नागरिकों को अपेक्षित सूचनाएँ कंपनी की वेबसाइट www.bemlindia.com में दी जाती हैं। इसमें कंपनी के संबंध में सामान्य जानकारी, कार्य एवं कर्तव्य, अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य, निर्णय लेने की प्रक्रिया, नियम, विनियमन, बीईएमएल द्वारा धारित मैनुअल एवं अभिलेख, कंपनी के अधिकारियों की निर्देशिका, अधिकारियों/कर्मचारियों आदि के वेतनमान और सूचना प्राप्त करने तथा अभिलेखों के निरीक्षण की प्रक्रिया आदि शामिल हैं। प्रश्नों तथा अपीलों के निपटान हेतु कंपनी ने केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, अपील प्राधिकारी, पारदर्शिता अधिकारी तथा कॉम्प्लेक्स/प्रभागों को प्रतिनिधित्व करनेवाले छः केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारियों का नामांकन किया है। वर्ष 2015-16 के दौरान मानव संसाधन, भर्ती, ठेका, निविदा, व्यवसाय से संबंधित मामले, आदि के संबंध में कुल 206 आवेदन प्राप्त हुए तथा उन सभी का निपटान किया गया।

राजभाषा :

आपकी कंपनी द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दिशा में सतत प्रयास किया जा रहा है। राजभाषा नीति के अधीन सभी निर्धारित दस्तावेजों को हिन्दी-अंग्रेजी द्विभाषी रूप में तैयार करके जारी किए गए। कंपनी भर में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा करने हेतु राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गयी है। उक्त समिति ने वर्ष में चार बार बैठकें बुलाई हैं और कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की है। दिल्ली और चेन्नई के क्षेत्रीय कार्यालयों पर संयुक्त निदेशक, राजभाषा विभाग, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा राजभाषा निरीक्षण किया गया।

संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों कोलकाता तथा दिल्ली का निरीक्षण किया, राजभाषा

नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की तथा कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त उपाय सुझाया गया।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारत सरकार के हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन कुल 542 कार्यपालकों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। 10 हिन्दी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं जिनमें 213 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। दिनांक 01.09.2015 से 14.09.2015 तक कंपनी भर में हिन्दी पखवाडा मनाया गया तथा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आपकी कंपनी की वेबसाइट हिन्दी में भी उपलब्ध है और समय-समय पर सामग्रियों का अद्यतन किया जाता है।

सामूहिक शासन :

सामूहिक शासन पर एक रिपोर्ट में प्रबंध विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट के साथ सेबीआई (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 तथा डीबीई मार्गदर्शनों के अधीन अपेक्षित अनुसार अनुपालन प्रमाण पत्र अनुबंध-II में संलग्न है।

पुरस्कार :

- ❖ दि.03.08.2015 को आपकी कंपनी 2014-15 के दौरान हिंदी के कार्यान्वयन में सराहनीय प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रमों के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा बड़े श्रेणी के उपक्रमों की श्रेणी में राजभाषा पुरस्कार से नवाजा गया।
- ❖ दि.20.11.2015 को श्री अनिरुद्ध कुमार, निदेशक(रेल व मेट्रो) को इन्स्टिट्यूट आफ इंजीनियर्स (भारत) द्वारा भारी इंजीनियरिंग उद्योग में की गई उत्कृष्ट सेवा के लिए 'प्रख्यात अभियंता पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।
- ❖ दि.26.12.2015 को आपकी कंपनी ने इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए, निर्यात संवर्ग में 'स्टार परफार्मर पुरस्कार' जीत लिया।
- ❖ दि.27.01.2016 को आपकी कंपनी ने इंजीनियरिंग वर्ष 2012-13 के दौरान निर्यात में सर्वश्रेष्ठ कार्यनिष्पादन के लिए संस्थागत श्रेणी के अंतर्गत प्रतिष्ठित 'उत्कृष्टता के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार' प्राप्त किया है।

- ❖ दि.12.04.2016 को आपकी कंपनी ने वर्ष 2013-14 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधन में उत्कृष्टता तथा सर्वोत्तम योगदान के लिए स्कोप पुरस्कार- विशेष संस्थागत श्रेणी(टर्नअराउण्ड) जीत लिया है।

जनशक्ति:

पिछले वर्ष की 9,599 जनशक्ति की तुलना में 31 मार्च, 2016 को जनशक्ति 8,827 तक बनी रही।

01.01.2016 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों का संवर्गवार विवरण और की गई भर्ती का ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है।

| संवर्ग/ग्रुप | कुल जनशक्ति | | अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति और भूतपूर्व सैनिकों की संख्या | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|---|-------------|------------------|------------|----------------|------------|
| | | | अनुसूचित जाति | | अनुसूचित जन जाति | | भूतपूर्व सैनिक | |
| | 1.1.2015 | 1.1.2016 | 1.1.2015 | 1.1.2016 | 1.1.2015 | 1.1.2016 | 1.1.2015 | 1.1.2016 |
| वर्ग -ए | 1523 | 1549 | 268 | 283 | 56 | 56 | 7 | 6 |
| वर्ग -बी | 976 | 794 | 178 | 135 | 76 | 65 | 11 | 13 |
| वर्ग -सी | 7244 | 6568 | 1602 | 1475 | 339 | 306 | 308 | 275 |
| वर्ग -डी | 27 | 25 | 16 | 14 | 4 | 4 | - | 0 |
| कुल | 9770 | 8936 | 2064 | 1907 | 475 | 431 | 326 | 294 |

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निम्नानुसार 19 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई :-

- ग्रुप सी में अनुसूचित जाति का एक उम्मीदवार ;
- ग्रुप बी में अनुसूचित जनजाति के 7 उम्मीदवार ;
- अन्य पिछड़े वर्ग के 11 उम्मीदवार, जिनमें से 2 ग्रुप ए तथा 9 ग्रुप बी के हैं।

मानव संसाधन विकास एवं औद्योगिक सम्बंध :

मा सं विभाग ने कर्मचारियों के तकनीकी/व्यवसायिक ज्ञान को लगातार अद्यतन करने तथा उनकी कुशलता को बढ़ाने हेतु कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है, जिसे परिचालन के सभी क्षेत्रों में विशेषकर शॉप फ्लोर में कार्यनिष्पादन प्रेरित कार्यसंस्कृति को बढ़ावा देने में व्यवहारिक परिवर्तन लाया जा सके। वर्ष के दौरान कम्पनी में आंतरिक एवं बाह्य रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 23,156 श्रम दिवस शामिल थे।



वर्ष के दौरान औद्योगिक सम्बंध समस्त रूप से सुहार्दपूर्ण बने रहे ।

कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीडन:

कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार सभी विनिर्माण यूनिटों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। हालांकि वर्ष 2015-16 के दौरान उक्त अधिरियम के अंतर्गत कोई मामला दर्ज/रिपोर्ट नहीं हुआ है।

सामूहिक सामाजिक दायित्व एवं निर्वहणीयता :

समझौता ज्ञापन पर डीपीई मार्गदर्शनों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के संदर्भ में सामूहिक सामाजिक दायित्व एवं निर्वहणीयता समिति (सीएसआर) का गठन किया गया। सीएसआर परीक्षण संबंधी अधिक जानकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत अनुबंध-खरख में दी जाती है तथा वर्ष के दौरान की गई सीएसआर गतिविधियाँ पर वार्षिक रिपोर्ट अनुबंध- III में संलग्न की जाती है ।

पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण :

पर्यावरण संतुलन हेतु कारखाना परिसर और आसपास में वृक्षारोपण किया गया । आसपास के स्थलों में पारिस्थिति के संतुलन हेतु विभिन्न प्रकार के वृक्षों/फूलवाले पेड़ों/पौधों को लगाया गया । इसके अलावा, फाउंड्री के आसपास मौजूदा पेड़-पौधों और जानवरों को किसी प्रकार के बाधारहित संरक्षण हेतु कदम उठाये गये हैं।

कर्मचारियों का ब्यौरा :

कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के अंतर्गत किसी भी कर्मचारी ने निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है ।

सांविधिक लेखा परीक्षक :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा मेसर्स एस.आर.आर.के शर्मा एसोशिएट्स, चार्टरित लेखाकर, बेंगलूर को वर्ष 2015-2016 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया ।

एकल और समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों

की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियाँ उसपर बोर्ड द्वारा दिए गए उत्तर इस रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट स्वरूप दिया जाएगा।

लागत लेखा परीक्षक :

कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अधीन आपकी कंपनी ने मेसर्स मूर्ति एण्ड को, एलएलपी, लागत लेखा परीक्षक, बेंगलूर को वर्ष 2015-16 के लिए रेलवे चल स्टॉक एवं उसके पुर्जों के लिए लागत आवश्यक लेखा परीक्षा रिपोर्ट लेखा की तैयारी एवं प्रस्तुत करने के कार्यों के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है । इसके अलावा, उक्त नियमाधीन अपेक्षितानुसार, लागत लेखा परीक्षकों को देय पारिश्रमिक को सदस्यों के अनुसमर्थन के लिए 52वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में पेश किया जाता है।

सचिविक लेखा परीक्षक रिपोर्ट :

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के अनुसार आपकी कंपनी ने, मेसर्स वी.एन एण्ड एसोसिएट्स पेशेवर कंपनी सचिव को वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी सचिविक लेखापरीक्षा करने के कार्यों के लिए सचिविक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है ।

उक्त सचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट अनुबंध-IV में रखी जाती है।

सी एवं एजी लेखा परीक्षा :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण के साथ वित्तीय विवरणों पर भारत के महा लेखा नियंत्रण एवं लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ सं. 99 एवं 140 दर्शाई जाती हैं ।

निदेशक

(1) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति

वर्ष के दौरान भारत सरकार ने पत्र सं. 10(4)/2012-डी(बीईएमएल)दिनांक 02.12.2015 के अनुसार सर्वश्री बी पी राव, सुधीर कुमार बेरी और एमजी रघुवीर को कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ।

कंपनी अधिनियम, 2013 की चतुर्थ अनुसूची के अनुसरण में उक्त स्वतंत्र निदेशकों नियुक्ति को उनकी नियुक्ति से संबंधित शर्तों और निबंधनों सहित नियुक्ति पत्र के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था, जिसे कंपनी की वेबसाइट www.bemlindia.com पर रखा गया है।

(2) स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा संबंधी विवरण :

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में निहित अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों ने उनकी स्वतंत्रता की शर्तों को पूरी करने संबंधी घोषणा दी है।

(3) निदेशकों को पारिश्रमिक :

आपकी कंपनी केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल तथा पारिश्रमिक का निर्णय भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित सरकारी सूचना में कंपनी के संबंधित नियमों की प्रयोज्यता के लिए प्रावधानों सहित उनकी नियुक्ति से संबंधित विवरणात्मक शर्तों एवं निबंधनों का भी उल्लेख किया जाता है।

बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु सरकारी नामित निदेशकों को बैठक शुल्क सहित कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/समिति की बैठक में भाग लेने पर ₹20,000/- प्रति बैठक के रूप में बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है तथा अगर एक ही दिन में एक से अधिक बैठकों में भाग लेने पर ऐसे प्रत्येक अतिरिक्त बैठक के लिए ₹10000/- प्रति बैठक के रूप में बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।

वर्ष के दौरान बोर्ड के निदेशकों को कमीशन का भुगतान या किसी प्रकार की स्टॉक विकल्प योजना नहीं दी गयी है।

इसके अलावा वर्ष के दौरान किसी भी सरकारी नामित निदेशकों द्वारा कंपनी के साथ किसी भी आर्थिक संबंध या लेन-देन नहीं रखा है।

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2015-16 के

दौरान सीएमडी/सीईओ, निदेशक (वित्त)/सीएफओ, निदेशकों तथा कंपनी सचिव को प्रदत्त पारिश्रमिक तथा प्रतिशतता वृद्धि संबंधी विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

(4) निदेशकों का परिवर्तन

भारत के राष्ट्रपति को समय-समय पर कंपनी के निदेशक की नियुक्ति करने की शक्ति है और कंपनी के आर्टिक्ल्स ऑफ एसोशिएशन के अनुच्छेद 97 के तहत उन निदेशकों के पद की शर्तों का निर्धारण किया जाएगा। तदनुसार, वर्ष के दौरान भारत के राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित प्रभावित की गई है।

➤ श्री संजय प्रसाद, संयुक्त सचिव(भू-प्रणाली), रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय को रक्षा मंत्रालय के पत्र सं.10(2)/2011-डी(बीईएमएल) दि.01.10.2015 के अनुसार श्रीमती कुसुम सिंह के स्थान पर सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

➤ श्री बी पी राव, श्री सुधीर कुमार बेरी तथा श्री एम जी रघुवीर को रक्षा मंत्रालय के पत्र सं.10(4)2012-डी(बीईएमएल)दि. 02.12.2015 के अनुसार स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

➤ श्री बी. आर. विश्वनाथ को रक्षा मंत्रालय के दि.27.01.2016 के पत्र सं.10(14)/2014-डी (बीईएमएल) के अनुसार कंपनी निदेशक (खनन एवं विनिर्माण) के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने दि.01.02.2016 को भारग्रहण कर लिया है।

➤ श्री आर एच मुरलीधरा को रक्षा मंत्रालय के दि.08.02.2016 के पत्र सं.10(13)/2014-डी (बीईएमएल) के अनुसार कंपनी के निदेशक (रक्षा व्यवसाय) के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने दि.01.03.2016 को भार ग्रहण कर लिया है।

➤ श्रीमती सुरीना राजन, अतिरिक्त सचिव (रक्षा उत्पादन) रक्षा मंत्रालय को रक्षा मंत्रालय के पत्र सं.8(80)/2015-डी(समन्वयन/डीडीपी) दि.02.06.2016 के अनुसार सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।



➤ श्री डी के होता, कंपनी के निदेशक (मा.सं.) को रक्षा मंत्रालय के पत्र सं.8(2)/2015-डी(बीईएमएल) दि.19.05.2016 के अनुसार कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

बोर्ड वर्ष के दौरान अपने कार्यकाल समाप्त किए निदेशकों द्वारा की गई बहुमूल्य सेवाओं को अत्याधिक सराहना करते हुए अभिलिखित कर दिया है।

(5) निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या :

वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल की 11 बैठकें दि.29.04.2015, 28.05.2015, 29.05.2015, 10.07.2015, 17.07.2015, 14.08.2015, 15.09.2015, 06.11.2015, 21.12.2015, 13.01.2016 तथा 11.02.2016 को बुलाई गयीं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(1) लिस्टिंग विनियमन के विनियम 17(2) तथा डीपीई मार्गदर्शनों के पैरा 3.3.1 के अनुसार बैठकों की अपेक्षित संख्या एवं आवृत्ति को पूर्ण रूप में अनुपालन किया गया।

(6) निदेशकों के उत्तरदायित्वों का विवरण

उनके द्वारा दी गई सूचना तथा प्राप्त स्पष्टीकरणों के अनुसार अपने ज्ञान और विश्वास में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के प्रावधानों के अनुरूप आपके निदेशकों द्वारा अपने उत्तरदायित्वों का विवरण एतद्वारा प्रस्तुत की जाती है कि :

(क) 31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखा तैयार करने में मुख्य व्यवहार से संबंधित प्रयोज्य लेखा मानकों का पालन समुचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया है ;

(ख) ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उनका अनुकूल प्रयोग किया गया है तथा तदनुसार निर्णय लिया गया है ताकि आंकलन करते समय वे समुचित एवं विवेकपूर्ण हो एवं दि.31.03.2016 को कंपनी के कार्य मामलों की स्थिति एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लाभ का सही एवं उचित रूप स्पष्ट हो सके ;

(ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं बचाव, धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं का पता लगाने व उनके रोकथाम के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार यथेष्ट लेखा अभिलेखों के रख-रखाव हेतु समुचित एवं

पर्याप्त सावधानियाँ बरती है ;

(घ) चलित उपक्रम आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया गया है ;

(ड.) सभी समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सही है तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त तथा संगत व प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं ;

(च) सभी प्रयोज्य कानूनों, प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली विकसित की गई है, जो कि पर्याप्त है तथा संगत व प्रभावी रूप से कार्य कर रही है। चलित उपक्रम आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया गया है।

वार्षिक विवरणी का सार :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) सहपठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के अनुसरण में वार्षिक विवरणी का सार निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध-V में संलग्न है।

आभार स्वीकृति :

कम्पनी के बहुमूल्य ग्राहकों को, खासकर रक्षा सेवाओं में मेसर्स कोल इण्डिया लिमिटेड और उनके सहयोगी कंपनियों, मेसर्स सिंगरेनी कोल्लरीस कम्पनी लिमिटेड, स्टील अथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, रेलवे बोर्ड, मेसर्स दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन, मेसर्स बंगलूर मेट्रो रेल कार्पोरेशन और मेसर्स जयपुर मेट्रो रेल कार्पोरेशन को उनके सहयोग, संरक्षण और विश्वास के लिए निदेशक मण्डल द्वारा उनके प्रति धन्यवाद अर्पित किया जाता है। सभी सहयोगियों, विक्रेताओं तथा अन्य सेवा प्रदाताओं को उनके बहुमूल्य सहयोग के प्रति भी निदेशक मण्डल अपना आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मण्डल ने कन्सोर्टियम बैंकों तथा कंपनी के अन्य बैंकों के सदस्य और वित्तीय संस्थानों द्वारा कम्पनी के संचालन में अपना सहयोग बनाए रखने की सराहना की। निदेशक मण्डल सभी शेयरधारियों/निवेशकों और जमाकर्ता द्वारा कम्पनी में अपना विश्वास बनाए रखने की सराहना करते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक, वाणिज्य लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा परिषद, सांविधिक लेखा परीक्षक के प्रति उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए

निदेशक मण्डल अपना आभार प्रकट करना चाहता है ।

भारत सरकार के कई मंत्रालयों को विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खदान मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, रेल मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को उनके बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन के लिए निदेशक मण्डल उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहता है । कर्नाटक एवं केरल राज्य सरकार को उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए निदेशक मंडल अपना आभार प्रकट करता है ।

इस कम्पनी की प्रगति में सभी स्तर के कर्मचारियों एवं कार्यपालकों के बहुमूल्य योगदान एवं सहयोग के लिए आपके निदेशक मंडल उनकी हार्दिक सराहना करते हैं ।

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से
ह0/-

बेंगलूरु
27.05.2016

पी.द्वारकानाथ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



ऊर्जा संरक्षण

(क) ऊर्जा संरक्षण पर प्रभाव या उठाए कदम

- (i) 55 किलो वाट क्षमतावाले मोटर एयर कंप्रेसर के स्थान पर 4 किलो वाट क्षमतावाले पोर्टेबल एयर कंप्रेसर का प्रयोग, जिससे ₹9.83 लाख के समान 148920 केडबल्यूएच का संरक्षण हुआ।
- (ii) कैंटीन के लिए 5000 लीटर क्षमतावाले दो सौर जल तापन प्रणाली का संस्थापन, जिससे ₹6.07 लाख के समान 102816 यूनिट का संरक्षण हुआ।
- (iii) शॉप हाई-बे सड़क और परिधि प्रकाशन व्यवस्था के लिए 100 केवीए ऊर्जा सेवर इकाई की स्थापना, जिससे ₹5.23 लाख के समान 72264 यूनिट का संरक्षण हुआ।
- (iv) सड़क प्रकाशन व्यवस्था के लिए 800 वाट एचपीएमवी लैंप के स्थान पर 150 वाट मेटल हालाइड हाई वे फिट्टिंग का संस्थापन, जिससे ₹4.06 लाख के समान 68760 यूनिट का संरक्षण हुआ।
- (v) परिधि का प्रकाशन व्यवस्था के लिए की गई संस्थापन का ₹3.13 लाख के समान 43200 केडबल्यूएच का संरक्षण हुआ।
- (vi) शॉप फ्लोर में 400 वाट एचपीएमवी लैंप फिट्टिंग के स्थान पर 120 वाट के उर्जा कुशल प्रेरण टाइप का 47 नग हाई वे फिट्टिंग का संस्थापन, जिससे ₹3.05 लाख के समान 51744 यूनिट का संरक्षण हुआ।
- (vii) हल्के लदान अनुप्रयोग के लिए हंगार पर स्थापित 2 अदद 60 केवीए एनर्जी सेवर से 2.68 लाख के समान 45360 के डब्ल्यू एच का संरक्षण हुआ।
- (viii) पारंपारिक कार्बन डाई आक्साइड वेल्डिंग सेट के स्थान पर 10 अदद 15 केवीए इन्वर्टर

वेल्डिंग सेट का उपयोग करने से 2.53 लाख के समान 43200 केडबल्यू का संरक्षण हुआ।

- (ix) सड़क प्रकाशन के लिए एचपीएसवी लाइटों के स्थान पर एलईडी लाइटों का संस्थापन, करने से ₹2.38 लाख के समान 32832 यूनिट का संरक्षण हुआ।
- (x) छत प्रकाशन व्यवस्था के लिए ऊर्जा संरक्षण उपकरणों का संस्थापन, जिससे ₹2.24 लाख के समान 33860 केडबल्यूएच का संरक्षण हुआ।
- (xi) गरमागरम लैंप की जगह पर एलईडी लैंप का प्रतिस्थापन, जिससे ₹1.83 लाख के समान 27672 केडबल्यूएच का संरक्षण हुआ।
- (xii) 250 डब्ल्यू/70 डब्ल्यू एमएचएल के स्थान पर 90 डब्ल्यू/30 डब्ल्यू सड़क प्रकाशन के 30/25 अदद के उपयोग से ₹1.30 लाख के समान 25056 यूनिट का संरक्षण हुआ।
- (xiii) प्रदीप्त लाइटों के स्थान पर एलईडी/सीएफएल लाइटिंग से ₹1.25 लाख से समान 17288 केडबल्यूएच का संरक्षण हुआ।
- (xiv) ऑन लाइन हाईड्रालिक ऑयल फिल्ट्रेशन सिस्टमकी शुरुआत से ₹1.20 लाख के समान 1260 लीटर का संरक्षण हुआ।

(ख) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाया गया कदम

आपकी कंपनी ने कर्नाटक में गडग जिले में कप्पदागुड्डा क्षेत्र में वर्ष 2007 के दौरान 5 मेगावाट पवनचक्की स्थापित की। वर्ष 2015-16 के दौरान मौजूदा पवनचक्की द्वारा ₹77.50 लाख केडबल्यूएच ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसके परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैस की कमी हुई। इसके अलावा, प्रगति के अधीन के 18 मेगा वाट पवनचक्की परियोजना में से 9 मेगा वाट क्षमता को पहले ही संस्थापित किया गया, जो वर्ष के दौरान 20 लाख केडबल्यूएच उत्पन्न किया।

(ग) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश

(₹ लाखों में)

| क्रम सं. | संरक्षण उपकरण | निवेश |
|----------|---|-------|
| 1. | शॉप हाई बे, सडक और परिध प्रकाश के लिए एनर्जी सेवर यूनिट | 10.00 |
| 2. | सडक प्रकाशन के लिए एलईडी लाइट्स | 9.55 |
| 3. | परिधि के लिए सौर प्रकाशन | 9.00 |
| 4. | विण्ड इन्वर्टर जनरेटर | 6.89 |
| 5. | शॉप हाई बे के लिए एलईडी लाइट फिटिंग | 5.00 |
| 6. | 1000एलपीडी सौर वाट हीटर एवं उसके उपसाधन | 1.24 |
| 7. | कार्यालय प्रकाश के लिए सीएफएल/एलईडी | 0.76 |
| | कुल | 42.44 |

तकनीकी समावेश :

अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) :

(i) तकनीकी समावेश की दिशा में किए गए प्रयास :

वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास विभाग द्वारा खनन और निर्माण, रक्षा और रेल और मेट्रो क्षेत्रों के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार कई उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों और समुच्चय के डिजाइन और विकास किया गया है और उन्हें निर्मित करके ग्राहक के परीक्षण के लिए प्रारंभ किया गया है।

वर्ष 2015-16 के लिए क्षेत्रवार जरूरतों के निर्भर पर आर एंड डी द्वारा निम्नलिखित उत्पादों/ परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है।

खनन और निर्माण :

- बीएल120एच बेकहो लाडर-उच्च क्षमता बक्केट, उत्सर्जन-पालन इंजन और आगे तथा पीछे में बराबर टायर के साथ डिजाइन एवं विकसित तथा बहिर्वेत्लन किया गया।
- बीडी50डोजर-हीड्रास्टाटिक पारेषण, शक्ति कोण और झुकाव ब्लेड और बंद केंद्र लोड सेंसिंग प्रणाली सहित डिजाइन एवं विकास 117एचपी।
- बीएल9एच (4x4) - अनुप्रयोग के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंजन के डिजाइन और विकास।
- बीडी155-1/बीडी-1 डोजर- आनुपातिक स्टीयरिंग

नियंत्रण वाल्व के डिजाइन और विकास।

- बीएच100ए डंप ट्रक-फ्रंट ब्रैक पर वेट मल्टिपल डिस्क ब्रेक प्रणाली के डिजाइन और विकास।
- बीई1000 एक्सक्यावेटर - सीएल आधारित सिंगल 7' एलसीडी डिस्प्ले इंस्ट्रुमेंटेशन के डिजाइन और विकास।
- 1.5 घन सी लोड हॉल डम्पर का विकास
- बीएच60एम-ऑटो स्पिन- नियामक का परिचय
- बीई1800ई एक्सक्यावेटर- छप स्नेहन टाइप पीटीओ के डिजाइन और विकास।
- बीडी355 डोजर-बंद केंद्र लोड सेंसिंग सिस्टम के साथ उन्नयन और बीडी355-1 पर बीएस6डी170ईजी इंजन का इंजीनियरिंग।
- बीएल40-बीएस-III इलेक्ट्रॉनिक इंजन. बाल्टी ठगिनी और बूम किक-आइट तंत्र सहित उन्नयन
- बीडबल्यूएस28-बीईएमएल इलेक्ट्रॉनिक इंजन, बीईएमएल ट्रांसमिशन, संशोधित पानी की टंकी और पम्पिंग प्रणाली के साथ उन्नयन।

रक्षा :

- ❖ स्मर्च 8x8 तथा 10x10 उच्च गतिशीलता वाहन- अतिरिक्त वहनीय रियर व्हील के लिए प्रौद्योगिकी, एण्टी-लॉक ब्रेक सिस्टम, पॉवर पैक और एबीएस के साथ वाहनों का डिजाइन और विकास।

रेल और मेट्रो :

- ❖ केटनरी अनुरक्षण वाहन- डिजाइन, विकसित और नवी मुंबई मेट्रो निगम को आपूर्ति की गई
- ❖ डीएमआरसी आरएस 13-ब्रॉड गेज ट्रेलर कार ड्राइविंग के लिए डिजाइन संपूर्ण तथा प्रणोदन प्रणाली के उन्नयन, सीसीटीवी और अन्य सुरक्षा सुविधाओं की शुरुआत
- ❖ बेंगलूरु मेट्रो के लिए विशेष मानक गेज वैजन- प्रोटोटाइप के डिजाइन और विकास।



❖ डीएमआरसी आरएस 9-स्टैंडर्ड गेज मेट्रो कारों के लिए तकनीकी सहायता पूरा की गई।

(ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन से अर्जित लाभ :

प्रमुख अनुसंधान और विकास के पहल से उत्पाद में सुधार, लागत की कमी में सहायता मिली और मौजूदा उत्पादों के लिए अत्याधुनिक तकनीक सुविधाएं प्रदान की गई, जिससे कंपनी को मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने, शेयर बाजार का विस्तार करने और उभरते बाजारों की खोज में मदद मिली।

इन नई पहलों से कौशल सेट, ज्ञान, अनुसंधान एवं विकास कमियों की विशेषज्ञता बढ़ी तथा समय – समय पर उत्पन्न होने वाली नई चुनौतियों का सामना करने में आत्मविश्वास का स्तर बढ़ा।

बीएल120एच ब्याकहो लोडर का डिजाइन एवं विकास :

कंपनी ने उच्च क्षमता बक्केट, उत्सर्जन-पालन इंजन और आगे तथा पीछे में बराबर टायर के साथ भारत में पहली बार बीएल 120एच ब्याकहो लोडर का डिजाइन करके विकसित किया गया।

डीएमआरसी आरएस 13 मेट्रो कार

उत्पाद में सुधार की गई और आगे व्यवसायिक अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है।

(iii) आयातित प्रौद्योगिकी (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से संगणित पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित) :

शून्य।

(iv) भावी कार्य योजना :

प्रौद्योगिकी की उभरती हुई प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर तथा बदलते हुए व्यापार परिदृश्यों के साथ अ एवं वि द्वारा कई परियोजनाओं के साथ स्रोतों के संवृद्ध विनियोजन को लिया गया है। इसे प्राप्त करने के लिए, अ एवं वि आधारिक संरचना और स्रोतों को लगातार मज़बूत/उन्नत किया जा रहा है और जहाँ पर आवश्यक हो, आधुनिक प्रौद्योगिकियों को प्रभाविक रूप से उपयोग किया जाता है।

बीईएमएल अ एवं वि ने तीनों व्यवसाय क्षेत्रों में विभिन्न उत्पादों/समुच्चयों युक्त एक श्रृंखला विकसित करने की योजना है।

(v) अ एवं वि पर खर्च:

अ एवं वि पर खर्च कम्पनी द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान अ एवं वि पर ₹66.63 करोड़ खर्च किया गया है, जो लगभग कुल बिक्री (कन्सोर्टियम आपूर्ति सहित राजस्व) का 1.95% है।

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से
ह0/-

बेंगलूरु
27.05.2016

पी.द्वारकानाथ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सामूहिक शासन पर एक रिपोर्ट

अनुबंध- II

1. कम्पनी का तत्व ज्ञान

वरिष्ठ प्रबंधन सामूहिक शासन के मानकों का पहल करता है और समस्त संगठन में इसका फैलाव सुनिश्चित करता है, आपकी कंपनी कर्मचारियों के बीच नैतिकता के महत्व पर दृढ़ विश्वास रखता है और ऐसी एक कार्य संस्कृति विकसित करने का प्रयास करता है, जिससे अपने व्यवहार में जवाबदेही, निष्पक्षता, अखंडता और पारदर्शिता को बढ़ावा मिल सके तथा कंपनी के पूरे ढाँचे रखने में सभी हितधारकों के विश्वास को बढ़ाने के प्रति जिम्मेदार है।

आपकी कंपनी अपने बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन याने निदेशक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, कार्यकारी निदेशक और मुख्य महाप्रबंधक के लिए आधार संहिता व्यवसायिक नैतिकता रखी है, जो कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के आधार पर संबंधित व्यक्तियों द्वारा अवैध संवर्धन को बचने के लिए 'इन्साइडर द्वारा व्यापार का नियमन, निगरानी तथा रिपोर्ट हेतु बीईएमएल आचार संहिता' है।

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए सामूहिक प्रशासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों (सामूहिक प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश) और सेबी (लिस्टिंग देयताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 (आगे लिस्टिंग विनियमन वर्णित होगा) आपकी कंपनी विनिर्दिष्ट सामूहिक शासन की आवश्यकताओं के अनुपालन करती है।

2. निदेशक मण्डल

(i) संगठन :

31 मार्च 2016 के अनुसार निदेशक मण्डल में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 1 सरकारी नामित निदेशक और 3 स्वतंत्र निदेशक सहित कुल 6 पूर्णकालीन निदेशक शामिल हैं। कम से कम एक महिला निदेशक सहित बोर्ड में 4 स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियाँ हैं। तदनुसार उक्त गठन लिस्टिंग विनियमन के पंजीकरण 7 के अधीन की आवश्यकताओं का पालन नहीं करता। निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है।

(ii) बैठकें एवं उपस्थिति :

वर्ष के दौरान, निदेशक मण्डल की 11 बैठकें दि. 29.04.2015, 28.05.2015, 29.05.2015, 10.07.2015, 17.07.2015, 14.08.2015, 15.09.2015, 06.11.2015, 21.12.2015, 13.01.2016 तथा 11.02.2016 को बुलाई गयीं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173(2)(एन) लिस्टिंग विनियमन के विनियम 17(2) और डीपीई मार्गदर्शनों के पैरा 3.3.1 के अनुसार बैठकों की अपेक्षित संख्या एवं आवृत्ति को पूर्ण रूप में अनुपालन किया गया।

निदेशक मण्डल की बैठकों, वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति संबंधी विवरण तथा वर्ष की उपर्युक्त अवधि के दौरान में धारित अन्य निदेशकशिप और समिति की सदस्यता की संख्या आदि नीचे दिये जाते हैं :

| क्रम. सं. | निदेशक का नाम (निदेशक पहचान सं.) | निदेशक के रूप में नियुक्त होने के बाद बोर्ड बैठकों/ कुल बैठकों में | वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति (हाँ/नहीं) | अन्य डायरेक्टरशिप की संख्या | सभी कंपनियों में समिति सदस्यता की संख्या* |
|--------------------|--|---|--|-----------------------------------|--|
| कार्यात्मक निदेशक: | | | | | |
| 1 | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री पी.द्वारकानाथ (डीआईएन 02107805) | 11/11 | हाँ | - | - |
| 2 | निदेशक(मा.सं.) श्री दीपक कुमार होता (डीआईएन 06600812) | 9/11 | हाँ | - | 1 |
| 3 | निदेशक(वित्त) श्री प्रदीप स्वामिनाथन (डीआईएन 06565229) | 11/11 | हाँ | 1 | 1 |



| क्रम. सं. | निदेशक का नाम (निदेशक पहचान सं.) | निदेशक के रूप में नियुक्त होने के बाद बोर्ड बैठकों/ कुल बैठकों में | वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति (हाँ/नहीं) | अन्य डायरेक्टरशिप की संख्या | सभी कंपनियों में समिति सदस्यता की संख्या* |
|-----------------------|--|---|--|-----------------------------------|--|
| 4. | निदेशक (रेल व मेट्रो व्यवसाय) श्री अनिरुद्ध कुमार (डीआईएन (08961374)) | 11/11 | हाँ | - | - |
| 5 | निदेशक (खनन एवं निर्माण व्यवसाय) श्री बी आर विश्वनाथ ¹ (डीआईएन 07363486) | 1/1 | लागू नहीं | - | 1 |
| 6 | निदेशक (रक्षा व्यवसाय) श्री आर एच मुरलीधर ² (डीआईएन (07363484) | - | लागू नहीं | - | - |
| 7 | निदेशक (खनन एवं निर्माण व्यवसाय) श्री सी.एन. दुर्गेश ³ (डीआईएन 03487810) | 10/10 | हाँ | - | 1 |
| 8 | निदेशक (रक्षा व्यवसाय) श्री पी.आर.नायक ⁴ (डीआईएन 03579729) | 11/11 | हाँ | - | - |
| सरकारी नामित निदेशक : | | | | | |
| 9 | श्री संजय प्रसाद ⁵ (डीआईएन 01577730) | 2/4 | लागू नहीं | - | - |
| 10 | श्री रजनीश कुमार ⁶ (डीआईएन 06368293) | 1/11 | नहीं | - | 1 |
| 11 | श्रीमती कुसुम सिंह ⁷ (डीआईएन 06489228) | 2/7 | नहीं | - | - |
| स्वतंत्र निदेशक : | | | | | |
| 12 | श्री सुधीर कुमार बेरी ⁸ (डीआईएन 07367157) | 3/3 | लागू नहीं | - | 1 |
| 13. | श्री एम जी रघुवीर ⁹ (डीआईएन 02703301) | 3/3 | लागू नहीं | - | 2 |
| 14 | श्री बी पी राव ⁹ (डीआईएन 00467226) | 2/3 | लागू नहीं | 3 | 1 |
| 15 | श्री सी बालकृष्णन ¹⁰ (डीआईएन 00040416) | 4/7 | हाँ | - | 1 |
| 16 | श्री सुहास आनंद भट्ट ¹⁰ (डी आई एन 01627074) | 3/7 | नहीं | - | 1 |
| 17 | श्री एन.पी.गुप्ता ¹⁰ (डीआईएन 02548988) | 6/7 | हाँ | - | 2 |

* लिस्टिंग विनियमन के विनियम 26 के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारकों शिकायत समिति की अध्यक्षता/सदस्यता के साथ ही गणना की जाती है।

1. 01.02.2016 से प्रभाव देकर नियुक्त
2. 01.03.2016 से प्रभाव देकर नियुक्त
3. 29.01.2016 को निदेशक पद समाप्त
4. 29.01.2016 को निदेशक पद समाप्त
5. 01.10.2016 से प्रभाव देकर नियुक्त

6. 03.03.2016 को निदेशक पद समाप्त
7. 30.09.2015 को निदेशक पद समाप्त
8. 11.12.2015 से प्रभाव देकर नियुक्त
9. 02.12.2015 से प्रभाव देकर नियुक्त
10. 15.10.2015 को निदेशक पद समाप्त

(iii) रोटेशन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे निदेशक

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक श्री अनिरुद्ध कुमार जो रोटेशन आधार पर सेवानिवृत्त होनेवाले हैं, आगामी वार्षिक आम बैठक में स्वयं पुनःनियुक्ति होने के लिए प्रस्ताव रखने के लिए अर्ह हैं। आगे लिस्टिंग विनियमन के 36(3) के अनुसार वार्षिक आम बैठक की सूचना के साथ उनके संक्षिप्त वृत्त संलग्न हैं। अवकाश ग्रहण करनेवाले निदेशकों की पुनःनियुक्ति पर बोर्ड द्वारा सराहना की जाती है।

(iv) निदेशकों की शेयरधारिता

श्री अनिरुद्ध कुमार, निदेशक(रेल व मेट्रो व्यवसाय) अपनी निजी क्षमता से 10 इक्विटी शेयरों का धारण करते हैं। 31 मार्च 2016 के अनुसार आपकी कंपनी के कोई अन्य निदेशक इक्विटी शेयर या ऋण प्रतिभूतियों का धारण नहीं करते।

(v) सी ई ओ/ सी एफ ओ प्रमाणन

लिस्टिंग विनियमन के विनियमन की 17(8) की शर्तों के अनुसार, वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय विवरणों पर कम्पनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) और मुख्य वित्तीय अधिकारी (निदेशक-वित्त) द्वारा निदेशक मंडल को आवश्यक प्रमाण पत्र जारी किया गया है। लेखा परीक्षा समिति द्वारा डीपीई मार्गदर्शनों के पैरा 4.5(vi) के अनुसार उक्त प्रमाणन की समीक्षा की गई तथा दि.27.05.2016 को संपन्न 332वीं बैठक में मंडल द्वारा रेकार्ड किया गया।

(vi) विधि के अनुपालन की समीक्षा

लिस्टिंग विनियमन के विनियम 17(3), डीपीई मार्गदर्शनों के पैरा 3.3.3 और कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए कम्पनी पर लागू विभिन्न विधियों से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा की गई और गैर-अनुपालन से संबंधित कोई घटना नहीं होने की टिप्पणी दी गयी। नियामक या न्यायालय या अधिकरण द्वारा ऐसा कोई अर्थपूर्ण आर्थिक-वस्तुपरक आदेश परित नहीं किया गया, जो भविष्य में चलित उपक्रम स्थिति व कंपनी के संचालन को प्रभावित करें।

(vii) बोर्ड के सदस्यों को परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम

लिस्टिंग विनियमन के विनियम 25(7) डीपीई मार्गदर्शनों के पैरा 3.7 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार बोर्ड के सदस्यों के लिए परिचयात्मक/प्रशिक्षण कार्यक्रम नीति तैयार की गई है तथा बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई है।

उपर्युक्त नीति के अनुसार, बोर्ड के नए सदस्यों को कंपनी के व्यवसाय मॉडल, प्रक्रियाएँ तथा अभ्यासों पर परिचयात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है तथा कंपनी से संबंधित आवश्यक सूचनाओं के साथ निदेशकों को समान आवश्यक दस्तावेजों, विवरणिकाओं तथा रिपोर्टों की जानकारी से अवगत कराया जाता है। इसके अलावा बोर्ड के सदस्यों को सामूहिक प्रशासन तथा अन्य बोर्ड से संबंधित विषयों पर समय समय पर विभिन्न बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया जाता है।

आगे, लिस्टिंग विनियमन के विनियम 46(2)(i) के अनुसार निदेशकों को दिया गया परिचयात्मक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ उपर्युक्त नीति को कंपनी की वेबसाइट www.bemlindia.com में दर्शित है।

(viii) आचार संहिता

लिस्टिंग विनियमन के विनियम 17(5) और डीपीई मार्गदर्शनों के पैरा 3.4 के अनुसार आपके कंपनी के निदेशक मंडल को बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए बीईएमएल आचार संहिता एवं व्यवसायक नैतिकता के अंतर्गत लाया गया है और उक्त विनियमन के विनियम 46(2)(घ) के अंतर्गत कंपनी के वेबसाइट <http://www.bemlindia.com> में प्रदर्शित किया गया है। बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन तथा निदेशक प्रमुख प्रबंधकीय क्रार्मिक कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य महा प्रबंधकों द्वारा उक्त संहिता का अनुपालन पुष्टि की गई है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/सीईओ द्वारा इस संबंध में हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी जाती है।



बी ई एम एल लिमिटेड के सदस्यों के लिए ,

में, पी द्वारकानाथ, कंपनी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक प्रमाणित करता हूँ कि दि.31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मण्डल और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों द्वारा आचरण संहिता का पालन निश्चयपूर्वक किया जाएगा।

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से
ह/-

बेंगलूर

27.05.2016

पी.द्वारकानाथ

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(ix) इन्साइडर द्वारा प्रतिभूतियाँ में व्यापार नियमित, मॉनिटर एवं रिपोर्ट करने संबंधी आचार संहिता

भारत के प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इन्साइडर व्यापार का रोकथाम) नियमन, 2015 के नियमन 8 एवं 9 के अनुसार, आपकी कम्पनी के निदेशक मंडल इन्साइडर द्वारा ट्रेडिंग को नियमित, मॉनिटर करके रिपोर्ट करने संबंधी बीईएमएल आचार संहिता का अनुमोदन लिया गया है। अप्रकाशित मूल्य के आधार पर कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों से संबंधित है, तथा संवेदनशील सूचना कंपनी के वेबलिक <http://www.bemlindia.com/documents/aboutus/> में दर्शित है। इस संहिता के अधीन संबंधित व्यक्तियों को निर्दिष्ट सीमा से परे प्रतिभूतियों का सौदा करने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। इन्साइडर ट्रेडिंग की घटनाओं के रोकथाम के लिए संहिता के प्रावधानों के अधीन आवश्यक प्रकटीकरण की भी आवश्यकता है।

आगे, डीपीई मार्गदर्शनों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 195 के अनुसार निदेशक मंडल तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा इन्साइडर व्यवहार के रोकथाम के लिए अंतरिक प्रक्रियाओं तथा आचरण के उपर्युक्त संहिता का पालन किया गया है।

(x) व्हीसल ब्लोअर नीति

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 177, लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 22 तथा डीपीई दिशानिर्देश के पैरा 4.3 के प्रावधानों के अनुसार आपके कंपनी ने वास्तविक चिंताओं को ध्यान में लाने के लिए निदेशकों और कर्मचारियों के लिए आवश्यक 'जागरण तंत्र/व्हीसल ब्लोअर नीति' तैयार की है, उक्त नीति निदेशक/कों या कर्मचारी/यों या किसी अन्य व्यक्ति के शोषण के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय का प्रावधान करती है तथा उचित या असाधारण मामलों में लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष तक सीधी पहुँच के लिए प्रावधान प्रदान करता है। लिस्टिंग विनियमन के विनियम 46(2)(ड) के अनुसार उक्त नीति को कंपनी की वेबसाइट www.bemlindia.com में दर्शित किया गया है।

3. बोर्ड की समितियाँ :

निदेशक मंडल संदर्भ का संक्षिप्त शर्तों के अंतर्गत विस्तृत रूप में विभिन्न समितियों का गठन किया है। इसके अलावा, लिस्टिंग विनियमन के विनियमन की 46(2)(ग) के अनुसार ऐसी समितियों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bemlindia.com में दर्शिया है।

(i) लेखा परीक्षा समिति :

सामूहिक शासन पर कम्पनी अधिनियम, 2013, लिस्टिंग विनियमन तथा डीपीई मार्गदर्शनों के लागू एवं समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अधीन उल्लिखित संदर्भों और निदेशक मंडल, रक्षा उत्पादन विभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग और अन्य ऐसे सक्षम प्राधिकारी के अनुदेशों के अनुसार लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुपालन किया जाता है।

लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों तथा निदेशकों की उपस्थिति संबंधी विवरण नीचे दिये जाते हैं :

| क्रम सं. | निदेशक का नाम | संवर्ग | उपस्थिति |
|-----------|-----------------------|----------------------------|----------|
| अध्यक्ष : | | | |
| 1 | श्री बी पी राव | स्वतंत्र निदेशक | 3/3 |
| 2 | श्री सी बालकृष्णन | स्वतंत्र निदेशक | 2/2 |
| सदस्य : | | | |
| 3 | श्री सुधीर कुमार बेरी | स्वतंत्र निदेशक | 3/3 |
| 4 | श्री एम जी रघुवीर | स्वतंत्र निदेशक | 3/3 |
| 5 | श्री एन.पी.गुप्ता | स्वतंत्र निदेशक | 2/2 |
| 6 | श्री सुहास आनंद भट्ट | स्वतंत्र निदेशक | 1/1 |
| 7 | श्री सी.एन. दुर्गे | निदेशक(खनन एवं विनिर्माण) | 2/2 |
| 8 | श्री रजनीश कुमार | सरकारी नामित निदेशक | 0/5 |

- 1) 21.12.2015 से प्रभाव देकर नियुक्त
- 2) 15.10.2015 को सदस्य पद समाप्त
- 3) 21.12.2015 को सदस्य पद समाप्त
- 4) 03.03.2016 को सदस्य पद समाप्त

वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की पाँच बैठकें बुलाई गईं। इसके अलावा, लिस्टिंग विनियमन के विनियम 18(2) तथा डीपीई मार्गदर्शन के पैरा 4.4 के अनुसार, केवल दि.31.12.2015 को समाप्त तीसरी तिमाही के दौरान को छोड़कर, जैसा कि उक्त तिमाही में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, बैठकों की संख्या पर लेखा परीक्षा समिति अपेक्षित अनुपालन करती है। कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 177(8) के अनुसार बोर्ड ने वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति द्वारा किए गए सिफारिशों को स्वीकार किया है।

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष 51वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेकर कंपनी के लेखों से संबंधित शेरधारकों के प्रश्नों का उत्तर दिया।

(ii) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 178(1) तथा लिस्टिंग विनियमन के विनियम 19 के प्रावधानों की अनुवर्ती में 'नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति' नामक समिति का गठन किया गया।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का शर्तों में वार्षिक बोनस/चर वेतन पूल हेतु बोर्ड की सिफारिश, के कार्यपालकों तथा गैर-संघीय पर्यवेक्षकों का वितरण संबंधी नीति तथा जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत कार्मिकों के लिए विशिष्ट/एकमात्र भत्तों तथा प्रावधानों की सिफारिश भी शामिल हैं। इसका अलावा, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति कम्पनी अधिनियम, 2013, तथा लिस्टिंग विनियमन के प्रावधानों के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करेंगी बशर्ता समय समय पर सरकारी कंपनियों को छूट प्रदान किया जाए।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सदस्यों तथा बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी वितरण निम्नानुसार हैं :-

| क्रम सं. | निदेशक का नाम | संवर्ग | उपस्थिति |
|-----------|------------------------|---------------------|-----------|
| अध्यक्ष : | | | |
| 1 | श्री सुधीर कुमार बेरी* | स्वतंत्र निदेशक | 1 / 1 |
| 2 | श्री एन.पी.गुप्ता* | स्वतंत्र निदेशक | लागू नहीं |
| सदस्य: | | | |
| 3 | श्री बी पी राव* | स्वतंत्र निदेशक | 1 / 1 |
| 3 | श्री रजनीश कुमार* | सरकारी नामित निदेशक | 0 / 1 |
| 5 | श्रीमती कुसुम सिंह* | सरकारी नामित निदेशक | लागू नहीं |
| 6 | श्री सी बालकृष्णन* | स्वतंत्र निदेशक | लागू नहीं |
| 7 | श्री डी. के. होता * | निदेशक (मा.सं.) | लागू नहीं |

* वर्ष के अंश के लिए

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति वर्ष के दौरान एक बार बैठक बुलाई गई।

(iii) हितधारक संव्यवहार समिति

कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 178(5) तथा लिस्टिंग विनियमन के विनियम 20(1) के अनुसार निदेशक मंडल ने 'हितधारक संव्यवहार समिति' का गठन किया गया है। समिति के शर्तों में कंपनी तथा रजिस्टर एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा शिकायत विवरण पर निगरानी, समीक्षा तथा सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स) में पंजीकृत शिकायतों की निवारक स्थिति से बोर्ड की सिफारिश शामिल हैं।



समिति में निम्नलिखित निदेशक/अनुपालन अधिकारी शामिल हैं :-

| क्रम सं. | निदेशक का नाम | संवर्ग |
|-------------|------------------------|-----------------|
| अध्यक्ष : | | |
| 1. | श्री एम जी रघुवीर* | स्वतंत्र निदेशक |
| 2. | श्री एन.पी.गुप्ता | स्वतंत्र निदेशक |
| सदस्य: | | |
| 3. | श्री डी. के. होता | निदेशक (मा.सं.) |
| 4. | श्री प्रदीप स्वामिनाथन | निदेशक (वित्त) |
| कम्पनी सचिव | | |
| 5. | श्री एम.ई.वी. सेल्वम | अनुपालन अधिकारी |

* वर्ष के अंश के लिए

निवेशक अपनी शिकायतों को, ऑन-लाइन दर्ज करने के लिए कंपनी ने का विशेष ई-मेल आईडी investorgrievance@beml.co.in उपलब्ध है। तीन कार्य दिवसों में शिकायतों का उत्तर देने में कंपनी प्रयासरत है। लिस्टिंग विनियमनों के विनियमन 46(2) के अनुसार उक्त ई-मेल आईडी तथा उचित विवरण कंपनी की कंपनी की वेबसाइट www.bemlindia.com में दर्शित है।

इसके अलावा, सेबी के दि.03.06.2011 तथा 18.12.2014 के परिपत्रों के संदर्भ में, मेसर्स कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, जो कम्पनी के शेयर अंतरण एजेंट है, को सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स) पर सेबी द्वारा दर्ज ऑनलाइन शिकायतों की निगरानी के लिए प्राधिकृत किया गया है। दि.18.07.2011 को उक्त प्रणाली के प्रारंभ में 31.3.2016 तक कुल 24 शिकायतें सेबी द्वारा दर्ज हुई हैं, और कोई शिकायत निलंबित नहीं है। इसके अलावा समय समय पर निदेशक मंडल द्वारा उक्त शिकायतों की स्थिति पर समीक्षा की जाती है।

लिस्टिंग विनियमनों के विनियम 13(4) के अनुसार बीएसई तथा एनएसई को प्रस्तुत प्राप्त शिकायतों तथा विवरण संबंधी तिमाही विवरण बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। तदनुसार, कुल शिकायतों तथा तत्संबंधी विवरण नीचे दिए जाते हैं :-

| | |
|--|------|
| वर्ष के प्रारंभ में निलंबित शिकायतों की संख्या | : 01 |
| वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या | : 39 |
| वर्ष के दौरान निपटाये गये शिकायतों की संख्या | : 40 |
| वर्ष के अंत में निलंबित शिकायतों की संख्या | : 0 |

(iv) शेयर प्रमाण पत्र समिति

लिस्टिंग विनियमनों के विनियमन 39(2) के अनुसार निदेशक मंडल ने दि.06.11.2015 को संपन्न बैठक में “शेयर प्रमाण पत्र समिति” का गठन किया गया है।

शेयर प्रमाण पत्र समिति के शर्तों में (i) शेयर प्रमाण पत्रों का दूसरी प्रति तथा (ii) रीमेट के लिए अनुरोध पर विचार करना तथा कंपनी अधिनियम, 2013 तथा लिस्टिंग विनियमनों के प्रावधानों का पालन करते हुए प्रमाण पत्रों को जारी करने का अनुमोदन देना आदि शामिल हैं।

उक्त समिति में निम्नलिखित निदेशक/अनुपालन अधिकारी शामिल हैं।

| क्रम सं. | निदेशक का नाम | संवर्ग |
|-------------|------------------------|----------------------------|
| अध्यक्ष : | | |
| 1. | श्री डी. के. होता | निदेशक (मा.सं.) |
| 2. | श्री सी.एन. दुर्गेश* | निदेशक (खनन एवं विनिर्माण) |
| सदस्य: | | |
| 3. | श्री प्रदीप स्वामिनाथन | निदेशक (वित्त) |
| 4. | श्री बी आर विश्वनाथ* | निदेशक (खनन एवं विनिर्माण) |
| कम्पनी सचिव | | |
| 5. | श्री एम.ई.वी. सेल्वम | अनुपालन अधिकारी |

* वर्ष के अंश के लिए

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयर प्रमाण पत्र समिति दो बैठकें बुलाई गईं।

(v) सामूहिक सामाजिक दायित्व एवं निर्वहणीयता समिति

समझौता ज्ञापन पर डीपीई मार्गदर्शनों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के संदर्भ में सामूहिक सामाजिक दायित्व एवं निर्वहणीयता समिति (सीएसआर) का गठन किया गया।

सीएसआर समिति के शर्तों में शामिल हैं :-

- (क) कंपनी सीएसआर नीति का गठन करके मंडल को सिफारिश करना,
- (ख) गतिविधियों की सिफारिश करना, तथा
- (ग) सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों का कंपनी में कार्यन्वयन एवं तत्संबंधी व्यय पर निगरानी करना।

उक्त समिति में निम्नलिखित निदेशक हैं :

| क्रम सं. | निदेशक का नाम | संवर्ग |
|-----------|------------------------|-------------------------------|
| अध्यक्ष : | | |
| 1. | श्री सुधीर कुमार बेरी* | स्वतंत्र निदेशक |
| 2. | श्री एन.पी.गुप्ता | स्वतंत्र निदेशक |
| सदस्य: | | |
| 3. | श्री दीपक कुमार होता | निदेशक (मा.सं.) |
| 4. | श्री अनिरुद्ध कुमार | निदेशक (रेल व मेट्रो व्यवसाय) |

* वर्ष के अंश के लिए

सभी हितधारकों के हितों को पहचानकर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से जिम्मेदार और संपोषित तरीके से अपने कारोबार को संचालित करने तथा संगठन में स्तरों पर प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए आपकी कंपनी के निदेशकमंडल ने 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और संपोषणीयता पर नीति' की सहर्ष की वरुष मंजूरी दे दी है। समिति द्वारा सीएसआर गतिविधियाँ का समय-समय पर निगरानी रखी जाती है तथा वर्ष 2015-16 के दौरान की गई सीएसआर गतिविधियाँ पर वार्षिक रिपोर्ट अनुबंध- III में संलग्न की जाती है। इसके अलावा, कंपनी के सीएसआर नीति की गई गतिविधियाँ संबंधी विवरण कंपनी की वेबसाइट <http://www.bemlindia.com> में दिया जाता है।

(vi) खरीदी समिति

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा ₹50 लाख से अधिक मूल्य के लिए एकल निविदा के आधार पर और ₹500 करोड़ से अधिक मूल्य के लिए खुला/सीमित निविदा की खरीद पर विचार करके अनुमोदन देने के लिए खरीदी समिति नामक एक समिति गठित की गई है।

उक्त समिति में निम्नलिखित निदेशक हैं :-

| क्रम सं. | निदेशक का नाम |
|----------|--|
| 1. | श्री एम.जी. रघुवीर- अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक |
| 2. | निदेशक (वित्त) - सदस्य |
| 3. | निदेशक (मा.सं.)- सदस्य |
| 4. | संबंधित व्यवसाय ग्रुप निदेशक - सदस्य |

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान खरीदी समिति 14 बैठकें बुलाई गईं।

(vii) स्वतंत्र निदेशकों की बैठक:

कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा लिस्टिंग विनियमनों के विनियम 25 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की बैठक 02.03.2016 को बुलाई गई तथा बैठक में सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित थे।

4. निदेशकों को पारिश्रमिक

आपकी कंपनी एक केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक पर भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है। सरकार के पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति के पत्र में उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तों संबंधी विस्तृत जानकारी कंपनी के प्रासांगिक नियम की उपयुक्तता सहित शामिल हैं।



कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुबंध-IV अनुसरण में, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति साधारणतया नियुक्ति पत्र के माध्यम से की जाती है, जिसमें उनकी नियुक्ति संबंधी शर्तों एवं निबंधनों, मंडल की बैठकों एवं मंडल की समितियों में भाग लेने हेतु दिए जानवाले पारिश्रमिक एवं व्यय की प्रतिपूर्ति आदि विवरण निहित हैं। इसके अलावा लिस्टिंग विनियम की अनुबंध-IV तथा विनियम की 46(2)(ख) के अनुसार उक्त शर्तों एवं निबंधनों को कंपनी की वेबसाइट www.bemlindia.com में दर्शाया गया है।

(i) वर्ष 2015-16 के दौरान कार्यात्मक निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक का विवरण :

| नाम श्री | वेतन | लाम | भविष्य निधि अंशदान | परिलब्धियों | पेंशन | कुल राशि ₹ |
|-------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|-----------------|
| पी.द्वाराकानाथ | 2451004 | 905917 | 294123 | 468177 | 0 | 4119221 |
| डी के होता | 2198910 | 603270 | 248868 | 441006 | 15000 | 3507054 |
| पी स्वामिनाथन | 2053728 | 662025 | 231447 | 396716 | 1500 | 3358916 |
| अनिरुद्ध कुमार | 2020013 | 353540 | 233652 | 309846 | 8750 | 2925801 |
| बी आर विश्वनाथ* | 339696 | 316801 | 38264 | 33792 | 2500 | 731053 |
| आर एच मुरलीधरा* | 168858 | 479619 | 19013 | 2700 | 1250 | 671440 |
| सी. एन. दुर्गाश * | 1816853 | 622353 | 218023 | 380486 | 0 | 3037715 |
| पी.आर.नाईक * | 2004713 | 938640 | 240568 | 56543 | 0 | 3240464 |
| कुल | 13053775 | 4882165 | 1523958 | 2089266 | 42500 | 21591664 |

* वर्ष के अंश के लिए

(ii) सरकारी नामित/स्वतंत्र निदेशकों को मुआवजा :

- (क) बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क सहित सरकारी नामित निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। वर्ष के दौरान कोई भी सरकारी नामित निदेशक कंपनी के आर्थिक संबंध या लेन-देन में शामिल नहीं हुए हैं।
- (ख) स्वतंत्र निदेशकों उनके बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने पर ₹20,000 प्रति बैठक के रूप में बैठक शुल्क का भुगतान किए जाने के अलावा कोई स्वतंत्र निदेशक कंपनी के साथ कोई वित्तीय लेन देन नहीं रखा है। अगर वे एक ही दिन में एक से अधिक (बोर्ड/समिति की) बैठक में भाग लेने पर ऐसी अतिरिक्त बैठकों के लिए ₹10,000 प्रति बैठक के रूप में बैठक शुल्क देय होगा। वर्ष 2015-16 के दौरान गैर-कार्यकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क का विवरण नीचे दिए हैं :

| निदेशक का नाम श्री. | बैठकों में उपस्थित होने हेतु बैठक फीस | | कुल ₹ |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|
| | बोर्ड | समिति | |
| | 50,000 | 1,00,000 | 1,50,000 |
| एम जी रघुवीर | 50,000 | 1,90,000 | 2,40,000 |
| बी पी राव | 30,000 | 90,000 | 1,20,000 |
| सी बालकृष्णन | 70,000 | 80,000 | 1,50,000 |
| सुहास आनंद भट्ट | 50,000 | 50,000 | 1,00,000 |
| एन.पी.गुप्ता | 1,10,000 | 1,60,000 | 2,70,000 |
| कुल | 3,60,000 | 6,70,000 | 10,30,000 |

वर्ष के दौरान न तो निदेशकों को कमीशन का भुगतान किया गया, न ही किसी भी शेयर विकल्प योजना उनके लिए दिया गया।

5. वार्षिक आम बैठकें

पिछले तीन वार्षिक आम बैठकों में संबंधित विवरण निम्नानुसार है :-

| वर्ष | स्थान | तारीख व समय |
|---------|--|---------------------------------|
| 2014-15 | एपीआई भवन, 16/एफ, मिल्लर्स टैंक बेड एरिया, वंसत नगर, बेंगलूरु - 560052 | 15.09.2015 - प्रातः 11.30 बजे |
| 2013-14 | एपीआई भवन, 16/एफ, मिल्लर्स टैंक बेड एरिया, वंसत नगर, बेंगलूरु - 560052 | 18.09.2014 - अपराह्नः 15.15 बजे |
| 2012-13 | एपीआई भवन, 16/एफ, मिल्लर्स टैंक बेड एरिया, वंसत नगर, बेंगलूरु - 560052 | 13.09.2013 - प्रातः 10.00 बजे |

दि. 15.09.2015 को संपन्न 51वीं वार्षिक आम बैठक में आर्टिकल आफ एसोशियेशन में कम्पनी अधिनियम, 2013 द्वारा पारित अखुसार अनुच्छेद सं.120(24)-सामान्य प्राधिकारी के रूप में नया खंड को जोडने के संबध में विशेष संकल्प पारित किया गया । इसके अलावा भारत सरकार, सार्वजनिक उद्यमों के निर्देश के अनुपालन में -‘अनुच्छेद सं.7(क) - शेयरों की पुनर्खरीद’ को जोडते हुए आर्टिकल ऑफ एसोशिएशन में परिवर्तन करने के संबंध में दि.13.09.2013 को संपन्न 49वीं वार्षिक आम बैठक में विशेष संकल्प पारित किया गया। पिछले वर्ष कोई भी प्रस्ताव डाक मतपत्र द्वारा नहीं डाला गया ।

6. सहायक कंपनियाँ

लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 6(ग) तथा सामूहिक शासन पर डीपीई मार्गदर्शनों के अध्याय 6 तथा के अनुसार बीईएमएल की कोई भी सहायक कंपनी ‘सामग्री गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी’ के संवर्ग में अधीन नहीं लाया जाएगा। इसके अलावा, उक्त विनियमन के विनियमन 46(2)(एच) में अपेक्षितानुसार आपकी कम्पनी ने ‘सामग्री सहायक कंपनी की निर्धारण नीति बनाई है, जिसे कंपनी की वेबसाइट www.bemlindia.com में दर्शियायी गयी है ।

तो भी, लिस्टिंग विनियमन के विनियम 24 के अनुसार लेखा परीक्षा समिति द्वारा कंपनी के सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा करती है। इसके अलावा, सहायक कंपनियों के बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त को आनुषंगिकों तथा कंपनी के बीच की गयी व्यवस्थाओं तथा महत्वपूर्ण लेनदेन के साथ कंपनी के निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक तौर पर प्रस्तुत किया जाता है।

7. उद्यम जोखिम प्रबंधन

कम्पनी अधिनियम, 2013की धारा 134(3)(एन), लिस्टिंग विनियमन के विनियम 17(9) तथा डीपीई मार्गदर्शन की पैरा 7.3 के प्रावधानों में अपेक्षित अनुसार उद्यम जोखिम प्रबंधन स्थापना प्रक्रिया के अधीन है । कंपनी का अध्ययन एवं उचित प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए आपकी कंपनी मेसर्स प्राइसवाटरकूपर्स(पीडब्ल्यूसी) कर सेवाएँ ले रही हैं ।

8. प्रकटीकरण

लिस्टिंग विनियमन के विनियम 34(3) तथा डीपीई मार्गदर्शनों के अध्याय 7 के अनुसार, निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गये ।

- क) कंपनी और उनके सम्बद्ध पार्टियों के बीच लेन-देन को नियमित करने के लिए आपके कंपनी द्वारा ‘सम्बद्ध पार्टी संव्यवहार पर नीति’ तैयार की गई है । लिस्टिंग विनियमन के विनियम 46(2) उक्त नीति को कंपनी के वेबसाइट <http://www.bemlindia.com/documents> में दर्शाया गया है। वर्ष 2015-16 के दौरान, सभी संबद्ध पार्टी संव्यवहार लेन-देन निष्पक्ष, पारदर्शी एवं संभाव्य आधार पर रहा तथा कंपनी के व्यवसाय का सामान्य तरीका भी रहा । लेखापरीक्षा समिति द्वारा उसपर विचार किया गया तथा अनुमोदित किया गया । इसके अलावा, भारतीय सनद लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-18 के अनुसार सम्बद्ध पार्टियों के बीच लेन देन का विवरण को वित्तीय विवरणों के अंश स्वरूप टिप्पणी सं.31(ग) में दिया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष के दौरान निदेशकों, प्रमुख प्रबंध कार्मिकों और सम्बद्ध पार्टी संव्यवहार नहीं किया गया पर नीति के अंतर्गत अन्य पदनामित कार्यपालक शामिल कोई संबद्ध पार्टी संव्यवहार रिपोर्ट नहीं किया गया है।
- ख) कंपनी ने भारत के चार्टरित लेखाकार संस्थान द्वारा समय समय पर जारी लागू लेखा मानकों आधार पर एकल एवं समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए।
- ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज या एसईबीआई या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजीगत बाजार से संबंधित विषय पर कोई भी अस्वीकृत टिप्पणी नहीं आई । पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त के संबंध में बाजारों, सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा कंपनी पर कोई दंड या निंदनीय दोष नहीं लगाया गया है ।
- घ) कम्पनी अधिनियम, 2013की धारा 184(2) तथा 188 के अनुसार कंपनी ने एसी ठेका या व्यवस्था में प्रवेश नहीं किया, जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं ।



ड) वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने बोर्ड को यह पुष्टि की है कि सभी वित्तीय एवं वाणिज्यिक लेनदेन में उनका निजी हित से कंपनी के हित पर बड़े पैमाने पर कोई संभावित संघर्ष नहीं हुआ।

9. सूचना माध्यम

क) विनियमनों के विनियम 33 के अनुसार कंपनी के तिमाही, अर्ध-वार्षिक एवं वार्षिक वित्तीय नतीजे बोर्ड द्वारा निर्णय लिये जाने के तुरंत बाद ऑन-लाइन द्वारा एनएसई और बीएसई को भेजे जाते हैं। इसके अलावा इस नतीजे को कंपनी की वेबसाइट www.bemlindia.com में भी साथ साथ दर्शित किया जाता है।

ख) विनियमनों के विनियमन 47 के अनुसार कंपनी के वित्तीय नतीजे प्रायः एक राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक एवं क्षेत्रीय भाषा होने के नाते बंगलूर में परिचालित एक कन्नड दैनिक में प्रकाशित किये जाते हैं।

ग) बेमल समाचार - पत्रिका को आवधिक तौर पर प्रकाशित करके एनएसई और बीएसई को नियमित रूप से भेजे जाते हैं। तथा साथ ही साथ कंपनी की वेबसाइट www.bemlindia.com में प्रदर्शित किये जाते हैं।

घ) एनएसई और बीएसई में कार्पोरेट सूचनाएँ तथा प्रेसरिलीस नियमित रूप से दी जाती हैं। तथा साथ ही साथ कंपनी की वेबसाइट www.bemlindia.com में भी प्रदर्शित किये जाते हैं।

च) कंपनी का वेबसाइट :

कंपनी की वेबसाइट www.bemlindia.com में व्यवसाय, प्रबंधन, दूरदर्शिता, मिशन, अनुसंधान एवं विकास, सेवा में बिक्री नेटवर्क, मानव संसाधन नीति, सामूहिक समाजिक दायित्व एवं निर्वहणीयता, क्रय, सर्तकता, आरटीआई तथा अद्यतन सूचनाएँ तथा समाचार सहित संपूर्ण विवरण उपलब्ध हैं। निवेशक सूचनाएँ खंड में शेयरधारकों/निवेशकों को निदेशक शिकायत प्रणाली कंपनी की संहिता एवं नीति, वित्तीय परिणाम एवं वार्षिक रिपोर्ट, कार्पोरेट गवर्नेन्स, शेयरधारण प्रणाली सहित शेयर

अंतरण एजेंट तथा सभी विवरणों को संपर्क ब्यौरे सहित सूचनाएँ दी गई हैं।

10. सामान्य शेयरधारी सूचना

(i) वर्ष 2015-16 के लिए 52वीं वार्षिक आम बैठक, गुरुवार, दिनांक 15 सितंबर, 2016 के प्रातः 11.30 बजे को एपीआई भवन, 16/एफ, मिल्लर्स टैंक बेड एरिया, वंसत नगर, बंगलूर - 560052 में नियत की गई है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए परिणाम घोषित करने का अनंतिम कैलण्डर निम्नवत है:-

| | |
|---|----------------------------|
| जून 30, 2016 को समाप्त तिमाही के लिए | 13.08.2016 को या उसके पहले |
| सितंबर 30, 2016 को समाप्त तिमाही के लिए | 14.11.2016 को या उसके पहले |
| दिसंबर 31, 2016 को समाप्त तिमाही के लिए | 14.02.2017 को या उसके पहले |
| मार्च 31, 2017 को समाप्त तिमाही के लिए | 30.05.2017 को या उसके पहले |
| 53वीं वार्षिक आम बैठक | 30.09.2017 के पहले |

(iii) सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बुक दिनांक 09.09.2016 से 15.09.2016 तक (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

(iv) आपके निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए ₹10/- (अंकित मूल्य) प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹ 4.00/- याने इक्विटी की 40% शेयर के लाभांश की सिफारिश की है। यदि उक्त लाभांश 52वीं वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित है, तो लाभांश वारंट नियत तारीख के अंदर शेयरधारियों को प्रेषित किया जाएगा।

(v) आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है :-

बीएसई लिमिटेड ("BSE")

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड ("NSE") वर्ष 2015-16 तक के लिए लिस्टिंग फीस का भुगतान अप्रैल 2015 के दौरान बीएसई एवं एनएसई को अदा कर दिया गया है।

(vi) स्टॉक कोड :

| | |
|-----|--------|
| BSE | 500048 |
| NSE | BEML |

(vii) जमाकर्ताओं को अभिरक्षित शुल्क


वर्ष 2015-16 के लिए आपकी कंपनी ने नेशनल सेक्यूरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विस (इण्डिया) लिमिटेड (सीएसडीएल) को अभिरक्षित शुल्क अदा कर दिया है।

(viii) बाज़ार मूल्यों के आंकड़े :

प्रत्येक महीने के दौरान बीएसई एवं एनएसई में कंपनी के शेयरों के उच्च/निम्न बाजार मूल्यों के विवरण नीचे दिये जाते हैं :-

| महीना/वर्ष | बी एस ई (₹ प्रति शेयर) | | एन एस ई (₹ प्रति शेयर) | |
|-------------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|
| | उच्च | निम्न | उच्च | निम्न |
| अप्रैल-2015 | 1200 | 885 | 1200 | 887 |
| मई | 1072 | 807 | 1078 | 806 |
| जून | 1289 | 985 | 1288 | 985 |
| जुलाई | 1609 | 1213 | 1612 | 1212 |
| अगस्त | 1587 | 1064 | 1587 | 1060 |
| सितम्बर | 1309 | 1127 | 1309 | 1128 |
| अक्टूबर | 1317 | 1160 | 1317 | 1060 |
| नवम्बर | 1179 | 1025 | 1177 | 999 |
| दिसम्बर | 1312 | 1160 | 1317 | 1160 |
| जनवरी-2016 | 1324 | 1038 | 1324 | 1037 |
| फरवरी | 1075 | 901 | 1072 | 900 |
| मार्च | 1112 | 965 | 1112 | 965 |

(ix) बी एस ई सूचकांक के व्यापक आधार पर निष्पादन की तुलना महीने के अंतिम व्यापार दिवस पर आधारित



(x) रेजिस्टार और अंतरण एजेंट :

मेसर्स कारवी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, जो सेबी द्वारा पंजीकृत श्रेणी-1 के रेजिस्टार और शेयर अंतरण

एजेंट है, कंपनी के शेयर अंतरण एजेंट (एसटीए) हैं। एसटीए का पता इस प्रकार है।

मेसर्स कारवी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड

कारवी सेलेनियम टॉवर बी,
प्लॉट 31-32, गचीबाउली,
फाइनान्शियल डिस्ट्रिक्ट,
नानकरामगुडा, हैदराबाद- 500032
दूरभाष : 040-67161526,
फैक्स : 040-23001153

ई-मेल : nageswara.raop@karvy.com,

einward.ris@karvy.com

वेबसाइट : www.karvy.com

(xi) शेयर अंतरण प्रणाली :

इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतरित शेयरों के लिए खरीद/बिक्री पर दलाल के पुष्टि किये जाने पर, शेयरधारकों को लेन-देन के लिए डेबिट या खाते में जमा करने के लिए अनुरोध के साथ संबंधित डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) से संपर्क करना होगा। डीपी तुरंत खाता अद्यतन करते हुए लेन-देन को पूरा करने की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए अलग से एसटीए अथवा कंपनी को सूचित करने की जरूरत नहीं। भौतिक रूप में अंतरित किये गये शेयरों के मामलों में, शेयरधारक को शेयर प्रमाण-पत्र, लाभांश, पते का परिवर्तन, आदि एसटीए को सूचित करना होगा।

(xii) दि.31.03.2016 पर शेयरधारण वितरण :

| इक्विटी शेयरों की सीमा निर्धारण | शेयरधारियों की कुल संख्या | कुल धारियों के प्रति% | शेयरों की कुल संख्या | कुल इक्विटी के प्रति % |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1-100 | 51904 | 88.87% | 1395198 | 3.35% |
| 101-200 | 3073 | 5.26% | 489761 | 1.18% |
| 201-500 | 2179 | 3.73% | 728648 | 1.75% |
| 501-1000 | 643 | 1.10% | 492507 | 1.18% |
| 1001-5000 | 410 | 0.70% | 903400 | 2.17% |
| 5001-10000 | 73 | 0.12% | 563645 | 1.35% |
| 10001 और ऊपर | 120 | 0.21% | 37071341 | 89.02% |
| कुल | 58402 | 100.00% | 41644500 | 100.00% |

(xiii) बिना दावा के सस्पेन्स खाते में निहित शेयरों का विवरण:

कंपनी वर्ष 2007 के दौरान एफपीओ में प्रवेश की है



और कुछ शेयरों को अपूर्णता/गलत/अमान्य डीमेट लेखा, आदि के कारण निवेशकों को अंतरित नहीं किया जा सका। लिस्टिंग विनियमन के विनियम 39(4) के अनुसार इन लावारिस शेयरों को सस्पेंस खाते में रखा गया है और कंपनी/एसटीए के साथ संपर्क किये जाने पर यथोचित शेयरधारकों को अंतरित किया जाएगा। यथोचित शेयरधारकों द्वारा दावा जाने तक इन शेयरों पर मतदान अधिकार स्थगित रखा जाएगा।

| विवरण | शेयरधारकों की संख्या | इक्विटी शेयरों की संख्या |
|--|----------------------|--------------------------|
| 01.04.2015 को लावारिस सर्म्पेंस खाते में पड़े शेयरधारकों और बकाया शेयरों की कुल संख्या | 18 | 255 |
| वर्ष के दौरान लावारिस सर्म्पेंस खाते से शेयरों के हस्तांतरण के लिए कंपनी से संपर्क किये शेयरधारकों की संख्या | - | - |
| वर्ष के दौरान उन शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयरों को लावारिस सर्म्पेंस खाते से स्थानांतरित किए गए | - | - |
| 31.03.2016 को लावारिस सर्म्पेंस खाते में पड़े शेयरधारकों और बकाया शेयरों की कुल संख्या | 18 | 255 |

(xiv) शेयरों का विभौतिकीकरण और नकदी :

कंपनी के शेयरों को दोनों डिपोसिटरियों, याने नेशनल सेक्यूरिटीस डिपोसिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपोसिटरी सर्विसस (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) में अनुमत्त है। 31 मार्च, 2016 के अनुसार कंपनी के 99.52% के शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में हैं। कंपनी के शेयर अंतर्राष्ट्रीय सेक्यूरिटीस पहचान सं. (आईएसआईएन) INE 258A01016 के अधीन व्यापार किये जा रहे हैं।

कंपनी के इक्विटी शेयरों को डिमैट रूप में ही शेयर में कारोबार किया जा सकता है। शेयरों की बढ़ी विक्रेयता और निवेश की सुरक्षा सहित स्क्रिपरहित व्यापार के फायदे को ध्यान में रखते हुए, भौतिक रूप में शेयर रखे शेयरधारकों से अपने शेयरों को विभौतिकीकृत करने की

ओर विचार करने का अनुरोध किया गया है ताकि शेयरों की विभौतिकीकरण की सुविधा लाभ उठा सके।

(xv) जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखते बकाया या इक्विटी पर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(xvi) ऋण प्रतिभूतियों का लिस्टिंग :

18.05.2012 को मेसर्स एक्सिस बैंक को प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर बोर्ड द्वारा आबंटित प्रत्येक 10 लाख रुपए की अंकित मूल्य के 3000 सुरक्षित प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर को 02.07.2012 से प्रभाव देकर बीएसई देकर बीएसई ऋण खंड में सूचीबद्ध किया गया है। आपकी कंपनी द्वारा नियमित रूप से प्रतिभूति धारकों को ब्याज प्रभार की सेवा की जा रही है। डिबेंचर ट्रस्टी का विवरण नीचे दिया गया है।

मेसर्स एसबीआईकैप ट्रस्ट्री कंपनी लिमिटेड,
डीबेंचर ट्रस्टी,
खेतन भवन, पाँचवाँ तल,
198, जे.टी.रोड, चर्चगेट,
मुम्बई- 400020

(xvii) संयंत्र के स्थान :

1. बेंगलूर कॉम्प्लेक्स, न्यू तिप्पसंद्रा पोस्ट, बेंगलूर - 560 075
2. के जी एफ कॉम्प्लेक्स, बेमल नगर, कोलार गोल्ड फील्ड्स- 563 115
3. मैसूर कॉम्प्लेक्स, बेलवाडी पोस्ट, मैसूर - 571 186
4. पालक्काड़ कॉम्प्लेक्स, किन्फ्रा पार्क, कांजिकोड़, पालक्काड़ - 678 007

(xviii) कंपनी के साथ पत्राचार के लिए पता :-

कम्पनी सचिव, मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड, बेमल सौधा, 23/1, चौथा मैन, एस.आर.नगर, बेंगलूर - 560 027, कर्नाटक राज्य, भारत

(xix) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा/जनादेश/बैंक

विवरण : शेयरधारक यह नोट कर लें कि उनके द्वारा डिपोजिटरी प्रतिभागियों डीपी को दिए गए बैंक खाता संबंधी विवरण राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा सुविधा के तहत लाभांश के भुगतान के लिए उपयोग किया जाएगा। शेयरधारक कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा दिये गए डीपी खाता में बैंकिंग ब्यौरे सही है ताकि कंपनी द्वारा लाभांश का भुगतान किया जा सके।

(xx) हरित पहल:

हरित पहल के हिस्से के रूप में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार द्वारा कंपनी अपने शेयरधारकों को सरकारी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजने की अनुमति प्रदान की हैं। कंपनी द्वारा पहले से ही इस पहल पर कार्रवाई शुरू की गई है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा लिस्टिंग विनियमन के प्रावधानों के अनुसार कंपनी अपने शेयरधारकों को एसटीए/डीपी के साथ समय-समय पर अपने ईमेल पते और अन्य परिवर्तन सूचित करने के लिए अवसर प्रदान करती है। इससे कंपनी शेयरधारकों को नोटिस और दस्तावेजों का ईमेल के माध्यम से भेज सकती है। 31.03.2016 पर कुल 35825 शेयरधारकों ने नोटिस, वार्षिक रिपोर्ट, आदि ई-माध्यम से प्राप्त करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

हम उम्मीद करते हैं कि 'हरित पहल' की ओर एमसीए द्वारा उठाए गए कदमों पर शेयरधारक सराहना करेंगे और 'हरियाली के साथ पृथ्वी माँ को बचाने के इस नेक काम के लिए अधिकाधिक शेयरधारक अपनी सहमति देंगे।

(xxi) लावारिस लाभांश :

कंपनी अधिनियम, 1956 का प्रावधानों के तहत, हस्तांतरण की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के लिए लावारिस बने रहे अवैतनिक लाभांश खाते की किसी भी राशि को केन्द्रीय सरकार द्वारा पोषित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाता है। तदनुसार 31.03.2009 के पहले घोषित

सभी लावारिस लाभांश को आईईपीएफ हस्तांतरित किया गया।

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205क(5) के अनुसार, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित देय लावारिस लाभांश का विवरण निम्नानुसार है :-

| वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश | घोषणा की तारीख | दि.30.03.2016 के अनुसार लावारिस (₹ लाखों में) | अंतरण के लिए देय तिथि |
|----------------------------|----------------|---|-----------------------|
| 2008-09 | 25.09.2009 | 11.65 | 30.10.2016 |
| 2009-10 | 13.08.2010 | 8.43 | 17.09.2017 |
| 2010-11 | 29.08.2011 | 7.14 | 04.10.2018 |
| 2011-12 | 14.09.2012 | 4.68 | 19.10.2019 |
| 2012-13 | 13.09.2013 | 2.47 | 18.10.2020 |
| 2013-14 | 18.09.2014 | 1.73 | 23.10.2021 |
| 2014-15 | 15.09.2015 | 1.49 | 20.10.2022 |
| कुल | | 37.59 | |

सदस्य जो पिछले वर्षों से संबंधित लाभांश वारंट को नकदीकरण नहीं किया है, अपना भुगतान लेने हेतु आईईपीएफ में अंतरण के लिए देय तिथि से कम से कम 20 दिन पूर्व कंपनी/एसटीए से संपर्क कर दावा कर सकते हैं।

11. अनुपालन

- आपकी कंपनी द्वारा तिमाही सामूहिक शासन से संबंधित अनुपालन रिपोर्टों को निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के अंदर रक्षा मंत्रालय तथा शेयर बाजारों को भेजे जाते हैं।
- इसके अलावा, आपकी कंपनी द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग के साथ सामूहिक शासन से संबंधित अनुपालन पर ग्रेडिंग रिपोर्ट को तिमाही आधार पर तथा वार्षिक रिपोर्ट वार्षिक आधार पर भेजे जाते हैं। वर्ष 2015-16 के लिए ग्रेडिंग रिपोर्ट के अनुसार, आपकी कंपनी द्वारा सामूहिक शासन मानकों के 94% अनुपालन करने से आपकी कंपनी को 'उत्कृष्ट' रेट दिया गया।



सामूहिक प्रशासन अनुपालन प्रमाण पत्र

सामूहिक पहचान सं. : L35202KA1964GOI001530
नामिनल पूंजी : ₹100 करोड़

बी ई एम एल लिमिटेड के सभी सदस्यों को,

मैंने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 (आगे 'लिस्टिंग विनियमन' वर्णित होगा।) के अंतर्गत सामूहिक प्रशासन के शर्तों तथा सार्वजनिक उद्यम-2010 के लिए सामूहिक प्रशासन पर डीपीई मार्गदर्शनों के अनुपालन प्रमाणित करने के उद्देश्य में बी ई एम एल लिमिटेड से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया है। मैंने उक्त प्रमाणन के लिए अपनी जानकारी एवं विश्वास में आवश्यक माने गये सभी विवरणों तथा सूचनाओं को प्राप्त किया है।

सामूहिक प्रशासन के शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। सामूहिक प्रशासन के शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कंपनी द्वारा अपनायी गयी कार्यविधियों तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाओं तक परीक्षण सीमित है।

यह प्रमाण पत्र कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन नहीं है, न ही कंपनी के प्रबंधन द्वारा किये गये कार्यों की साधना या सामर्थ्य को दर्शाता है।

मुझे दी गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों तथा संबंधित दस्तावेजों पर मेरे परीक्षण के आधार पर मैं प्रमाणित करता हूँ कि स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में निदेशक मंडल के गठन को छोड़कर सार्वजनिक उद्यम-2010 के लिए सामूहिक प्रशासन पर डीपीई मार्गदर्शनों के साथ कंपनी ने 'लिस्टिंग विनियमन' में उल्लिखित आवश्यक अनिवार्यता पूरा किया है।

कृते वेलचेटी एण्ड को

सनदी लेखाकार

ह./-

सी ए वी विजय राघव राव

साझेदार

एम.नं.028453

एफआर एन: 004588एस

बेंगलूरु

मई, 19, 2016

प्रबंध द्वारा विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

(i) उद्यम संरचना एवं विकास :

कम्पनी रक्षा मंत्रालय के अधीन खनन एवं निर्माण, रक्षा तथा वांतरिक्ष और रेल एवं मेट्रो के तीन विशिष्ट व्यवसाय वर्गों में कार्यरत एक मिनी रत्न वर्ग - 1 सार्वजनिक उपक्रम है।

संगठन

तीनों मुख्य व्यवसायिक कार्यक्षेत्रों - अर्थात् खनन एवं निर्माण, रक्षा और रेल एवं मेट्रो में प्रत्येक की अध्यक्षता संबंधित निदेशक द्वारा की जाती है। व्यापार प्रभाग गैर-कम्पनी उत्पादों के सौदे करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय प्रभाग इन तीनों क्षेत्रों द्वारा निर्मित उत्पादों को निर्यात करता है। 31.03.16 के अंत तक कम्पनी की जनशक्ति संख्या 8,827 तक बनी रही।

उत्पादन इकाइयाँ

कम्पनी की चार विनिर्माण इकाइयाँ बंगलूरु, कोलार गोल्ड फ़ील्डस (केजीएफ), मैसूरु और पालक्काड़ में स्थित हैं। एक आनुषंगिक स्टील फाऊण्ड्री तरिकेरे, चिक्कमगलूरु जिला में कार्यरत है।

बंगलूरु कॉम्प्लेक्स : बंगलूरु कॉम्प्लेक्स भारतीय रेल के लिए विभिन्न प्रकार के रेलवे उत्पाद, जैसे रेलकोचस, एसी इलेक्ट्रिकल मल्टिपल यूनिट (एसीईएमयू), डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टिपल यूनिट (डीईएमयू), मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टिपल यूनिट (एमईएमयू), स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रिकल मल्टिपल यूनिट (एसएसईएमयू), ओवरहेड इक्यूपमेंट इन्स्पेक्शन कार (ओएचई) इत्यादी का विनिर्माण करता है। कंपनी द्वारा नवोन्मेष स्टेनलेस स्टील मेट्रो कारों के विनिर्माण दिल्ली, बंगलूरु तथा जयपुर मेट्रो कॉर्पोरेशन के लिए आपूर्ति की जा रही है। कॉम्प्लेक्स द्वारा मिलरेल कोचस, इजेक्टर्स एवं एयरक्लीनर असम्बलीस और मिलट्री वेगन्स जैसे रक्षा उत्पादों का भी विनिर्माण किया जाता है।

के जी एफ कॉम्प्लेक्स : केजीएफ कॉम्प्लेक्स में अर्थ मूविंग प्रभाग, हाईड्रॉलिक्स एण्ड पावरलाइन प्रभाग, रेल यूनिट-II और हेवी फ़्याब्रीकेशन यूनिट हैं। अर्थ मूविंग प्रभाग द्वारा बुल्डोज़र्स, हाईड्रॉलिक एक्स्क्यावेटर्स, व्हील लोडर्स, डोज़र्स, पाइप लेअर्स, टायर हैण्डलर्स, हाईड्रॉलिक क्रेन्स, वाकिंग ड्रगलाइन, इलेक्ट्रिक रोप शॉ वल, इंजीनियरिंग माईन प्लोस,

टी-72 हल के लिए ट्रॉल अर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स, तैयार किए जाते हैं। हाईड्रॉलिक्स व पावरलाइन प्रभाग में ट्रान्समिशन, एक्सल्स, हाईड्रॉलिक समुच्चय और बीईएमएल की सभी विनिर्माण इकाइयों के लिए अलाईड असम्बलीस के उत्पादन किया जाता है। रेल कोच यूनिट-II द्वारा रेलकोचों तथा रेल उत्पादों के लिए संरचनात्मक मद तैयार किया जाता है।

मैसूरु कॉम्प्लेक्स : मैसूरु कॉम्प्लेक्स में ट्रक प्रभाग, इंजन प्रभाग तथा वांतरिक्ष विनिर्माण प्रभाग शामिल हैं। ट्रक प्रभाग आफ-हाईवे रियर डम्प ट्रक्स, मोटर ग्रेडर्स और वाटर स्पिंकलर्स का उत्पादन करता है। इंजन प्रभाग बीईएमएल की उत्पाद श्रेणी को बल प्रदान करते हुए विभिन्न प्रकार के डीजल इंजनों का निर्माण करता है। वांतरिक्ष विनिर्माण प्रभाग द्वारा वांतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए ग्राउण्ड हैंडिलिंग उपकरण, वेपन लोडर्स तथा टूलिंग एवं घटक तैयार किये जाते हैं। ड्रेजिंग उपकरण विनिर्माण प्रभाग द्वारा ड्रेजिंग उपकरणों की अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है।

पालक्काड़ कॉम्प्लेक्स : पालक्काड़ कॉम्प्लेक्स में रक्षा और रेल व्यवसाय के लिए हेवी इयूटी हाई मोबिलिटी व्हीकल्स, ब्रिडज सिस्टम्स, हेवी रिकवरी व्हीकल्स और साथ ही रेल कोच समुच्चय/पुरजे जैसे उत्पादों का विनिर्माण किया जाता है।

अनुषंगिक इकाई : (क) सन् 1984 में बीईएमएल द्वारा विज्ञान इण्डस्ट्रीस लिमिटेड (वीआईएल), तरिकेरे को अनुषंगिक इकाई के रूप में लिया गया। वीआईएल द्वारा बीईएमएल के विभिन्न विनिर्माण इकाइयों को गुणवत्ता स्टील और अलाई कास्टिंग की आपूर्ति की जाती है। (ख) मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड तथा मेसर्स दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के साथ मेसर्स एमएमसी इण्डस्ट्रीस लिमिटेड (एमआईएल) का गठन किया गया तथा कंपनी द्वारा इसे पूर्ण स्वामित्ववाली आनुषंगी के रूप में शामिल किया गया। कन्सोर्टियम के सभी तीनों सदस्य के बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित शेयरधारकों के अनुबंध को आवश्यक अनुमोदन के लिए रक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। उक्त अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, एमआईएल को दुर्गापुर स्थित एमएमसी कारखाने को पुनः खोलने से संबंधित विधिवत् प्रक्रिया को पूरा करते हुए संयुक्त उद्यम के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।



विपणन : बीईएमएल के उत्पादों की बिक्री एवं सेवा देश भर में व्यापित उसके अपने 12 क्षेत्रीय कार्यालयों, 20 जिला कार्यालयों और सेवा केन्द्रों द्वारा की जाती है ।

अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय: बीईएमएल अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग के द्वारा अपने उत्पादों की निर्यात करती है। मध्य पूर्वी देश, अफ्रीकी देश तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देश प्रमुख बाजार हैं ।

2015-16 के दौरान विकास एवं निष्पादन :

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के पूर्वानुमानों के अनुसार, वर्ष 2015-16 में भारतीय अर्थव्यवस्था ने सकल घरेलू उत्पादन में 7.6% की बढ़ोत्तरी दर्ज की है। फरवरी 2016 आईसीआरए रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि 'कैलण्डर वर्ष 2015 के दौरान वैश्विक बाजार नकारात्मक रूप में घटने के कारण विनिर्माण उपकरण की माँग के प्राक्कलन में 14%-15% तक गिरावट आयी और खनन उपकरण में 30% तक हुई। वर्ष 2014 से लेकर लगभग सभी वैश्विक खनन कंपनियों अपनी पूंजी व्यय योजनाओं को कम कर दिया और वर्ष 2016 में 10 साल न्यून होने की आशंका है ।

कंपनी ने ₹3287.44 करोड़ की अद्वितीय उच्च निवल बिक्री हासिल की है । सकल मात्रा में, कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹3129.65 करोड़ की तुलना में 9.47% वृद्धि सहित ₹3426.02 करोड़ की बिक्री दर्ज की है। उपर्युक्तानुसार पूंजी माल उद्योग में वृद्धि नहीं होने तथा वैश्विक बाजार में मंदी होने के बावजूद, कंपनी अपने बाजार शेर को अनुरक्षित करने में समर्थ रही तथा ₹1807.58 करोड़ की सकल बिक्री हासिल की, जो पिछले वर्ष की सकल बिक्री ₹1803.02 करोड़ की तुलना में अल्प वृद्धि दर्शाती है। रेल व मेट्रो क्षेत्रों में पिछले वर्ष की सकल बिक्री ₹1162.60 करोड़ पर 7.55% की वृद्धि करके वर्ष ₹1250.35 करोड़ की सकल बिक्री प्राप्त की है। रक्षा व्यवसाय पुनः अपने मार्ग में आया तथा पिछले की सकल बिक्री ₹164.04 करोड़ की तुलना में इस वर्ष में ₹368.09 करोड़ की सकल बिक्री हासिल की गयी लाभ दुगुनी है। कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹6.91 करोड़ की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान ₹64.27 करोड़ का कर पूर्व लाभ प्राप्त किया ।

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की गयी हैं, जिनमें से कुछ उपलब्धियाँ नीचे दर्शाई जाती हैं :

खनन और विनिर्माण

- कंपनी में विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिनियुक्त करने के लिए काम्पैक्ट लोडर सह एक्सक्यावेटर बीएल120 एच का डिजाइन, विकास करके अनावरण किया गया ।
- हाईड्रोस्टैटिक ट्रान्स्मिशन के साथ 117 एचपी होज़र बीडी 50 का डिजाइन, विकास का अनावरण किया गया ।
- तृतीय उपकरण इंडिया पुरस्कार-2016 में 'सर्वश्रेष्ठ विक्रेता-ठोस डम्प ट्रक' और 'सर्वश्रेष्ठ विक्रेता-क्रॉलर डोजर्स' की श्रेणियों के तहत उपकरण के लिए दोहरी पुरस्कार जीता ।
- कंपनी में ईईपीसी के 'बड़े उपक्रम (खनन, उत्खनन और निर्माण व कलपुर्जा के लिए मशीनरी)-स्टार निष्पादक' के लिए रजत शील्ड पुरस्कार जीता ।
- कंपनी ने बाजार के लिए सबसे बड़ा मेड इंडिया विद्युत एक्सक्यावेटर बीई1800ई की आपूर्ति की। मेक इन इंडिया के लिए जोर देते हुए देशज रूप में विकसित इस प्रदूषण मुक्त एक्सक्यावेटर से दोनों घरेलू और वैश्विक स्तर पर खनन कार्य में उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- कंपनी ने डीजीबीआर और ई-एन-सी के माध्यम से प्रतिनियुक्त अपने खनन एवं विनिर्माण की बिक्री उपरांत सेवा को विस्तार करने के लिए लेह में एक जिला कार्यालय का शुभारंभ किया ।

रक्षा

- कंपनी ने अतिरिक्त स्टीरियबल रियर व्हील सहित स्मर्च 8 x 8 & 10 x 10 उच्च मोबिलिटी वाहनों का डिजाइन एवं विकास किया ।
- कंपनी को टी -72 ट्रॉल हल के 2 नग के निर्माण एवं आपूर्ति के लिए आदेश मिला है ।
- कंपनी को सर्फेस माइन्सक्लीयिरिंग सिस्टम के निर्माण एवं आपूर्ति के लिए आदेश मिला है ।
- कंपनी को मेसर्स बीडीएल को आकाश मिसाइल के खंड IV एवं V के लिए समुच्चयों के निर्माण एवं आपूर्ति के लिए भारी उत्पादन क्लीयरंस मिला है ।

- कंपनी ने सीवीआरडीई तथा सेनाबल से सहयोग से अर्जुन मरम्मत एवं रिकवरी वाहन के डिजाइनिंग हिस्से को पूरा किया तथा वर्ष 2016-17 के दौरान विनिर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।

रेल व मेट्रो

- दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के आरएस-13 परियोजना के लिए 96 कारों के निर्माण एवं आपूर्ति के लिए नया आदेश प्राप्त हुआ है।
- कोलकाता मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड (केएमआरसीएल) की कोलाकाता पूर्वी-पश्चिम मेट्रो रेल परियोजना के लिए 84 कारों के निर्माण तथा आपूर्ति के लिए कंपनी को आदेश मिला है।

सामान्य

- कंपनी ने वर्ष 2012-13 के दौरान निर्यात में उत्तम कार्यनिष्पादन के लिए संस्थागत पुरस्कार संवर्ग के अधीन प्रतिष्ठित 'उत्कृष्टता' के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार जीत लिया।
- कंपनी ने देश भर में स्थित अपनी इकाइयों और कार्यालयों में 'स्वच्छ भारत' अभियान जारी रखा। गांधी जयंती के साथ मेल खाते हुए दिनांक 02.10.2015 को 'स्वच्छता भारत शपथ' दिलाई गई और 'स्वच्छ आंदोलन' को बढ़ावा देने के लिए कंपनी के परिसर और आसपास में पौधारोपण जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- कंपनी के सामूहिक कार्यालय को वर्ष 2014-15 के दौरान राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में सराहनीय निष्पादन के लिए नराकास द्वारा 'राजभाषा पुरस्कार' से सम्मनित किया गया।

वर्ष 2015-16 के दौरान विकसित उत्पाद :

खनन एवं निर्माण :

- ❖ निर्माण क्षेत्र के लिए बीएल 120 एच काम्पैक्ट लोडर सह एक्सक्यावेटर का डिजाइन, विकास एवं अनावरण किया गया।

- ❖ हाईड्रोस्टैटिक ट्रान्स्मिशन के साथ 117 एचपी होज़र बीडी 50 का डिजाइन, विकास का अनावरण किया गया।

रक्षा

- ❖ कंपनी ने अतिरिक्त स्टीरियबल रियर व्हील सहित स्मैच 8 x 8 & 10 x 10 उच्च मोबिलिटी वाहनों का डिजाइन एवं विकास किया।

रेल व मेट्रो :

- ❖ नवी मुम्बई मेट्रो कॉर्पोरेशन के लिए केटेनरी मेन्टेनेन्स वाहन का डिजाइन, विकास एवं आपूर्ति की गई।

(ii) ताकत एवं कमजोरी :

(क) ताकत

- संस्थापित विनिर्माण आंतरिक संरचना, प्रतिभा आधारित, समर्पित एवं कुशल मानवशक्ति
- सभी विनिर्माण इकाइयों आईएसओ 9001-2000 प्रमाणन सहित मान्यता प्राप्त है।
- प्रौद्योगिकी अवशोषण एवं डिजाइन क्षमता के साथ स्थापित अनुसंधान एवं विकास आधार।
- मौजूदा उत्पाद रेंज तथा उत्पादन/प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी की आत्मनिर्भरता।
- इलेक्ट्रिक ड्राइव डंप ट्रक्स और एक्सक्यावेट का विकास
- देश में सर्वोन्नत नवोन्मेष मेट्रो कार विनिर्माण क्षमतायुक्त प्रथम भारतीय कंपनी।
- ट्रैकड एवं व्हील्ड वाहनों के लिए समर्पित परीक्षण सुविधाएँ एवं परीक्षण ट्रैक।
- ग्राहकों की आवश्यकताओं की सेवा करने हेतु विभिन्न रेंज के उत्पाद।
- बिक्री, सेवा तथा कलपुर्जों के वितरण सहित व्यापक विपणन नेटवर्क।
- खदानों के निकट स्थित कलपुर्जा डिपो एवं सेवा केन्द्र।
- सुस्थापित उपस्थिति एवं ब्रांड इमेज।



- मजबूत एवं जीवंत विक्रेता आधार सहित आउटसोर्सिंग मॉडल पर कार्यरत ।
- अनुकूल कार्य करने का माहौल सहित बेहतर औद्योगिक संबंध ।

(ख) कमजोरी

- उच्च वेतन लागत – स्थिर बिक्री में उच्च ओवरहेड होते हैं
- चंद उत्पादों के प्रौद्योगिकी स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर एवं ट्रेड तक मापा नहीं जाता।
- अन्य रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों जैसे रक्षा से आश्वासन सहित व्यवसाय उपलब्ध नहीं होना।
- पिछले 2 वर्षों से रेल कोचों का कोई आदेश नहीं जिससे निचली लाइन में प्रभाव पडा ।
- बाज़ार/वर्तमान पारिवेश में प्रतिस्पर्धा के कारण न्यून मार्जिन ।

(iii) अवसर एवं धमकी :

(क) अवसर

खनन एवं विनिर्माण :

- कोल इंडिया ने अगले पांच साल में 0.5 अरब टन से 1 अरब टन तक के कोयले का उत्पादन बढ़ाने की परिकल्पना की है ।
- भूमिगत खनन में भी चढ़ाव और सुधार होने की उम्मीद है ।
- अतिरिक्त कोयला ब्लॉकों के संचालन से व्यवसाय के अवसर में वृद्धि होगी।
- आंतरिक संरचना के विकास में सरकार द्वारा अधिक जोर देना ।
- ड्रेजर्स के लिए ड्रेजर उपकरण व्यवसाय/पुर्जों का कारोबार

रेल व मेट्रो :

- देश के द्वितीय श्रेणी के शहरों में मेट्रो रेल का विस्तार ।
- लाइट रेल मेट्रो भी एक राजस्व लाइन के रूप में आगे बढ़ रहा है, जो टियर- II और टियर III शहरों में उभर

आने की उम्मीद है ।

- भारतीय रेल द्वारा उच्च गतिवाले एलएचबी कोचों को क्रम में रखना एवं उपनगरीय रेलवे द्वारा एसएसईएमयू को क्रम में रखना ।

रक्षा :

- भारतीय उद्योग के लिए सरकार की मेक इन इण्डिया भारतीय नीति एक वरदान है और देशज उत्पादन के लिए एक केन्द्र बिन्दु ।
- रक्षा आवश्यकताओं के लिए उभरता व्यवसाय ।

नये क्षेत्र :

- इलेक्ट्रिक ड्राइव डंप ट्रकों एवं एस्क्वावेटरों के लिए मांग।
- शस्त्रागार वाहनों के विनिर्माण एवं आपूर्ति के लिए ओएफबी व्यवसाय ।
- आकाश मिसाइल के लिए बीडीएल व्यवसाय ।
- लाइट रेल मेट्रो के लिए उभरते व्यवसायिक अवसर, जो श्रेणी-I शहरों में प्रमुख मेट्रो के लिए फीडर लाइन भी है और श्रेणी-II एवं श्रेणी-III शहरों से उभर आने की उम्मीद है।

(i) धमकी

- घरेलू एवं वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अपेक्षित सुधार
- उदारीकरण के उपरांत अधिकाधिक प्रौद्योगिकी नेताओं द्वारा भारतीय समकक्षों के प्रौद्योगिकियों से दूर होकर सीधे संपर्क करना
- खनन एवं निर्माण उपकरण उद्योग में विलय एवं अधिग्रहण
- पर्यावरणीय एवं सामाजिक मुद्दों को हल करने में हुई देरी के कारण विशेषकर खनन क्षेत्र में हुई परियोजना देरी
- वैश्विक बाजार के रुझान के साथ उच्च क्षमतावाले खनन एवं विनिर्माण उपकरणों के लिए मांग
- उच्च उम्मीद सहित ठेकेदार खंड
- स्वामित्व लागत कम करने में बढ़ती दबाव

- व्यापार में बनाये रखने हेतु परिचालनीय लागत के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी।
- रक्षा व्यवसाय में अनिश्चितता।
- रक्षा क्षेत्र में संवृद्ध एफडीआई कैप्स।
- रक्षा खरीद में निजी क्षेत्र को अनुमत करने से आगे बढ़ी प्रतिस्पर्धा।
- उत्पादों का डंपिंग।

(iv) क्षेत्रवार अथवा उत्पादवार निष्पादन : (₹ करोड़ों में)

| क्रम सं. | क्षेत्र | परिचालनों से आय | प्रतिशतता |
|----------|---------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | खनन एवं विनिर्माण व्यवसाय | 1615.32 | 54.14 |
| 2 | रक्षा व्यवसाय | 329.60 | 11.05 |
| 3 | रेल व मेट्रो व्यवसाय | 1038.80 | 34.81 |
| | कुल | 2983.72 | 100.00 |

(v) दृष्टिकोण :

फरवरी, 2016 की आइसीआरए की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि :-

मातहत बिजली के मांग/अल्प संचरण क्षमता की पृष्ठभूमि एवं इस्पात के लिए कमजोर आउटलुक के विरुद्ध देश में बढ़ते कोयला भंडार हाते हुए पिछले छ-आठ महीने में खनन उपकरण की मांग में सीमित समर्थन देखा गया, जो लौह अयस्क खनन में बाधा डाला। इस्पात मूल्यों के लिए वैश्विक दृष्टिकोण पर विचार करते हुए, निकट अवधि में ऐसी परियोजनाओं के पुनःप्रवर्तन की संभावना नहीं है। देश में विभिन्न खदानों को रोकनेवाली समस्याओं के समाधान होकर कैलण्डर वर्ष 2017 में उद्योग के लिए रिकवरी करने में समर्थन होने पर आइसीआरए प्रत्याशा करता है।

संवृद्ध सडक गतिविधि, रेल परियोजनाओं (वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त) का निष्पादन एवं समर्पित फ्रेट कॉरिडोर पर कार्य द्वारा कैलण्डर वर्ष 2016 के दौरान मांग की वृद्धि की प्रत्याशा है। 2016-17 के केन्द्रीय बजट भावी अंतःसंरचनात्मक गतिविधि के लिए बजटीय आबंटन में अतिरिक्त अंतःदृष्टि प्रदान करेंगी। कैलण्डर वर्ष 2017 में मांग के कारण पोर्ट, एयरपोर्ट जैसे अन्य क्षेत्रों में कार्य में सुधार होगा।

यह कंपनी के लिए विशेषकर खनन एवं विनिर्माण क्षेत्र के लिए

शुभ संकेत है। कंपनी को अधिक परियोजनाओं की मंजूरी दे दी जा रही है, साथ ही खनन एवं विनिर्माण उपकरणों के लिए आदेश प्राप्त होने की उम्मीद है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार होने के कारण अपने निर्यात प्रदर्शन में बढ़ावा मिलेगी।

वित्त वर्ष 2016-17 में सेना को भारी एवं मध्यम वाहनों के अधिग्रहण के लिए निधि वर्ष 2015-16 की तुलना दुगुनी राशि आबंटित की गई है। बीईएमएल अपने उत्पाद पोर्टफोलिया से संबंधित क्षेत्रों में कारोबार लेने के लिए प्रयत्न कर रही है। इसके अलावा, शस्त्रागार वाहनों के लिए समुच्चय के विनिर्माण के लिए ओएफबी के व्यवसाय भी अपनाया जा रहा है। विभिन्न मिसाइल कार्यक्रमों के लिए प्रमोचन वाहनों तथा समुच्चयों की आपूर्ति के लिए अन्य सार्वजनिक उपकरणों के साथ कंपनी कार्य करती है।

भारतीय रेल, कोच विनिर्माण द्वारा मध्यम/उच्च गति कोचों/एलएचबी कोचों को दर्जा दिया जा रहा है। उप नगरीय ट्रेनों से स्टेनलेस स्टील ईएमयू में वृद्धि होने की संभावना है। अनुरक्षण उपकरण आवश्यकताओं से ट्रैक लेइंग, रेल ग्राइंडिंग तथा ट्रैक क्लीनिंग मशीनों के लिए बढोत्तरी हो रही है।

इस परिदृश्य में, बीईएमएल द्वारा उभरते नए व्यापार के अवसरों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा तथा बाजार की आवश्यकताओं के साथ मेल खाते हुए नए उत्पादों/समुच्चयों का विकास किया जाएगा। नए उत्पादों तथा नए क्षेत्रों को जोड़ने के माध्यम से व्यवसाय में विस्तार करके सभी कार्यक्षेत्रों में विकास करने के लिए योजनाएँ बनाई गई हैं। ग्राहकों को गुणवत्ता के उत्पाद तथा सेवाएँ अर्पित करने के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि में सुधार लाने में बीईएमएल समर्पित है।

इसके अलावा, व्यवसाय में मध्यम/उच्च गतिकोचस/एलएचबीकोचस, इंटरमीडियट मेट्रो कार्स, रिकवरी वाहनों का ओवरहॉलिंग, सर्फेस माइनक्लीयरिंग सिस्टम, माइनप्लोस, टी-72 टैंक के लिए ट्रान्समिशन एवं इंजन, भूमिगत खनन उपकरण एवं ड्रेजिंग उपकरण जैसे नए उत्पादों के माध्यम से बीईएमएल अपने व्यवसाय प्रजनन को आगे बढ़ाएगा।

इस परिदृश्य में, बीईएमएल द्वारा उभरते नए व्यापार के अवसरों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा तथा बाजार की आवश्यकताओं के साथ मेल खाते हुए नए उत्पादों/समुच्चयों का विकास किया जाएगा। नए उत्पादों तथा नए क्षेत्रों को जोड़ने के माध्यम से



व्यवसाय में विस्तार करके सभी कार्यक्षेत्रों में विकास करने के लिए योजनाएँ बनाई गई हैं। ग्राहकों को गुणवत्ता के उत्पाद तथा सेवाएँ अर्पित करने के माध्यम से ग्राहक संतुष्टि में सुधार लाने में बीईएमएल समर्पित है।

(vi) चुनौतियाँ, जोखिम एवं जवाबदेही :

कंपनी के प्रमुख चुनौतियाँ हैं :

- प्रौद्योगिकी की खाई को पाटना और वैश्विक बाजार की प्रवृत्ति के साथ उच्च क्षमतावाले उपकरणों के लिए उभरते मांग को प्राप्त करना।
- लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखना।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश की दृष्टि में बाजार शेयर का कायम रखना।
- रेल कोचों की आपूर्ति को पुनर्जीवित करना।
- निजी क्षेत्रों के प्रवेश के कारण रक्षा व्यवसाय में चुनौतियों का सामना करना।

(vii) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

कम्पनी के पास एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो आशावादी होने और स्रोतों की सुरक्षा, वित्त की गुणवत्ता एवं विश्वसनीता और परिचालन अनुसरण के साथ लागू होनेवाली संविधि और सामूहिक नितियों के प्रति उच्च श्रेणी की सुनिश्चितता उपलब्ध कराती है। इन सभी प्रक्रियाओं और नियंत्रणों में श्रेष्ठ व्यापक प्रयोग के साथ सम्मिलित करने में कंपनी प्रयासरत है।

कम्पनी के सभी संचालनों के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की व्यवस्था और प्रणाली में आंतरिक नियंत्रण जांच की पर्याप्तता का पुनरीक्षण करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक प्रक्रिया प्रारूपित की गई है। आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग आंतरिक परीक्षण योजना के आधार पर जोखिम आधारित लेखापरीक्षा का निष्पादन करता है, जिसकी पुनरीक्षा प्रतिवर्ष सांविधिक लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षक समिति के साथ विचार विमर्श से की जाती है।

लेखा परीक्षक समिति आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत लेखा परीक्षक रिपोर्ट की समीक्षा करती है और आवधिक तौरपर सुधारात्मक कार्रवाई के कार्यान्वयन पर निक्षरानी रखी जाती है। आपकी कंपनी ने संपूर्ण उद्यम के लिए ईआरपी का कार्यान्वयन

कर दिया है। चपलता और ग्राहक सेवाओं में सुधार करने के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं के पुनर्निर्माण और सरलीकरण में यह सहायक सिद्ध होगा। साथ ही साथ इसमें संपूर्ण रूप में एस ए पी प्लेटफार्म की वयवस्था भी शामिल है, जो कई उभरते बाजार की जरूरतों से लाभ उठाने हेतु मजबूत आधार प्रदान करता है।

(vii) संचालन निष्पादन के प्रति वित्तीय निष्पादन पर विचार विमर्श :

(₹ करोड़ों में)

| व्यौरा | 2015-16 | 2014-15 |
|--|---------|---------|
| क. सकल राजस्व | 3426.02 | 3129.65 |
| ख. परिचालन से राजस्व | 2983.72 | 2809.19 |
| ग. उत्पादन मूल्य (कन्सोर्टियम रहित एवं ईडी सहित) | 2740.01 | 2599.93 |
| घ. कर पूर्व लाभ | 64.27 | 6.91 |
| च. कर के बाद लाभ | 52.65 | 6.76 |
| छ. निवल मूल्य | 2106.36 | 2076.76 |
| ज. मालसूची | 1696.32 | 1921.20 |
| झ. प्राप्य व्यापार (सकल) | 1241.31 | 1242.07 |
| कुल मालसूची-उत्पादन मूल्य के लिए दिनों की संख्या में (ज/ग) | 226 | 270 |
| प्राप्य व्यापार /बिक्री दिनों के आधार पर (झ/ख) | 152 | 161 |
| बिक्री के लिए कर पूर्व लाभ (घ/ख) (%) | 2.15 | 0.25 |
| निवल मूल्य के लिए कर के बाद लाभ (च/छ)(%) | 2.50 | 0.33 |

आपकी कम्पनी द्वारा पिछले वर्ष के ₹3129.65 करोड़ की तुलना में संघ आपूर्ति मूल्य सहित ₹3426.02 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है। परिचालनों से प्राप्त राजस्व (संघ आपूर्ति उत्पाद शुल्क का निवल) पिछले वर्ष के ₹2809.19 करोड़ की तुलना में ₹2983.72 करोड़ रहा, जो 6.21% की वृद्धि दर्शाती है। उत्पादन मूल्य (संघ आपूर्ति उत्पाद शुल्क का निवल) पिछले वर्ष के ₹ 2599.93 करोड़ की तुलना में ₹2740.01 करोड़ रहा। कंपनी को पिछले वित्त वर्ष में दर्ज ₹6.91 करोड़ का कर पूर्व लाभ की तुलना में ₹64.27 करोड़ का कर पूर्व लाभ हुआ। रक्षा क्षेत्र में वर्ष 2014-15 का ₹160.86 करोड़ की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान ₹329.60 करोड़ की निवल बिक्री हुई, जो 105% की वृद्धि दर्शाती है। जीस/जीएससीएन रेल कोचों से संबंधित आदेशों की अनुपलब्धि का बावजूद, रेल व मेट्रो क्षेत्र में वर्ष 2014-15 का ₹993.16 करोड़ की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान ₹1038.80 करोड़ की निवल बिक्री दर्ज हुई जो 4.60% की

वृद्धि दर्शाती है। मंदी बाज़ार परिस्थितियों में भी खनन एवं विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2014-15 के ₹1655.17 करोड़ की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान ₹1615.32 करोड़ वृद्धि दर्ज की गई, जो 2.41% की नकारात्मक वृद्धि दर्शाती है।

(ix) नियोजित लोगों की संख्या सम्मिलित मानव संसाधन/औद्योगिक सम्बंध व्यवहार में महत्वपूर्ण विकास :

कम्पनी ने जनशक्ति के प्रशिक्षण और विकास पर अपनी एकाग्रता बढ़ायी है। वर्ष के दौरान मध्य प्रबंध स्तर के प्रशिक्षण और विकास पर ध्यान दिया गया है। कम्पनी के प्रमुख स्थानों पर संरचनात्मक दृष्टिकोण के जरिए सक्षम प्रबंध को प्रारंभ किया है। सभी कर्मचारियों सहित विभिन्न मदों पर पुनर्निवेशन के विषय पर व्यापक रूप से कम्पनी में संयुक्त सर्वेक्षण किया गया है। कम्पनी विभिन्न आंतरिक मंचों के माध्यम से सभी स्तर और वर्गों के कर्मचारियों से अपना संचारण को तीव्र गति से बढ़ाया है। कम्पनी द्वारा प्रशिक्षुओं और श्रमिकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी लगातार श्रेष्ठ कार्य निभायी गयी है।

औद्योगिक सम्बंध सुव्यवस्थित और सौहार्दिक बने रहे। दिनांक 31.03.2016 तक जनशक्ति 8,827 तक बनी रही। वर्ष के दौरान 23,516 प्रशिक्षण के मानवदिवस को कर्मचारियों की कार्य कुशलता में गति लाने और उनके ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया।

(x) पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, अक्षय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण :

इससे संबंधित सूचना बोर्ड की रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है।

(xi) सामूहिक सामाजिक दायित्व एवं निर्वहणीयता (सीएसआर):

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा की गई सीएसआरएस गतिविधियों संबंधी विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं।

सजग कथन - कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, दृष्टिकोण, अपेक्षाएँ, प्राक्कलन तथा अन्यो से संबंधित प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट के कुछ विवरणों से लागू कानूनों और नियमों के अर्थ में 'आगे देख विवरण' का गठन किया जा सकता है। वास्तविक परिणाम ऐसे अनुमानों, अपेक्षाओं तथा अन्यो से, चाहे व्यक्त या निहित हो, भिन्न हो सकते हैं। कई कारक कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण अंतर बना सकता है। इनमें जलवायु परिस्थितियों तथा मांग और आपूर्ति, सरकार के नियमों और कराधान प्रभावित करनेवाली आर्थिक स्थिति, प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं, जिन पर कंपनी कोई सीधा नियंत्रण नहीं रख सकती।

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से
ह./-

बेंगलूरु
27.05.2016

पी.द्वारकानाथ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

**कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं संपोषणीयता गतिविधियाँ**

किंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति नियम, 2014 का नियम 8]

- (क) किंपनी के सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा साथ ही परियोजनाओं का सिंहावलोकन या प्रारंभ किए जानेवाले प्रस्तावित कार्यक्रम और सीएसआर नीति के लिए वेबलिक तथा परियोजना या कार्यक्रम :

पर्यावरण संबंधी बातों सहित समाज के लिए सतत विकास की ओर गतिविधियों तथा पहल करने के जरिए समाज, शेयरधारकों, अन्य हितधारकों तथा समुदाय के लिए संवृद्ध मूल्य-निर्माण के लिए प्रतिबद्ध होने हेतु सीएसआरएस नीति सूत्रबद्ध की गयी है।

इस दृष्टि के अवलोकन के लिए किंपनी द्वारा निम्नानुसार उद्देश्य रखा गया है:-

- संगठन के सभी स्तरों पर संवृद्ध प्रतिबद्धता सुनिश्चिी करना, अपने सभी हितधारकों के हितों की पहचानकर आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय संपोषणीय तरीके में अपना कारोबार का संचालन करना ।
- लम्बी समयावधि तक स्थानीय आबादी के जीवन एवं आर्थिक स्तर की गुणता की वृद्धि करने में अपने यूनिट/ आंचलिक कार्यालय/क्षेत्रीय/जिला कार्यालय/कार्यकेन्द्र में और उसके आसपास के क्षेत्रों के समुदाय के लाभार्थ कार्यक्रमों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में लेना ।
- अपने सीएसआर पहलुओं के माध्यम से बीईएमएल की समुदायिक सद्भावना बढ़ाना और बीईएमएल के सकारात्मक एवं सामाजिक जिम्मेदार छवि को कॉर्पोरेट इकाई स्वरूप मजबूत बनाने में सहायता करना ।

इसके अलावा, सीएसआर नीति तथा परियोजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण किंपनी की वेबसाइट www.bemlindia.com में देखा जा सकता है ।

- (ख) सीएसआर समिति का गठन निम्नानुसार है :-

| क्रम सं. | निदेशक का नाम | संवर्ग |
|----------|------------------------|----------------------|
| अध्यक्ष | | |
| 1. | श्री सुधीर कुमार बेरी* | स्वतंत्र निदेशक |
| 2. | श्री एन.पी. गुप्ता* | स्वतंत्र निदेशक |
| सदस्य | | |
| 3. | श्री डी के होता | निदेशक (मा.सं) |
| 4. | श्री अनिरुद्ध कुमार | निदेशक(रेल व मेट्रो) |

* वर्ष के अंश के लिए

- (ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए किंपनी का औसत निवल लाभ वर्ष 2012-13 के दौरान हुई हानि के कारण पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए किंपनी का औसत निवल लाभ शून्य है। किंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष में खर्च की गयी कुल राशि शून्य है। तो भी, सामाजिक रूप में दायित्व व्यावसायिक इकाई रूप में अपने प्रयास को जारी रखने में किंपनी ने सीएसआर गतिविधियों की ओर कुल ₹459.67 लाख खर्च किया गया ।

- (घ) निर्धारित सीएसआर व्यय : शून्य

- (ङ) वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय का विवरण

(i) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की जानेवाली कुल राशि : लागू नहीं

(ii) गैर-व्यय राशि : लागू नहीं

(iii) कार्य जिसमें वित्तीय वर्ष के दौरान राशि व्यय हुई, उसका विवरण: अनुबंध में दिया जाता है।

- (च) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत या उसका कोई अंश किंपनी द्वारा खर्च न करने के मामले में किंपनी अपनी बोर्ड की रिपोर्ट में उक्त राशि को खर्च न किये जाने के कारण बताएँ : लागू नहीं

- (छ) सीएसआर नीति के कार्यान्वयन एवं मानिटर्सिंग के संबंध में सीएसआर समिति के उत्तरदायित्व का विवरण, किंपनी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीति के अनुपालन में है।

एतद्वारा बताया गया है कि सीएसआर नीति के कार्यान्वयन एवं मानिटर्सिंग किंपनी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीति के अनुपालन में है।

ह./-

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ह./-

अध्यक्ष, सीएसआर समिति

वर्ष 2015-16 के लिए सीएसआर परियोजनाओं का विवरण
(कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के अधीन निर्धारित प्रपत्र)

अनुबंध
(र लाखों में)

| क्रम सं. | सीएसआर परियोजना या एकात्री ई प्रतिक्रिया | परियोजनाओं या कार्यक्रम | | परियोजनाओं या कार्यक्रम के परिणाम (एचए) की प्रति लाखों में | परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि | | समाप्त/पारित राशि के लिए संबंधी व्यय | 6 | 7 | 8 |
|----------|--|-------------------------------|--|--|---|---------------------|--------------------------------------|---|---|---|
| | | (1) स्वाभाविक ढंग या अन्य ढंग | (2) उप-उत्पादों या अन्य ढंगों से प्राप्त परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च | | (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर की गई प्रत्यक्ष खर्च | (2) अप्रत्यक्ष खर्च | | | | |
| 1 | केसीएफ के समीप एचएड विद्युत आपूर्ति का निर्माण (सं.आ. परियोजना) | स्वाभाविक ढंग | कोलार बिना, कर्नाटक | 8.00 | 8.29 | 0.00 | 8.29 | प्रत्यक्ष, डेबेन्डर नेचर्स का कॉन्स्ट्रक्शन, केसीएफ के माध्यम से | | |
| 2 | केसीएफ कोट्टेश्वर पर कॉम्प्लेक्स अस्पताल की व्यवस्थापना के लिए एक डॉक्टर फ्री यूनिट का निर्माण | स्वाभाविक ढंग | कोलार बिना, कर्नाटक | 15.00 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | प्रत्यक्ष, डेबेन्डर नेचर्स लिमिटेड कोलार/एचएड, केसीएफ के माध्यम से | | |
| 3 | अन्न भंडार (एचएड पर 6 भागदंड परियोजना) | अन्न भंडार | एचएड बिना, कर्नाटक | 70.00 | 63.63 | 0.00 | 63.63 | प्रत्यक्ष, डेबेन्डर नेचर्स लिमिटेड कोलार/एचएड, केसीएफ के माध्यम से | | |
| 4 | के सीएफ पर स्वाभाविक आगरी को बिना प्रदान करना | स्वाभाविक ढंग | कोलार बिना, कर्नाटक | 350.00 | 292.80 | 0.00 | 292.80 | प्रत्यक्ष | | |
| 5 | बीबीएचए और एचएड/एचएड के लिए केसीएफ पर मोबाइल चिकित्सा यंत्रों और विद्युत्संचय युक्ति | स्वाभाविक ढंग | कोलार बिना, कर्नाटक | 1.05 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | प्रत्यक्ष | | |
| 6 | कर्नाटक/केसीएफ पर बिना के समीप से सुदूर परियोजना कार्यक्रम | स्वाभाविक ढंग | केसीएफ, कोलार बिना, कर्नाटक और पारसपुर बिना, केसीएफ | 5.00 | 2.69 | 0.00 | 2.69 | प्रत्यक्ष | | |
| 7 | परिवार नियोजन शिविर | स्वाभाविक ढंग | कोलार बिना, कर्नाटक | 2.50 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | प्रत्यक्ष | | |
| 8 | केसीएफ पर एचएड/एचएड को बिना से मद निगराना | स्वाभाविक ढंग | कोलार बिना, कर्नाटक | 1.00 | 7.68 | 0.00 | 7.68 | प्रत्यक्ष | | |
| 9 | आयुर्विद्युत विद्युत प्रदान, केसीएफ के सुदूर क्षेत्रों का लेवेलिंग कार्य | स्वाभाविक ढंग | केसीएफ बिना, कर्नाटक | 2.00 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | प्रत्यक्ष | | |
| 10 | एचएड के अंतर्गत के लिए एचएड निर्माण के लिए केसीएफ के समीप अचल/चलती ढंग को अनायास या | स्वाभाविक ढंग | कोलार बिना, कर्नाटक | 33.52 | 25.19 | 0.00 | 25.19 | प्रत्यक्ष | | |
| 11 | एचएड पर एचएड विद्युत आपूर्ति के लिए एचएड | स्वाभाविक ढंग | केसीएफ बिना, कर्नाटक | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | प्रत्यक्ष | | |
| 12 | अन्न भंडार परियोजना को समर्थन - एक अन्य परियोजना का प्रयोग | स्वाभाविक ढंग | केसीएफ बिना, कर्नाटक | 15.97 | 15.97 | 0.00 | 15.97 | अन्न भंडार परियोजना, केसीएफ केसीएफ केसीएफ, एचएड, केसीएफ, केसीएफ | | |
| 13 | अन्न भंडार परियोजना को समर्थन | अन्न भंडार | नई दिल्ली | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | केसीएफ केसीएफ, एचएड, केसीएफ, केसीएफ | | |
| 14 | अन्न भंडार परियोजना को समर्थन - एचएड के लिए प्रयुक्त एचएड के लिए का प्रयोग | स्वाभाविक ढंग | केसीएफ बिना, कर्नाटक | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | अन्न भंडार परियोजना | | |
| 15 | नई दिल्ली के अन्न भंडार के अन्न के लिए परियोजना का प्रयोग | --- | नई दिल्ली | 20.65 | 20.65 | 0.00 | 20.65 | प्रत्यक्ष | | |
| 16 | अन्न भंडार परियोजना व्यय | --- | --- | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | अन्न भंडार परियोजना को समर्थन के लिए अन्न भंडार परियोजना के लिए अन्न भंडार परियोजना | | |
| | कुल व्यय | | | 540.00 | 459.67 | 0.00 | 459.67 | | | |

निदेशक मंडल को और उनकी ओर से
पी. द्वाकाबाथ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक





31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(किंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

बीईएमएल लिमिटेड के सदस्यों को

1. हमने प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा बीईएमएल लिमिटेड (इसके बाद कंपनी संबोधित किया गया है) द्वारा बेहतर कॉर्पोरेट प्रक्रियाओं के अनुसमर्थन में सचिविक लेखा परीक्षा किया है। सचिविक लेखा परीक्षा इस प्रकार किया गया था जिससे मुझे कॉर्पोरेट व्यवहार/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन के लिए औचित्यपूर्ण राय देने का आधार प्राप्त हुआ।

2. कंपनी की पुस्तिका, कागजात, कार्यवृत्त पुस्तक, भरे गए फार्म और विवरणी तथा कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों की मेरे द्वारा की गई जांच तथा सचिविक लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर भी, मैं एतद्वारा यह प्रतिवेदन देता हूँ कि मेरी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2016 (“लेखा परीक्षा अवधि”) को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंतर्गत लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, उसके अधीन सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है तथा कंपनी की अपनी समुचित बोर्ड-प्रक्रियाएँ भी हैं एवं अनुपालन करने की प्रक्रिया/विधान उस सीमा तक है, जैसा कि इसके आगे प्रतिवेदित है।

3. हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बनाई गई पुस्तिकाओं, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तक, भरे गए फार्म और विवरणी तथा अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया है,

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम,

(ख) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (“एससीआरए”) तथा उसके अधीन बनाए गए नियम,

(ग) निपेक्षागार अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन

बनाए गए नियमन व उपनियम,

(घ) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपार प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक ऋण-उधार की सीमा के अधीन बनाए गए नियम और नियमन

(ड.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (“सेबी अधिनियम”) के अधीन निर्धारित निम्नलिखित नियमन एवं मार्गदर्शन :-

i. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर और अर्जन के पर्याप्त अधिग्रहण) नियमन, 2011

ii. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार निषेध) नियमन, 1992

iii. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड(लिस्टिंग देयताएँ तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015, और

iv. कंपनी अधिनियम, 1956/2013 से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (मुद्दे और शेयर अंतरण एजेंट का रजिस्ट्रार)नियमन, 1993 और ग्राहकों के साथ निपटारा

(च) विद्युत अधिनियम, 2003 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम,

(छ) भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट शासन पर मार्गदर्शन, 2010 – निदेशकों के गठन एवं नियुक्ति से संबंधित।

4. हमने बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड के साथ कंपनी द्वारा सूचीबद्ध करार में प्रवेश करने संबंधी अनुपालन का भी परीक्षण किया। हमने सेबी लिस्टिंग देयताएँ तथा प्रकटीकरण

आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015, संबंधी अनुपालन का भी परीक्षण किया।

5. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने नीचे पैराग्राफ 7 में उल्लिखित योग्यता के अधीन उपर्युक्त विषय में उल्लिखित अधिनियम, नियम, नियमन, मार्गदर्शन, आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

6. पैराग्राफ 7 में उल्लिखित योग्यता के अधीन हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :-

6.1 कार्यकारी निदेशकों, गैर- कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित शेष के साथ कंपनी का निदेशक मंडल का गठन किया गया है।

6.2 (क) कंपनी ने निदेशकों के अपेक्षित समितियों को समुचित रूप से गठित किया है।

(i) वर्ष के दौरान निदेशकों द्वारा मंडल एवं समिति की बैठकों के लिए समुचित अग्रिम सूचना जारी की गई है। उक्त सूचनाओं के साथ संबंधित बैठकों के कार्यसूची मर्दों पर विवरणात्मक टिप्पणी एवं मसौदा कार्यवृत्त संलग्न किए जाते हैं। कंपनी ने ऐसी एक प्रणाली अपनायी है, जिससे बैठक में सक्रिय भागीतदारी बैठक के पहले संबंधित बैठक के कार्यसूची मर्दों की अपेक्षित सूचना तथा स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाते हैं। कार्यवृत्त के अंश के रूप में बहुमत निर्णयों तथा असहमत सदस्यों के विचार को अभिलेखित किया जाता है।

(ग) कंपनी ने बैठकों के आयोजन एवं संचालन उमपद समुचित बोर्ड प्रक्रियाओं को अपनाया है। आम बैठकों के सदस्यों की कार्यवाहियों तथा मंडल एवं निदेशकों की समिति की बैठकों के कार्यवृत्त के संबंध में कंपनी द्वारा उचित बुक का अनुरक्षण किया गया है। आम बैठक के कार्यवृत्त बुक में ई-वोटिंग द्वारा पारित संकल्प को अभिलेखित किया जाता है।

6.3 कंपनी में समुचित प्रणाली एवं प्रक्रिया है, जो सामान्य

कानून, श्रम कानून, प्रतिस्पर्धी विधि, पर्यावरणीय विधि सहित प्रयोज्य विधियों के अनुपालन सुनिश्चित करने व प्रबोधन के लिए कंपनी के आकार एवं संचालन के अनुरूप है।

6.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के गठन में हुए परिवर्तन को अधिनियम के प्रावधानों के साथ अनुपालन किया गया है।

6.5 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निम्नप्रकार कोई घटना नहीं हुई :

(i) शेयरों या डिबेंचरों या स्वेट इक्विटी की सार्वजनिक, अधिकार, अधिमान्य जारी

(ii) प्रतिभूतियों के प्रतिदान बाई-ब्याक

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के अनुसार सदस्यों द्वारा लिये गये प्रमुख निर्णय

(iv) विलय, एकीकरण एवं पुनर्निर्माण आदि

(v) विदेशी तकनीकी सहयोग

7. अर्हता पैराग्राफ :

7.1 वर्ष के दौरान सवतंत्र निदेशकों की संख्या कंपनी के निदेशक मंडल की कुल संख्या के 50% में कम था।

7.2 दि.01.10.2015 से प्रभाव देकर कंपनी ने अपनी निदेशक मंडल में महिला निदेशक को नहीं रखा है।

7.3 बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं होने का कारण कंपनी ने दि.31.12.2015 को समाप्त तीसरी तिमाही के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकनहीं बुलाई।

कृते वी एन. एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

ह/-

एस. विश्वनाथन

एसीएस 5284; सीपी5284

भागीदार

बंगलूरु

25.05.2016

ह/-

के.एन.नागेश राव

एफसीएस 3000; सीपी12861

भागीदार



सचिविक लेखा परीक्षक की गई टिप्पणियों पर कंपनी का उत्तर—:

| पैरा सं. | टिप्पणी | कंपनी का उत्तर |
|----------|--|--|
| 7.1 | वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की संख्या कंपनी के निदेशक मंडल की कुल संख्या के 50% में कम था । | संस्था के अंतर्नियम के अनुसार समय समय पर निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तथा उनका पारिश्रमिक समय समय पर नियत राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी । |
| 7.2 | दि.01.10.2015 से प्रभाव देकर कंपनी ने अपनी निदेशक मंडल में महिला निदेशक को नहीं रखा है। | तदनुसार,स्वतंत्र निदेशकों/महिला निदेशक की रिक्तियों की नियुक्ति प्रगति के अधीन है । |
| 7.3 | बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं होने का कारण कंपनी ने दि.31.12.2015 को समाप्त तिसरी तिमाही के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठक नहीं बुलाई । | जैसा कि मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं है, कोरम के अभाव में जिसके लिए कम से कम 2 स्वतंत्र निदेशकों की आवश्यकता है लेखा परीक्षा की बैठक बुलाई नहीं गई । |

बेंगलूरु
27.05.2016

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से
ह./-
पी.द्वारकानाथ
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रपत्र सं.-एमजीटी 9

वार्षिक विवरणी का सार

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

किंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 का नियम 12(1) के अनुसरण में

I. पंजीयन तथा अन्य विवरण

| | |
|---|--|
| i) सीआईएन | : L 35202KA 1964GOI001530 |
| ii) पंजीयन दिनांक | : 11/05/1964 |
| iii) कम्पनी का नाम | : बीईएमएल लिमिटेड |
| iv) कम्पनी की श्रेणी/उप-श्रेणी | : शेयरों द्वारा लिमिटेड कंपनी/केन्द्र सरकार कंपनी |
| v) पंजीकृत कार्यालय का पता व | : 'बीईएमएल सौधा' 23/1, चौथा मेन, सम्पर्क विवरण एस आर नगर, बेंगलूरु -560 027. दूरभाष : 080-22963142/211 |
| vi) क्या सूचीपद्ध कम्पनी है | : हाँ |
| vii) पंजीयक और हस्तांतरित अभिकर्ता का नाम, पता और विवरण सम्पर्क विवरण, यदि कोई हो | : कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लाट 31-32, गाचीबौली फाइनांशियल जिला, नानकरामगुडा हैदराबाद - 500 032. दूरभाष : 040-67162222 |

II. कम्पनी के मुख्य व्यवसाय संबंधी कार्यकलाप :

कम्पनी के कुल उत्पादन का 10% या उससे अधिक का योगदान देने समस्त व्यवसाय संबंधी कार्यकलाप इसप्रकार हैं :-

| क्रम सं. | मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम व विवरण | उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड | कम्पनी का कुल उत्पादन का प्रतिशत |
|----------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1. | बुलडोजर | 28243 | 53.99 |
| 2. | एक्स्कावेटर | 28243 | |
| 3. | मोटर ग्रेडर | 28243 | |
| 4. | व्हील लोडर | 28243 | |
| 5. | डंप ट्रक्स | 28243 | |
| 6. | रेल कोच | 30203 | 34.82 |
| 7. | रेल वैगन | 30203 | |
| 8. | मेट्रो कार | 30203 | |
| 9. | रक्षा उपकरण | 30400 | 11.05 |

III. नियंत्रक, अनुषंगी और सहायक / सहयोगी कम्पनियों का विवरण

| क्रम सं. | कम्पनी का नाम व पता | सीआईएन/जीएलएन | नियंत्रक/ अनुषंगी/ सहायक | रखे गए शेयर का प्रतिशत | प्रयोज्य खण्ड |
|----------|--|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | मेसर्स विज्ञान इंस्टीट्यूट लिमिटेड, हरियूर, बी.एच.रोड, तस्किने पोस्ट, विक्रमगलूरु जिला, कर्नाटक पिन 577228 | U5110KA1963P LC001510 | अनुषंगी कंपनी | 96.56% | 2(87) |
| 2 | मेसर्स एमएएस ईस्टीस लिमिटेड, 35/1ए, तराताला रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700 088 | U29253WB2010G OI152567 | अनुषंगी कंपनी | 100.00% | 2(87) |
| 3 | मेसर्स बीईएमएल ब्राजिल इंस्टीट्यूट लिमिटेड, एवी प्रिन्सिपा इसाबेल, 629, 12वाँ तल, कमरा नं.1201, सेन्ट्रो, सीईपी 29010-361 | लागू नहीं | अनुषंगी कंपनी | 99.98% | 2(87) |
| 4 | मेसर्स बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड, 8-2-684/3-55, बंगारा ग्रीन कॉलोनी, रोड नं.12, बंगारा हिल्स, हैदराबाद, आंध्रप्रदेश पिन 500 034 | U13204AP2007 PLC053653 | संयुक्त उद्यम कंपनी | 45.00% | 2(6) |



IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत रूप में इक्विटी शेयर केपिटल का ब्यौरा):

i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

| श्रेणी कोड | अंशधारकों की श्रेणी | 31.03.2015 वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों की संख्या | | | | 31.03.2016 वर्ष के अंत में रखे गए शेयरों की संख्या | | | | वर्ष के दौरान परिवर्तन % |
|------------|-------------------------------------|--|----------|-----------------|-----------------|--|----------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| | | डिमेट | भौतिक | कुल | कुल शेयरों की % | डिमेट | भौतिक | कुल | कुल शेयरों की % | |
| (I) | (II) | (III) | (IV) | (V) | (VI) | (VII) | (VIII) | (IX) | (X) | (XI) |
| क. | प्रवर्तक और प्रवर्तक ग्रूप | | | | | | | | | |
| (1) | भारतीय | | | | | | | | | |
| (क) | व्यक्तिगत/एचयूएफ | | | | | | | | | |
| (ख) | केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार | 22500000 | 0 | 22500000 | 54.03 | 22500000 | 0 | 22500000 | 54.03 | 0.00 |
| (ग) | निकाय निगम | | | | | | | | | |
| (घ) | बैंक/वित्तीय संस्थान | | | | | | | | | |
| (ङ) | अन्य | | | | | | | | | |
| | उप-योग(क) (1) : | 22500000 | 0 | 22500000 | 54.03 | 22500000 | 0 | 22500000 | 54.03 | 0.00 |
| (2) | विदेशी | | | | | | | | | |
| (क) | व्यक्तिगत(एनआरआई/ विदेशी व्यक्तिगत) | | | | | | | | | |
| (ख) | निकाय निगम | | | | | | | | | |
| (ग) | संस्थान | | | | | | | | | |
| (घ) | योग्य विदेशी निवेशक | | | | | | | | | |
| (ङ) | अन्य | | | | | | | | | |
| | उप-योग(क) (2) : | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | कुल (क) = (क)(1)+(क)(2) | 22500000 | 0 | 22500000 | 54.03 | 22500000 | 0 | 22500000 | 54.03 | 0.00 |
| ख. | पब्लिक शेयरहोल्डिंग | | | | | | | | | |
| (1) | संस्थान | | | | | | | | | |
| (क) | म्यूचुल निधि/यूटीआई | 4424978 | 3300 | 4428278 | 10.63 | 5192159 | 3300 | 5195459 | 12.48 | 1.85 |
| (ख) | वित्तीय संस्थान/बैंक | 3933107 | 0 | 3933107 | 9.44 | 2231747 | 0 | 2231747 | 5.36 | 4.08 |
| (ग) | केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार(रें) | | | | | | | | | |
| (घ) | उद्यम पूंजी निधि | | | | | | | | | |

| श्रेणी कोड | अंशधारकों की श्रेणी | 31.03.2015 वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों की संख्या | | | | 31.03.2016 वर्ष के अंत में रखे गए शेयरों की संख्या | | | | वर्ष के दौरान परिवर्तन % |
|------------|---|--|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------|-----------------|---------------|--------------------------|
| | | डिमेंट | भौतिक | कुल | कुल शेयरों की % | डिमेंट | भौतिक | कुल | कुल शेयरों | |
| (ड) | बीमा कंपनियां | | | | | | | | | - |
| (च) | विदेशी संस्थागत निवेशक | 2807061 | 1700 | 2808761 | 6.74 | 2259499 | 1700 | 2261199 | 5.43 | 1.31 |
| (छ) | विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक | | | | | | | | | |
| (ज) | योग्य विदेशी निवेशक | | | | | | | | | |
| (झ) | अन्य | | | | | | | | | - |
| | उप-योग(ख) (1) : | 11165146 | 5000 | 11170146 | 26.82 | 9683405 | 5000 | 9688405 | 23.27 | 3.55 |
| (2) | गैर संस्थान | | | | | | | | | |
| (क) | निकाय निगम | 3109796 | 4150 | 3113946 | 7.48 | 4790551 | 4150 | 4794701 | 11.51 | 4.03 |
| (ख) | व्यक्तिगत | | | | | | | | | |
| | (i) 1 लाख रुपए तक के रखे गए नाममात्र/ आंशिक शेयर पूंजी | 3800161 | 130809 | 3930970 | 9.44 | 3621073 | 128279 | 3749352 | 9.00 | 0.44 |
| | (ii) हर-एक अंशधारकों द्वारा 1 लाख रुपए से अधिक के रखे गए नाममात्र/ आंशिक शेयर पूंजी | 402990 | | 402990 | 0.97 | 358938 | | 358938 | 0.86 | 0.11 |
| (ग) | अन्य | | | | | | | | | |
| | समाशोधन सदस्य | 167290 | | 167290 | 0.40 | 172075 | | 172075 | 0.41 | 0.01 |
| | प्रवासी भारतीय | 290625 | 63500 | 354125 | 0.85 | 278267 | 62200 | 340467 | 0.82 | 0.03 |
| | ट्रस्ट | 5033 | | 5033 | 0.01 | 7738 | | 7738 | 0.02 | 0.01 |
| | एनएफबीसी | 0 | | 0 | | 32824 | | 32824 | 0.08 | 0.08 |
| (घ) | योग्य विदेशी निवेशक | | | | | | | | | |
| | उप-योग(ख) (2) : | 7775895 | 198459 | 7974354 | 19.15 | 9261466 | 194629 | 9456095 | 22.70 | 3.55 |
| | कुल (ख) = (ख)(1)+(ख)(2) | 18941041 | 203459 | 19144500 | 45.97 | 18944871 | 199629 | 19144500 | 45.97 | 0.00 |
| | कुल (क+ख) : | 41441041 | 203459 | 41644500 | 100.00 | 41444871 | 199629 | 41644500 | 100.00 | 0.00 |
| ग. | संरक्षक द्वारा धारित शेयर, जिसके लिए | | | | | | | | | |
| (1) | प्रवर्तक और प्रवर्तक ग्रुप को डिपॉसिटरी रसीद जारी किया गया | | | | | | | | | |
| (2) | सार्वजनिक | | | | | | | | | |
| | महायोग(क+ख+ग) : | 41441041 | 203459 | 41644500 | 100.00 | 41444871 | 199629 | 41644500 | 100.00 | |

(ii) प्रवर्तकों का शेयरहोल्डिंग

| क्रम सं. | अंशधारकों की श्रेणी | वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों की संख्या | | | वर्ष के अंत में रखे गए शेयरों की संख्या | | | वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन का प्रतिशत |
|----------|---------------------|---|---------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|
| | | शेयरों की संख्या | कम्पनी के कुल शेयरों का % | कुल शेयरों में से रेहन/भारित शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | कुल शेयरों में से रेहन/भारित शेयरों का प्रतिशत | |
| 1 | भारत के राष्ट्रपति | 22499900 | 54.03 | शून्य | 22500000 | 54.03 | -- | -- |
| 2 | सुभाष चन्द्र पाण्डे | 100 | 0.00 | शून्य | 0 | 0.00 | -- | -- |



(iii) वर्तकों के शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन (कोई परिवर्तन न होने पर कृपया उल्लेख करें)

| | वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों की संख्या | | | | वर्ष के दौरान संचित शेयरहोल्डिंग | | | |
|--|---|--------------|---------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| | शेयरों की संख्या | | कम्पनी के कुल शेयरों का % | | शेयरों की संख्या | | कम्पनी के कुल शेयरों का % | |
| | भारत के राष्ट्रपति | एस सी पाण्डे | भारत के राष्ट्रपति | एस सी पाण्डे | भारत के राष्ट्रपति | एस सी पाण्डे | भारत के राष्ट्रपति | एस सी पाण्डे |
| वर्ष के प्रारंभ में | 22499900 | 100 | 54.03% | 0 | 22500000 | 0 | 54.03% | 0 |
| वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के शेयरहोल्डिंग में दिनांकवार वृद्धि/ कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात आबंटन/अंतरण/ बोनस/स्वैट इक्विटी आदि) | श्री एस सी पाण्डे के नाम धारित 100 शेयरों को दिनांक 05.06.2015 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा धारित शेयरों के साथ समेकित किया गया। | | | | | | | |
| वर्ष की समाप्ति पर | 22499900 | 100 | 54.03% | 0 | 22500000 | 0 | 54.03% | 0 |

(iv) शीर्षस्थ दस अंशधारकों का शेयरहोल्डिंग पैटर्न (निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर व एडीआर धारक के अलावा):

| क्रम सं. | शेयरधारक का नाम | वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों की संख्या | | तारीख | शेयरधारण में वृद्धि/कमी | कारण | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण | |
|------------|-------------------------------------|---|---------------------------|------------|-------------------------|--------|------------------------------|---------------------------|
| | | शेयरों की संख्या | कम्पनी के कुल शेयरों का % | | | | शेयरों की संख्या | कम्पनी के कुल शेयरों का % |
| 1 | एसबीआई जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड क्रय | 157466 | 0.38 | 31-03-2015 | | | 157466 | 0.38 |
| | | | | 10-04-2015 | 29110 | क्रय | 186576 | 0.45 |
| | | | | 17-04-2015 | 28182 | क्रय | 214758 | 0.52 |
| | | | | 24-04-2015 | 5026 | क्रय | 219784 | 0.53 |
| | | | | 01-05-2015 | 10507 | क्रय | 230291 | 0.55 |
| | | | | 08-05-2015 | 6917 | क्रय | 237208 | 0.57 |
| | | | | 15-05-2015 | 42872 | क्रय | 280080 | 0.67 |
| | | | | 22-05-2015 | 62184 | क्रय | 342264 | 0.82 |
| | | | | 29-05-2015 | -5949 | बिक्री | 336315 | 0.81 |
| | | | | 05-06-2015 | 50000 | क्रय | 386315 | 0.93 |
| | | | | 12-06-2015 | 155900 | क्रय | 542215 | 1.30 |
| | | | | 19-06-2015 | 22800 | क्रय | 565015 | 1.36 |
| | | | | 30-06-2015 | 80000 | क्रय | 645015 | 1.55 |
| | | | | 03-07-2015 | 32000 | क्रय | 677015 | 1.63 |
| | | | | 10-07-2015 | -27000 | बिक्री | 650015 | 1.56 |
| | | | | 17-07-2015 | 55000 | क्रय | 705015 | 1.69 |
| | | | | 24-07-2015 | 41650 | क्रय | 746665 | 1.79 |
| | | | | 31-07-2015 | 2821 | क्रय | 749486 | 1.80 |
| | | | | 07-08-2015 | -10000 | बिक्री | 739486 | 1.78 |
| | | | | 14-08-2015 | 61947 | क्रय | 801433 | 1.92 |
| 28-08-2015 | 20977 | क्रय | 822410 | 1.97 | | | | |
| 04-09-2015 | -877 | बिक्री | 821533 | 1.97 | | | | |
| 11-09-2015 | -9577 | बिक्री | 811976 | 1.95 | | | | |
| 18-09-2015 | -20350 | बिक्री | 791626 | 1.90 | | | | |
| 25-09-2015 | 15000 | क्रय | 806626 | 1.94 | | | | |
| 30-09-2015 | 25000 | क्रय | 831626 | 2.00 | | | | |
| 09-10-2015 | 12988 | क्रय | 844614 | 2.03 | | | | |
| 23-10-2015 | 15000 | क्रय | 859614 | 2.06 | | | | |
| 30-10-2015 | 30400 | क्रय | 890014 | 2.14 | | | | |
| 06-11-2015 | 74567 | क्रय | 964581 | 2.32 | | | | |
| 13-11-2015 | 52500 | क्रय | 1017081 | 2.44 | | | | |

| क्रम सं. | शेयरधारक का नाम | वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों की संख्या | | तारीख | शेयरधारण में वृद्धि/कमी | कारण | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण | |
|----------|---|---|---------------------------|------------|-------------------------|--------|------------------------------|---------------------------|
| | | शेयरों की संख्या | कम्पनी के कुल शेयरों का % | | | | शेयरों की संख्या | कम्पनी के कुल शेयरों का % |
| | | | | 20-11-2015 | 32100 | क्रय | 1049181 | 2.52 |
| | | | | 27-11-2015 | 33000 | क्रय | 1082181 | 2.60 |
| | | | | 04-12-2015 | 30000 | क्रय | 1112181 | 2.67 |
| | | | | 11-12-2015 | 97 | क्रय | 1112278 | 2.67 |
| | | | | 18-12-2015 | 2500 | क्रय | 1114778 | 2.68 |
| | | | | 31-12-2015 | 65944 | क्रय | 1180722 | 2.84 |
| | | | | 08-01-2016 | 35000 | क्रय | 1215722 | 2.92 |
| | | | | 15-01-2016 | -25000 | बिक्री | 1190722 | 2.86 |
| | | | | 22-01-2016 | 20177 | क्रय | 1210899 | 2.91 |
| | | | | 29-01-2016 | -4000 | बिक्री | 1206899 | 2.90 |
| | | | | 12-02-2016 | 62042 | क्रय | 1268941 | 3.05 |
| | | | | 19-02-2016 | 101850 | क्रय | 1370791 | 3.29 |
| | | | | 04-03-2016 | 38202 | क्रय | 1408993 | 3.38 |
| | | | | 18-03-2016 | 10000 | क्रय | 1418993 | 3.41 |
| | | | | 25-03-2016 | 22000 | क्रय | 1440993 | 3.46 |
| | | | | 31-03-2016 | -11800 | बिक्री | 1429193 | 3.43 |
| | | | | 31-03-2016 | | | 1429193 | 3.43 |
| 2 | रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी रिलायंस | 1255430 | 3.78 | 31-03-2015 | | | 1255430 | 3.01 |
| | | | | 10-04-2015 | -24000 | बिक्री | 1231430 | 2.96 |
| | | | | 24-04-2015 | 25000 | क्रय | 1256430 | 3.02 |
| | | | | 22-05-2015 | -25000 | बिक्री | 1231430 | 2.96 |
| | | | | 17-07-2015 | -5982 | बिक्री | 1225448 | 2.94 |
| | | | | 24-07-2015 | -62000 | बिक्री | 1163448 | 2.79 |
| | | | | 22-01-2016 | 6300 | क्रय | 1169748 | 2.81 |
| | | | | 12-02-2016 | 25000 | क्रय | 1194748 | 2.87 |
| | | | | 31-03-2016 | | | 1194748 | 2.87 |
| 3 | भारतीय जीवन बीमा निगम | 1815896 | 2.87 | 31-03-2015 | | | 1815896 | 4.36 |
| | | | | 10-04-2015 | -118520 | बिक्री | 1697376 | 4.08 |
| | | | | 19-06-2015 | -67294 | बिक्री | 1630082 | 3.91 |
| | | | | 26-06-2015 | -78232 | बिक्री | 1551850 | 3.73 |
| | | | | 30-06-2015 | -20000 | बिक्री | 1531850 | 3.68 |
| | | | | 03-07-2015 | -102023 | बिक्री | 1429827 | 3.43 |
| | | | | 10-07-2015 | -29065 | बिक्री | 1400762 | 3.36 |
| | | | | 17-07-2015 | -3386 | बिक्री | 1397376 | 3.36 |
| | | | | 24-07-2015 | -75141 | बिक्री | 1322235 | 3.18 |
| | | | | 31-07-2015 | -72528 | बिक्री | 1249707 | 3.00 |
| | | | | 07-08-2015 | -158092 | बिक्री | 1091615 | 2.62 |
| | | | | 14-08-2015 | -11796 | बिक्री | 1079819 | 2.59 |
| | | | | 31-03-2016 | | | 1079819 | 2.59 |



| क्रम सं. | शेयरधारक का नाम | वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों की संख्या | | तारीख | शेयरधारण में वृद्धि/कमी | कारण | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण | |
|------------|--|---|---------------------------|-------------|-------------------------|--------|------------------------------|---------------------------|
| | | शेयरों की संख्या | कम्पनी के कुल शेयरों का % | | | | शेयरों की संख्या | कम्पनी के कुल शेयरों का % |
| 4 | मैक्स लाइफ इन्शोरेंस कंपनी लिमिटेड ए/सी ULIF0012 | 557822 | 1.34 | 31-03-2015 | | | 557822 | 1.34 |
| | | | | 03-07-2015 | -13000 | बिक्री | 544822 | 1.31 |
| | | | | 10-07-2015 | -10245 | बिक्री | 534577 | 1.28 |
| | | | | 28-08-2015 | 36944 | क्रय | 571521 | 1.37 |
| | | | | 04-09-2015 | 15500 | क्रय | 587021 | 1.41 |
| | | | | 12-02-2016 | 20000 | क्रय | 607021 | 1.46 |
| | | | | 31-03-2016 | 110000 | क्रय | 717021 | 1.72 |
| | | | 717021 | 1.72 | | | | |
| 5 | रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी रिलायंस | 901621 | 2.17 | 31-03-2015 | | | 901621 | 2.17 |
| | | | | 23-10-2015 | -57615 | बिक्री | 844006 | 2.03 |
| | | | | 30-10-2015 | -4676 | बिक्री | 839330 | 2.02 |
| | | | | 25-12-2015 | -106702 | बिक्री | 732628 | 1.76 |
| | | | | 31-12-2015 | -48628 | बिक्री | 684000 | 1.64 |
| | | | | 31-03-2016 | -13066 | बिक्री | 670934 | 1.61 |
| | | | 670934 | 1.61 | | | | |
| 6 | रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी रिलायंस टी | 0 | 0.00 | 31-03-2015 | | | 0 | 0.00 |
| | | | | 12-06-2015 | 90000 | क्रय | 90000 | 0.22 |
| | | | | 19-06-2015 | 99000 | क्रय | 189000 | 0.45 |
| | | | | 26-06-2015 | 144000 | क्रय | 333000 | 0.80 |
| | | | | 17-07-2015 | 18000 | क्रय | 351000 | 0.84 |
| | | | | 21-08-2015 | 54000 | क्रय | 405000 | 0.97 |
| | | | | 28-08-2015 | 52447 | क्रय | 457447 | 1.10 |
| | | | | 04-09-2015 | 21995 | क्रय | 479442 | 1.15 |
| | | | | 25-09-2015 | 357 | क्रय | 479799 | 1.15 |
| | | | | 09-10-2015 | -64074 | बिक्री | 415725 | 1.00 |
| | | | | 23-10-2015 | -10725 | बिक्री | 405000 | 0.97 |
| | | | | 31-12-2015 | -45000 | बिक्री | 360000 | 0.86 |
| | | | | 15-01-2016 | 19589 | क्रय | 379589 | 0.91 |
| | | | | 22-01-2016 | 70411 | क्रय | 450000 | 1.08 |
| | | | | 05-02-2016 | 27000 | क्रय | 477000 | 1.15 |
| 19-02-2016 | 62813 | क्रय | 539813 | 1.30 | | | | |
| 26-02-2016 | 36187 | क्रय | 576000 | 1.38 | | | | |
| 04-03-2016 | 45000 | क्रय | 621000 | 1.49 | | | | |
| | | | 621000 | 1.49 | | | | |
| 7 | रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी रिलायंस रेगुलर | 400000 | 0.96 | 31-03-2015 | | | 400000 | 0.96 |
| | | | | 03-07-2015 | 3300 | क्रय | 403300 | 0.97 |
| | | | | 11-09-2015 | 46700 | क्रय | 450000 | 1.08 |
| | | | | 13-11-2015 | 35100 | क्रय | 485100 | 1.16 |
| | | | | 20-11-2015 | 14900 | क्रय | 500000 | 1.20 |
| | | | | 04-03-2016 | 6000 | क्रय | 506000 | 1.22 |
| | | | | 25-03-2016 | 32000 | क्रय | 538000 | 1.29 |
| | | | 538000 | 1.29 | | | | |

| क्रम सं. | शेयरधारक का नाम | वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों की संख्या | | तारीख | शेयरधारण में वृद्धि/कमी | कारण | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण | |
|------------|---|---|---------------------------|-------------|-------------------------|--------|------------------------------|---------------------------|
| | | शेयरों की संख्या | कम्पनी के कुल शेयरों का % | | | | शेयरों की संख्या | कम्पनी के कुल शेयरों का % |
| 8 | रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी रिलायंस डिव | 39527 2 | 0.95 | 31-03-2015 | | | 395272 | 0.95 |
| | | | | 05-06-2015 | 25000 | क्रय | 420272 | 1.01 |
| | | | | 24-07-2015 | -25000 | बिक्री | 395272 | 0.95 |
| | | | | 11-09-2015 | 15000 | क्रय | 410272 | 0.99 |
| | | | | 18-09-2015 | 15000 | क्रय | 425272 | 1.02 |
| | | | | 09-10-2015 | 25000 | क्रय | 450272 | 1.08 |
| | | | | 11-12-2015 | 15000 | क्रय | 465272 | 1.12 |
| | | | | 25-12-2015 | -669 | बिक्री | 464603 | 1.12 |
| | | | | 15-01-2016 | 15000 | क्रय | 479603 | 1.15 |
| | | | 479603 | 1.15 | | | | |
| 9 | मैक्स लाइफ इन्शोरेन्स कंपनी लिमिटेड ए/सी ULIF01108 | 243659 | 0.59 | 31-03-2015 | | | 243659 | 0.59 |
| | | | | 01-05-2015 | 40230 | क्रय | 283889 | 0.68 |
| | | | | 15-05-2015 | 100000 | क्रय | 383889 | 0.92 |
| | | | | 12-06-2015 | -50224 | बिक्री | 333665 | 0.80 |
| | | | | 24-07-2015 | 67000 | क्रय | 400665 | 0.96 |
| | | | | 28-08-2015 | 8750 | क्रय | 409415 | 0.98 |
| | | | | 31-03-2016 | 50000 | क्रय | 459415 | 1.10 |
| | | | | 31-03-2016 | | | 459415 | 1.10 |
| 10 | केनरा एचएसबीसी ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स लाइफ इन्शोरन | 469882 | 1.13 | 31-03-2015 | | | 469882 | 1.13 |
| | | | | 10-04-2015 | -4705 | बिक्री | 465177 | 1.12 |
| | | | | 17-04-2015 | -3258 | बिक्री | 461919 | 1.11 |
| | | | | 24-04-2015 | -3898 | बिक्री | 458021 | 1.10 |
| | | | | 08-05-2015 | -5724 | बिक्री | 452297 | 1.09 |
| | | | | 15-05-2015 | -3606 | बिक्री | 448691 | 1.08 |
| | | | | 22-05-2015 | -1201 | बिक्री | 447490 | 1.07 |
| | | | | 29-05-2015 | -433 | बिक्री | 447057 | 1.07 |
| | | | | 05-06-2015 | -449 | बिक्री | 446608 | 1.07 |
| | | | | 19-06-2015 | -2155 | बिक्री | 444453 | 1.07 |
| | | | | 26-06-2015 | -3564 | बिक्री | 440889 | 1.06 |
| | | | | 30-06-2015 | -175 | बिक्री | 440714 | 1.06 |
| | | | | 03-07-2015 | -4164 | बिक्री | 436550 | 1.05 |
| | | | | 10-07-2015 | -1531 | बिक्री | 435019 | 1.04 |
| | | | | 17-07-2015 | -2332 | बिक्री | 432687 | 1.04 |
| | | | | 24-07-2015 | -846 | बिक्री | 431841 | 1.04 |
| | | | | 31-07-2015 | -633 | बिक्री | 431208 | 1.04 |
| | | | | 07-08-2015 | -1526 | बिक्री | 429682 | 1.03 |
| | | | | 14-08-2015 | -4160 | बिक्री | 425522 | 1.02 |
| | | | | 21-08-2015 | -11426 | बिक्री | 414096 | 0.99 |
| 04-09-2015 | 3213 | क्रय | 417309 | 1.00 | | | | |
| 18-09-2015 | -469 | बिक्री | 416840 | 1.00 | | | | |
| 25-09-2015 | -1394 | बिक्री | 415446 | 1.00 | | | | |
| 30-09-2015 | -53 | बिक्री | 415393 | 1.00 | | | | |
| 16-10-2015 | -2087 | बिक्री | 413306 | 0.99 | | | | |



| क्रम सं. | शेयरधारक का नाम | वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों की संख्या | | तारीख | शेयरधारण में वृद्धि/कमी | कारण | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण | |
|----------|-----------------|---|---------------------------|------------|-------------------------|--------|------------------------------|---------------------------|
| | | शेयरों की संख्या | कम्पनी के कुल शेयरों का % | | | | शेयरों की संख्या | कम्पनी के कुल शेयरों का % |
| | | | | 23-10-2015 | -500 | बिक्री | 412806 | 0.99 |
| | | | | 30-10-2015 | -548 | बिक्री | 412258 | 0.99 |
| | | | | 27-11-2015 | -990 | बिक्री | 411268 | 0.99 |
| | | | | 04-12-2015 | 2065 | क्रय | 413333 | 0.99 |
| | | | | 11-12-2015 | -3282 | बिक्री | 410051 | 0.98 |
| | | | | 18-12-2015 | -2124 | बिक्री | 407927 | 0.98 |
| | | | | 31-12-2015 | -1683 | बिक्री | 406244 | 0.98 |
| | | | | 08-01-2016 | -2827 | बिक्री | 403417 | 0.97 |
| | | | | 15-01-2016 | -2787 | बिक्री | 400630 | 0.96 |
| | | | | 22-01-2016 | -173 | बिक्री | 400457 | 0.96 |
| | | | | 29-01-2016 | -94 | बिक्री | 400363 | 0.96 |
| | | | | 05-02-2016 | -652 | बिक्री | 399711 | 0.96 |
| | | | | 26-02-2016 | -537 | बिक्री | 399174 | 0.96 |
| | | | | 04-03-2016 | 11244 | क्रय | 410418 | 0.99 |
| | | | | 11-03-2016 | 245 | क्रय | 410663 | 0.99 |
| | | | | 18-03-2016 | -68 | बिक्री | 410595 | 0.99 |
| | | | | 31-03-2016 | | | 410595 | 0.99 |

(v) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का शेयरहोल्डिंग :

| प्रत्येक निदेशकों एवं केएमपी के लिए | वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों की संख्या | | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण | |
|--|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | शेयरों की संख्या | कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | शेयरों की संख्या | कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत |
| अनिरुद्ध कुमार (निदेशक- रेल एण्ड मेट्रो) | | | | |
| वर्ष के प्रारंभ में | 10 | नगण्य | 10 | नगण्य |
| वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के शेयरहोल्डिंग में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात् आबंटन/अंतरण/ बोनस/स्वैट इन्विटी आदि) | कोई परिवर्तन नहीं | | कोई परिवर्तन नहीं | |
| वर्ष की समाप्ति पर | 10 | नगण्य | 10 | नगण्य |

V. ऋणग्रस्तता :

कम्पनी की ऋणग्रस्तता सहित बकाया/प्रौद्भूत ब्याज किंतु जिसका भुगतान देय नहीं है ।

(₹ लाखों में)

| | प्रतिभूति ऋण जिसमें जमा | अप्रतिभूति ऋण | जमा | कुल ऋणग्रस्तता |
|--|-------------------------|-----------------|----------|------------------|
| दि. 01.04.2015 पर वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता | | | | |
| i) मूलधन राशि | 54,845.81 | 9,497.62 | - | 64,343.43 |
| ii) देय ब्याज किंतु जिसका भुगतान नहीं किया गया | 35.49 | - | - | 35.49 |
| iii) प्रौद्भूत ब्याज किंतु जो देय | 1,119.86 | - | - | 1,119.86 |
| कुल (i+ii+iii) | 56,001.16 | 9,497.62 | - | 65,498.78 |

(₹ करोड़ों में)

| | प्रतिभूति ऋण जिसमें जमा | अप्रतिभूति ऋण | जमा | कुल ऋणग्रस्तता |
|--|----------------------------|-----------------|----------|------------------|
| वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन | | | | |
| - वृद्धि | - | - | - | - |
| - कमी | 6,449.48 | 1,983.00 | - | 8,432.48 |
| निवल परिवर्तन | | | | |
| दि.31.03.2016 पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऋणग्रस्तता | | | | |
| i) मूलधन राशि | 48,420.00 | 7,514.62 | - | 55,934.62 |
| ii) देय ब्याज किंतु जिसका भुगतान नहीं किया गया | - | - | - | - |
| iii) प्रोद्भूत ब्याज किंतु जो देय नहीं | 1,131.68 | - | - | 1,131.68 |
| कुल (i+ii+iii) | 49,551.68 | 7,514.62 | - | 57,066.30 |

VI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

क. पूर्णकालिक निदेशकों को पारिश्रमिक :

| क्रम सं. | पारिश्रमिक का विवरण | प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम सर्वश्री | | | | | | | | कुल राशि (₹) |
|----------|---|---|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|
| | | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/सीईओ पी द्वारकानाथ | निदेशक (मानव संसाधन) डी के होता | निदेशक (वित्त)/ सीएफओ पी स्वामिनाथन | निदेशक (रेल व मेट्रो) अनिरुद्ध कुमार | निदेशक (खनन एवं निर्माण) बी आर विश्वनाथ* | निदेशक (रक्षा) आर एच मुरलीधरा* | निदेशक (खनन एवं निर्माण) सी एन दुर्गेश* | निदेशक (खनन एवं निर्माण) पी आर नाईक* | |
| 1. | सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य | 3356921 | 2802180 | 2715753 | 2373553 | 656497 | 648477 | 2439206 | 2943353 | 1735940 |
| | | 468177 | 441006 | 396716 | 309846 | 33792 | 2700 | 380486 | 56543 | 2089266 |
| 2. | स्टॉक का विकल्प | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | स्वेट इक्विटी | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | कमीशन - लाभ के प्रतिशत के रूप में | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | अन्य, कृपया स्पष्ट करें | 294123 | 263868 | 246447 | 242402 | 40764 | 20263 | 218023 | 240568 | 1566458 |
| | कुल(क) | 4119221 | 3507054 | 3358916 | 2925801 | 731053 | 671440 | 3037715 | 324046 | 21591664 |
| | अधिनियम के अनुसार | | | | | | | | | लागू नहीं |

* वर्ष के अंश के लिए



ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

| पारिश्रमिक का विवरण | निदेशक का नाम सर्वश्री/श्रीमती | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------|
| स्वतंत्र निदेशक | | | | | | | |
| | एस के बेरी* | एम जी रघुवीर* | बी पी राव* | सी बालकृष्णन* | एन पी गुप्ता* | एस ए भट्ट* | कुल (₹) |
| <ul style="list-style-type: none"> • बोर्ड के समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया स्पष्ट करें | 150000 | 240000 | 120000 | 150000 | 270000 | 100000 | 1030000 |
| कुल (1) | 150000 | 240000 | 120000 | 150000 | 270000 | 100000 | 1030000 |
| अन्य गैर कार्यकारी निदेशक - सरकारी नामित निदेशक | | | | | | | |
| | संजय प्रसाद | रजनीश कुमार | कुसुम सिंह | -- | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • बोर्ड के समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क • कमीशन • अन्य, कृपया स्पष्ट करें | शून्य | शून्य | शून्य | लागू नहीं | | | |
| कुल (2) | शून्य | शून्य | शून्य | -- | | | |
| कुल (ख)=(1+2) | 1030000 | | | | | | |
| कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक (क + ख) | 22621664 | | | | | | |
| अधिनियम के अनुसार उच्चतम | लागू नहीं | | | | | | |

* वर्ष के अंश के लिए

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

| क्रम सं.. | पारिश्रमिक का विवरण | मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक | | | |
|-----------|---|-------------------------|------------------------------|-----------|---------|
| | | सीईओ | कंपनी सचिव एम ई वी सेल्वम | सीएफओ | कुल (₹) |
| 1. | सकल वेतन | | | | |
| | (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार वेतन | लागू नहीं | 1322824 | लागू नहीं | 1322824 |
| | (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का मूल्य | लागू नहीं | 159944 | लागू नहीं | 159944 |
| | (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले पर लाभ | लागू नहीं | - | लागू नहीं | - |
| 2. | स्टॉक का विकल्प | - | - | - | - |
| 3. | स्वेट इक्विटी | - | - | - | - |
| 4. | कमीशन | - | - | - | |
| | - लाभ के प्रतिशत के रूप में | | | | |
| | - अन्य, स्पष्ट करें | | | | |
| 5. | अन्य, कृपया स्पष्ट करें | - | 126318 | - | 126318 |
| | कुल | - | 1609086 | - | 1609086 |

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

ह/-

बेंगलूरु

27.05.2016

पी.द्वारकानाथ

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. लेखांकन का आधार :

ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत लेखाओं को तैयार किया गया है तथा अन्यथा सूचितों को छोड़कर ये लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर, भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप है। जीएएपी में जहाँ तक संभव है, केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी(लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानक एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान शामिल हैं तथा इन्हें लगातार लागू किया गया है।

2. अनुमानों का उपयोग :

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में यह आवश्यकता है कि प्रबंध द्वारा अनुमान एवं प्राक्कलन की तैयारी की जाती है, जिससे परिसंपत्तियों एवं देयताओं की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरणों की तारीख पर अकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय की रिपोर्ट की गई राशि पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि सभी उपलब्ध जानकारी के साथ उचित एवं विवेकपूर्ण रूप में इस तरह के अनुमान तैयार किये जाने पर भी, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अंतर हो सकता है तथा ऐसे मतभेदों को उक्त अवधि में मान्यता दी गई है जिसमें पीरणाम का पता लगाया गया है।

3. स्थायी परिसम्पत्तियाँ :

अ. पूंजीकरण :

- क. स्थायी परिसंपत्ति के मूल्य लागत पर है।
- ख. स्थायी परिसम्पत्ति लागत में इसकी खरीद कीमत और परिसम्पत्तियों को छोड़कर उद्देशित उपयोगार्थ काम करने की स्थिति में लाने का किसी प्रकार का लागत शामिल है।
- ग. भूमि विकास पर हुए खर्च को पूंजीकृत किया गया है।
- घ. परिसम्पत्तियों की प्रमुख मरम्मत, पुनर्निर्माण, सुधार पर किए गए खर्च का पूंजीकरण सिर्फ तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर की गयी, जो प्रचलित परिसम्पत्तियों से भविष्य में पिछले मानक मूल्यांकन निष्पादन की तुलना में आगे हो (क्षमता में वृद्धि या जीवनकाल या

कार्यकुशलता या उत्पादकता)।

- ड. ₹ 5 लाख और उसके ऊपर के यूनिट मूल्यवाले जिग्स और फिक्सचरों को पूंजीकृत किया जाता है और ₹ 5 लाख से कम यूनिट मूल्यवाले जिग्स और फिक्सचरों को ग्रहण के वर्ष में बंद कर दिया जाता है।

आ. मूल्यहास

- (क) कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार कार्यशील जीवन की निर्धारित दरों (या प्रबंध की राय में जो कार्यशील जीवन की दर उचित हो) की सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्यहास प्रभारित है, जिसे पूंजीकरण महीने के अगले महीने से हिसाब में लाया जाता है। वर्तमान परिसम्पत्तियों के जोड़ या विस्तार पर मूल्यहास का प्रावधान किया गया है ताकि वर्तमान परिसम्पत्ति के अभिन्न अंग या परिसम्पत्ति के उपयोग जीवन काल पर स्वतंत्र रूप में उपयोगार्थ सक्षम हो जाने पर मूल सम्पत्ति के जीवन काल के साथ सह-समाप्त किया जा सके।
- (ख) संपत्ति जिसका यूनिट लागत ₹.5000/- से अधिक नहीं है, उनका मूल्यहास पूंजीकरण के वर्ष में 100% की दर से उपलब्ध कराया जाता है।
- (ग) पट्टाधृत भूमि की कीमत यथानुपात आधार पर पट्टे की अवधि में ऋण चुकाया जाता है।
- (घ) पूंजीकृत किया गया जिग्स और फिक्सचरों को तीन वर्ष की अवधि तक मूल्यहास किया जाता है।

इ. उधार लेने की लागत :

योग्य स्थाई परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण सीधे उधार लेने की लागत को संपत्ती की लागत का एक अंश स्वरूप पूंजीकृत किया गया है।

ई. परिसम्पत्तियों का अपक्षयन :

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर परिसम्पत्तियों के अपक्षयन पर मूल्य निर्धारण करती है। अपक्षयन पर हानियों, यदि हो तो, को तदनुसार खाते में दर्शाया गया है।



4. अमूर्त परिसंपत्तियाँ :

क) साफ्टवेयर :

आंतरिक उपयोग के लिए आंतरिक रूप से उत्पन्न/खरीदा गया साफ्टवेयर की लागत, जो संबंधित हार्डवेयर का समग्र भाग नहीं है, को अमूर्त परिसम्पत्ति स्वरूप मान्यता दी गई है तथा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर इसका परिशोधन सीधी पंक्ति प्रक्रिया के रूप में दस वर्षों के अंदर की अवधि में किया गया है। साफ्टवेयर, जो संबंधित हार्डवेयर का एक समग्र भाग है, को हार्डवेयर के साथ पूंजी में परिणत किया गया है।

ख) तकनीकी जानकारी:

तकनीकी जानकारी संबंधी खर्च को अमूर्त परिसम्पत्तियों के रूप में मान्यता दी गई है और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर इसका परिशोधन सीधी पंक्ति प्रक्रिया के रूप में दस वर्षों के अंदर की अवधि में किया गया है।

उपर्युक्त क्रम सं.(क) तथा (ख) के लिए परिसम्पत्तियों के उपयोग में न लाने के महीने के अगले महीने से परिशोधन प्रारंभ होगा।

5. माल सूची मूल्य निर्धारण :

- i) कच्चे माल, घटकों, भण्डार और स्पेयरों का लागत मूल्य, न्यून भारित औसत मूल्य या अनुमानित कुल वसूली का मूल्य, से लगाया गया है।
- ii) प्रगतिशील कार्य को सामग्री, श्रम और यथोचित ऊपरी खर्च के न्यून लागत को प्रमाणक क्षमता पर या अनुमानित उगाही मूल्य के आधार पर अथवा संतुलित निवल उगाही मूल्य पर आंका गया है।
- iii) तैयार माल का न्यून मूल्य अथवा अनुमानित निवल वसूलीय मूल्य पर लिया जाता है।
- iv) जब भी वास्तविक लागत उपलब्ध न हो, अनुमानित लागत को मान लिया जाता है।
- v) विशिष्ट शिनाख्त पर लिखे गए मूल्य के आधार से मूल्य में गिरावट के लिए लागत का समंजन किया जाता है। अप्रचलन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाती हैं।

vi) तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, तैयार माल के पुनर्वैधीकरण/पुनर्नवीनीकरण करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं।

vii) अनुमानित वसूलीय मूल्य पर रद्दी माल का मूल्यांकन किया गया है।

6. ग्राहकों से पेशगियाँ :

ग्राहकों से प्राप्त पेशगियाँ, जिसमें मांग पत्र/बिक्री संविदाओं से प्राप्त पेशगी/प्रगामी भुगतान शामिल है, ग्राहकों को उनके संविदा पत्र के अनुसार भेजने के बाद निवल समंजन के अंतर्गत ली जाती हैं।

7. बिक्री / अन्य आय :

(i) अनुबंध के शर्तों के अनुसार जोखिम और स्वामित्व ग्राहक को दिये जाने पर उत्पादों जैसे उपकरण, एग्रीगेट्स, एटेचमेंट, पुर्जे और सहायक उत्पादों आदि की बिक्री की मान्यता दी जाती है।

(ii) जटिल उपकरणों/प्रणालियों की आपूर्ति के ऐसे ठेके के मामलों में, जहाँ सामान्य चक्र समय और वितरण अवधि 12 महीने से अधिक होती है, और उपकरण/प्रणाली के मूल्य ₹25 करोड़ से अधिक होता है, 'प्रतिशत समापन विधि' पर राजस्व मान्यता को प्राप्त है, 'प्रतिशत समापन विधि' अनुबंध पर खर्च उत्पाद की अनुमानित कुल लागत रिपोर्टिंग तारीख के लिए वास्तविक लागत के अनुपात पर आधारित है।

इस तरह के एक अनुबंध का परिणाम केवल कुछ प्रगति प्राप्त करने के बाद ही अनुमान लगाया जा सकता है, राजस्व पर मज़बूती से केवल 25% तक प्रगति के लिए मान्यता प्राप्त है और उसके बाद राजस्व आनुपातिक आधार पर मान्यता प्राप्त है और ही लागत से अधिक राजस्व अधिशेष के 20% के लिए आकस्मित प्रावधान किया गया है, जबकि प्रत्याशित हानि को पूर्ण रूप में मान्यता दी जाती है।

(iii) जहाँ बिक्री मूल्य स्थापित नहीं होते, वहाँ वसूलीय संभावित मूल्यों पर अस्थायी रूप में बिक्री की मान्यता दी जाती है।

(iv) बिक्री में जहाँ कहीं लागू हो उत्पाद शुल्क शामिल है, मगर बिक्री कर शामिल नहीं है।

- (v) निर्यात पर शुल्क वापसी संबंधी दावों को प्रधानता देकर लेखाकृत किया गया है।
- (vi) ठेके में प्रदान किए गए वृद्धि सूत्र के अनुसार वृद्धि के दावों का पहचान किए जाते हैं। ठेके में यदि कोई वृद्धि का प्रावधान न किया गया हो तो, उसके लिए दावे ग्राहक की स्वीकृति पर मान्यता प्राप्त है।
- (vii) जहां ठेके में संस्थापन और कमीशनिंग के राजस्व को संस्थापन और कमीशनिंग में शामिल करने को मान्यता दी जाती है। संस्थापन और कमीशनिंग शुल्क अलग से निर्धारित नहीं जाने पर उत्पाद के लिए राजस्व मान्यता प्राप्त है, तथापि, इस तरह के संस्थापन और कमीशनिंग के तकनीकी रूप में अनुमानित लागत प्रदान की जाती है।

8. कर्मचारी हितलाभ:

- i) वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में बट्टारहित पर खर्च के स्तर में अल्पकालीन कर्मचारी हितलाभ को मान्यता दी गई है जो उनके द्वारा की गई सेवा से संबंधित है।
- ii) वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में खर्च के स्तर में नियोजित पद और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ को मान्यता दी गई है जो उनके द्वारा की गई-सेवा से सम्बंधित है। बीमांकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए निर्धारित की गई वर्तमान मूल्य की देय राशि पर खर्च को मान्यता दी गई है। नियोजित पद और अन्य दीर्घकालीन हितलाभ के प्रति बीमांकिक लाभ एवं हानियों के प्रभार लाभ एवं हानि लेखा में किया गया है।

9. विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए लेखांकन

- i) विदेशी मुद्रा सौदों को रुपयों में अभिलेखित किया गया है जो सौदों के समय विद्यमान विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के अनुसार लगाए गए या अग्रवर्ती संविदा दरों पर जहाँ कहीं भी लागू हो।
- ii) विदेशी मुद्रा सौदों से सम्बंधित चालू परिसम्पत्ति, चालू देयताएँ और दीर्घावधि देयताएँ जो लेखा रुपयों के आधार पर किया गया है जो तुलन पत्र या अग्रवर्ती संविदा दरों की तारीख से या बाकी शेष की तारीख से जो भी लागू है उस प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर है।

- iii) पुनर्नवीनीकरण/निपटान से हुए विदेशी दरों के अंतर को आय व्यय के रूप में लिया गया है।
- iv) मुद्रा ठेकों को आगे बढ़ाने के मामलों में, ठेका प्रारंभ करने पर उत्पन्न होनेवाली बीमा-क्रिस्त या छूट ठेका अंत होने तक को लेखा में लिया जाता है। इस प्रकार रिपोर्ट करने की अवधि में विनिमय दरों में बदली होने पर उस ठेके को लाभ एवं हानि के लेखे में मान्यता दी जाती है।

10. संविदागत दायित्व :

ग्राहकों को बेचे गए उपस्करों के प्रति वारंटी देयता संविदात्मक दायित्व के लिए वार्षिक तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निश्चित की जाती है।

11. अनुसंधान एवं विकास :

भारग्रहण वर्ष में अनुसंधान एवं विकास का खर्च प्रभार मुक्त है। नए उत्पादों के विकास पर खर्च को बिक्री के लिए इरादा रखने पर मालसूची के अंतर्गत लिया जाता है। जबकि यह बिक्री के लिए है। पूंजीकृत व्यय का परिशोधन सीधी पंक्ति प्रक्रिया के रूप में दस वर्षों के अंदर की अवधि के लिए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। परिशोधन परिसम्पत्ति का उपयोग किये जाने के महीने के अगले महीने से शुरू किया जाता है। अनुसंधान एवं विकास से सम्बंधित स्थायी परिसम्पत्ति का खर्च पूंजीकृत किया गया है।

12. पूर्व अवधि मद :

पूर्व अवधि समंजन वह समंजन है, जिसमें प्रत्येक मामले में ₹1 लाख से ऊपर समंजन की पूर्व अवधि समंजन के लिए है, जो पिछले वर्षों की छूट और गलतियों के सुधार से पैदा हुए हैं।

13. लागत का कम/अधिक समावेशन :

कार्य का कम या अधिक लागत का समंजन अगर कुल बिक्री के एक प्रतिशत से अधिक हो तो कम या अधिक की वसूली होगी।

14. आय पर कर

कर व्यय में वर्तमान कर एवं आस्थगित कर शामिल हैं।



आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारणीय लाभ की गणना के आधार पर वर्तमान कर के लिए प्रावधान सुनिश्चित किया जाता है। वित्तीय विवरणों में मदों की मान्यता देने तथा वर्तमान आय कर प्रावधान अनुमनित करने से उत्पन्न सर्वसमय अंतर पर आस्थगित कर मान्यता दी जाती है बशर्ते आस्थगित कर संपत्तियों के संबंध में विवेकपूर्ण विचार के अधीन है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर आस्थगित कर संपत्ति/देयता की आगे ले जानेवाली राशि की समीक्षा की जाती है।

15. पट्टागत संपत्तियाँ :

पट्टे के अधीन दी गई संपत्तियों से प्राप्य पट्टे किराया को लाभ व हानि लेखा में मान्यता दी गई है। प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को भारग्रण पर व्यय किया जाता है।

16. निवेश :

दीर्घावधि निवेश लागत पर लिए जाते हैं। स्थायी रूप से इस प्रकार के निवेशों के मूल्यों में गिरावट को मान्यता दी जाती है। चालू निवेशों, कम लागत और अच्छे मूल्य पर लिए जाते हैं।

17. प्रावधान, आकस्मिक देनदार और आकस्मिक संपत्तियाँ

प्रावधान की मान्यता तब दी जाती है, जब

– अतीत घटनाओं के परिणामस्वरूप में वर्तमान दायित्व पैदा हुआ है।

– यह संभव है कि विश्वसनीय अनुमान किए जाने की स्थिति पर संबंधित दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए संसाधनों की बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।

तुलन पत्र की तारीख पर दायित्वों को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा अनुमान के आधार पर प्रावधानों को निर्धारण करना आवश्यक है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और सबसे बेहतर वर्तमान अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं की मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन टिप्पणियों में प्रकट किए गए हैं।

आकस्मिक संपत्तियों की न तो मान्यता प्राप्त है और न ही वित्तीय विवरण में प्रकट किए गए हैं।

18. अन्य :

- i) विशेष औजार जिनका यूनिट मूल्य ₹.5000 से अधिक नहीं है, उनको ग्रहण वर्ष में बंदकर दिया जाता है और ₹.5000 से अधिक होने पर तीन वर्ष की अवधि तक ऋण चुकाया जाता है।
- ii) हस्त औजारों को जारी करते समय खर्च में दिखाया जाता है।
- iii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के व्यय को आस्थगित राजस्व व्यय को ग्रहण किया जाता है।

संलग्न हमारी समदिनांक रिपोर्ट का अवलोकन करें।

कृते मेसर्स एस.आर.आर.के.शर्मा एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण नं. 003790एस

सीए एच.आर.रामस्वामी

भागीदार

सदस्यता सं.207116

बेंगलूरु

27.05.2016

58

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

पी.द्वारकानाथ

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएन 02107805)

एम ई वी सेल्वम

कम्पनी सचिव





तुलन पत्र

(₹ लाखों में)

| विवरण | नोट सं. | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|--|---------|----------------------------|----------------------------|
| I. इक्विटी एवं देयताएँ | | | |
| 1. शेयरधारियों की निधि | | | |
| (क) शेयर पूंजी | 1 | 4,177.22 | 4,177.22 |
| (ख) आरक्षित और अधिशेष | 2 | 206,758.96 | 203,498.39 |
| उप-कुल | | 210,936.18 | 207,675.61 |
| (2) आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन रकम | | | |
| (3) अप्रचलित देयताएँ | | | |
| (क) दीर्घावधि उधार | 3 | 36,265.22 | 41,392.67 |
| (ख) अन्य दीर्घावधि देयताएँ | 4 | 36,399.19 | 31,697.48 |
| (ग) दीर्घावधि व्यवस्थाएं | 5 | 16,064.26 | 16,435.86 |
| उप-कुल | | 88,728.67 | 89,526.01 |
| (4) चालू देयताएँ | | | |
| (क) अल्पावधि उधार | 6 | 14,542.15 | 17,823.51 |
| (ख) अदा किये जानेवाले व्यापार | 7 | | |
| (अ) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम | | 1,396.92 | 3,277.65 |
| (आ) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से इतर | | 39,424.55 | 51,051.00 |
| (ग) अन्य चालू देयताएँ | 8 | 61,750.69 | 77,141.60 |
| (घ) अल्पावधि व्यवस्थाएं | 9 | 15,517.04 | 12,597.46 |
| उप-कुल | | 132,631.35 | 161,891.22 |
| कुल | | 432,296.20 | 459,092.84 |
| II. परिसम्पत्तियाँ | | | |
| (1) अप्रचलित परिसम्पत्तियाँ | | | |
| (क) स्थाई परिसम्पत्तियाँ | | | |
| (i) मूर्त परिसम्पत्तियाँ | 10 | 52,306.09 | 45,455.92 |
| (ii) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ | 10 | 1,715.58 | 1,415.24 |
| (iii) प्रगतिशील पूंजी कार्य | 11 | 5,883.43 | 14,994.98 |
| (iv) विकास के अधीन अमूर्त परिसम्पत्तियाँ | 11A | 4,504.95 | 4,174.86 |
| (ख) अप्रचलित निवेश | 12 | 257.64 | 257.64 |
| (ग) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (निवल) | 13 | 10,351.57 | 10,137.85 |
| (घ) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम | 14 | 22,816.30 | 23,391.01 |
| (च) अन्य अप्रचलित परिसम्पत्तियाँ | 15 | 434.05 | 406.92 |
| उप-कुल | | 98,269.61 | 100,234.42 |
| (2) वर्तमान परिसम्पत्तियाँ | | | |
| (क) चालू निवेश | 16 | 62.14 | 80.02 |
| (ख) मालसूचियाँ | 17 | 169,631.83 | 192,119.78 |
| (ग) प्राप्य व्यापार | 18 | 120,805.10 | 99,169.65 |
| (घ) नकद एवं नकद समान | 19 | 6,556.18 | 14,473.02 |
| (च) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम | 20 | 20,681.99 | 16,631.50 |
| (छ) अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियाँ | 21 | 16,289.35 | 36,384.45 |
| उप-कुल | | 334,026.59 | 358,858.42 |
| कुल | | 432,296.20 | 459,092.84 |

इसके साथ संलग्न टिप्पणी सं.1 से 31 तक और समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ वित्तीय विवरणों का एक अंश है।

संलग्न हमारी समादिनांक रिपोर्ट देखें

कृते मेसर्स एस.आर.आर.के.शर्मा एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण नं. 003790एस

सीए एच.आर.रामसामी

भागीदार

सदस्यता सं.207116

बेंगलूरु

27.05.2016

60

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

पी.द्वारकानाथ

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएन 02107805)

एम ई वी सेल्वम

कम्पनी सचिव

लाभ हानि लेखा विवरण

(₹ लाखों में)

| विवरण | नोट सं. | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|---|--------------|----------------------------|----------------------------|
| राजस्व : | | | |
| उत्पाद शुल्क सहित राजस्व | 22 | 328,743.91 | 299,916.82 |
| घटाएं : उत्पाद शुल्क(टिप्पणी सं. 22 (i§§) देखें) | | 30,371.88 | 18,997.75 |
| परिचालनों से राजस्व | | 298,372.03 | 280,919.07 |
| अन्य आय | 23 | 3,902.18 | 5,950.42 |
| कुल राजस्व | | 302,274.21 | 286,869.49 |
| खर्च : | | | |
| सामग्रियों की खपत | 24 | 147,673.25 | 137,335.86 |
| व्यापार माल की खरीद | 24A | 51.21 | 31.90 |
| निर्मित माल, प्रगतिशील कार्य तथा व्यापार में स्टॉक की मालसूचियों में परिवर्तन | 25 | 24,371.24 | 20,926.38 |
| कर्मचारी हितलाभ खर्च | 26 | 76,789.07 | 76,911.39 |
| वित्तीय लागत | 27 | 4,902.81 | 7,051.41 |
| मूल्यहास एवं परिशोधन खर्च | 10 | 5,321.38 | 5,213.76 |
| अन्य खर्च | 28 | 36,648.91 | 38,748.92 |
| | | 295,757.87 | 286,219.62 |
| कुल खर्च | | | |
| असामान्य एवं असाधारण पूर्वावधि मद एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि) | | 6,516.34 | 649.87 |
| जोड़ें/(घटायें) : असाधारण मद | 29 | - | 14.66 |
| पूर्वावधि समंजन के कर पूर्व लाभ/(हानि) | | 6,516.34 | 664.53 |
| जोड़ें/(घटायें) : पूर्वावधि समंजन | 30 | (89.11) | 26.62 |
| कर के पूर्व लाभ/(हानि) | | 6,427.23 | 691.15 |
| कर संबंधी खर्च | | | |
| (1) चालू कर (एमएटी) | | 1,375.49 | 148.10 |
| (2) आस्थगित कर | | (213.72) | (132.52) |
| (3) पिछले वर्ष के अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखा | | - | - |
| वर्ष के लिए लाभ/(हानि) | 31(A) | 5,265.46 | 675.57 |
| प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रति रुपये 10/-) | | | |
| मूल एवं कम किया हुआ | 31(A) | 12.64 | 1.62 |

इसके साथ संलग्न टिप्पणी सं.1 से 31 तक और समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ वित्तीय विवरणों का एक अंश है।

संलग्न हमारी समदिनांक रिपोर्ट देखें
कृते मेसर्स एस.आर.आर.के.शर्मा एसोसिएट्स
 सनदी लेखाकार
 फर्म पंजीकरण नं. 003790एस

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

पी.द्वारकानाथ
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 (डीआईएन 02107805)

सीए एच.आर.रामसामी
 भागीदार
 सदस्यता सं.207116

एम ई वी सेल्वम
 कम्पनी सचिव

बेंगलूरु
 27.05.2016



नक़दी प्रवाह विवरण

(₹ लाखों में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष | | यथा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष | |
|---|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|
| | उप वस्तु | प्रमुख वस्तु | उप वस्तु | प्रमुख वस्तु |
| क. परिचालन गतिविधियों से नक़दी प्रवाह | | | | |
| कर पूर्व निवल लाभ और असामान्य मद समंजन के लिए | | 6,427.23 | | 691.15 |
| मूल्यहास | 5,321.38 | | 5,213.76 | |
| विशेष औजारों का परिशोधन | 255.44 | | 209.52 | |
| नियत परिसम्पत्तियों के निपटान से हानि/(लाभ) | 14.08 | | (15.74) | |
| विदेशी मुद्र से हानि/(लाभ) | 94.01 | | (119.41) | |
| अप्रचलन के लिए प्रावधान | 555.45 | | 702.60 | |
| पट्टे खाते में डाले गये अप्राप्य ऋण | 384.95 | | 146.72 | |
| वित्तीय लागत | 4,902.81 | | 7,051.41 | |
| ब्याज आय | (749.92) | | (945.94) | |
| अन्य प्रावधान | 2,839.53 | 13,617.73 | 2,224.31 | 14,467.23 |
| कार्यकारी पूँजी में परिवर्तन आने से पहले संचालित लाभ/(हानि) | | 20,044.96 | | 15,158.38 |
| समंजन के लिए | | | | |
| मालसूचियाँ | 21,498.07 | | 23,821.76 | |
| व्यापार और अन्य अप्राप्य | (2,889.87) | | (740.21) | |
| अन्य चालू परिसंपत्तियाँ | (4,038.54) | | 1,950.69 | |
| देय व्यापार | (13,581.84) | | 15,768.80 | |
| अन्य देय | (11,115.17) | (10,127.35) | (2,404.18) | 38,396.86 |
| प्ररिचालित परिचालनों से नक़द प्रवाह (प्रदत्त)/वापसी प्रत्यक्ष कर | | 9,917.61 | | 53,555.24 |
| परिचालन गतिविधियों से/में प्रयुक्त निवल नक़द प्रवाह | | (1,500.27) | | 1,288.75 |
| | | 8,417.34 | | 54,843.99 |
| ख. परिचालन गतिविधियों से नक़द प्रवाह | | | | |
| स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद | (2,547.72) | | (4,097.02) | |
| अमूर्त स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद | (1,274.09) | | (483.44) | |
| मूर्त स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री | 117.30 | | 15.75 | |
| प्राप्त ब्याज | 757.20 | | 938.66 | |
| निवेश गतिविधियों से/में प्रयुक्त निवल नक़द प्रवाह | | (2,947.31) | | (3,626.05) |
| ग. वित्तीय गतिविधियों से नक़दी प्रवाह | | | | |
| ईसीबी और दीर्घावधि उधार से धनागम/(पुनर्भुगतान) और दीर्घावधि उधार | (3,144.45) | | (3,144.43) | |
| बांडों से/को धनागम/(पुनर्भुगतान) | (1,565.60) | | (1,565.61) | |
| असुरक्षित ऋण से/को धनागम/(पुनर्भुगतान) | (417.40) | | (417.40) | |
| इंटर कॉर्पोरेट ऋण से/को धनागम/(पुनर्भुगतान) | (3,281.36) | | (26,119.70) | |
| सुलभ ऋण से/को धनागम/(पुनर्भुगतान) | (4,476.84) | | (6,634.05) | |
| अल्पावधि ऋण से धनागम/(पुनर्भुगतान) | (501.22) | | (487.22) | |
| वित्तीय लागत | | | | |
| इक्विटी शेयरों पर प्रदत्त लाभांश एवं कर | | | | |
| वित्तीय गतिविधियों से/में प्रयुक्त निवल नक़द प्रवाह | | (13,386.87) | | (38,368.41) |
| नक़द एवं नक़द समतुल्यों की निवल वृद्धि/(कमी) | | (7,916.84) | | 12,849.53 |
| नक़द एवं नक़द समतुल्यों के अधिशेष | | 14,473.02 | | 1,623.49 |
| नक़द एवं नक़द समतुल्यों के इतिशेष | | 6,556.18 | | 14,473.02 |

संलग्न हमारी समदिनांक रिपोर्ट देखें

कृते मेसर्स एस.आर.आर.के.शर्मा एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण नं. 003790एस

सीए एच.आर.रामसामी

भागीदार

सदस्यता सं.207116

बेंगलूरु

27.05.2016

62

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

पी.द्वारकानाथ

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएन 02107805)

एम ई वी सेल्वम

कम्पनी सचिव

टिप्पणियाँ जो वित्तीय विवरणों का एक अंश हैं

वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची तख में निर्धारित कम्पनी के सामान्य परिचालन चक्र तथा अन्य निर्धारकों के अनुसार सभी परिसंपत्तियों तथा देयताओं को चालू तथा गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति तथा परिसंपत्तियों के अभिग्रहण के प्रोसोसिंग तथा उसके नकद या नकद समतुल्य के रूप में वसूलीकरण के बीच के समय के आधार पर कंपनी ने परिसंपत्तियों तथा देयताओं के चालू-गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए अपने परिचालन चक्र को 12 महीनों के रूप में निश्चित किया है। जहाँ कहीं अपेक्षित है, आंकड़ों का ग्रीपिंग एवं रीग्रीपिंग किया गया है।

टिप्पणी 1 : शेयर पूंजी

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | | 31 मार्च 2015 पर | |
|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| प्राधिकृत: | | | | |
| प्रति शेयर ₹ 10/- के इक्विटी शेयर | 100000000 | 10,000.00 | 100000000 | 10,000.00 |
| निर्गत : | | | | |
| प्रति शेयर ₹ 10/- के इक्विटी शेयर | 41900000 | 4,190.00 | 41900000 | 4,190.00 |
| अभिदत्त : | | | | |
| प्रति शेयर ₹ 10/- के इक्विटी शेयर | 41644500 | 4,164.45 | 41644500 | 4,164.45 |
| प्रदत्त : | | | | |
| प्रति शेयर ₹ 10/- के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त | 41644500 | 4,164.45 | 41644500 | 4,164.45 |
| अपवर्तित शेयर (मूलतः प्रदत्त राशि): | | | | |
| प्रति शेयर ₹ 5/- के इक्विटी शेयर प्रदत्त | 255500 | 12.77 | 255500 | 12.77 |
| कुल | | 4,177.22 | | 4,177.22 |

इक्विटी शेयरों से जुड़ी हुई शर्तें/निबंधने

कंपनी के पास प्रतिशेयर ₹ 10/- अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर वर्ग ही है। इक्विटी शेयर के प्रत्येक शेयरधारी को प्रति शेयर को एक वोट करने के अधिकार है। लाभांश का भुगतान भारतीय रुपए में किया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा सिफारिश लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर है। कंपनी के द्रवीकरण के संदर्भ में, प्रत्येक शेयरधारी को सभी अग्रता शेयरों की राशि में वितरण के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने का अधिकार होगा। शेयरधारियों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में इसका वितरण किया जाएगा।

| 5 सालों के लिए प्रकटीकरण अपेक्षाएं | शेयरों की संख्या | | | | |
|---|------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 |
| बिना नकद भुगतान के ठेके के विरुद्ध पूर्ण रूप में प्रदत्त स्वरूप आबंटित शेयर | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| बोनस शेयर के रूप में प्रदत्त स्वरूप आबंटित शेयर | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| पूर्ण खरीद शेयर | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया शेयरों का मिलान:

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | | 31 मार्च 2015 पर | |
|--|------------------|----------|------------------|----------|
| | शेयरों की संख्या | राशि | शेयरों की संख्या | राशि |
| प्रारंभिक तारीख पर बकाया | 41,644,500 | 4,164.45 | 41,644,500 | 4,164.45 |
| जोड़ : अवधि के दौरान निर्गत | - | - | - | - |
| घटाएँ: अवधि के दौरान पुनर्खरीदी (यदि हो) | - | - | - | - |
| अंतिम तारीख पर बकाया | 41,644,500 | 4,164.45 | 41,644,500 | 4,164.45 |



| 5% या उससे अधिक धारित शेयरधारी के इक्विटी शेयर | 31 मार्च 2016 पर | | 31 मार्च 2015 पर | |
|--|------------------|------------|------------------|------------|
| | शेयरों की संख्या | होल्डिंग % | शेयरों की संख्या | होल्डिंग % |
| भारत के राष्ट्रपति | 22,500,000 | 54.03 | 22,500,000 | 54.03 |
| रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी को.लिमिटेड | 3,912,949 | 9.40 | 2,968,702 | 7.12 |
| भारतीय जीवन बीमा निगम | 1,245,235 | 2.99 | 2,764,061 | 6.63 |

सहायक कंपनियों के पास कंपनी के कोई शेयर नहीं होते। कंपनी के पास किसी भी होल्डिंग कंपनी नहीं है। शेयरों/विनिवेश की बिक्री के लिए विकल्प और अनुबंध/प्रतिबद्धताओं के तहत जारी के लिए कंपनी के कोई शेयर आरक्षित नहीं हैं।

टिप्पणी सं. 2 आरक्षित एवं अधिशेष

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|--|-------------------|-------------------|
| पूँजी आरक्षित | | |
| अधिशेष | 105.66 | 105.66 |
| वर्ष के दौरान जमा | - | - |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ | - | - |
| इतिशेष | 105.66 | 105.66 |
| नोनिमारा उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए आरक्षित | | |
| अधिशेष | 1.44 | 1.44 |
| वर्ष के दौरान जमा | - | - |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ | - | - |
| इतिशेष | 1.44 | 1.44 |
| समेकन पर पूँजी आरक्षित | | |
| अधिशेष | 61,204.07 | 61,204.07 |
| वर्ष के दौरान जमा | - | - |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ | - | - |
| इतिशेष | 61,204.07 | 61,204.07 |
| पूँजी प्रतिदेय आरक्षित | | |
| अधिशेष | 1,143.37 | 467.80 |
| वर्ष के दौरान जमा | 3,260.57 | 675.57 |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ | - | - |
| इतिशेष | 4,403.94 | 1,143.37 |
| सामान्य आरक्षित | | |
| अधिशेष | 119,033.62 | 119,033.62 |
| वर्ष के दौरान जमा | - | - |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ | - | - |
| इतिशेष | 119,033.62 | 119,033.62 |
| लाभ व हानि लेखों में शेष | | |
| अधिशेष | 22,010.23 | 22,994.12 |
| दि.01.04.2014 के अनुसार शून्य उपयोगी जीवन सहित परिसंपत्तियों की राशि को ले जाने का समायोजन | - | (482.67) |
| वर्ष के दौरान जमा/(घटाव) | 5,265.46 | 675.57 |
| घटाएँ: विनियोजन | | |
| - डिबेंचर प्रतिदेय आरक्षित को अंतरण | 3,260.57 | 675.57 |
| - प्रस्तावित लाभांश | 1,665.78 | 416.45 |
| - लाभांश पर कर | 339.11 | 84.77 |
| - सामान्य आरक्षित को अंतरण | - | - |
| इतिशेष | 22,010.23 | 22,010.23 |
| कुल | 206,758.96 | 203,498.39 |

टिप्पणी सं. 3 दीर्घकालीन उधार

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | | 31 मार्च 2015 पर | |
|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | गैर-चालू | चालू | गैर-चालू | चालू |
| आवधिक ऋण | | | | |
| बैंकों से ऋण सुरक्षित | | | | |
| i. स्टेट बैंक ऑफ द्रावन्कूर से, मशीनरी, कलपुर्जे, उपकरण, वर्तमान तथा भविष्य के सामान (प्रसियाँ और मौजूदा संपत्तियाँ को छोड़कर) एवं पालक्काड कॉम्प्लेक्स में अचल संपत्ति का साम्यिक बंधक सहित सभी चल संपत्तियाँ के दृष्टिबंधक का माध्यम से प्रथम प्रभार पर सुरक्षित. ब्याज की दर 10.20% | 733.60 | 494.25 | 1,228.05 | 494.25 |
| ii. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से, बीईएमएल आवासीय टाउनशिप भूमि और उसके भवन (बेंगलूर कॉम्प्लेक्स) के 61 एकड़ और 37 गुंटा विशेष प्रथम प्रभार पर सुरक्षित ब्याज की दर 9.14% | - | 2,650.00 | 2,650.00 | 2,650.00 |
| iii. सुरक्षित प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर, बीईएमएल आवासीय टाउनशिप भूमि और उसके भवन (बेंगलूर कॉम्प्लेक्स) के 46 एकड़ और 28 गुंटा विशेष प्रथम प्रभार पर सुरक्षित ब्याज की दर 9.24% | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - |
| अन्य पार्टियों से असुरक्षित | | | | |
| I. कंपनी के कार्पोरेट गारंटी के खिलाफ इंटर कार्पोरेट ऋण (कोल इण्डिया से) | 4,696.82 | 1,565.60 | 6,262.42 | 1,565.60 |
| ii. सुलभ ऋण-केरल सरकार से ब्याजमुक्त ऋण | 834.80 | 417.40 | 1,252.20 | 417.40 |
| कुल | 36,265.22 | 5,127.25 | 41,392.67 | 5,127.25 |

बैंकों से ऋण अवधि की परिपक्वता पैटर्न :

(₹ लाखों में)

| बैंक का नाम | परिपक्वता पैटर्न | | | |
|--------------------------|------------------|---------|---------|---------|
| | ब्याज की दर | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
| स्टेट बैंक ऑफ द्रावन्कूर | 10.20% | 494.25 | 494.25 | 239.35 |
| स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक | 9.14% | 2650.00 | - | - |

सुरक्षित प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर की परिपक्वता पैटर्न:

(₹ लाखों में)

| कूपन दर | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|----------|----------|----------|
| प्रतिवर्ष 9.24% - प्रतिवर्ष 18 मई और 18 नवंबर को अर्ध वार्षिक रूप में देय | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |

असुरक्षित इंटर कार्पोरेट ऋण की परिपक्वता पैटर्न:

(₹ लाखों में)

| ब्याज की दर | ब्याज की दर | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| बैंक दर और 3.50% वर्तमान में 12.25% | 11.25% | 1565.60 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.60 |

सुलभ ऋण की परिपक्वता पैटर्न- केरल सरकार से ब्याजमुक्त ऋण :

(₹ लाखों में)

| ब्याज की दर | ब्याज की दर | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|--|-------------|---------|---------|---------|
| सुलभ ऋण-ब्याजमुक्त ऋण, 5 वर्षों में 10 समान किश्तों में प्रतिदेय | 0.00% | 417.40 | 417.40 | 417.40 |



टिप्पणी सं. 4 अन्य दीर्घकालीन-देयताएं

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|----------------------|------------------|------------------|
| प्राप्त अग्रिम | 36,260.23 | 31,643.62 |
| कर्मचारी संबंधित | 13.58 | 0.19 |
| प्राप्त जमा और ईएमडी | 125.38 | 53.67 |
| कुल | 36,399.19 | 31,697.48 |

टिप्पणी सं. 5 दीर्घकालीन प्रावधान

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|---|------------------|------------------|
| कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान | | |
| छुट्टी वेतन के लिए | 12,437.96 | 13,426.73 |
| सेवानिवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा योजना के लिए | 2,841.01 | 1,973.17 |
| अन्य प्रावधान | | |
| वारंटी के लिए | 173.00 | 135.00 |
| असमाप्त दायित्व के लिए | 612.29 | 900.96 |
| कुल | 16,064.26 | 16,435.86 |

टिप्पणी सं. 6 अल्पावधि उधार

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|--|------------------|------------------|
| बैंकों से मांग पर प्रतिदेय | | |
| सुरक्षित | | |
| नकद ऋण और अल्पावधि ऋण (मालसूची, प्राप्य बिल, बुक ऋण तथा वर्तमान और भविष्य दोनों सभी चल संपत्तियों के दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम प्रभार पर सुरक्षित) | 14,542.15 | 17,823.51 |
| असुरक्षित | - | - |
| कुल | 14,542.15 | 17,823.51 |

टिप्पणी सं. 7 प्रदत्त व्यापार

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|--|------------------|------------------|
| सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया देय | 1,396.92 | 3,277.65 |
| सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के इतर लेनदारों के कुल बकाया देय | 39,424.55 | 51,051.00 |
| कुल | 40,821.47 | 54,328.65 |

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई)

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की सूचनाएँ उन विक्रेताओं को मात्र कुल हद तक प्रकट की गई, जो उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के आधार पर कंपनी द्वारा पहचाने गये हैं। कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|---|------------------|------------------|
| देय राशि एवं वर्ष के अंत तक प्रदत्त | | |
| - मूलधन | 562.36 | 976.42 |
| - उक्त मूलधन पर ब्याज | 51.13 | 23.10 |
| वर्ष के दौरान नियत दिन से परे प्रदत्त भुगतान | | |
| - मूलधन | 8,235.12 | 7,799.40 |
| - ब्याज | - | - |
| ब्याज और पहले ही प्रदत्त मूलधन के लिए देय | 398.51 | 417.08 |
| वर्ष के अंत तक अप्रदत्त एवं अर्जित ब्याज | 449.64 | 440.18 |
| देय ब्याज ओर आगामी वर्षों में भी देय है, जिसे एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत घटाया व्यय के रूप में अस्वीकारने के लिए वास्तविक रूप में लघु उद्यमों को ब्याज देने की अवधि तक हो। | 112.40 | 243.08 |

टिप्पणी सं. 8 अन्य चालू देयताएं

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|---|------------------|------------------|
| दीर्घकालीन ऋण की चालू परिपक्वताएँ (टिप्पणी सं. 3 देखें) | 5,127.25 | 5,127.25 |
| अर्जित ब्याज लेकिन उधार पर देय नहीं | 1,131.68 | 1,119.86 |
| अर्जित ब्याज लेकिन उधार पर देय | - | 35.49 |
| लावारिस लाभांश | 37.59 | 42.53 |
| अन्य देय | | |
| क. कर्मचारी से संबंधित देय राशि | 2,182.65 | 1,592.40 |
| ख. वैधानिक बकाया राशि | 4,346.17 | 6,010.09 |
| ग. प्राप्त जमा एवं ईएमडी | 1,025.93 | 761.56 |
| घ. एफजीआई/अन्य पर ईडी प्रावधान | 6,914.80 | 9,162.27 |
| ङ अन्य देय | 7,089.08 | 7,334.93 |
| च. अग्रिम एवं जमा | 33,895.54 | 45,955.22 |
| कुल | 61,750.69 | 77,141.60 |

टिप्पणी सं. 9 अल्पावधि-प्रावधान

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|---|------------------|------------------|
| कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान | | |
| उपदान के लिए | - | 1,219.78 |
| छुट्टी वेतन के लिए | 3,248.43 | 1,639.60 |
| कार्यनिष्पादन से संबंधित वेतन के लिए | 570.00 | 370.00 |
| सेवानिवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा योजना के लिए | 1,413.07 | 277.19 |
| अधिकारियों के पेन्शन के लिए | 1,171.86 | 674.14 |
| प्रावधान- अन्य | | |
| प्रस्तावित लाभांश | 1,665.78 | 416.45 |
| लाभांश पर कर | 339.11 | 84.77 |
| लंबित कानूनी मामलों के लिए | 37.37 | 346.20 |
| वारंटी के लिए | 6,312.20 | 6,070.36 |
| असमाप्त दायित्वों के लिए | 759.22 | 1,498.97 |
| कुल | 15,517.04 | 12,597.46 |



प्रावधानों में प्रचलन (दीर्घावधि एवं अल्पावधि)

(₹ लाखों में)

| विवरण | 01.04.2015 पर | जमा | उपयोगिता | विपर्यय | 31.03.2016 पर | |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | | दीर्घकालीन | अल्पावधि |
| उपदान | 1,219.78 | 786.07 | 2,219.78 | - | - | ★ (213.93) |
| छुट्टी वेतन | 15,066.33 | 4,609.43 | 3,989.37 | - | 12,437.96 | 3,248.43 |
| सेवानिवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा योजना | 2,250.36 | 2,184.61 | 180.89 | - | 2,841.01 | 1,413.07 |
| कार्य निष्पादन से संबंधित वेतन | 370.00 | 200.00 | - | - | - | 570.00 |
| अधिकारियों के पेन्शन | 674.14 | 1,171.86 | 659.47 | 14.67 | - | 1,171.86 |
| लंबित कानूनी मामले | 346.20 | 8.24 | 307.27 | 9.80 | - | 37.37 |
| वारंटी | 6,205.36 | 6,426.49 | 5,704.57 | 442.08 | 173.00 | 6,312.20 |
| असमाप्त दायित्व | 2,399.93 | 470.56 | 691.01 | 807.97 | 612.29 | 759.22 |
| कुल | 28,532.10 | 15,857.26 | 13,752.36 | 1,274.52 | 16,064.26 | 13,298.22 |

★ कंपनी ने उपदान के विरुद्ध दायित्व से ₹ 213.93लाख अधिक निधियन किया और इस राशि को पूर्व प्रदत्त व्यय एवं अन्य अग्रिम (टिप्पणी 20) के शीर्ष के अधीन शामिल किया गया।

टिप्पणी सं. 10 समेकित स्थाई परिसंपत्तियाँ

(₹ लाखों में)

| विवरण | सकल ब्लाक | | | | मूल्यहास | | | | निवल ब्लाक | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.04.2015 | वर्ष के दौरान | कमी/पुनर्वर्गीकरण और समंजन | 31.03.2016 | 01.04.2015 | वर्ष के लिए | बनाई रखी कमाई के विरुद्ध समाधान | कमी/पुनर्वर्गीकरण और समंजन | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 31.03.2015 |
| | पर | वृद्धि | वर्ष के दौरान | पर | पर | | वर्ष के दौरान | वर्ष के दौरान | पर | पर | पर |
| मूर्त आस्तियाँ | | | | | | | | | | | |
| भूमि | | | | | | | | | | | |
| मुफ्त | 1,288.91 | 3.79 | (7.01) | 1,285.69 | - | - | - | - | - | 1,285.69 | 1,288.91 |
| पट्टे पर | 8,347.82 | - | (87.89) | 8,259.93 | 220.78 | 32.38 | - | - | 253.16 | 8,006.77 | 8,127.04 |
| | | | | | | | | | - | - | |
| सड़कें और नालियाँ | 2,617.77 | 9.07 | (0.01) | 2,626.83 | 1,110.75 | 255.31 | - | 104.31 | 1,470.37 | 1,156.46 | 1,507.02 |
| जलापूर्ति संस्थापन | 684.51 | 4.09 | (35.14) | 653.46 | 416.58 | 19.30 | - | (29.71) | 406.17 | 247.29 | 267.93 |
| भवन | 21,214.46 | 1,720.41 | 165.80 | 23,100.67 | 8,025.54 | 778.59 | - | 1.61 | 8,805.74 | 14,294.93 | 13,188.92 |
| रेलवे साइडिंग्स | 929.22 | 368.53 | - | 1,297.75 | 428.52 | 109.31 | - | - | 537.83 | 759.92 | 500.70 |
| संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण | 66,714.85 | 8,334.09 | (780.16) | 74,268.78 | 49,408.53 | 2,531.08 | - | (789.32) | 51,150.29 | 23,118.49 | 17,306.32 |
| विद्युत संस्थापन | 4,402.37 | 542.74 | 59.49 | 5,004.60 | 3,310.72 | 173.95 | - | 57.78 | 3,542.45 | 1,462.15 | 1,091.65 |
| फर्नीचर एवं फिक्सर्स | 1,705.74 | 37.77 | (1.11) | 1,742.40 | 1,300.33 | 110.63 | - | (2.00) | 1,408.96 | 333.44 | 405.41 |
| वाहन | | | | | | | | | | | |
| पट्टे पर दिया हुआ | 487.17 | 282.84 | (53.49) | 716.52 | 251.12 | 96.07 | - | (34.07) | 313.12 | 403.40 | 236.05 |
| स्वयं उपयोग | 2,299.69 | 1.04 | (222.99) | 2,077.74 | 1,519.59 | 172.76 | - | (132.13) | 1,560.22 | 517.52 | 780.10 |
| कार्यालय उपकरण | 591.12 | 16.88 | 95.76 | 703.76 | 544.74 | 24.33 | - | 73.97 | 643.04 | 60.72 | 46.38 |
| जिम्स एवं फिक्सर्स | 2,194.81 | 131.01 | (17.67) | 2,308.15 | 1,676.95 | 272.10 | - | (3.87) | 1,945.18 | 362.97 | 517.86 |
| कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग यूनिट | 4,769.56 | 207.01 | 550.92 | 5,527.49 | 4,577.93 | 94.91 | - | 558.31 | 5,231.15 | 296.34 | 191.63 |
| कुल मूर्त आस्तियाँ | 118,248.00 | 11,659.27 | (333.50) | 129,573.77 | 72,792.08 | 4,670.72 | - | (195.12) | 77,267.68 | 52,306.09 | 45,455.92 |
| पिछले वर्ष | 115,786.06 | 2,569.60 | (107.66) | 118,248.00 | 68,010.69 | 4,472.83 | 482.67 | (174.11) | 72,792.08 | 45,455.92 | 47,775.37 |

(₹ लाखों में)

| विवरण | सकल ब्लाक | | | | मूल्यहास | | | | निवल ब्लाक | | | |
|--|-------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|--|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | 01.04.2015 | वर्ष के दौरान | कमी/ पुनर्वर्गीकरण और समंजन | 31.03.2016 | 01.04.2015 | वर्ष के लिए | बनाई रखी कमाई के विरुद्ध समायोजन | कमी/ पुनर्वर्गीकरण और समंजन | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 31.03.2015 | |
| | पर | वृद्धि | वर्ष के दौरान | पर | पर | | वर्ष के दौरान | वर्ष के दौरान | पर | पर | पर | |
| अमूर्त आस्तियाँ | | | | | | | | | | | | |
| कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | 1,441.80 | 944.00 | (0.01) | 2,385.79 | 1,143.92 | 161.16 | - | 0.01 | 1,305.09 | 1,080.70 | 297.88 | |
| तकनीकी जानकारी | 2,937.03 | - | - | 2,937.03 | 1,819.67 | 489.50 | - | (0.01) | 2,309.16 | 627.87 | 1,117.36 | |
| भूमि के विरुद्ध टीडीआर | - | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | - | - | 7.01 | - | |
| कुल अमूर्त आस्तियाँ | 4,378.83 | 944.00 | 7.00 | 5,329.83 | 2,963.59 | 650.66 | - | - | 3,614.25 | 1,715.58 | 1,415.24 | |
| पिछले वर्ष | 4,276.36 | 62.31 | 40.16 | 4,378.83 | 2,182.11 | 740.93 | - | 40.55 | 2,963.59 | 1,415.24 | 2,094.25 | |
| कुल मूर्त व अमूर्त आस्तियाँ चालू वर्ष | 122,626.83 | 12,603.27 | (326.50) | 134,903.60 | 75,755.67 | 5,321.38 | - | (195.12) | 80,881.93 | 54,021.67 | 46,871.16 | |
| कुल मूर्त व अमूर्त आस्तियाँ पिछले वर्ष | 120,062.42 | 2,631.91 | (67.50) | 122,626.83 | 70,192.80 | 5,213.76 | 482.67 | (133.56) | 75,755.67 | 46,871.16 | 49,869.62 | |

क. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची खख के अधीन निर्धारित कार्यशील जीवन निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में मूल्यहास की गणना के लिए कंपनी द्वारा कार्यशील जीवन का पालन किया जाता है। जिग्स और फिक्सर्स के लिए तोड फोड के शामिल एवं तीव्र दर की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए कमी कार्यशील जीवन का पालन किया जाता है।

- ₹ 5000 से कम लागतवाले व्यक्तिगत परिसंपत्तियाँ – कार्यशील जीवन 1 वर्ष
- ₹ 5.00 लाख से अधिक पूंजीकृत जिग्स और फिक्सर्स – कार्यशील जीवन 3 वर्ष

ख. लेखांकन मानक 19 (पट्टे पर लेना)

- पट्टे पर लिये गये कार्यालय परिसर :

अपने कार्यालय परिसर के पट्टे के विपणन में पट्टे संचालन के विषय में कम्पनी के महत्वपूर्ण पट्टे पर लेने की व्यवस्थाएँ हैं। उन पट्टे पर लेने की व्यवस्थाएँ, जो रद्द नहीं की जा सकती, सामान्य रूप से 5 वर्षों के लिए हैं और आपसी सहमती से अवधि बढ़ाई जा सकती है। टिप्पण सं.28 में किराये के अंतर्गत पट्टे पर दिए गए किराये का पूर्णयोग प्रकट किया गया है।

- रद्द न किए जाने के आधार पर पट्टे पर कार

| | | |
|-------|--|-------------------------------------|
| I. क) | कुल चलाई गई राशि | ₹716.52 लाख(पिछले वर्ष ₹487.17 लाख) |
| ख) | संचित मूल्यहास | ₹313.12 लाख(पिछले वर्ष ₹251.12 लाख) |
| ग) | संचित हानिकारक हानियाँ | ₹. शून्य |
| घ) | (i) लाभ एवं हानि लेखे में मान्य मूल्यहास | ₹96.07 लाख (पिछले वर्ष ₹69.07 लाख) |
| | (ii) लाभ एवं हानि लेखे में पहचानी गयी क्षति हानिकारक हानियाँ | ₹. शून्य(पिछले वर्ष ₹ शून्य) |
| | (iii) लाभ एवं हानि लेखे में प्रवर्तित क्षति हानिकारक हानियाँ | ₹. शून्य(पिछले वर्ष ₹ शून्य) |
| II. | भविष्य में न्यूनतम पट्टे की अदायगी गैर मंसूखी संचलित हानियाँ- पट्टे पर लिए कार | |
| (i) | एक वर्ष के बाद का | ₹47.24 लाख(पिछले वर्ष ₹53.73 लाख) |
| (ii) | एक वर्ष के बाद मगर पाँच वर्ष से कम | ₹177.76 लाख(पिछले वर्ष ₹162.76 लाख) |
| (iii) | पाँच वर्ष से बाद | ₹155.57 लाख(पिछले वर्ष ₹49.52लाख) |
| III. | लाभ एवं हानि लेखा में आय के रूप में मान्य कुल किराया | ₹64.86 लाख(पिछले वर्ष ₹45.88 लाख) |



ग. स्वयं के वाहनों के सकल मूल्य में परीक्षण के लिए ग्राहकों को लागत रहित एवं प्रतिबद्धतारहित (एनसीएनसी) के आधार पर दिये उपकरण भी शामिल है - ₹ 132.05 लाख (डब्ल्यूडीवी - ₹ 58.62 लाख) (पिछले वर्ष-सकल ब्लॉक ₹ 763.68 लाख (डब्ल्यूडीवी - ₹ 110.96 लाख))

घ. स्थाई परिसंपत्तियाँ

- i) भवन में मुंबई और रांची में ₹33.00 लाख (पिछले वर्ष ₹33.00 लाख) मूल्यवाले इमारत की लागत शामिल है, जिसका पंजीकरण/खाता हस्तांतरण लंबित है।
- ii) कंपनी ने दि.05.05.2004 के पट्टे के समझौते के अनुसार दि.28.04.2004 से प्रभाव देकर प्रारंभिक रूप में 10 वर्षों की अवधि के लिए भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड से (बीआईएफआर द्वारा समापन का आदेश के तहत कंपनी) 1109 एकड़ का भूमि तथा दो कर्मशालाओं को लिया है और इसके लिए गैर-वापसी जमा स्वरूप ₹ 100 लाख अदा की गयी है (ऋण एवं अग्रिम (टिप्पणी सं.14) में शामिल है।) पट्टे के समझौते की शर्तों के अनुसार, इस जमा को इस संपत्ति के लिए स्वामित्व अंतरण/आउटराइट बिक्री नियत किया जाएगा तथा पट्टेदार को अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के हित में नए भवन के निर्माण करने/मौजूदा इमारत में परिवर्तन करने/सड़क बनाने/फेन्स लगाने का अधिकार होगा और पट्टे की समाप्ति पर पट्टेदाता को संपत्ति को वापस सौंपने की तारीख पर प्रचलित मूल्य के आधार पर विचार करते हुए संपत्ति को वापस सौंपा जाएगा। इस भूमि पर कंपनी को भवनों के निर्माण पर ₹1452.95 लाख (डब्ल्यूडीवी - ₹1093.18 लाख) ((पिछले वर्ष ₹1452.95 लाख) (डब्ल्यूडीवी - ₹1141.93 लाख)) की राशि की खर्च हुई, जिसे वर्ष के अंत के लिए स्थाई परिसंपत्तियों (टिप्पणी सं.10) के तहत सम्मिलित किया गया।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दि.09.07.2013 के आदेश द्वारा बीजीएमएल के सार्वभौमिक निविदा आमंत्रित करने के विषय पर केन्द्र सरकार के निर्णय का समर्थन करते हुए दि.28.04.2014 को समाप्त हो रहे बीईएमएल लिमिटेड द्वारा पट्टे पर लिया गया भूमि के अंश को ध्यान में रखते हुए निविदा दस्तावेज़ में उल्लेख किया जाए। कंपनी ने भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक वादकालीन याचिका दायर की, जिसमें सार्वभौमिक निविदा के दायरे से बीईएमएल द्वारा पट्टे पर लिया गया भूमि के बहिष्कार करने की प्रार्थना की गयी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इस संबंध में दि.28.04.2014 को बट्टे की अवधि की समाप्ति होने के बाद भी कंपनी/सरकार के अंतिम निर्णय तक पट्टा जारी रखने का प्रावधान पट्टा करार में दिये जाने के कारण कंपनी के प्रचालन उक्त भूमि पर जारी रखा गया है। निविदा प्रक्रिया के परिणाम के आधार पर उचित लेखा कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

- iii) पट्टे पर लिए गए भूमि में पट्टा प्रीमियम ₹ 2547.21 लाख (सेवा कर रहित) (पिछले वर्ष ₹ 2547.21 लाख) पर दि.01.07.2009 से प्रभाव देकर 99 वर्षों की पट्टा अवधि सहित 374.59 एकड़ का केरल औद्योगिक अंतःसंरचना विकास निगम द्वारा आबंटित पट्टे का भूमि शामिल है। वास्तव में केरल औद्योगिक अंतःसंरचना विकास निगम द्वारा सौंपा गया भूमि का क्षेत्र 374.16 एकड़ है और प्रदत्त संशोधित पट्टा प्रीमियम ₹ 2544.29 लाख है। केरल औद्योगिक अंतःसंरचना विकास निगम द्वारा पट्टा करार में आवश्यक संशोधन करने के बाद वित्तीय विवरणों में समायोजन किया जाएगा।
- iv) पट्टे पर भूमि में केआईएडीबी (बेंगलूर एयरोस्पेस, एसईजेट पार्क) से ₹ 5126.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 5126.00 लाख) पर सदा की लीज पर लिया 101175.92 वर्ग मीटर की भूमि भी शामिल है।
- v) मुफ्त भूमि में ₹ 129.41 लाख लागत का हैदराबाद भूमि शामिल है, जिसका पंजीकरण शुरुआत के विकास होने के बाद पूरा किया जाएगा।
- vi) तकनीकी तौर पर मूल्यांकित संपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य इन संपत्तियों के अनुरक्षण लागत से अधिक होने पर संपत्तियों की हानि के लिए आवश्यक मानकर कोई प्रावधान नहीं किया गया।
- vii) मुफ्त भूमि में मैसूर स्थित 555.37 एकड़ भूमि, जिसका लागत ₹321.23 लाख शामिल है (केआईएडीबी द्वारा मांगे गये अतिरिक्त मुआवजा ₹183.57 लाख सम्मिलित है), जिसके लिए शीर्षक प्रलेख केआईएडीबी से प्राप्त होना है। केआईएडीबी के मांग के अनुसार, 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए ₹486.60 लाख (पिछले वर्ष ₹ 464.12 लाख) का ब्याज का प्रावधान किया गया। हालांकि ब्याज से छूट देने के लिए मामले को केआईएडीबी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो केआईएडीबी में लंबित है। ब्याज और अतिरिक्त मुआवजा के लिए देयता सृजित की गई।

केआईएडीबी के साथ मामले का निपटान किए जाने के बाद पंजीकरण किया जाएगा।

viii) मुफ्त रूप में प्राप्त 3.647 एकड़ भूमि को टीडीआर ₹4.58 लाख (लागत पर) के विरुद्ध बीबीएमपी को वापस किया गया। मुफ्त रूप में प्राप्त 1.937 एकड़ भूमि को बीबीएमपी को वापस किया गया, जिसके लिए टीडीआर ₹2.43 लाख (लागत पर) अभी तक प्राप्य है। उपर्युक्त टीडीआर को आगे निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा।

ix) निम्नलिखित अचल परिसंपत्तियों के लिए शीर्ष प्रलेख प्राप्त करने हेतु कंपनी द्वारा कार्रवाई की गई है।

| | | |
|----------------------------------|---|------------|
| (1) रोशन कॉम्प, मद्रास पर फ्लोट | - | ₹4.04 लाख |
| (2) आशादीप, नई दिल्ली पर फ्लोट | - | ₹2.80 लाख |
| (3) नागपुर में कार्यालय भवन | - | ₹27.18 लाख |
| (4) सिंगरौली में पट्टेधारित भूमि | - | ₹1.75 लाख |

ड) वर्ष के दौरान अतिरिक्त संपत्तियों के खूब लागत की राशि को निम्नानुसार पूंजीकृत किया गया :-

| | | |
|--------------------|---|-------------|
| संयंत्र एवं मशीनरी | - | ₹510.51 लाख |
| भवन | - | ₹104.88 लाख |
| विद्युत संस्थापन | - | ₹17.92 लाख |
| तकनीकी जानकारी | - | ₹330.09 लाख |

टिप्पणी सं. 11 प्रगतिशील पूंजी कार्य

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| भवन | 118.43 | 1,358.02 |
| निरीक्षणाधीन एवं अंतरणाधीन उपकरण | 69.67 | 59.11 |
| मशीनरी | 5,532.03 | 12,689.73 |
| अन्य | 163.30 | 888.12 |
| कुल | 5,883.43 | 14,994.98 |

टिप्पणी सं. 11 क विकासधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|--|------------------|------------------|
| उच्च क्षमता डंप ट्रक के लिए विकास व्यय | 4,504.95 | 4,174.86 |
| कुल | 4,504.95 | 4,174.86 |



टिप्पणी सं. 12 गैर-चालू निवेश

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|---|------------------|------------------|
| दीर्घावधि, लागर पर अनिर्दिष्ट व्यापार निवेश | | |
| सहायक कंपनियों के इक्विटी शेयरों में : | | |
| विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड में पूर्ण रूप में प्रदत्त प्रत्येक ₹ 100 वाले 2,69,376 इक्विटी शेयर | 252.60 | 252.60 |
| एमएएमसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कोलकाता में पूर्ण रूप में प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 वाले 50,000 इक्विटी शेयर (कृपया टिप्पणी 14(क) को देखें) | 5.00 | 5.00 |
| संयुक्त उद्यम कंपनी के इक्विटी शेयरों में : | | |
| बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड में, पूर्ण रूप में प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 वाले 54,22,500 इक्विटी शेयर | 542.25 | 542.25 |
| घटाएँ : बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड में, के निवेश मूल्य में हास के लिए प्रावधान | (542.25) | (542.25) |
| कुल व्यापार निवेश | 257.60 | 257.60 |
| अन्य निवेश | | |
| सहकारी समितियों के साधारण शेयरों में निवेश-अनिर्दिष्ट, पूर्ण रूप में प्रदत्त | | |
| बीईएमएल उपभोक्ता सहकारी सोसायटी लिमिटेड, केजीएफ में पूर्ण रूप में प्रदत्त प्रत्येक ₹ 10 वाले 250 इक्विटी शेयर | 0.03 | 0.03 |
| गुलमोहर मेशन अपार्टमेंट सहकारी हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, बंगलूरु में पूर्ण रूप में प्रदत्त प्रत्येक ₹ 100 वाले 10 इक्विटी शेयर | 0.01 | 0.01 |
| ट्रिवन स्टार सहकारी हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, मुम्बई में, पूर्ण रूप में प्रदत्त प्रत्येक ₹ 50 वाले 5 इक्विटी शेयर | - | - |
| कुल अन्य निवेश | 0.04 | 0.04 |
| कुल लागर पर अनिर्दिष्ट | 257.64 | 257.64 |

लेखांकन मानक 27(संयुक्त उद्यमों के हित संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग)

| नाम | प्रकृति | होलिंडग % | निगमन के देश |
|--------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|
| बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड | संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई | 45.00 | भारत |

(क) कंपनी कानूनी बोर्ड के समक्ष लंबित मुकदमों के कारण संयुक्त उद्यम कंपनी बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड ने 31 मार्च 2016 पर वित्तीय विवरणों की तैयारी नहीं की है, इसलिए परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और खर्च में कंपनी के शेयर तथा आकस्मिक देयताओं में अपने शेयर के संबंध में लेखांकन मानक 27 (संयुक्त उद्यमों के हित संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग) के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया जा सका। संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों की अनुपस्थिति में उसे बीईएमएल के वित्तीय विवरणों के साथ समेकित नहीं किया गया।

(ख) कंपनी ने बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड में सुविधाएँ स्थापित करने में ₹ 1912.50 लाख के लिए कार्पोरेट गारंटी जारी की है। जैसा कि बीईएमएल मिडवेस्ट उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहा, संबंधित बैंक ने कार्पोरेट गारंटी को लागू करके कंपनी से दावा किया है। तो भी कंपनी ने इस तथ्य पर दावे का भुगतान करने से इनकार कर दिया कि उक्त दावा उन ठेकाओं से संबंधित है जिसका बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड के बोर्ड से अनुमोदन से प्रवेश किया है और अधिकांश शेयरधारियों ने दुर्विनियोजित किया है और बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड के बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों एवं निबंधनों को गैर-अनुपालन से जारी हुआ है। मामला अभी ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के पास निलंबित है। इस संबंध में कंपनी कोई बहिर्वाह नहीं की है।

टिप्पणी सं. 13 आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|---|------------------|------------------|
| आस्थगित कर देयताओं का विवरण (डीटीएल) | | |
| स्थाई परिसम्पत्तियों से सम्बंधित | 5,125.58 | 4,146.89 |
| विशेष औजार | 146.81 | 135.06 |
| कुल डीटीए (क) | 5,272.39 | 4,281.95 |
| आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (डीटीए) | | |
| आयकर अधिनियम, 1961 के तहत समयांतर | 15,623.96 | 14,419.80 |
| कुल डीटीए (ख) | 15,623.96 | 14,419.80 |
| निवल कुल (ख-क) | 10,351.57 | 10,137.85 |

टिप्पणी सं. 14 दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|--|------------------|------------------|
| असुरक्षित, प्राप्य मान्य | | |
| पूँजी अग्रिम | 103.22 | 121.37 |
| सुरक्षा जमा | 839.10 | 780.97 |
| संबंधित पार्टियों को ऋण और अग्रिम(टिप्पणी सं. 31(ग)को देखें) | 601.44 | 601.20 |
| अंतर कार्पोरेट ऋण | 2,451.83 | 3,269.11 |
| अन्य ऋण एवं अग्रिम (नीचे टिप्पणी(क) को देखें) | 6,070.12 | 6,040.47 |
| अग्रिम आय कर भुगतान (निवल प्रावधान) | 12,618.77 | 12,493.99 |
| पूर्व प्रदत्त खर्च एवं अन्य अग्रिम | 131.82 | 83.90 |
| उप-कुल | 22,816.30 | 23,391.01 |
| संदिग्ध | | |
| अन्य ऋण एवं अग्रिम | 120.19 | 120.19 |
| घटाएँ : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान | 120.19 | 120.19 |
| उप-कुल | - | - |
| कुल | 22,816.30 | 23,391.01 |
| कंपनी के अधिकारियों द्वारा देय | 30.43 | 23.96 |

क. कंपनी ने मेसर्स खनन और एलाइड मशीनरी निगम लिमिटेड (परिसमापन के अधीन) के निर्दिष्ट संपत्ति की प्राप्ति के लिए 08.06.2010 को मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और दामोदर वैली निगम (डीवीसी) के साथ एक कंसोर्टियम समझौते में प्रवेश किया है। समझौता, अन्य बातों के साथ-साथ क्रमशः बीईएमएल, कोल इंडिया लिमिटेड और डीवीसी के बीच 48:26:26 के एक शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए भी प्रावधान प्रदान करता है। कोलकाता के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पीरित आदेश के आधार पर कंपनी ने उक्त परिसमापन की ओर ₹10000 लाख की कुल बोली पर विचार करने के दिशा में ₹ 4800 लाख के अनुपात में शेयर का भुगतान किया।

उक्त संपत्ति एमएमएमसी कंसोर्टियम द्वारा कब्जे में ली जाती है। इसके अलावा अनुरक्षण, सुरक्षा और अन्य संबंधित खर्च के इश कंपनी द्वारा ₹ 875.68 लाख (पिछले वर्ष -₹ 818.55 लाख) की राशि खर्च की गई है। संयुक्त उद्यम की पूँजी में निलंबित शेयरों के आबंटन के लिए कुल राशि ₹ 5675.68 लाख (पिछले वर्ष -₹ 5618.55 लाख) को 'अन्य ऋण और अग्रिम' शीर्ष के तहत शामिल किया गया है। कंपनी इसे लंबी अवधि के निवेश के रूप में रखने के इरादा किये जाने के कारण संपत्तियों का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया गया और निवेश के मूल्य में कमी, यदि कोई हो, को व्यवसायिक योजना की तैयारी करने तथा रक्षा मंत्रालय से शेयरधारियों की सहमति के लिए अनुमोदन प्राप्त होकर परिणामस्वरूप शेयरों का आबंटन



किये जाने बाद पता लगाया जा सकता है।

इसके अलावा, संयुक्त उद्यम बनाने उद्देश्य के लिए एमएएमसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एमआईएल) नामक कंपनी स्थापित की गई और निगमित की गई। कंसोर्टियम के सभी तीनों सदस्यों बोर्ड द्वारा विधिवत मंजूर शेयरधारकों के समझौते को आवश्यक अनुमोदन के लिए रक्षा मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है, अनुमोदन पास करने के बाद, एमआईएल को एक संयुक्त उद्यम कंपनी में परिवर्तित करने के लिए लागू कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए एक संयुक्त उद्यम कंपनी का रूप में परिवर्तित किया जाएगा। एमआईएल के मामले में कंपनी द्वारा ₹601.44 लाख (पिछले वर्ष-₹601.20 लाख) की राशि खर्च किया गया जिसे 'संबंधित पार्टियों को ऋण और अग्रिम' के शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है।

टिप्पणी सं.15 अन्य गैर-चालू संपत्तियाँ

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|----------------------|------------------|------------------|
| अन्य | | |
| मोजदा सोने के सिक्के | 9.84 | 9.57 |
| विशेष औजार | 424.21 | 397.35 |
| कुल | 434.05 | 406.92 |

टिप्पणी सं.16 चालू निवेश

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|--|------------------|------------------|
| दीघावधि, कोट न किया हुआ, लागत पर व्यापार निवेश | | |
| विदेशी अनुबंधियों के कोटे में | | |
| बीईएमएल ब्राजील इंडस्ट्रियल लिटडा में कोटे में निवेश, 99.98% का कोटा बीईएमएल द्वारा किया गया है और शेष बीईएमएल के नामिनियों द्वारा | 185.55 | 185.55 |
| घटाएं : मूल्य में हास के लिए प्रावधान | (123.41) | (105.53) |
| कुल | 62.14 | 80.02 |

टिप्पणी सं.17 मालसूचियां (न्यूनतम लागत या निवल वसूली मूल्य)

(₹ करोड़ों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|---|-------------------|-------------------|
| कच्चा माल और घटक | 42,998.98 | 38,871.58 |
| अव्यवहृत के लिए प्रावधान - कच्चा माल | (739.67) | (616.85) |
| अंतरणाधीन कच्चा माल और घटक | 864.41 | 3,549.17 |
| भंडार और पुर्जा | 1,991.35 | 2,225.50 |
| प्रगतिशील कार्य | 50,059.12 | 58,494.87 |
| निर्मित माल | 38,510.28 | 48,479.07 |
| अव्यवहृत के लिए प्रावधान - निर्मित माल | (1,613.68) | (1,734.71) |
| अंतरणाधीन निर्मित माल | 202.47 | 5,848.64 |
| स्टॉक-पुर्जा | 36,401.77 | 35,522.54 |
| अव्यवहृत के लिए प्रावधान - स्टॉक-पुर्जा | (2,509.66) | (2,077.02) |
| अंतरणाधीन स्टॉक-पुर्जा | 835.24 | 726.98 |
| हस्त उपकरण | 2,031.90 | 1,789.13 |
| रद्दी माल | 599.32 | 1,040.88 |
| कुल | 169,631.83 | 192,119.78 |

- क. उप ठेकदारों के पपास कच्चे माल एवं घटकों सहित पडी रही सामग्रियों की राशि ₹ 2087.38 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1101.09 लाख) है।
- ख. प्रगतिशील कार्य और निर्मित माल की शेषमाल मानक लागत से कम पर दर्शाया गया है, जो वास्तविक और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर अनुमानित है, वास्तविक उत्पादन लागत और मानक लागत के बीच का अंतर ध्यान देने योग्य नहीं है।
- ग. आंतरिक रूप से निर्मित के लिए बाहरी खरीदी से इनपुट की प्रकृति में परिवर्तन के कारण और इसके विपरीत से उत्पन्न मानक लागत और वास्तविक लागत के बीच अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली प्रसरणों वित्तीय अवधि के दौरान तथा माल की कीमतों में हुए उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न मानक लागत और वास्तविक घटना के बीच समय का अंतर को उत्पादन की लागत में इस प्रकार समायोजित किया जाता है, बाद की वित्तीय अवधि के लिए आवधिक प्रसरण में आगे न लिया गया हो।
- घ. अप्रचलन की ओर प्रावधान प्रावधानीकरण प्रति मानदंडों लगातार पीछा किया जाता है मालसूची की उम्र बढ़ने पर आधारित है।
- ङ. निर्मित माल के अधीन ₹ 3.83 लाख (21.53 प्रति यूनिट की सत्यापित उत्सर्जन कमी (वीईआर)) के कार्बन क्रेडिट शामिल है। सकल वीईआर प्रमाणित है तथा वसूलीकरण के लिए 17785 नग निलंबित है।

टिप्पणी सं. 18 प्रदत्त व्यापार

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| असुरक्षित, प्राप्य मान्य | | |
| छ: महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया * | 53,184.43 | 41,498.62 |
| अन्य | 67,620.67 | 57,671.03 |
| असुरक्षित, संदिग्ध मान्य | | |
| छ: महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया | 14,970.87 | 15,767.77 |
| बुरा और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता | 14,970.87 | 15,767.77 |
| कुल | <u>120,805.10</u> | <u>99,169.65</u> |

- *i. रक्षा मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम राशि पर ब्याज दर के अंतर ₹ 925.87 लाख (पिछले वर्ष ₹ 925.87 लाख) को छ: महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया - प्राप्य व्यापार में शामिल किया गया है। उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2009-10 के दौरान विभिन्न बिलों पर रक्षा मंत्रालय द्वारा 9.50% की दर पर वसूल की गयी ब्याज और जमा दर के बीच ब्याज दर के अंतर से संबंधित है। मामले को रक्षा मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और वह मंत्रालय के विचाराधीन है।
- ii. वर्ष 2001 में रक्षा मंत्रालय के साथ डिजाइन, विकास एवं आपूर्ति के लिए प्रवेश दीर्घकालीन ठेके के संबंध में घटकों की आयात में वृद्धि तथा विनिमय दर के विरुद्ध ₹4899.99 लाख (पिछले वर्ष ₹4899.99 लाख) को छ: महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया - प्राप्य व्यापार में शामिल किया गया है। इस ठेके में वृद्धि तथा विनिमय दर के अंतर के लिए अमेरिकी डॉलर में वर्णित आयात सामग्री के लिए प्रावधान किया गया है।

जैसा कि आयातीत सामग्री यूरोपियन देशों से लायी गयी है, जो लेनदेन में अपनी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में यूरो को अपनाया है, कंपनी को ठेके के तहत अपनी दायित्वों को निभाने हेतु जनवरी, 2007 से यूरो मुद्रा में आयात करने में मजबूर रही। ग्राहक द्वारा रखे गये ठेके में प्रवेश करते समय व्यापार मुद्रा स्वरूप यूरो को लेने की संकल्पना नहीं थी।



अमेरिकी डॉलर से यूरो के रूप में संशोधन तथा परिणामस्वरूप वृद्धि तथा विनिमय दर में अंतर का अनुरोध ग्राहक के पास लंबित है। कंपनी को इसके कारण कोई विशेष प्रभाव नहीं पडा है। इस संबंध में ग्राहक के साथ स्वीकार्य फार्मुला के आधार पर वृद्धि तथा विनिमय दर में अंतर के पुनर्मूल्यांकन कंपनी को किसी प्रकार के उल्लेखनीय प्रभाव का उम्मीद नहीं है।

टिप्पणी सं. 19 नकद एवं नकद समतुल्य

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| बैंकों से नकद शेष | 6,473.97 | 14,226.62 |
| बैंकों में शेष- दावा न किए गए लाभांश | 37.59 | 42.53 |
| मौजूदा चेक एवं ड्राफ्ट | 35.06 | 191.23 |
| मौजूदा नकद | 9.56 | 12.64 |
| कुल | 6,556.18 | 14,473.02 |

टिप्पणी सं. 20 अल्पावधि के ऋण और अग्रिम

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|---|------------------|------------------|
| असुरक्षित, प्राप्य मान्य | | |
| जनोपयोगी के लिए शेष | 4.17 | 13.77 |
| संबंधित पार्टियों को ऋण और अग्रिम(टिप्पणी सं.31(ग)का संदर्भ लें) | 333.59 | 720.88 |
| इंटर कॉर्पोरेट ऋण | 817.28 | 817.28 |
| प्राप्य सहित सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आदि के लिए सरकार के साथ के शेष | 1,240.12 | 237.29 |
| विक्रेताओं को अग्रिम | 4,496.68 | 3,443.21 |
| कर्मचारियों को अग्रिम | 360.60 | 414.29 |
| कर और शुल्क | 6,067.97 | 4,164.36 |
| सेनवैट एवं वैट | 5,794.79 | 5,857.01 |
| पूर्व प्रदत्त खर्च और अन्य अग्रिम | 1,566.79 | 963.41 |
| उप-कुल | 20,681.99 | 16,631.50 |
| संदिग्ध | | |
| विक्रेताओं को अग्रिम | 4,114.66 | 4,107.14 |
| घटाएं : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान | 4,114.66 | 4,107.14 |
| उप कुल | - | - |
| कुल | 20,681.99 | 16,631.50 |
| कम्पनी के अधिकारियों द्वारा देय | 45.22 | 160.65 |

टिप्पणी सं. 21 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| बैंक जमा पर देय ब्याज | - | 7.28 |
| प्राप्य दावा | 12,963.14 | 11,339.46 |
| बिल न किया गया राजस्व | 3,326.21 | 25,037.71 |
| उप-कुल | 16,289.35 | 36,384.45 |
| संदिग्ध | | |
| प्राप्य दावा | 4,640.30 | 2,508.01 |
| घटाएँ : संदिग्ध दावे के लिए प्रावधान | 4,640.30 | 2,508.01 |
| उप-कुल | - | - |
| कुल | 16,289.35 | 36,384.45 |

ख. प्राप्य दावे में शामिल हैं :-

क) समायोजन के अधीन निलंबित दर्ज दावे का मूल्य ₹ 22 16.14 लाख (पिछले वर्ष - ₹ 3 19.36 लाख) है।

ख) उत्पाद शुल्क तथा तत्संबंधी बिक्री कर दावे के लिए रेलवे बोर्ड के साथ दर्ज दावे का मूल्य ₹ 764.78 लाख (पिछले वर्ष - ₹ 1452.54 लाख) है। कंपनी को उपर्युक्त राशियों के अंतिम वसूली पर किसी प्रकार के विशेष प्रभाव पडने की प्रत्याशा नहीं है।

टिप्पणी सं. 22 उत्पाद शुल्क सहित राजस्व

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| (क) उत्पादों की बिक्री : | | |
| अर्थ मूविंग उपकरण | 97,442.24 | 100,172.42 |
| रेल व मेट्रो उत्पाद | 101,860.34 | 89,738.09 |
| रक्षा उत्पाद | 34,289.09 | 13,105.26 |
| व्यापार किये गये माल | 57.82 | 58.00 |
| खलपुर्जे | 68,932.71 | 68,399.39 |
| पवन ऊर्जा | 370.68 | 265.06 |
| उप-कुल | 302,952.88 | 271,738.22 |
| (ख) सेवाओं की बिक्री : | | |
| उपकरण मरम्मत | 23,081.37 | 24,914.52 |
| उप-कुल | 23,081.37 | 24,914.52 |
| (ग) अन्य परिचालन राजस्व: | | |
| निर्यात प्रोत्साहन | 310.61 | 171.31 |
| रद्दियों की बिक्री | 2,399.05 | 3,092.77 |
| उप कुल | 2,709.66 | 3,264.08 |
| उत्पाद शुल्क सहित राजस्व | 328,743.91 | 299,916.82 |



- i. कंपनी ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (डीएमआरसीएल) की मेट्रो डिब्बों की आपूर्ति के लिए तीन अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ एक संघ समझौते में प्रवेश किया है। उक्त समझौते के अनुसार, डीएमआरसीएल पर कन्सोर्टियम उद्देश्यों सहित ठेके के पूर्ण मूल्य पर बिल जुटाने के लिए कंपनी जिम्मेदार है तथा अंतिम उत्पाद शुल्क और तत्संबंधी सीएसटी का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है। तदनुसार कुल आपूर्ति की कन्सोर्टियम उद्देश्यों के मूल्य सहित चालान कुल राशि निम्नवत है।

टिप्पणी सं. 22क

कंसोर्टियम आपूर्ति के मूल्य सहित बिल की गई कुल राशि निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|--|-------------------|-------------------|
| रेल व मेट्रो उत्पाद | 115,718.86 | 102,786.67 |
| अन्य उत्पाद, सेवाएँ और अन्य परिचालन राजस्व | 226,883.57 | 210,178.73 |
| उप कुल | 342,602.43 | 312,965.40 |
| घटाएँ: कंसोर्टियम आपूर्ति के मूल्य | 13,858.52 | 13,048.58 |
| उत्पाद शुल्क सहित राजस्व | 328,743.91 | 299,916.82 |

ii. लेखा मानक 7 (निर्माण ठेकाओं के लिए लेखांकन)

राजस्व में निम्नानुसार प्रतिशतता समापन प्रविधि पर मान्य राजस्व शामिल है।

(₹ लाखों में)

| विवरण | 2015-16 | 2014-15 |
|--|----------|----------|
| क) वर्ष के दौरान मान्य ठेका राजस्व | 1,806.80 | 1,647.16 |
| ख) 31 मार्च 2016 पर प्रगतिशील ठेके के संबंध में प्रकटीकरण | | |
| (i) शामिल लागत की औसतन राशि | 3,453.96 | 1,647.16 |
| (ii) मान्य लाभ (घटाएँ : मान्य हानि, यदि कोई हो) आकस्मिकता के लिए प्रावधान का निवल | शून्य | शून्य |
| (iii) प्राप्त अग्रिम तथा बकाया राशि | शून्य | शून्य |
| (iv) रखी गयी राशि | शून्य | शून्य |
| ग) अवधि के दौरान मान्य ठेका राजस्व की गणना के लिए प्रतिशतता समापन प्रविधि का उपयोग किया जाता है। दि.31.03.2016 तक ठेके पर हुए वास्तविक लागत से ठेके के प्राक्कलित कुल लागत के अनुपात को समाप्ति होने के चरण के आकलन के लिए उपयोग किया गया। | | |

टिप्पणी सं. 23 अन्य आय

(₹ लाखों में)

| विवरण | यथा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष | यथा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ब्याज आय: | | |
| - बैंको से | 100.73 | 19.82 |
| - इंटर कॉर्पोरेट ऋण से | 456.69 | 797.33 |
| - अन्य | 126.50 | - |
| अचल संपत्ति की बिक्री पर निवल लाभ | 66.00 | 128.79 |
| बट्टे से आय | 5.17 | 18.94 |
| प्रावधान वापस लिखा | 1.78 | 0.84 |
| - संदिग्ध ऋण और अग्रिम | - | 243.22 |
| - अन्य | 1,387.32 | 3,272.60 |
| अन्य गैर-परिचालन आय | 1,757.99 | 1,468.88 |
| कुल | 3,902.18 | 5,950.42 |

अ. आय पर कर कटौती

(₹ लाखों में)

| विवरण | यथा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष | यथा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| क) बैंकों से ऑन कॉल एवं सावधि जमा पर ब्याज | 10.07 | 0.81 |
| ख) इंटर कॉर्पोरेट ऋण पर ब्याज | 45.67 | 79.72 |
| ग) अन्य | 10.59 | 8.22 |

टिप्पणी सं. 24 खपत माल की लगत

(₹ लाखों में)

| विवरण | यथा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष | यथा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| विनिर्मित उत्पादों के लिए सामग्री की लागत | 147,673.25 | 137,335.86 |

टिप्पणी सं. 24 क व्यापार माल की खरीद

(₹ लाखों में)

| विवरण | यथा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष | यथा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| व्यापार माल की खरीद | 51.21 | 31.90 |

टिप्पणी सं. 25 तैयार माल की सूची, प्रगतिशील कार्य और व्यापार में स्टॉक में परिवर्तन

(₹ लाखों में)

| विवरण | यथा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष | यथा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| आरंभिक स्टॉक | | |
| प्रगतिशील कार्य | 58,494.87 | 57,929.22 |
| निर्मित स्टॉक | 52,593.00 | 73,769.61 |
| रद्दी | 1,040.88 | 1,356.30 |
| | <u>112,128.75</u> | <u>133,055.13</u> |
| अंतिम स्टॉक | | |
| प्रगतिशील कार्य | 50,059.12 | 58,494.87 |
| निर्मित स्टॉक | 37,099.07 | 52,593.00 |
| रद्दी | 599.32 | 1,040.88 |
| | <u>87,757.51</u> | <u>112,128.75</u> |
| (वृद्धि)/कमी | | |
| प्रगतिशील कार्य | 8,435.75 | (565.65) |
| निर्मित स्टॉक | 15,493.93 | 21,176.61 |
| रद्दी | 441.56 | 315.42 |
| कुल | <u>24,371.24</u> | <u>20,926.38</u> |



टिप्पणी सं. 26 कर्मचारी हितलाभ खर्च

(₹ लाखों में)

| विवरण | यथा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष | यथा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| वेतन, मजदूरी व बोनस | 56,842.03 | 55,409.35 |
| छुट्टी वेतन | 4,609.43 | 5,789.81 |
| अंशदान : | | |
| - उपदान निधि | 786.07 | 3,719.78 |
| - भविष्य निधि एवं अन्य निधि | 5,752.86 | 5,714.25 |
| सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना | 2,184.61 | 215.95 |
| कर्मचारी कल्याण खर्च | 7,104.60 | 6,491.90 |
| - घटाएँ : प्राप्ति | 490.53 | 429.65 |
| कर्मचारी कल्याण खर्च का निवल | 6,614.07 | 6,062.25 |
| कुल | 76,789.07 | 76,911.39 |

(क) लेखांकन मानक - 15 (कर्मचारी हितलाभ)

अ. छुट्टी वेतन

यह संशोधित लेखांकन मानक 15 के संदर्भ में अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के अधीन वर्गीकृत निधियन पारिभाषित हितलाभ योजना है। मुआवजा अनुपस्थिति के लिए परिभाषित लाभ दायित्व बीमांकिक मूल्य दिया गया है और तदनुसार दायित्व प्रदान की गई है।

| बीमांकिक अनुमान | चालू वर्ष (अनिधियक) | पिछले वर्ष (अनिधियक) |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| मृत्यु दर तालिका(आईएएलएम) | 2006-08 (एलआईसी) (मौलिक) | 2006-08 (एलआईसी) (मौलिक) |
| रियायती दरवेतन में बढ़त दर | 7.80% | 7.80% |
| वेतन में बढ़त दर | 5.00% | 5.00% |

आ. सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा योजना

(i) कर्मचारी

कंपनी में सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा योजना चालू है, जिसके लिए कंपनी द्वारा एक बीमा पॉलिसी ली गयी है, जिसके अंतर्गत उक्त योजना के लिए विकल्प दिये सेवानिवृत्ति अधिकारियों/कर्मचारियों को मेडिकलेम का लाभ प्रदान किया जाता है। बीमा प्रीमियम का 2/3 हिस्सा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है और शेष सेवानिवृत्ति अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है, वर्ष का दौरान योजना का बीमांकिक रूप मूल्य निर्धारित करके देयता के लिए प्रावधान किया गया है।

| बीमांकिक अनुमान | चालू वर्ष (अनिधियक) | पिछले वर्ष (अनिधियक) |
|--|------------------------|-------------------------|
| मौजूदा कर्मचारियों से प्रत्याशित अनुपात जो सेवानिवृत्ति के समय में इस योजना के लिए विकल्प देंगे। | 40.00% | 35.00% |
| रियायती दर | 7.80% | 7.80% |
| लंबी अवधि की चिकित्सा मुद्रास्फीति | 2.70% | 2.70% |

(ii) अधिकारी

वर्ष 2015-16 के दौरान अधिकारियों के लिए नई सेवानिवृत्तांपरांत चिकित्सा योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत अधिकारी अपने मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का नियत प्रतिशत को अलग निधि स्वरूप में अंशदान करना पड़ेगा और उक्त निधि सेवानिवृत्त अधिकारियों को चिकित्सा बीमा प्रदान करेगा। निधि का अंशदान करने के अलावा कंपनी का कोई दायित्व नहीं होगा। अतः उक्त योजना एक पारिभाषित अंशदान योजना है तथा कोई बीमांकित मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है।

इ. भविष्य निधि पर ब्याज दर गारंटी

कंपनी की भविष्य निधि ट्रस्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा घोषित दर से कम नहीं होने की दर में भविष्य निधि पर ब्याज की घोषणा करनी चाहिए। यदि ट्रस्ट ब्याज दायित्व को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे, तो कंपनी को उस कमी को सही करने का दायित्व होगा। कंपनी को समान बीमांकिक मूल्य प्राप्त है और वर्ष के लिए प्रदान हेतु कोई अतिरिक्त दायित्व की आवश्यकता नहीं है।

| बीमांकिक अनुमान | चालू वर्ष (निधियक) | पिछले वर्ष (निधियक) |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
| रियायती दर | 7.80% | 7.84% |
| वेतन में बढ़त दर | 5.00% | 5.00% |
| भविष्य निधि पर ब्याज दर गारंटी | 8.75% | 8.75% |

ई. अधिकारियों की पेन्शन योजना

रक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी के अधिकारियों के लिए बीईएमएल कार्यपालक अधिवर्षिता पेन्शन योजना कार्यान्वित की है। यह परिभाषित योगदान योजना और दिए गए योगदान को योगदान के वर्ष में ही प्रभारित किया जा रहा है। परिभाषित योगदान योजना होने के नाते कोई बीमांकिक मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

उ. उपदान

ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किए गए कर्मचारियों उपदान निधि योजना एवं परिभाषित हितलाभ योजना चालू है। दायित्व के वर्तमान मूल्य अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग से बिमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित है।

(₹ लाखों में)

| दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
|--|------------------|-----------------|
| 1.4.2015 को दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन | 36,874.78 | 35,479.96 |
| ब्याज लागत | 2,876.23 | 2,986.05 |
| वर्तमान सेवा लागत | 715.02 | 854.41 |
| प्रदत्त हितलाभ | (5,100.37) | (5,332.34) |
| दायित्वों पर बीमांकिक(लाभ)/हानि | 110.06 | 2,886.70 |
| 31.3.2016 को दायित्व के वर्तमान मूल्य | 35,475.72 | 36,874.78 |
| योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन | | |
| 1.4.2015 को योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य | 35,655.00 | 34,203.66 |
| योजनागत परिसम्पत्तियों से प्रत्याशित प्रतिफल | 3,262.43 | 3,008.31 |
| अंशदान | 2,219.78 | 3,776.30 |
| प्रदत्त हितलाभ | (5,100.37) | (5,332.34) |
| योजनागत परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि) | (347.19) | (0.93) |
| 31.3.2016 को योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य | 35,689.65 | 35,655.00 |
| दायित्वों तथा योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य का मिलान | | |
| 31.3.2016 तक दायित्व के वर्तमान मूल्य | 35,475.72 | 36,874.78 |
| 31.3.2016 को योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य | 35,689.65 | 35,655.00 |
| निधियन स्थिति | 213.93 | (1,219.78) |
| वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त दायित्व | 213.93 | (1,219.78) |
| वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त खर्च | | |
| वर्तमान सेवा लागत | 715.02 | 854.41 |
| ब्याज लागत | 2,876.23 | 2,986.05 |
| योजनागत परिसम्पत्तियों से प्रत्याशित प्रतिफल | 3,262.43 | 3,008.31 |
| दायित्व पर बीमांकिक(लाभ)/हानि | 110.06 | 2,886.70 |
| योजनागत परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि) | (347.19) | (0.93) |
| निवल लागत | 786.07 | 3,719.78 |
| निवेश विवरण | % | % |
| भारत सरकार बाण्ड | 0 | 0 |
| अन्य | 0 | 1 |
| जीवन बीमा निगम के पास निवेश | 100 | 99 |
| बीमांकिक अनुमान | | |
| उपदान | (निधियक) | (निधियक) |
| मृत्युदर तालिका(आईएएल) | 2006-08 (एलआईसी) | 2006-08 (आईएएल) |
| | (मौलिक) | (मौलिक) |
| रियायती दर | 7.80% | 7.80% |
| योजनागत परिसम्पत्तियों पर प्रतिलाभ दर | 8.50% | 9.15% |
| वेतन में बढ़त दर | 5.00% | 5.00% |



बी ई एम एल लिमिटेड

ऊ मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदौन्नति तथा अन्य सम्बंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए बीमांकिक मूल्यांकन में वेतन में बढत दर के अनुमान पर विचार किया गया। उक्त सूचनाओं का बीमांकिक द्वारा प्रमाणित है।

टिप्पणी सं. 27 वित्तीय लगत

(₹ लाखों में)

| विवरण | यथा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष | यथा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ब्याज खर्च | | |
| क्रेडिट नकद एवं अल्पावधि ऋण पर | 1,322.04 | 3,002.48 |
| दीर्घावधि ऋण पर | 529.21 | 826.25 |
| गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों पर | 2,097.19 | 1,911.29 |
| इंटर कॉर्पोरेट ऋण पर- अन्य पर | 754.25 | 1,016.32 |
| एमएसई विक्रेताओं पर | 112.40 | 243.08 |
| अन्य | 87.72 | 51.99 |
| कुल | 4,902.81 | 7,051.41 |

लेखांकन मानक 16 (उधार लागत)

वर्ष के दौरान पूंजीगत ब्याज की राशि ₹699.97 लाख है (पिछले वर्ष-₹ 896.70लाख) इस धन-राशि में ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹शून्य) पिछले वर्ष से सम्बंधित है।

टिप्पणी सं. 28 अन्य खर्च

(₹ लाखों में)

| विवरण | यथा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष | यथा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| भंडार और खलपुर्जों की खपत | 655.35 | 843.10 |
| उपभोज्य औजार | 619.24 | 340.08 |
| ऊर्जा एवं ईंधन | 3,252.06 | 3,304.76 |
| किराया | 393.06 | 363.67 |
| भाड़ा प्रभार | 615.21 | 572.04 |
| मरम्मत एवं अनुरक्षण | | |
| संयंत्र एवं मशीनरी | 581.52 | 467.00 |
| भवन | 544.89 | 467.45 |
| अन्य | 933.72 | 902.20 |
| विशेष उपकरण का परिशोधन | 255.44 | 209.52 |
| लेखन सामग्री | 130.40 | 138.37 |
| बीमा | 264.32 | 932.25 |
| दर एवं कर | 607.29 | 385.41 |
| बैंक प्रभार | 706.51 | 519.78 |
| डाक, दूरभाष एवं कूरिअर आदि | 345.46 | 333.66 |
| बिक्री पर बट्टा | 53.47 | 581.43 |
| लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक (नीचे टिप्पणी 'ख' देखें) | 24.92 | 39.13 |
| कानूनी एवं व्यावसायिक प्रभार | 213.57 | 190.52 |
| यात्रा खर्च | 1,547.73 | 1,133.16 |
| प्रसार एवं जनसंपर्क खर्च | 325.11 | 199.53 |
| अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि | 19.25 | 3.20 |
| अप्रचलन | 555.45 | 702.60 |
| पट्टे खाते में डाले गये अप्राप्य ऋण | 384.95 | 146.72 |
| दोषपूर्ण एवं रद्दी माल | 37.18 | 105.04 |
| संकर्म ठेका खर्च | 4,506.02 | 3,837.13 |
| अनुरक्षण ठेका खर्च | 3,326.91 | 3,072.39 |
| विविध प्रत्यक्ष प्रभार | 1,430.08 | 2,146.23 |
| भाड़ा प्रभार | 2,857.44 | 2,913.67 |
| सीएसआर गतिविधियों पर खर्च | 459.67 | 326.64 |
| स्टॉक में वृद्धि/(कमी)पर उत्पाद शुल्क | (2,042.02) | (1,155.78) |
| संदिग्ध ऋण और अग्रिमों के लिए प्रावधान | 1,966.50 | 3,616.54 |
| संदिग्ध ऋण और अग्रिमों के लिए प्रावधान | 17.88 | 49.04 |
| वारंटी और असमाप्त दायित्व | 2,801.87 | 2,403.31 |
| बिक्री पर द्रवीकृत हानि | 129.51 | 67.01 |
| विविध खर्च (नोट 28 (क) देखें) | 8,128.95 | 8,592.12 |
| कुल | 36,648.91 | 38,748.92 |

अ. लेखांकन मानक 11 (विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव)

वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा उतार- चढ़ाव का प्रभाव ₹458.66 लाख (पिछले वर्ष ₹502.66 लाख) को विविध व्यय में शामिल किया गया है।

आ. लेखा-परीक्षकों के पारिश्रमिक का ब्रेक-अप

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (अ) लेखा-परीक्षक के रूप में | 9.30 | 9.30 |
| (आ) अर्ध वार्षिक लेखा परीक्षा शुल्क | 4.00 | 4.00 |
| (इ) कर निर्धारण के लिए | 2.70 | 4.20 |
| (ई) अन्य सेवाएँ - प्रमाणन शुल्क | 7.77 | 8.30 |
| (उ) व्यय की प्रतिपूर्ति | 1.15 | 13.33 |
| कुल | 24.92 | 39.13 |

टिप्पणी सं. 29 असाधारण वस्तुएँ

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| आय | | |
| दायित्व वापस लिखा | - | 14.66 |
| | - | 14.66 |
| व्यय | - | - |
| निवल आय/(व्यय) | - | 14.66 |

टिप्पणी सं. 30 पूर्वावधि मद

(₹ लाखों में)

| विवरण | यथा 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष | यथा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| आय | | |
| निरीक्षण प्रभार | 0.39 | - |
| कार्बन क्रेडिट | 3.83 | - |
| परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति | - | 4.14 |
| | 4.22 | 4.14 |
| व्यय | | |
| मूल्यहास | 38.09 | 14.86 |
| द्रवीकृत क्षति | 55.24 | - |
| मरम्मत एवं अनुरक्षण | - | (45.80) |
| विविध व्यय | - | 8.46 |
| | 93.33 | (22.48) |
| निवल आय/(व्यय) | (89.11) | 26.62 |

टिप्पणी सं. 31 अन्य प्रकटन**क. मूल / कम किया हुआ प्रति शेयर अर्जन**

| विवरण | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
|---|------------|------------|
| कर के बाद निवल लाभ/(हानि) | 5,265.46 | 675.57 |
| शेयरों की औसत संख्या | 41,644,500 | 41,644,500 |
| प्रति शेयर अर्जन (मूल और कम किया हुआ) | 12.64 | 1.62 |
| प्रति शेयर ₹.10/- का आंकित मूल्य (राशि य में) | | |



ख. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय की अधिसूचना सं.एस.ओ.2437(ई) दि.04.09.2015 के अनुसार, बोर्ड ने दिनांक 27.05.2016 को संपन्न अपनी बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 अनुसूची III के भाग- II के अनुसार, वत्तीय वर्ष 2015-16 से लेकर वार्षिक लेखे में कंपनी को पैरा 5(ii)(a)(1), 5(ii)(a)(2), 5(iii) तथा 5 (viii) (a), (b), (c) तथा (e) के अधीन अपेक्षित सूचनाओं के गैर-प्रकटन के संबंध में अपनी सहमति दी है।

ग. लेखांकन मानक 18 (संबद्ध पार्टी लेन-देन)

(i) सहायक कम्पनी का नाम मेसर्स विज्ञान इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (वी आई एल) तरीकेरे ।

लेन-देन का विवरण

(₹ लाखों में)

| विवरण | 2015-16 | 2014-15 |
|---|----------|----------|
| बिक्री | 677.25 | 837.57 |
| खरीद | 3,216.58 | 3,221.85 |
| 31 मार्च पर वसूली योग्य अग्रिम | 202.26 | 589.34 |
| 31 मार्च पर इक्विटी निवेश(लागत पर) | 252.60 | 252.60 |
| वीआईएल में प्रतिनियुक्त बीईएमएल कर्मियों के लिए प्रभारित वेतन | 61.55 | 54.87 |

ii. सहायक कम्पनी का नाम - मेसर्स एमएएमसी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (टिप्पणी 14(क) को देखें)

लेन-देन का विवरण

(₹ लाखों में)

| विवरण | 2015-16 | 2014-15 |
|-------------------------------------|---------|---------|
| 31 मार्च पर इक्विटी निवेश (लागत पर) | 5.00 | 5.00 |
| 31 मार्च पर वसूली योग्य अग्रिम | 601.44 | 601.20 |

iii. सहभागी का नाम- बी ई एम एल ब्राज़ील इण्डस्ट्रियल लिटडा

लेन-देन का विवरण

(₹ लाखों में)

| विवरण | 2015-16 | 2014-15 |
|---|---------|---------|
| 31 मार्च पर कोटे पर रखे निवेश (लागत पर) | 185.55 | 185.55 |

iv. संयुक्त-उद्यम कम्पनी का नाम - मेसर्स बी ई एम एल मिड्वेस्ट, हैदराबाद

शेयर धारण - 45%

लेन-देन का विवरण

(₹ लाखों में)

| विवरण | 2015-16 | 2014-15 |
|---|----------|----------|
| बिक्री | - | - |
| खरीद | - | - |
| 31 मार्च पर वसूली योग्य अग्रिम | 131.33 | 131.54 |
| 31 मार्च पर बैंकों को दी गई कॉर्पोरेट गारंटी (टिप्पणी 12(ख) को देखें) | 1,912.50 | 1,912.50 |
| 31 मार्च पर आपूर्ति के विरुद्ध देय राशि | 230.00 | 230.00 |
| 31 मार्च पर धारित इक्विटी निवेश (लागत पर) | 542.25 | 542.25 |

v. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के पारिश्रमिक

(₹ लाखों में)

| नाम | 2015-16 | 2014-15 | पदनाम |
|------------------------|---------|---------|---------------------------|
| श्री पी.द्वारकानाथ | 41.19 | 39.20 | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| श्री सी.एन.दुर्गेश* | 30.38 | 33.09 | निदेशक (खनन एवं निर्माण) |
| श्री पी.आर.नाईक* | 32.40 | 32.65 | निदेशक (रक्षा) |
| श्री डी.के.होता | 35.07 | 31.95 | निदेशक (मानव संसाधन) |
| श्री प्रदीप स्वामिनाथन | 33.59 | 29.71 | निदेशक (वित्त) |
| श्री अनिरुद्ध कुमार | 29.26 | 26.28 | निदेशक (रेल व मेट्रो) |
| श्री बी.आर.विश्वनाथ* | 7.31 | | निदेशक (खनन एवं निर्माण) |
| श्री आर.एच. मुरलीधरा* | 6.71 | - | निदेशक (रक्षा) |
| श्री एम ई वी सेल्वम | 16.09 | 14.97 | कंपनी सचिव |

* वर्ष के भाग के लिए

vi. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के अधीन संबद्ध पार्टी; धारा 2(77) के अधीन संबंध और धारा 2(51) के अधीन प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की परिभाषा का व्यापक गुंजाइश पर विचार करते हुए तथा सूचीबद्ध करार और लेखांकन मानक 18 के अधीन अपेक्षितानुसार, संबद्ध पार्टी लेनदेन के संबंध में प्रकटन को आनुषंगिक/संयुक्त उद्यम/एसोसिएट कंपनियों तक और निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा घोषित कोई अन्य संबद्ध पार्टी सीमित किया गया है। तदनुसार, धारा 188, लेखांकन मानक 18 तथा सूचीबद्ध करार के अधीन संबद्ध पार्टी लेनदेन को यथासंभव कंपनी में उपलब्ध डेटा के साथ अनुपालन किया गया है।

घ. आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धता

i. आकस्मिक देयताएं

(क) कम्पनी के खिलाफ ऋण के रूप में स्वीकार न किये गए दावे :

i. विवादस्पद सांविधिक मांग (सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, बिक्री कर/वैट) ₹ 57046.22 लाख (पिछले वर्ष ₹ 47797.57 लाख)

ii. अन्य दावे - कानूनी मामले, आदि ₹ 52638.44 लाख (पिछले वर्ष ₹ 50418.47 लाख) (इसमें ₹ 38681.39 लाख की राशि दावे शामिल है, जिसमें कंपनी द्वारा दर्ज ₹ 31403.92 लाख की राशि का प्रतिदावा भी शामिल है।)

(ख) गारंटी मेसर्स बी ई एम एल मिडवेस्ट (संयुक्त-उद्यम कम्पनी) की ओर से बैंकों को जारी की गई कोर्पोरेट गारंटी ₹ 1912.50 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1912.50 लाख) मामला अदालत में विचाराधीन है।

ग. अन्य-प्रतिबद्धताएँ जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप में दायित्व है : ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ 11.29 लाख)

II. बाध्यताएँ :

क. पूंजी लेखा में अब तक शेष ठेके कार्यों को अनुमानित राशि ₹2270.81 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1964.44 लाख) का प्रावधान नहीं किया गया।

ख. शेयरों पर कॉल न की गई देयताएँ तथा प्रदत्त अन्य निवेश य शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

ग. अन्य बाध्यताएँ (प्रकृति उल्लेख करें) ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

टिप्पणी :

(1) उपर्युक्त आकस्मिक देयताओं के संबंध में कंपनी प्रकार की प्रतिपूर्ति उम्मीद नहीं करती है।

(2) मध्यस्थता/ अपीलीय कार्यवाही के समक्ष लंबित प्रस्तावों पर ऊपर ख(क)में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में नकदी प्रवाह यदि कोई हो, के समय अनुमान लगाना साध्य नहीं है।

(3) ऊपर I(ख) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में नकदी प्रवाह आम तौर पर 3 साल के अंदर होने की उम्मीद है। तो भी यह मामला डीआरटी के अधिनिर्णय के अधीन है।

च. अनुसंधान और विकास व्यय की कुल राशि :

(₹ लाखों में)

| विवरण | 2015-16 | 2014-15 |
|-----------------|----------|----------|
| राजस्व व्यय* | 5,589.74 | 8,244.39 |
| पूंजीगत व्यय ** | 1,072.77 | 47.17 |

*अवधि के दौरान खर्च के रूप में मान्य अनुसंधान और विकास व्यय की कुल राशि नीचे दी जाती है :



क. अनुसंधान और विकास राजस्व व्यय :

| अनुसंधान और विकास खर्च में शामिल | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|---|----------------------------|----------------------------|
| सामग्री लागत | 421.90 | 277.18 |
| कर्मचारी पारिश्रमिक | 3,400.21 | 3,359.21 |
| मूल्यहास | 763.43 | 862.26 |
| बिजली एवं ईंधन | 211.79 | 166.78 |
| मरम्मत एवं अनुरक्षण | 20.72 | 17.76 |
| उपभोज्य औजार | 2.24 | 2.77 |
| यात्रा | 112.85 | 103.95 |
| अन्य खर्च | 855.53 | 653.43 |
| बेचे गए प्रोटोटाइप की बिक्री की लागत | 564.50 | 3,663.31 |
| कुल अनुसंधान और विकास राजस्व व्यय | 6,353.17 | 9,106.65 |
| घटाएं : मूल्यहास | 763.43 | 862.26 |
| निवल अनुसंधान और विकास व्यय | 5,589.74 | 8,244.39 |
| बेचे गए प्रोटोटाइप की बिक्री का मूल्य निवल बिक्री में शामिल | 1,161.00 | 5,710.02 |

** 31 मार्च, 2016 तक पूंजीगत व्यय के रूप में मान्य अनुसंधान एवं विकास व्यय की कुल राशि नीचे दी जाती है।

ख. अनुसंधान और विकास पूंजीगत व्यय :

(₹ लाखों में)

| विवरण | सकल ब्लाक | | | | मूल्यहास | | | | निवल ब्लाक | | |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|----------------|--|---|------------------|------------------|------------------|
| | 01.04.2015 पर | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान कमी/ पुनर्बीकरण और समंजन | 31.03.2016 पर | 01.04.2015 पर | वर्ष के लिए | वर्ष के दौरान बनाए रखे अर्जन के विरुद्ध समंजन | वर्ष के दौरान कमी/ पुनर्बीकरण और समंजन | 31.03.2016 पर | 31.03.2016 पर | 31.03.2015 पर |
| मूर्त आस्तियाँ | | | | | | | | | | | |
| भूमि | | | | | | | | | | | |
| मुफ्त पट्टे पर | 3.29 | - | - | 3.29 | - | - | - | - | - | 3.29 | 3.29 |
| सड़कें और नालियाँ | 51.39 | - | (14.81) | 36.58 | 49.75 | 1.44 | - | (17.81) | 33.38 | 3.20 | 1.64 |
| जलापूर्ति संस्थापन | 12.60 | - | - | 12.60 | 12.48 | 0.01 | - | (0.01) | 12.48 | 0.12 | 0.12 |
| भवन | 508.92 | - | (2.62) | 506.30 | 396.97 | 19.74 | - | (6.62) | 410.09 | 96.21 | 111.95 |
| संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण | 3,998.52 | 22.56 | (374.71) | 3,646.37 | 3,438.03 | 84.65 | - | (344.31) | 3,178.37 | 468.00 | 560.49 |
| विद्युत संस्थापन | 171.04 | 9.65 | 12.49 | 193.18 | 160.52 | 1.89 | - | 14.82 | 177.23 | 15.95 | 10.52 |
| फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स | 259.64 | 2.06 | 12.36 | 274.06 | 212.11 | 11.84 | - | 8.16 | 232.11 | 41.95 | 47.53 |
| परिवहन वाहन | 67.85 | 9.09 | 5.33 | 82.27 | 50.86 | 5.82 | - | (0.91) | 55.77 | 26.50 | 16.99 |
| कंप्यूटर एवं डेटा प्रसंस्करण इकाइयाँ | 779.50 | 90.71 | 338.48 | 1,208.69 | 760.27 | 20.79 | - | 319.59 | 1,100.65 | 108.04 | 19.23 |
| अमूर्त आस्तियाँ | | | | | | | | | | | |
| सॉफ्टवेयर | 1,203.95 | 938.70 | 0.32 | 2,142.97 | 1,011.08 | 127.75 | - | 0.03 | 1,138.86 | 1,004.11 | 192.87 |
| तकनीकी जानकारी | 2,937.02 | - | - | 2,937.02 | 1,819.66 | 489.50 | - | - | 2,309.16 | 627.86 | 1,117.36 |
| कुल मूर्त व अमूर्त आस्तियाँ | 9,993.72 | 1,072.77 | (23.16) | 11,043.33 | 7,911.73 | 763.43 | - | (27.06) | 8,648.10 | 2,395.23 | 2,081.99 |
| पिछले वर्ष | 9,953.72 | 47.17 | (7.17) | 9,993.72 | 7,031.97 | 862.26 | 28.86 | (11.36) | 7,911.73 | 2,081.99 | 2,921.75 |

छ. लेखांकन मानक 17 (क्षेत्रवार रिपोर्टिंग)

रक्षा उत्पादन में कार्यरत कंपनियों को लेखांकन मानक (क्षेत्रवार रिपोर्टिंग) से छूट दिए जाने संबंधी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं.जीएसआर 463(ई) दि.05.06.2015 (क्रम सं.8) को ध्यान में रखते हुए एएस-17 के अधीन अपेक्षितानुसार प्रकटन नहीं किया गया।

ज. सरकारी विभागों के साथ अग्रिम व शेष, देय एवं प्राप्य व्यापार, गैर-चालू के अंतर्गत वर्गीकृत अन्य ऋण और अग्रिम और जमा पुष्टि पर निर्भर हैं, कुछ पुरानी शेष समीक्षा/समायोजन हेतु विलंबित है। प्रबंधन को इस तरह की सुलह पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होने की उम्मीद है।

झ. चालू वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप जहां आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों का फिर से समूहीकृत/ पुनर्वर्गीकृत फिर से बनाया गया है।

ट. सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के अधीन अपेक्षित प्रकटीकरण

सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 34(3) के अधीन अनुपालनार्थ अपेक्षित विवरण नीचे दर्शित हैं।

(₹ लाखों में)

| विवरण | राशि | | अधिकतम राशि | |
|---|------------|------------|-------------|------------|
| | 31.03.2016 | 31.03.2015 | 31.03.2016 | 31.03.2015 |
| i. ऋण की प्रकृति में ऋण एवं अग्रिम | | | | |
| क. अनुषंगिक कंपनियों को | - | - | - | - |
| ख. एसोशिएट/संयुक्त उद्यमों को | - | - | - | - |
| ग. फर्म/कंपनियाँ, जिनमें निदेशक रुचि रखते हैं | - | - | - | - |
| घ. जहाँ कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है या सात वर्ष बाद पुनर्भुगतान है या ब्याज रहित है या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अनुसार ब्याजयुक्त | - | - | - | - |
| ii. बीईएमएल या उसके सहायक कंपनियों के शेयरों में ऋणदाता (उपर्युक्तानुसार) द्वारा किये गये निवेश | - | - | - | - |



स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

बीईएमएल लिमिटेड के सदस्यों को

एकल वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने बीईएमएल लिमिटेड (“कंपनी”) के संगत संलग्न वित्तीय एकल विवरणी, जिसके अंतर्गत 31 मार्च, 2016 तक के तुलन पत्र तथा उसी समाप्त वर्ष के लाभ व हानि विवरणी और नकदी प्रवाह विवरणी एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं, की लेखा परीक्षा की है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. कंपनी के निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (‘अधिनियम’) की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जवाबदेह हैं, जो कि भारत में सामान्य रूप में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह के साथ-साथ अधिनियम की धारा 133 सहपठित कंपनी (लेखा) नियम, 1924 के नियम 7 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा मानकों की सही और स्पष्ट विचार प्रस्तुत किया है। इस जवाबदेही, कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखा अभिलेखों का पर्याप्त रख-रखाव तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाना एवं रोकथाम, समुचित लेखा नीतियों का चयन एवं विनियोग, उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेना और आकलन करना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण, जोकि लेखा अभिलेखों की यथार्थता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए पूर्व से ही प्रभावशाली रहा हो, वित्तीय विवरण एवं प्रस्तुति से संबद्ध जो सही और स्पष्ट विचार देता है एवं विषयों के गलत विवरण से मुक्त रहता है, चाहे वह जालसाजी या गलती के कारण हो, शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

3. हमारा दायित्व हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित इन एकल वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा एवं लेखा परीक्षा के मानकों और विषयों, जिसे अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता होती है, पर ध्यान रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षा कार्य किया है। उन मानकों की यह अपेक्षा होती है कि हम नीतिगत आवश्यकताओं का पालन करें और योजना बनाएँ तथा उचित आश्वासन/विश्वास प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें चाहे वित्तीय विवरण यथार्थ विवरण से मुक्त हो।

4. लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरण में प्रकट की गई बातों और राशि के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। चयनित प्रक्रिया, लेखा परीक्षक के निर्णय सहित वित्तीय विवरण के अयथार्थ विवरण के जोखिमों का आकलन, चाहे वह जालसाजी हो या गलती हो, पर आधारित होती है। उन जोखिमों का आकलन करते समय, लेखा परीक्षक वित्तीय विवरण को तैयार करने में कंपनी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करते हैं कि डिजाइन लेखा परीक्षा प्रक्रिया के क्रम में सही व उचित मत प्रकट करता है तथा जोकि परिस्थिति के अनुरूप है, किंतु उस पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं है जबकि कंपनी में वित्तीय प्रस्तुति के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति प्रवृत्त है जो ऐसे नियंत्रण के प्रभावी रूप में संचालन के लिए उचित है। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा उपयोग होनेवाली लेखाकरण नीतियों की प्रयोज्यता का मूल्यांकन तथा कंपनी के प्रबंधक एवं निदेशक मंडल द्वारा बनाए गए लेखा आकलनों की औचित्यता साथ ही साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुति/प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य एकल वित्तीय विवरणी पर हमारे लेखा परीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त एवं उचित है।

विचार राय

हमारे राय में व हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण यथा अपेक्षित रूप से अधिनियम द्वारा वादित जानकारी देता है और 31 मार्च, 2016 तक के कंपनी कार्य मामलों तथा उक्त तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए उसके लाभ व उसके नकद प्रवाह का भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही व उचित विचार देता है।

जोर देने का विषय :

निम्नलिखित मदों पर हम ध्यान आकर्षित करते हैं :

क) रक्षा मंत्रालय से प्राप्य व्यापार के संबंध में टिप्पणी सं.18 (i) रक्षा मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम राशि पर ब्याज दर में अंतर के विरुद्ध ₹925.87 लाख। उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2009-10 के दौरान विभिन्न बिलों पर रक्षा मंत्रालय द्वारा 9.50% की दर पर वसूल की गयी ब्याज और जमा दर के बीच ब्याज दर के अंतर से संबंधित है। मामले को रक्षा मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और वह मंत्रालय के विचाराधीन है। रक्षा मंत्रालय से प्राप्य व्यापार के संबंध में टिप्पणी सं.18 (ii) ₹4899.99 लाख वर्ष 2001 में रक्षा मंत्रालय के साथ डिजाइन, विकास एवं आपूर्ति के लिए प्रवेश दीर्घकालीन ठेके के संबंध में घटकों की आयात में वृद्धि तथा विनिमय दर। इन प्राप्यों की वसूली रक्षा मंत्रालय द्वारा देय राशि के अंतिम निर्धारण पर निर्भर है।

ख) ₹5675.68 लाख के लिए एमएएमसी कन्सोर्टियम को दी गई अग्रिम राशि के संबंध में टिप्पणी सं.14(क), जिसका मूल्यांकन रक्षा मंत्रालय का अनुमोदन, व्यवहार्य व्यापार की योजना और निवेश के मूल्य कमी की परिणामी मूल्यांकन, यदि कोई हो, पर निर्भर होता है।

ग) व्यापार देनदारियाँ और जमा राशि के संबंध में पुराने शेष की पुष्टि न मिलने पर निलंबित समीक्षा/समायोजन के संबंध में टिप्पणी सं.31(जी)।

हमारी राय उपर्युक्त विषय पर मान्य-योग्य नहीं है।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के निबंधन में केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक प्रतिवेदन) आदेश, 2015 (आदेश) द्वारा यथा अपेक्षित, हम आदेश के पैराग्राफ 3 व 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर विवरण “अनुबंध क” में देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम प्रतिवेदन देते हैं कि :
 - (क) हमारी लेखा परीक्षा उद्देश्य के लिए, जो भी आवश्यक था वह सारी सूचना एवं स्पष्टीकरण हमने अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास में मांगा व प्राप्त किया।
 - (ख) हमारी राय में, कंपनी के कानून द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तिका रखा है जैसा कि उन पुस्तिकाओं की हमारी जानकारी से प्रतीत होता तथा उचित विवरण जो हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त है।



- (ग) तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरणी और नकद प्रवाह विवरण जो इस प्रतिवेदन में व्यवहार में लाया गया है, वह लेखा पुस्तिकाओं के अनुरूप है।
- (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 सहपठित कंपनी (लेखा)नियम, 2014 के नियम 7 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुपालन में है।
- (ङ.) सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा 164(2), जो निदेशकों की अपात्रता से संबंधित है, लागू नहीं होती।
- (च) कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संंध और ऐसे नियंत्रणों परिचालनीय प्रभावीकता के संबंध में कृपया “अनुबंध ख” में हमारी अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें ;
- (छ) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखा परीक्षक प्रतिवेदन में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय एवं हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित है –
- कंपनी ने अपनी वित्तीय विवरणी में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे को प्रकट/स्पष्ट किया है– वित्तीय विवरण में टिप्पणी सं.31(घ)(I)(क)(ii) का संदर्भ लें ।
 - कंपनी को दीर्घकालिक संविदा सहित व्युत्पन्न संविदा पर कोई भौतिक अनुमान्य हानि नहीं हुई थी ।
 - ऐसी कोई राशि नहीं थी, जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा में तथा संरक्षा निधि में अंतरित किया जाना आवश्यक था ।
3. अधिनियम की धारा 143(5) द्वारा यथा अपेक्षित, हम “अनुबंध ग” में हमारी अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

कृते एस.आर.आर.के.शर्मा एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण नं.003790एस

सीए एच.आर.रामस्वामी

भागीदार

सदस्यता सं.207116

स्थान : बेंगलूरु

तारीख : 27.05.2016

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से संदर्भित “अनुबंध-क”

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखे पर एकल वित्तीय विवरणों के सदस्यों को हमारी समदिनांक रिपोर्ट के झूठान्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन के शीर्ष के अधीन पैराग्राफ 1 में संदर्भित

ऐसी जाँच, जिसे हमने उचित माना है, के आधार पर तथा हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरण के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- i) (क) कंपनी ने सभी स्थायी परिसम्पत्तियों के लिए समुचित अभिलेखों का रख-रखाव, परिणात्मक विवरण तथा उसकी स्थिति को दर्शाते हुए किया है ।
- (ख) प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध तरीके से पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान सभी मदों को शामिल करते हुए तैयार कार्यक्रम के अनुसार स्थाई परिसम्पत्तियों की भौतिक जाँच की गई है, जो हमारी राय के अनुसार कंपनी के आकार एवं उसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार संगतयुक्त है। उक्त कार्यक्रम के अनुसरण में वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थाई संपत्तियों के कुछ अंश की जाँच की गई तथा में हमें बताये अनुसार बुक के अभिलेखों तथा भौतिक स्थाई परिसम्पत्तियों के बीच कोई वस्तुपरक विसंगतियाँ नहीं पायी गई ।
- (ग) निम्नलिखित मामलों को छोड़कर अचल परिसंपत्तियों के स्वत्व विलेख कंपनी के नाम पर है।
 - 1) हमें बताये अनुसार, मुम्बई और रांची में स्थित ₹33.00 लाख मूल्यवाले भवन पंजीकरण/खाता अंतरण के लिए निलंबित है।
 - 2) हमें बताये अनुसार, हैदराबाद स्थित ₹129.41 लाख मूल्यवाले पट्टाधारित भूमि, जिसका पंजीकरण शुरुम के विकास के उपरांत पूरा किया जाएगा।
 - 3) हमें बताये अनुसार, मैसूर स्थित ₹321.23 लाख मूल्यवाले (केआईएडीबी द्वारा मांग किए गए ₹183.57 लाख के अतिरिक्त मुआवजा सहित) 555.37 एकड़ मुफ्त भूमि, जिसके लिए केआईएडीबी से स्वत्व विलेख प्राप्त करना है ।
 - 4) केरल औद्योगिक अंतःसंरचना विकास निगम(केआईआईडीसी) ने दि.01.07.2009 से प्रभाव देकर 99 वर्षों की अवधि के लिए ₹2547.21 लाख के पट्टा प्रीमियम पर 374.59 एकड़ के पट्टे का भूमि का आबंटन किया है। वास्तव में केआईआईडीसी द्वारा सौंपा गया भूमि का क्षेत्र 374.16 एकड़ है और प्रदत्त संशोधित पट्टा प्रीमियम ₹2544.29 लाख मात्र है और पट्टा करार में औपचारिक संशोधन कार्य निलंबित है।
 - 5) हमें बताये अनुसार, कंपनी ने दि.05.05.2004 के पट्टे के समझौते के अनुसार दि.28.04.2004 से प्रभाव देकर प्रारंभिक रूप में 10 वर्षों की अवधि के लिए मेसर्स भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (बीजीएमएल) से 1109 एकड़ का भूमि तथा दो कर्मशालाओं को लिया है और इसके लिए गैर-वापसी जमा स्वरूप ₹100 लाख अदा की गयी है। कंपनी ने उपर्युक्त भूमि पर भवनों के निर्माण हेतु ₹1452.95 लाख (डब्ल्यूडीवी ₹1093.18 लाख) राशि की खर्च की है, जिसे वर्ष के अंत की स्थाई परिसंपत्तियों में (टिप्पणी 10) शामिल किया गया है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दि.09.07.2013 के आदेश द्वारा बीजीएमएल के सार्वभौमिक निविदा आमंत्रित करने के विषय पर केन्द्र सरकार के निर्णय का समर्थन करते हुए दि.28.04.2014 को समाप्त हो रहे बीईएमएल लिमिटेड द्वारा पट्टे पर लिया गया भूमि के अंश को ध्यान में रखते हुए निविदा दस्तावेज में उल्लेख किया जाए। कंपनी ने भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक वादकालीन याचिका दायर की, जिसमें सार्वभौमिक निविदा के दायरे से बीईएमएल द्वारा पट्टे पर लिया गया भूमि के बहिष्कार करने की प्रार्थना की गयी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इस संबंध में दि.28.04.2014 को बट्टे



की अवधि की समाप्ति होने के बाद भी कंपनी/सरकार के अंतिम निर्णय तक पट्टा जारी रखने का प्रावधान पट्टा करार में दिये जाने के कारण कंपनी के प्रचालन उक्त भूमि पर जारी रखा गया है।

6) हमें बताये अनुसार, कंपनी ने निम्नलिखित अचल आस्तियों के संबंध में विलेख अभिलेखों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की है :

| | | | |
|----|-----------------------------------|---|------------|
| क) | रोशन कॉम्प्लेक्स, मद्रास पर फ्लैट | - | ₹4.04 लाख |
| ख) | आशादीप, नई दिल्ली पर फ्लैट | - | ₹2.80 लाख |
| ग) | नागपूर पर कार्यालय भवन | - | ₹27.18 लाख |
| घ) | सिंगरौली पर पट्टाधारित भूमि | - | ₹1.75 लाख |

- ii) (क) तीसरी पार्टी के पास पडी हुई सामग्रियों तथा प्रगतिशील कार्य को छोड़कर, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान चरणबद्ध तरीके से सभी मदों को शामिल करते हुए कार्यक्रम बनाकर मालसूची का भौतिक सत्यापन किया गया । हमें दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर हमारी राय में सत्यापन की बारम्बारता संगतयुक्त है । पुस्तक अभिलेखों, जिसे खाते के लेखे में उचित रूप में निपटाया गया है, की तुलना में मालसूची के भौतिक सत्यापन पर भौतिक स्टॉक पाई गयी विसंगति से खास प्रभाव नहीं होता।
- iii) कंपनी अधिनियम की धारा 189 के अधीन अनुरक्षित रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारियों या अन्य पार्टियों को कंपनी द्वारा कोई सुरक्षित या असुरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया गया । तदनुसार आदेश के पैरा 3 (iii) (क)(ख) तथा (ग) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता ।
- iv) निदेशकों को ऋण का कोई लेनदेन नहीं है, और रक्षा उत्पादन में शामिल सरकारी कंपनी होने के नाते, ऋण, निवेश, गारंटी एवं सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 के अधीन के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता ।
- v) अधिनियम की धारा 73 से 76 तक के प्रावधान तथा संबंधित अन्य प्रावधान और उसके अधीन स्थापित नियमों एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कंपनी ने कोई जमाराशि स्वीकार नहीं किया ।
- vi) कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1), जो कंपनी द्वारा की गई गतिविधियों के संबंध में है, के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों के अनुरक्षण विनिर्दिष्ट किया गया है। हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित अभिलेख तैयार किया गया है तथा अनुरक्षित किया गया है।
- vii) (क) कंपनी नियमित रूप से भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य सम्बंधित बकाए सहित निर्विवाद सांविधिक देय राशि को तत्संबंधी प्राधिकार को जमा कर रही है । हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और भविष्य निधि के प्रति 31 मार्च 2016 पर उनके अदा करने की तारीख से छे महीनों केअंतर्गत कोई निर्विवाद सांविधिक राशि देय नहीं है ।
- ख) किसी विवाद के कारण देय आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर संबंधी विवरण नीचे दिया जाता है।

| कानून का नाम | विवादस्पद कर की प्रकृति | राशि(लाख रुपयों में) | अवधि, जिससे राशि संबंधित है | दल, जहाँ उक्त विवाद निलंबित है |
|--|--------------------------------------|----------------------|--|--|
| केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944 | ब्याज एवं जुर्माना सहित उत्पाद शुल्क | 31043.48 | 2003-04 से 2007-08 तक | सीईएसटीएटी, बंगलूर |
| | ब्याज एवं जुर्माना सहित उत्पाद शुल्क | 7880.44 | 2005-06 से 2010-11 तक | अपील प्राधिकारी |
| | राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क | 6441.98 | 2006-07 से 2011-12 तक | सीईएसटीएट |
| कुल उत्पाद शुल्क | | 38273.90 | | |
| सेवा कर अधिनियम, 1994 | जुर्माना सहित सेवा कर | 817.16 | 2004-05, 2006-07 । 2010-11 | सीईएसटीएटी, बंगलूर |
| | सेवा कर | 497.07 | 2006-07 से 2010-11 तक | अपील प्राधिकारी |
| कुल सेवा कर | | 1311.23 | | |
| सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 | सीमा शुल्क | 7036.07 | 2006-07 | सीईएसटीएटी, चेन्नई |
| कुल सीमा शुल्क | | 7036.07 | | |
| कर्नाटक नगरपालिका निगम अधिनियम, 1976 | नगरपालिका कर - के जी एफ | 754.11 | 2012 | शहर नगरपालिका परिषद - के जी एफ |
| | संपत्ति कर | 109.11 | 1995-96 से 2005-06 तक | शहर सिविल न्यायाधीश, बंगलूर |
| कुल उत्पाद शुल्क, सेवा कर एवं सीमा शुल्क | | 47484.42 | | |
| विभिन्न राज्यों के बिक्री कर अधिनियम | बिक्री कर/वैट | 9.79 | 2003-04 | महाराष्ट्र बिक्री कर अधिकरण |
| | बिक्री कर/वैट | 5500.70 | दिसंबर 2005 से मार्च 2008 तक तथा 2008-09, 2009-10, 2010-11 | कर्नाटक बिक्री कर अधिकरण |
| | बिक्री कर/वैट | 892.69 | 1999-2000, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2009-10 | विभिन्न राज्यों के संशोधन एवं अपील बोर्ड |
| | बिक्री कर/वैट | 3158.62 | 1983-84 से 2012-13 तक | अन्य अपील प्राधिकारी |
| कुल बिक्री कर/वैट | | 9561.80 | | |
| कुल | | 57046.22 | | |



- viii) किसी वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, सरकार और डिबेंचरधारियों को देय ऋण या उधार की अदायगी में कंपनी द्वारा कोई चूक नहीं हुई ।
- ix) कम्पनी ने वर्ष के दौरान ऋण लेख पत्र और आवधिक ऋण सहित प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से कोई पैसा जमा नहीं किया है।
- x) प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों और प्रदर्शित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी या उनके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है।
- xi) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की अनुसूची त के साथ पठनीय धारा 197 के प्रावधान, हो प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित है, कंपनी पर लागू नहीं होता।
- xii)
- xiii) संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 तथा 188 के अनुपालन में हैं और लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षितानुसार विवरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 3 ग के अधीन प्रकट किया गया है।
- xiv) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अधिमान्य आबंटन या शेयरों का निजी अंतरण या पूर्ण या आंशिक परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है।
- xv) कंपनी ने अपने निदेशकों या उनके साथ जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार के गैर-नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। अतः अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं होता।
- xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अधीन रजिस्टर किए जाने की जरूरत नहीं है, और तदनुसार आदेश का पैराग्राफ 3 (xvi) कंपनी पर लागू नहीं होता।

कृते एस.आर.आर.के.शर्मा एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण नं.003790एस

सीए एच.आर.रामस्वामी

भागीदार

सदस्यता सं.207116

स्थान : बेंगलूरु

तारीख : 27.05.2016

बीईएमएल लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समदिनांक रिपोर्ट से संदर्भित “अनुबंध-ख”

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2016 तक बीईएमएल लिमिटेड (“कंपनी”) के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय विवरणों को उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की एकल वित्तीय विवरणी पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए जवाबदेह है। इस जवाबदेही में, कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित अनुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण, जोकि कंपनी की नीतियों, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाना एवं रोकथाम, लेखा अभिलेखों की यथार्थता और पर्याप्तता, विश्वसनीय वित्तीय विवरणों की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय को विवेकपूर्ण एवं सशक्त रूप में संचालन सुनिश्चित करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी राय व्यक्त करनी है। हमने अपनी लेखा परीक्षा को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी (“दशानिर्देश टिप्पणी”) तथा लेखापरीक्षा के मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होने के अनुसार किया है। उन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणियों की यह अपेक्षा होती है कि हम नीतिगत आवश्यकताओं का पालन करें और योजना बनाएँ तथा उचित आश्वासन/विश्वास प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें चाहे वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हों तथा ऐसे नियंत्रण सभी यथार्थ मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हो।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभाविकता प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, मौजूद भौतिक कमजोरियों की जोखिम का आकलन करना, आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन एवं परिचालन प्रभाविकता को मूल्यांकित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के यथार्थ गलत अनुमान की जोखिम, चाहे वह धोखा या त्रुटि से हो, का आकलन करने सहित चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखा परीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त एवं उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की



विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। एककंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं कि --

- (1) समुचित विवरणों के साथ सही अभिलेखों के अनुरक्षण को कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन तथा स्वभाव को यथार्थतः एवं प्रतिबिंबित करने के संबंध में प्रदान करता है ;
- (2) आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आवश्यक लेनदेन अभिलेखित किए जाने और प्रबंधन एवं कंपनी के निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार कंपनी की प्राप्ति एवं व्यय तैयार किए जाने का समुचित आश्वासन प्रदान करता है ; और
- (3) वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डालनेवाले कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण के रोकथाम या समय पर पता लगाना, उपयोग, या स्वभाव के संबंध में समुचित आश्वासन प्रदान करता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की कपटसंधि या अनुचित प्रबंधन प्रत्यादिष्टी सहित त्रुटि या धोखाधड़ी की वजह से भौतिक गलत बयान हो सकते हैं और पता लगाया नहीं जाता। इसके अलावा, भावी समय के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन के अनुमान उस जोखिम पर निर्भर होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन, या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन बिगड जाने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है।

राय

हमारी राय में, कंपनी ने सभी यथार्थ मामलों में परिचालनीय पर्याप्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा मार्च 31, 2016 के अनुसार प्रभावी रूप से परिचालनीय वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपनाया है, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी के अधीन निर्धारित अनुसार उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है।

कृते एस.आर.आर.के.शर्मा एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण नं.003790एस

सीए एच.आर.रामस्वामी

भागीदार

सदस्यता सं.207116

स्थान : बेंगलूरु

तारीख : 27.05.2016

बीईएमएल लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समदिनांक रिपोर्ट से संदर्भित “अनुबंध-ग”

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) द्वारा अपेक्षित अनुसार रिपोर्ट

1) क्या कंपनी के पास मुफ्त और पट्टे की आस्ति के लिए स्पष्ट स्वत्व/पट्टे का विलेख उपलब्ध है? यदि नहीं तो उस मुफ्त और पट्टे की आस्ति के क्षेत्र का उल्लेख करें, जिसके लिए स्पष्ट स्वत्व/पट्टे का विलेख उपलब्ध नहीं है?

टिप्पणी : निम्नलिखित मामलों में कंपनी के पास मुफ्त और पट्टे की आस्ति के लिए स्पष्ट स्वत्व/पट्टे का विलेख उपलब्ध नहीं है ;

- i) मैसूर स्थित ₹321.23 लाख मूल्यवाले (केआईएडीबी द्वारा मांग किए गए ₹183.57 लाख के अतिरिक्त मुआवजा सहित) 555.37 एकड़ मुफ्त भूमि, जिसके लिए केआईएडीबी से स्वत्व विलेख प्राप्त करना है।
- ii) केरल औद्योगिक अंतःसंरचना विकास निगम(केआईआईडीसी) ने दि.01.07.2009 से प्रभाव देकर 99 वर्षों की अवधि के लिए ₹2547.21 लाख के पट्टा प्रीमियम पर 374.59 एकड़ के पट्टे का भूमि का आबंटन किया है। वास्तव में केआईआईडीसी द्वारा सौंपा गया भूमि का क्षेत्र 374.16 एकड़ है और प्रदत्त संशोधित पट्टा प्रीमियम ₹2544.29 लाख मात्र है और पट्टा करार में औपचारिक संशोधन कार्य निलंबित है।
- iii) कंपनी ने दि.05.05.2004 के पट्टे के समझौते के अनुसार दि.28.04.2004 से प्रभाव देकर प्रारंभिक रूप में 10 वर्षों की अवधि के लिए मेसर्स भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (बीजीएमएल) से 1109 एकड़ का भूमि तथा दो कर्मशालाओं को लिया है और इसके लिए गैर-वापसी जमा स्वरूप ₹100 लाख अदा की गयी है। कंपनी ने उपर्युक्त भूमि पर भवनों के निर्माण हेतु ₹1452.95 लाख (डब्ल्यूडीवी - ₹1093.18 लाख) राशि की खर्च की है, जिसे वर्ष के अंत की स्थाई परिसंपत्तियों में (टिप्पणी 10) शामिल किया गया है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दि.09.07.2013 के आदेश द्वारा बीजीएमएल के सार्वभौमिक निविदा आमंत्रित करने के विषय पर केन्द्र सरकार के निर्णय का समर्थन करते हुए दि.28.04.2014 को समाप्त हो रहे बीईएमएल लिमिटेड द्वारा पट्टे पर लिया गया भूमि के अंश को ध्यान में रखते हुए निविदा दस्तावेज में उल्लेख किया जाए। कंपनी ने भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक वादकालीन याचिका दायर की, जिसमें सार्वभौमिक निविदा के दायरे से बीईएमएल द्वारा पट्टे पर लिया गया भूमि के बहिष्कार करने की प्रार्थना की गयी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इस संबंध में दि.28.04.2014 को बट्टे की अवधि की समाप्ति होने के बाद भी कंपनी/सरकार के अंतिम निर्णय तक पट्टा जारी रखने का प्रावधान पट्टा करार में दिये जाने के कारण कंपनी के प्रचालन उक्त भूमि पर जारी रखा गया है।
- iv) मुम्बई और रांची में स्थित ₹33.00 लाख मूल्यवाले भवन पंजीकरण/खाता अंतरण के लिए निलंबित है।
- v) हैदराबाद स्थित ₹129.41 लाख मूल्यवाले पट्टाधारित भूमि, जिसका पंजीकरण शुरुम के विकास के उपरांत पूरा किया जाएगा।
- vi) कंपनी ने निम्नलिखित अचल आस्तियों के संबंध में विलेख अभिलेखों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की है :



| | | | |
|----|-----------------------------------|---|------------|
| क) | रोशन कॉम्प्लेक्स, मद्रास पर फ्लैट | - | ₹4.04 लाख |
| ख) | आशादीप, नई दिल्ली पर फ्लैट | - | ₹2.80 लाख |
| ग) | नागपूर पर कार्यालय भवन | - | ₹27.18 लाख |
| घ) | सिंगरौली पर पट्टाधारित भूमि | - | ₹1.75 लाख |

2) क्या ऋण/उधार/ब्याज आदि की छूट/खारिज करने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो उसके कारण तथा तत्संबंधी राशि का उल्लेख करें।

टिप्पणी : ऋण/उधार/ब्याज आदि की छूट/खारिज करने का कोई मामला नहीं है। तो भी, सभी संभाव्य प्रयास किए जाने पर भी वसूल न की गई ₹384.95 लाख के अप्राप्य ऋण को वर्ष के दौरान बोर्ड के अनुमोदन के साथ खारिज कर दिया गया।

3) क्या तीसरी पार्टियों के साथ पडी मालसूची तथा सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त आस्तियों के लिए समुचित अभिलेख अनुरक्षित किया गया है?

टिप्पणी : कंपनी द्वारा तीसरी पार्टियों के साथ पडी मालसूची के लिए समुचित अभिलेख ईआरपी प्रणाली में अनुरक्षित किया जाता है। कंपनी ने कर्नाटक सरकार से केजीएफ में 1849 एकड और 5 गुण्टा क्षेत्रवाले भूमि को मुफ्त में प्राप्त किया है। उक्त भूमि के विकास पर हुए खर्च को पूँजीकृत किया गया है तथा स्थाई परिसंपत्तियाँ – भूमि (मुफ्त) के अधीन सम्मिलित किया गया है।

कृते एस.आर.आर.के.शर्मा एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण नं.003790एस

सीए एच.आर.रामस्वामी

भागीदार

सदस्यता सं.207116

स्थान : बेंगलूरु

तारीख : 27.05.2016

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड, बेंगलूरु के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के लेखानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड, बेंगलूरु के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के लेखानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्तसांविधिक लेखापरीक्षकों की दायित्व यह है कि अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143 के अधीन उक्त वित्तीय विवरणों पर अपनी राय अभिव्यक्त करना है। उक्त कथन स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की दिनांक 27 मई, 2016 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है।

मैंने, भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड, बेंगलूरु के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए के वित्तीय विवरणों के अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। उक्त अनुपूरक लेखापरीक्षा, बिना सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यात्मक दस्तावेजों के, स्वतंत्र रूप में की गयी तथा प्रधानतया कम्पनी कार्मिकों तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की पृष्ठताछ और लेखा रिकार्डों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है। मुझसे की गयी लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में कोई महत्वपूर्ण ऐसा मुद्दा नहीं पाया गया, जिससे सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर या उसके अनुपूरक में कुछ टिप्पणी की जा सके।

भारत के लेखा नियंत्रक तथा महा लेखापरीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

बेंगलूरु

19 जुलाई 2016

(ई.पी. निवेदिता)
वाणिज्य लेखापरीक्षा के प्रधान



महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. लेखांकन का आधार :

ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत लेखाओं को तैयार किया गया है तथा अन्यथा सूचितों को छोड़कर ये लेखांकन के प्रोद्भव आधार पर, भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप है। जीएएपी में जहाँ तक संभव है, केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी(लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानक एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान शामिल हैं तथा इन्हें लगातार लागू किया गया है।

2. अनुमानों का उपयोग :

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में यह आवश्यकता है कि प्रबंध द्वारा अनुमान एवं प्राक्कलन की तैयारी की जाती है, जिससे परिसंपत्तियों एवं देयताओं की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरणों की तारीख पर अकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय की रिपोर्ट की गई राशि पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि सभी उपलब्ध जानकारी के साथ उचित एवं विवेकपूर्ण रूप में इस तरह के अनुमान तैयार किये जाने पर भी, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अंतर हो सकता है तथा ऐसे मतभेदों को उक्त अवधि में मान्यता दी गई है जिसमें पीरणाम का पता लगाया गया है।

3. स्थायी परिसंपत्तियाँ :

अ. पूँजीकरण :

- क. स्थायी परिसंपत्ति के मूल्य लागत पर है।
- ख. स्थायी परिसंपत्ति लागत में इसकी खरीद कीमत और परिसंपत्तियों को छोड़कर उद्देशित उपयोगार्थ काम करने की स्थिति में लाने का किसी प्रकार का लागत शामिल है।
- ग. भूमि विकास पर हुए खर्च को पूँजीकृत किया गया है।
- घ. परिसंपत्तियों की प्रमुख मरम्मत, पुनर्निर्माण, सुधार पर किए गए खर्च का पूँजीकरण सिर्फ़तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर की गयी, जो प्रचलित परिसंपत्तियों से भविष्य में पिछले मानक मूल्यांकन निष्पादन की तुलना में आगे हो (क्षमता में वृद्धि या जीवनकाल या कार्यकुशलता या उत्पादकता)।

ड. ₹ 5 लाख और उसके ऊपर के यूनिट मूल्यवाले जिग्स

और फिक्सचरों को पूँजीकृत किया जाता है और य 5 लाख से कम यूनिट मूल्यवाले जिग्स और फिक्सचरों को ग्रहण के वर्ष में बंद कर दिया जाता है।

आ. मूल्यहास

- (क) कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-खख के अनुसार कार्यशील जीवन की निर्धारित दरों (या प्रबंध की राय में जो कार्यशील जीवन की दर उचित हो) की सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्यहास प्रभारित है, जिसे पूँजीकरण महीने के अगले महीने से हिसाब में लाया जाता है। वर्तमान परिसंपत्तियों के जोड़ या विस्तार पर मूल्यहास का प्रावधान किया गया है ताकि वर्तमान परिसंपत्ति के अभिन्न अंग या परिसंपत्ति के उपयोग जीवन काल पर स्वतंत्र रूप में उपयोगार्थ सक्षम हो जाने पर मूल्य संपत्ति के जीवन काल के साथ सह-समाप्त किया जा सके।
- (ख) संपत्ति जिसका यूनिट लागत ₹.5000/- से अधिक नहीं है, उनका मूल्यहास पूँजीकरण के वर्ष में 100% की दर से उपलब्ध कराया जाता है।
- (ग) पट्टाधृत भूमि की कीमत यथानुपात आधार पर पट्टे की अवधि में ऋण चुकाया जाता है।
- (घ) पूँजीकृत किया गया जिग्स और फिक्सचरों को तीन वर्ष की अवधि तक मूल्यहास किया जाता है।

इ. उधार लेने की लागत :

योग्य स्थाई परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण सीधे उधार लेने की लागत को संपत्ति की लागत का एक अंश स्वरूप पूँजीकृत किया गया है।

ई. परिसंपत्तियों का अपक्षयन :

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर परिसंपत्तियों के अपक्षयन पर मूल्य निर्धारण करती है। अपक्षयन पर हानियों, यदि हो तो, को तदनुसार खाते में दर्शाया गया है।

4. अमूर्त परिसंपत्तियाँ :

क) साफ्टवेयर :

आंतरिक उपयोग के लिए आंतरिक रूप से

उत्पन्न/खरीदा गया साफ्टवेयर की लागत, जो संबंधित हार्डवेयर का समग्र भाग नहीं है, को अमूर्त परिसम्पत्ति स्वरूप मान्यता दी गई है तथा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर इसका परिशोधन सीधी पंक्ति प्रक्रिया के रूप में दस वर्षों के अंदर की अवधि में किया गया है। साफ्टवेयर, जो संबंधित हार्डवेयर का एक समग्र भाग है, को हार्डवेयर के साथ पूंजी में परिणत किया गया है।

ख) तकनीकी जानकारी:

तकनीकी जानकारी संबंधी खर्च को अमूर्त परिसम्पत्तियों के रूप में मान्यता दी गई है और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर इसका परिशोधन सीधी पंक्ति प्रक्रिया के रूप में दस वर्षों के अंदर की अवधि में किया गया है।

उपर्युक्त क्रम सं.(क) तथा (ख) के लिए परिसम्पत्तियों के उपयोग में न लाने के महीने के अगले महीने से परिशोधन प्रारंभ होगा।

5. माल सूची मूल्य निर्धारण :

- कच्चे माल, घटकों, भण्डार और स्पेयरों का लागत मूल्य, न्यून भारित औसत मूल्य या अनुमानित कुल वसूली का मूल्य, से लगाया गया है।
- प्रगतिशील कार्य को सामग्री, श्रम और यथोचित ऊपरी खर्च के न्यून लागत को प्रमाणक क्षमता पर या अनुमानित उगाही मूल्य के आधार पर अथवा संतुलित निवल उगाही मूल्य पर आंका गया है।
- तैयार माल का न्यून मूल्य अथवा अनुमानित निवल वसूलीय मूल्य पर लिया जाता है।
- जब भी वास्तविक लागत उपलब्ध न हो, अनुमानित लागत को मान लिया जाता है।
- विशिष्ट शिनाख्त पर लिखे गए मूल्य के आधार से मूल्य में गिरावट के लिए लागत का समंजन किया जाता है। अप्रचलन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाती हैं।
- तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, तैयार माल के पुनर्वैधीकरण/पुनर्नवीनीकरण करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं।
- अनुमानित वसूलीय मूल्य पर रद्दी माल का मूल्यांकन किया गया है।

6. ग्राहकों से पेशगियाँ :

ग्राहकों से प्राप्त पेशगियाँ, जिसमें मांग पत्र/बिक्री संविदाओं से प्राप्त पेशगी/प्रगामी भुगतान शामिल है, ग्राहकों को उनके संविदा पत्र के अनुसार भेजने के बाद निवल समंजन के अंतर्गत ली जाती हैं।

7. बिक्री /अन्य आय :

- अनुबंध के शर्तों के अनुसार जोखिम और स्वामित्व ग्राहक को दिये जाने पर उत्पादों जैसे उपकरण, एग्रीगेट्स, एटेचमेंट, पुर्जे और सहायक उत्पादों आदि की बिक्री की मान्यता दी जाती है।
- जटिल उपकरणों/प्रणालियों की आपूर्ति के ऐसे ठेके के मामलों में, जहाँ सामान्य चक्र समय और वितरण अवधि 12 महीने से अधिक होती है, और उपकरण/प्रणाली के मूल्य ₹25 करोड़ से अधिक होता है, 'प्रतिशत समापन विधि' पर राजस्व मान्यता को प्राप्त है, 'प्रतिशत समापन विधि' अनुबंध पर खर्च उत्पाद की अनुमानित कुल लागत रिपोर्टिंग तारीख के लिए वास्तविक लागत के अनुपात पर आधारित है।
इस तरह के एक अनुबंध का परिणाम केवल कुछ प्रगति प्राप्त करने के बाद ही अनुमान लगाया जा सकता है, राजस्व पर मज़बूती से केवल 25% तक प्रगति के लिए मान्यता प्राप्त है और उसके बाद राजस्व आनुपातिक आधार पर मान्यता प्राप्त है और ही लागत से अधिक राजस्व अधिशेष के 20% के लिए आकस्मिंत प्रावधान किया गया है, जबकि प्रत्याशित हानि को पूर्ण रूप में मान्यता दी जाती है।
- जहाँ बिक्री मूल्य स्थापित नहीं होते, वहाँ वसूलीय संभावित मूल्यों पर अस्थायी रूप में बिक्री की मान्यता दी जाती है।
- बिक्री में जहाँ कहीं लागू हो उत्पाद शुल्क शामिल है, मगर बिक्री कर शामिल नहीं है।
- निर्यात पर शुल्क वापसी संबंधी दावों को प्रधानता देकर लेखाकृत किया गया है।
- ठेके में प्रदान किए गए वृद्धि सूत्र के अनुसार वृद्धि के दावों का पहचान किए जाते हैं। ठेके में यदि कोई वृद्धि



का प्रावधान न किया गया हो तो, उसके लिए दावे ग्राहक की स्वीकृति पर मान्यता प्राप्त है।

- (vii) जहां ठेके में संस्थापन और कमीशनिंग के राजस्व को संस्थापन और कमीशनिंग में शामिल करने को मान्यता दी जाती है। संस्थापन और कमीशनिंग शुल्क अलग से निर्धारित नहीं जाने पर उत्पाद के लिए राजस्व मान्यता प्राप्त है, तथापि, इस तरह के संस्थापन और कमीशनिंग के तकनीकी रूप में अनुमानित लागत प्रदान की जाती है।

8. कर्मचारी हितलाभ:

- i) वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में बट्टारहित पर खर्च के स्तर में अल्पकालीन कर्मचारी हितलाभ को मान्यता दी गई है जो उनके द्वारा की गई सेवा से संबंधित है।
- ii) वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में खर्च के स्तर में नियोजित पद और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ को मान्यता दी गई है जो उनके द्वारा की ई-सेवा से सम्बंधित है। बीमांकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए निर्धारित की गई वर्तमान मूल्य की देय राशि पर खर्च को मान्यता दी गई है। नियोजित पद और अन्य दीर्घकालीन हितलाभ के प्रति बीमांकिक लाभ एवं हानियों के प्रभार लाभ एवं हानि लेखा में किया गया है।

9. विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए लेखांकन

- i) विदेशी मुद्रा सौदों को रुपयों में अभिलेखित किया गया है जो सौदों के समय विद्यमान विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के अनुसार लगाए गए या अग्रवर्ती संविदा दरों पर जहाँ कहीं भी लागू हो।
- ii) विदेशी मुद्रा सौदों से सम्बंधित चालू परिसम्पत्ति, चालू देयताएँ और दीर्घावधि देयताएँ जो लेखा रुपयों के आधार पर किया गया है जो तुलन पत्र या अग्रवर्ती संविदा दरों की तारीख से या बाकी शेष की तारीख से जो भी लागू है उस प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर है।
- iii) पुनर्नवीनीकरण/निपटान से हुए विदेशी दरों के अंतर को आय व्यय के रूप में लिया गया है।
- iv) मुद्रा ठेकों को आगे बढ़ाने के मामलों में, ठेका प्रारंभ

करने पर उत्पन्न होनेवाली बीमा-क्रिस्त या छूट ठेका अंत होने तक को लेखा में लिया जाता है। इस प्रकार रिपोर्ट करने की अवधि में विनिमय दरों में बदली होने पर उस ठेके को लाभ एवं हानि के लेखे में मान्यता दी जाती है।

10. संविदागत दायित्व :

ग्राहकों को बेचे गए उपस्करों के प्रति वारंटी देयता संविदात्मक दायित्व के लिए वार्षिकतकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निश्चित की जाती है।

11. अनुसंधान एवं विकास :

भारग्रहण वर्ष में अनुसंधान एवं विकास का खर्च प्रभार मुक्त है। नए उत्पादों के विकास पर खर्च को बिक्री के लिए इरादा रखने पर मालसूची के अंतर्गत लिया जाता है। जबकि यह बिक्री के लिए है। पूंजीकृत व्यय का परिशोधन सीधी पंक्ति प्रक्रिया के रूप में दस वर्षों के अंदर की अवधि के लिए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। परिशोधन परिसम्पत्ति का उपयोग किये जाने के महीने के अगले महीने से शुरू किया जाता है। अनुसंधान एवं विकास से सम्बंधित स्थायी परिसम्पत्ति का खर्च पूंजीकृत किया गया है।

12. पूर्व अवधि मद :

पूर्व अवधि समंजन वह समंजन है, जिसमें प्रत्येक मामले में य1 लाख से ऊपर समंजन की पूर्व अवधि समंजन के लिए है, जो पिछले वर्षों की छूट और गलतियों के सुधार से पैदा हुए हैं।

13. लागत का कम/अधिक समावेशन :

कार्य का कम या अधिक लागत का समंजन अगर कुल बिक्री के एक प्रतिशत से अधिक हो तो कम या अधिक की वसूली होगी।

14. आय पर कर

कर व्यय में वर्तमान कर एवं आस्थगित कर शामिल हैं। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारणीय लाभ की गणना के आधार पर वर्तमान कर के लिए प्रावधान सुनिश्चित किया जाता है। वित्तीय

विवरणों में मदों की मान्यता देने तथा वर्तमान आय कर प्रावधान अनुमानित करने से उत्पन्न सर्वसमय अंतर पर आस्थगित कर मान्यता दी जाती है बशर्ते आस्थगित कर संपत्तियों के संबंध में विवेकपूर्ण विचार के अधीन है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर आस्थगित कर संपत्ति/देयता की आगे ले जानेवाली राशि की समीक्षा की जाती है।

15. पट्टागत संपत्तियाँ :

पट्टे के अधीन दी गई संपत्तियों से प्राप्य पट्टे किराया को लाभ व हानि लेखा में मान्यता दी गई है। प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को भारग्रण पर व्यय किया जाता है।

16. निवेश :

दीर्घावधि निवेश लागत पर लिए जाते हैं। स्थायी रूप से इस प्रकार के निवेशों के मूल्यों में गिरावट को मान्यता दी जाती है। चालू निवेशों, कम लागत और अच्छे मूल्य पर लिए जाते हैं।

17. प्रावधान, आकस्मिक देनदार और आकस्मिक संपत्तियां

प्रावधान की मान्यता तब दी जाती है, जब

- अतीत घटनाओं के परिणामस्वरूप में वर्तमान दायित्व पैदा हुआ है।

- यह संभव है कि विश्वसनीय अनुमान किए जाने की स्थिति पर संबंधित दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए संसाधनों की बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।

तुलन पत्र की तारीख पर दायित्वों को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा अनुमान के आधार पर प्रावधानों को निर्धारण करना आवश्यक है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और सबसे बेहतर वर्तमान अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं की मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन टिप्पणियों में प्रकट किए गए हैं।

आकस्मिक संपत्तियों की न तो मान्यता प्राप्त है और न ही वित्तीय विवरण में प्रकट किए गए हैं।

18. अन्य :

- i) विशेष औजार जिनका यूनिट मूल्य ₹.5000 से अधिक नहीं है, उनको ग्रहण वर्ष में बंदकर दिया जाता है और ₹.5000 से अधिक होने पर तीन वर्ष की अवधि तक ऋण चुकाया जाता है।
- ii) हस्त औजारों को जारी करते समय खर्च में दिखाया जाता है।
- iii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के व्यय को आस्थगित राजस्व व्यय को ग्रहण किया जाता है।

संलग्न हमारी समदिनांक रिपोर्ट का अवलोकन करें।

कृते मेसर्स एस.आर.आर.के.शर्मा एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण नं. 003790एस

सीए एच.आर.रामस्वामी

भागीदार

सदस्यता सं.207116

बंगलूरु

27.05.2016

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

पी.द्वारकानाथ

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएन 02107805)

एम ई वी सेल्वम

कम्पनी सचिव



समेकित तुलन पत्र

(₹ लाखों में)

| विवरण | नोट सं. | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|--|---------|----------------------------|----------------------------|
| I. इक्विटी एवं देयताएँ | | | |
| 1. शेयरधारियों की निधि | | | |
| (क) शेयर पूंजी | 1 | 4,177.22 | 4,177.22 |
| (ख) आरक्षित और अधिशेष | 2 | 206,796.49 | 203,496.52 |
| उपकुल | | 210,973.71 | 207,673.74 |
| (2) आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन रकम | | - | - |
| (3) अप्रचलित देयताएँ | | | |
| (क) दीर्घावधि उधार | 3 | 36,265.22 | 41,392.67 |
| (ख) अन्य दीर्घावधि देयताएँ | 4 | 36,399.19 | 31,697.48 |
| (ग) दीर्घावधि व्यवस्थाएं | 5 | 16,064.26 | 16,435.86 |
| उपकुल | | 88,728.67 | 89,526.01 |
| (4) चालू देयताएँ | | | |
| (क) अल्पावधि उधार | 6 | 14,721.42 | 18,016.75 |
| (ख) अदा किये जानेवाले व्यापार | 7 | | |
| (अ) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम | | 1,421.67 | 3,279.27 |
| (आ) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से इतर | | 39,742.60 | 51,306.62 |
| (ग) अन्य चालू देयताएँ | 8 | 61,838.98 | 77,234.27 |
| (घ) अल्पावधि व्यवस्थाएं | 9 | 15,619.22 | 12,782.37 |
| उपकुल | | 133,343.89 | 162,619.28 |
| (5) अल्प हित | | 19.04 | 17.50 |
| कुल | | 433,065.31 | 459,836.53 |
| II. परिसम्पत्तियाँ | | | |
| (1) अप्रचलित परिसम्पत्तियाँ | | | |
| (क) स्थाई परिसम्पत्तियाँ | | | |
| (i) मूर्त परिसम्पत्तियाँ | 10 | 53,590.64 | 46,800.20 |
| (ii) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ | 10 | 1,715.58 | 1,415.24 |
| (iii) प्रगतिशील पूंजी कार्य | 11 | 5,883.43 | 14,994.98 |
| (iv) विकास के अधीन अमूर्त परिसम्पत्तियाँ | 11A | 4,504.95 | 4,174.86 |
| (ख) अप्रचलित निवेश | 12 | 0.04 | 0.04 |
| (ग) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (निवल) | 13 | 10,330.71 | 10,097.92 |
| (घ) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम | 14 | 22,294.56 | 22,862.98 |
| (च) अन्य अप्रचलित परिसम्पत्तियाँ | 15 | 434.05 | 406.92 |
| उपकुल | | 98,753.96 | 100,753.14 |
| (2) वर्तमान परिसम्पत्तियाँ | | | |
| (क) चालू निवेश | 16 | - | - |
| (ख) मालसूचियाँ | 17 | 170,237.52 | 192,869.92 |
| (ग) प्राप्य व्यापार | 18 | 120,805.10 | 99,169.67 |
| (घ) नकद एवं नकद समान | 19 | 6,619.75 | 14,554.77 |
| (च) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम | 20 | 20,354.63 | 16,099.58 |
| (छ) अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियाँ | 21 | 16,294.35 | 36,389.45 |
| उपकुल | | 334,311.35 | 359,083.39 |
| कुल | | 433,065.31 | 459,836.53 |

इसके साथ संलग्न टिप्पणी सं. 1 से 31 तक और समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ वित्तीय विवरणों का एक अंश है।

संलग्न हमारी समदिनांक रिपोर्ट देखें
कृते मेसर्स एम.आर.आर.के.शर्मा एसोसिएट्स
 सनदी लेखाकार
 फर्म पंजीकरण नं. 003790एस
सीए एच.आर.रामसामी
 भागीदार
 सदस्यता सं. 207116
 स्थान : बेंगलूरु
 दिनांक : 27.05.2016
 104

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

पी.द्वारकानाथ
 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
 (डीआईएन 02107805)

एम ई वी सेल्वम
 कम्पनी सचिव

समेकित लाभ हानि लेखा विवरण

| विवरण | नोट सं. | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|---|--------------|----------------------------|----------------------------|
| राजस्व : | | | |
| उत्पाद शुल्क सहित राजस्व | 22 | 328,068.16 | 299,119.13 |
| घटाएं : उत्पाद शुल्क(टिप्पणी सं. 22(ळ) देखें) | | 30,296.74 | 18,909.93 |
| परिचालनों से राजस्व | | 297,771.42 | 280,209.20 |
| अन्य आय | 23 | 3,916.74 | 5,973.53 |
| कुल राजस्व | | 301,688.16 | 286,182.73 |
| खर्च : | | | |
| सामग्रियों की खपत | 24 | 145,771.23 | 135,552.41 |
| व्यापार माल की खरीद | 24A | 51.21 | 31.90 |
| निर्मित माल, प्रगतिशील कार्य तथा व्यापार में | | | |
| स्टॉक की मालसूचियों में परिवर्तन | 25 | 24,501.34 | 20,843.09 |
| कर्मचारी हितलाभ खर्च | 26 | 77,323.26 | 77,497.33 |
| वित्तीय लागत | 27 | 4,926.40 | 7,075.28 |
| मूल्यहास एवं परिशोधन खर्च | 10 | 5,401.50 | 5,300.84 |
| अन्य खर्च | 28 | 37,164.68 | 39,283.76 |
| अल्प ब्याज | | 1.54 | (0.75) |
| कुल खर्च | | 295,141.16 | 285,583.86 |
| असामान्य एवं असाधारण पूर्वाविधि मद एवं | | | |
| कर कर के पूर्व लाभ/(हानि) | | 6,547.00 | 598.87 |
| जोड़ें/(घटायें) : असाधारण मद | 29 | - | 14.66 |
| पूर्वाविधि समंजन के कर पूर्व लाभ/(हानि) | | 6,547.00 | 613.53 |
| जोड़ें/(घटायें) : पूर्वाविधि समंजन | 30 | (89.11) | (67.87) |
| कर के पूर्व लाभ/(हानि) | | 6,457.89 | 545.66 |
| कर संबंधी खर्च | | | |
| (1) चालू कर (एमएटी) | | 1,381.51 | 148.10 |
| (2) आस्थगित कर | | (232.79) | (178.11) |
| (3) पिछले वर्ष के अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखा | | - | (17.33) |
| वर्ष के लिए लाभ/(हानि) | 31(A) | 5,309.17 | 593.00 |
| प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (प्रति रुपये 10/-) | | | |
| मूल एवं कम किया हुआ | 31(A) | 12.75 | 1.42 |

इसके साथ संलग्न टिप्पणी सं. 1 से 31 तक और समेकित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ वित्तीय विवरणों का एक अंश है।

संलग्न हमारी समदिनांक रिपोर्ट देखें

कृते मेसर्स एस्.आर.आर.के.शर्मा एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण नं. 003790एस

सीए एच.आर.रामसामी

भागीदार

सदस्यता सं.207116

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 27.05.2016

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

पी.द्वारकानाथ

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएन 02107805)

एम ई वी सेल्वम

कम्पनी सचिव



समेकित नक़दी प्रवाह विवरण

(₹ लाखों में)

| विवरण | यथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष | | यथा 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष | |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|
| | उप वस्तु | प्रमुख वस्तु | उप वस्तु | प्रमुख वस्तु |
| क. परिचालन गतिविधियों से नक़दी प्रवाह | | | | |
| कर पूर्व निवल लाभ और असामान्य मद समंजन के लिए | | 6,457.89 | | 545.66 |
| मूल्यहास | 5,401.50 | | 5,300.84 | |
| विशेष औजारों का परिशोधन | 255.44 | | 209.52 | |
| नियत परिसम्पत्तियों के निपटान से हानि/(लाभ) | 14.08 | | (15.74) | |
| विदेशी मुद्र से हानि/(लाभ) | 94.01 | | (119.41) | |
| अप्रचलन के लिए प्रावधान | 555.45 | | 702.60 | |
| पट्टे खाते में डाले गये अप्राप्य ऋण | 384.95 | | 146.72 | |
| वित्तीय लागत | 4,926.40 | | 7,075.28 | |
| ब्याज आय | (756.98) | | (955.65) | |
| अल्प हित | 1.54 | | (0.75) | |
| अन्य प्रावधान | 2,732.90 | 13,609.29 | 2,233.80 | 14,577.21 |
| कार्यकारी पूँजी में परिवर्तन आने से पहले संचालित लाभ/(हानि) | | 20,067.18 | | 15,122.87 |
| समंजन के लिए | | | | |
| मालसूचियाँ | 21,642.52 | | 23,941.07 | |
| व्यापार और अन्य अप्राप्य | (3,111.03) | | (870.24) | |
| अन्य चालू परिसंपत्तियाँ | (4,038.54) | | 2,016.66 | |
| देय व्यापार | (13,496.28) | | 15,733.22 | |
| अन्य देय | (11,121.01) | (10,124.34) | (2,398.91) | 38,421.80 |
| प्ररिचालत परिचालनों से नक़द प्रवाह (प्रदत्त)/वापसी प्रत्यक्ष कर | | 9,942.84 | | 53,544.67 |
| | | (1,494.25) | | 1,237.75 |
| परिचालन गतिविधियों से/में प्रयुक्त निवल नक़द प्रवाह | | 8,448.59 | | 54,782.42 |
| ख. परिचालन गतिविधियों से नक़द प्रवाह | | | | |
| स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद | (2,439.94) | | (4,075.64) | |
| अमूर्त स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद | (1,274.09) | | (483.44) | |
| मूर्त स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री | (10.87) | | 15.75 | |
| प्राप्त ब्याज | 764.26 | | 947.62 | |
| निवेश गतिविधियों से/में प्रयुक्त निवल नक़द प्रवाह | | (2,960.64) | | (3,595.71) |
| ग. वित्तीय गतिविधियों से नक़दी प्रवाह | | | | |
| ईसीबी और दीर्घवधि उधार से धनागम/(पुनर्भुगतान) और दीर्घवधि उधार | | | | |
| बांडों से/को धनागम/(पुनर्भुगतान) | (3,144.45) | | (3,144.43) | |
| असुरक्षित ऋण से/को धनागम/(पुनर्भुगतान) | (1,565.60) | | (1,565.61) | |
| इंटर कॉर्पोरेट ऋण से/को धनागम/(पुनर्भुगतान) | (417.40) | | (417.40) | |
| सुलभ ऋण से/को धनागम/(पुनर्भुगतान) | (3,295.33) | | (26,113.53) | |
| अल्पवधि ऋण से धनागम/(पुनर्भुगतान) | (4,498.97) | | (6,657.92) | |
| वित्तीय लागत | (501.22) | | (487.22) | |
| इक्विटी शेयरों पर प्रदत्त लाभांश एवं कर | | (13,422.97) | | (38,386.11) |
| वित्तीय गतिविधियों से/में प्रयुक्त निवल नक़द प्रवाह | | (7,935.02) | | 12,800.60 |
| नक़द एवं नक़द समतुल्यों की निवल वृद्धि/(कमी) | | 14,554.77 | | 1,754.17 |
| नक़द एवं नक़द समतुल्यों के अधिशेष | | 6,619.75 | | 14,554.77 |

संलग्न हमारी समादिनांक रिपोर्ट देखें

कृते मेसर्स एस.आर.आर.के.शर्मा एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण नं. 003790एस

सीए एच.आर.रामसामी

भागीदार

सदस्यता सं. 207116

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 27.05.2016

106

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

पी.द्वारकानाथ

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(डीआईएन 02107805)

एम ई वी सेल्वम

कम्पनी सचिव

टिप्पणियाँ जो वित्तीय विवरणों का एक अंश हैं

वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI में निर्धारित कम्पनी के सामान्य परिचालन चक्र तथा अन्य निर्धारकों के अनुसार सभी परिसंपत्तियों तथा देयताओं को चालू तथा गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति तथा परिसंपत्तियों के अभिग्रहण के प्रोसोसिंग तथा उसके नकद या नकद समतुल्य के रूप में वसूलीकरण के बीच के समय के आधार पर कंपनी ने परिसंपत्तियों तथा देयताओं के चालू-गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए अपने परिचालन चक्र को 12 महीनों के रूप में निश्चित किया है। जहाँ कहीं अपेक्षित है, आंकड़ों का ग्रीपिंग एवं रीग्रीपिंग किया गया है।

टिप्पणी 1 : शेयर पूँजी

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | | 31 मार्च 2015 पर | |
|--|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| प्राधिकृत: | | | | |
| प्रति शेयर ₹ 10/- के इक्विटी शेयर | 100000000 | 10,000.00 | 100000000 | 10,000.00 |
| निर्गत : | | | | |
| प्रति शेयर ₹ 10/- के इक्विटी शेयर | 41900000 | 4,190.00 | 41900000 | 4,190.00 |
| अभिदत्त : | | | | |
| प्रति शेयर ₹ 10/- के इक्विटी शेयर | 41644500 | 4,164.45 | 41644500 | 4,164.45 |
| प्रदत्त : | | | | |
| प्रति शेयर ₹ 10/- के इक्विटी शेयर, पूर्णतः प्रदत्त | 41644500 | 4,164.45 | 41644500 | 4,164.45 |
| अपवर्तित शेयर (मूलतः प्रदत्त राशि): | | | | |
| प्रति शेयर ₹ 5/- के इक्विटी शेयर प्रदत्त | 255500 | 12.77 | 255500 | 12.77 |
| कुल | | 4,177.22 | | 4,177.22 |

इक्विटी शेयरों से जुड़ी हुई शर्तें/निबंधन:

कंपनी के पास प्रतिशेयर ₹ 10/- अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर वर्ग ही है। इक्विटी शेयर के प्रत्येक शेयरधारी को प्रति शेयर को एक वोट करने के अधिकार हैं। लाभांश का भुगतान भारतीय रुपए में किया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा सिफारिश लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी पर निर्भर है। कंपनी के द्रवीकरण के संदर्भ में, प्रत्येक शेयरधारी को सभी अग्रता शेयरों की राशि में वितरण के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने का अधिकार होगा। शेयरधारियों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में इसका वितरण किया जाएगा।

| 5 सालों के लिए प्रकटीकरण अपेक्षाएं | शेयरों की संख्या | | | | | |
|---|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | विवरण | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 |
| बिना नकद भुगतान के ठेके के विरुद्ध पूर्ण रूप में प्रदत्त स्वरूप आबंधित शेयर | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| बोनस शेयर के रूप में प्रदत्त स्वरूप आबंधित शेयर | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| पूर्ण खरीद शेयर | | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया शेयरों का मिलान:

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | | 31 मार्च 2015 पर | |
|--|------------------|----------|------------------|----------|
| | शेयरों की संख्या | राशि | शेयरों की संख्या | राशि |
| प्रारंभिक तारीख पर बकाया | 41,644,500 | 4,164.45 | 41,644,500 | 4,164.45 |
| जोड़ : अवधि के दौरान निर्गत | - | - | - | - |
| घटाएँ: अवधि के दौरान पुनर्खरीदी (यदि हो) | - | - | - | - |
| अंतिम तारीख पर बकाया | 41,644,500 | 4,164.45 | 41,644,500 | 4,164.45 |



| 5% या उससे अधिक धारित शेयरधारी के इक्विटी शेयर | 31 मार्च 2016 पर | | 31 मार्च 2015 पर | |
|--|------------------|------------|------------------|------------|
| | शेयरों की संख्या | होल्डिंग % | शेयरों की संख्या | होल्डिंग % |
| भारत के राष्ट्रपति | 22,500,000 | 54.03 | 22,500,000 | 54.03 |
| रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी को.लिमिटेड | 3,912,949 | 9.40 | 2,968,702 | 7.12 |
| भारतीय जीवन बीमा निगम | 1,245,235 | 2.99 | 2,764,061 | 6.63 |

सहायक कंपनियों के पास कंपनी के कोई शेयर नहीं होते। कंपनी के पास किसी भी होल्डिंग कंपनी नहीं है। शेयरों/विनिवेश की बिक्री के लिए विकल्प और अनुबंध/प्रतिबद्धताओं के तहत जारी के लिए कंपनी के कोई शेयर आरक्षित नहीं है।

टिप्पणी सं. 2 आरक्षित एवं अधिशेष

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|--|-------------------|-------------------|
| पूँजी आरक्षित | | |
| अधिशेष | 105.82 | 105.82 |
| वर्ष के दौरान जमा | - | - |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ | - | - |
| इतिशेष | 105.82 | 105.82 |
| नोनिमारा उत्कृष्ट पुरस्कार के लिए आरक्षित | | |
| अधिशेष | 1.44 | 1.44 |
| वर्ष के दौरान जमा | - | - |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ | - | - |
| इतिशेष | 1.44 | 1.44 |
| समेकन पर पूँजी आरक्षित | | |
| अधिशेष | 26.60 | 26.60 |
| वर्ष के दौरान जमा | - | - |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ | - | - |
| इतिशेष | 26.60 | 26.60 |
| प्रतिभूति प्रीमियम लेखा | | |
| अधिशेष | 61,204.09 | 61,204.09 |
| वर्ष के दौरान जमा | - | - |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ | - | - |
| इतिशेष | 61,204.09 | 61,204.09 |
| पूँजी प्रतिदेय आरक्षित | | |
| अधिशेष | 10.00 | 10.00 |
| वर्ष के दौरान जमा | - | - |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ | - | - |
| इतिशेष | 10.00 | 10.00 |
| डिबेंचर प्रतिदेय आरक्षित | | |
| अधिशेष | 1,143.37 | 467.80 |
| वर्ष के दौरान जमा | 3,260.57 | 675.57 |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ | - | - |
| इतिशेष | 4,403.94 | 1,143.37 |
| सामान्य आरक्षित | | |
| अधिशेष | 118,997.02 | 118,997.02 |
| वर्ष के दौरान जमा | - | - |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ | - | - |
| इतिशेष | 118,997.02 | 118,997.02 |
| विदेशी मुद्रा अंतरण लेखा | | |
| अधिशेष | (11.06) | 19.09 |
| वर्ष के दौरान जमा | - | - |
| वर्ष के दौरान कटौतियाँ | 4.31 | 30.15 |
| इतिशेष | (15.37) | (11.06) |
| लाभ व हानि लेखों में शेष | | |
| अधिशेष | 22,019.24 | 23,093.43 |
| दि.01.04.2014 के अनुसार शून्य उपयोगी जीवन सहित परिसंपत्तियों की राशि को ले जाने का समायोजन | - | (490.40) |
| वर्ष के दौरान जमा/(घटाव) | 5,309.17 | 593.00 |
| घटाएँ: विनियोजन | | |
| - डिबेंचर प्रतिदेय आरक्षित को अंतरण | 3,260.57 | 675.57 |
| - प्रस्तावित लाभांश | 1,665.78 | 416.45 |
| - लाभांश पर कर | 339.11 | 84.77 |
| - सामान्य आरक्षित को अंतरण | - | - |
| इतिशेष | 22,062.95 | 22,019.24 |
| कुल | 206,796.49 | 203,496.52 |

टिप्पणी सं. 3 दीर्घकालीन उधार

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | | 31 मार्च 2015 पर | |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | गैर-चालू | चालू | गैर-चालू | चालू |
| आवधिक ऋण | | | | |
| बैंकों से ऋण सुरक्षित | | | | |
| i. स्टेट बैंक ऑफ ट्रावन्कोर से, मशीनरी, कलपुर्जे, उपकरण, वर्तमान तथा भविष्य के सामान (प्रप्तियाँ और मौजूदा संपत्तियाँ को छोड़कर) एवं पालक्काड़ कॉम्प्लेक्स में अचल संपत्ति का साम्यिक बंधक सहित सभी चल संपत्तियाँ के दृष्टिबंधक का माध्यम से प्रथम प्रभार पर सुरक्षित. ब्याज की दर 10.20% | 733.60 | 494.25 | 1,228.05 | 494.25 |
| ii. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से, बीईएमएल आवासीय टाउनशिप भूमि और उसके भवन (बेंगलूर कॉम्प्लेक्स) के 61 एकड़ और 37 गुंटा विशेष प्रथम प्रभार पर सुरक्षित ब्याज की दर 9.14% | - | 2,650.00 | 2,650.00 | 2,650.00 |
| iii. सुरक्षित प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर, बीईएमएल आवासीय टाउनशिप भूमि और उसके भवन (बेंगलूर कॉम्प्लेक्स) के 46 एकड़ और 28 गुंटा विशेष प्रथम प्रभार पर सुरक्षित ब्याज की दर 9.24% | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - |
| अन्य पार्टियों से असुरक्षित | | | | |
| i. कंपनी के कार्पोरेट गारंटी के खिलाफ इंटर कार्पोरेट ऋण (कोल इण्डिया से) | 4,696.82 | 1,565.60 | 6,262.42 | 1,565.60 |
| ii. सुलभ ऋण-केरल सरकार से ब्याजमुक्त ऋण | 834.80 | 417.40 | 1,252.20 | 417.40 |
| कुल | 36,265.22 | 5,127.25 | 41,392.67 | 5,127.25 |

बैंकों से ऋण अवधि की परिपक्वता पैटर्न :

(₹ लाखों में)

| बैंक का नाम | परिपक्वता पैटर्न | | | |
|--------------------------|------------------|---------|---------|---------|
| | ब्याज की दर | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
| स्टेट बैंक ऑफ ट्रावन्कोर | 10.20% | 494.25 | 494.25 | 239.35 |
| स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक | 9.14% | 2650.00 | - | - |

सुरक्षित प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर की परिपक्वता पैटर्न

(₹ लाखों में)

| कूपन दर | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|---|----------|----------|----------|
| प्रतिवर्ष 9.24% - प्रतिवर्ष 18 मई और 18 नवंबर को अर्ध वार्षिक रूप में देय | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |

असुरक्षित इंटर कार्पोरेट ऋण की परिपक्वता पैटर्न:

(₹ लाखों में)

| ब्याज की दर | ब्याज की दर | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|-------------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| बैंक दर और 3.50% वर्तमान में 12.25% | 11.25% | 1565.60 | 1565.61 | 1565.61 | 1565.60 |

सुलभ ऋण की परिपक्वता पैटर्न- केरल सरकार से ब्याजमुक्त ऋण :

(₹ लाखों में)

| ब्याज की दर | ब्याज की दर | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|--|-------------|---------|---------|---------|
| सुलभ ऋण-ब्याजमुक्त ऋण, 5 वर्षों में 10 समान किश्तों में प्रतिदेय | 0.00% | 417.40 | 417.40 | 417.40 |



टिप्पणी सं. 4 अन्य दीर्घकालीन-देयताएं

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|----------------------|------------------|------------------|
| प्राप्त अग्रिम | 36,260.23 | 31,643.62 |
| कर्मचारी संबंधित | 13.58 | 0.19 |
| प्राप्त जमा और ईएमडी | 125.38 | 53.67 |
| कुल | 36,399.19 | 31,697.48 |

टिप्पणी सं. 5 दीर्घकालीन प्रावधान

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|---|------------------|------------------|
| कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान | | |
| छुट्टी वेतन के लिए | 12,437.96 | 13,426.73 |
| सेवानिवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा योजना के लिए | 2,841.01 | 1,973.17 |
| अन्य प्रावधान | | |
| वारंटी के लिए | 173.00 | 135.00 |
| असमाप्त दायित्व के लिए | 612.29 | 900.96 |
| कुल | 16,064.26 | 16,435.86 |

टिप्पणी सं. 6 अल्पावधि उधार

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|--|------------------|------------------|
| बैंकों से मांग पर प्रतिदेय | | |
| सुरक्षित | | |
| नकद ऋण और अल्पावधि ऋण (मालसूची, प्राप्य बिल, बुक ऋण तथा वर्तमान और भविष्य दोनों सभी चल संपत्तियों के दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम प्रभार पर सुरक्षित) | 14,721.42 | 18,016.75 |
| असुरक्षित | - | - |
| कुल | 14,721.42 | 18,016.75 |

टिप्पणी सं. 7 प्रदत्त व्यापार

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|--|------------------|------------------|
| सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के कुल बकाया देय | 1,421.67 | 3,279.27 |
| सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के इतर लेनदारों के कुल बकाया देय | 39,742.60 | 51,306.62 |
| कुल | 41,164.27 | 54,585.89 |

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की सूचनाएँ उन विक्रेताओं को मात्र कुल हद तक प्रकट की गई, जो उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के आधार पर कंपनी द्वारा पहचाने गये हैं। कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|---|------------------|------------------|
| देय राशि एवं वर्ष के अंत तक प्रदत्त | | |
| - मूलधन | 587.11 | 976.42 |
| - उक्त मूलधन पर ब्याज | 51.13 | 23.10 |
| वर्ष के दौरान नियत दिन से परे प्रदत्त भुगतान | | |
| - मूलधन | 8,406.00 | 7,799.40 |
| - ब्याज | - | - |
| ब्याज और पहले ही प्रदत्त मूलधन के लिए देय | 399.97 | 417.08 |
| वर्ष के अंत तक अप्रदत्त एवं अर्जित ब्याज | 451.10 | 440.18 |
| देय ब्याज ओर आगामी वर्षों में भी देय है, जिसे एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत घटाया व्यय के रूप में अस्वीकारने के लिए वास्तविक रूप में लघु उद्यमों को ब्याज देने की अवधि तक हो। | 113.86 | 243.08 |

टिप्पणी सं. 8 अन्य चालू देयताएं

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|---|------------------|------------------|
| दीर्घकालीन ऋण की चालू परिपक्वताएँ (टिप्पणी सं. 3 देखें) | 5,127.25 | 5,127.25 |
| अर्जित ब्याज लेकिन उधार पर देय नहीं | 1,131.68 | 1,119.86 |
| अर्जित ब्याज लेकिन उधार पर देय | - | 35.49 |
| लावारिस लाभांश | 38.64 | 43.88 |
| अन्य देय | | |
| क. कर्मचारी से संबंधित देय राशि | 2,219.76 | 1,611.16 |
| ख. वैधानिक बकाया राशि | 4,358.52 | 6,052.68 |
| ग. प्राप्त जमा एवं ईएमडी | 1,061.05 | 790.52 |
| घ. एफजीआई/अन्य पर ईडी प्रावधान | 6,914.80 | 9,162.27 |
| ङ अन्य देय | 7,091.74 | 7,335.94 |
| च. अग्रिम एवं जमा | 33,895.54 | 45,955.22 |
| कुल | 61,838.98 | 77,234.27 |

टिप्पणी सं. 9 अल्पावधि-प्रावधान

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|---|------------------|------------------|
| कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान | | |
| उपदान के लिए | - | 1,337.81 |
| छुट्टी वेतन के लिए | 3,249.67 | 1,642.82 |
| कार्यनिष्पादन से संबंधित वेतन के लिए | 570.00 | 370.00 |
| सेवानिवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा योजना के लिए | 1,413.07 | 277.19 |
| अधिकारियों के पेन्शन के लिए | 1,171.86 | 674.14 |
| वेतन संशोधन के लिए | 94.92 | 63.66 |
| प्रावधान- अन्य | | |
| प्रस्तावित लाभांश | 1,665.78 | 416.45 |
| लाभांश पर कर | 339.11 | 84.77 |
| आयकर | 6.02 | - |
| लंबित कानूनी मामलों के लिए | 37.37 | 346.20 |
| वारंटी के लिए | 6,312.20 | 6,070.36 |
| असमाप्त दायित्वों के लिए | 759.22 | 1,498.97 |
| कुल | 15,619.22 | 12,782.37 |



प्रावधानों में प्रचलन (दीर्घावधि एवं अल्पावधि)

(₹ लाखों में)

| विवरण | 01.04.2015 पर | जमा | उपयोगिता | विपर्यय | 31.03.2016 पर | |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | | दीर्घकालीन | अल्पावधि |
| उपदान | 1,337.81 | 841.77 | 2,245.48 | - | - | ★ (65.90) |
| छुट्टी वेतन | 15,069.55 | 4,619.56 | 4,001.48 | - | 12,437.96 | 3,249.67 |
| सेवानिवृत्ति के बाद अंशदायी चिकित्सा योजना | 2,250.36 | 2,184.61 | 180.89 | - | 2,841.01 | 1,413.07 |
| कार्य निष्पादन से संबंधित वेतन | 370.00 | 200.00 | - | - | - | 570.00 |
| अधिकारियों के पेन्शन | 674.14 | 1,171.86 | 659.47 | 14.67 | - | 1,171.86 |
| लंबित कानूनी मामले | 63.66 | 31.26 | - | - | - | 94.92 |
| वारंटी | 346.20 | 8.24 | 307.27 | 9.80 | - | 37.37 |
| असमाप्त दायित्व | 6,205.36 | 6,426.49 | 5,704.57 | 442.08 | 173.00 | 6,312.20 |
| | 2,399.93 | 470.56 | 691.01 | 807.97 | 612.29 | 759.22 |
| कुल | 28,717.01 | 15,954.35 | 13,790.17 | 1,274.52 | 16,064.26 | 13,542.41 |

★ *कंपनी ने उपदान के विरुद्ध दायित्व से ₹ 65.90 लाख अधिक निधियन किया और इस राशि को पूर्व प्रदत्त व्यय एवं अन्य अग्रिम (टिप्पणी 20) के शीर्ष के अधीन शामिल किया गया।

टिप्पणी सं. 10 समेकित स्थाई परिसंपत्तियाँ

(₹ लाखों में)

| विवरण | सकल ब्लाक | | | | मूल्यहास | | | | निवल ब्लाक | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.04.2015 | वर्ष के दौरान | कमी/पुनर्कीर्णकरण और समंजन | 31.03.2016 | 01.04.2015 | वर्ष के लिए | बनाई रखी कमाई के विरुद्ध समायोजन | कमी/पुनर्कीर्णकरण और समंजन | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 31.03.2015 |
| | पर | वृद्धि | वर्ष के दौरान | पर | पर | | वर्ष के दौरान | वर्ष के दौरान | पर | पर | पर |
| मूर्त आस्तियाँ | | | | | | | | | | | |
| भूमि | | | | | | | | | | | |
| मुफ्त पट्टे पर | 1,289.47 | 3.79 | (7.01) | 1,286.25 | - | - | - | - | - | 1,286.25 | 1,289.47 |
| सड़कें और नालियाँ | 8,888.37 | - | (87.89) | 8,800.48 | 258.32 | 41.39 | - | - | 299.71 | 8,500.77 | 8,630.05 |
| जलापूर्ति संस्थापन | 2,634.39 | 9.07 | (0.01) | 2,643.45 | 1,113.90 | 258.36 | - | 104.31 | 1,476.57 | 1,166.88 | 1,520.49 |
| भवन | 688.89 | 4.09 | (35.14) | 657.84 | 420.95 | 19.30 | - | (29.71) | 410.54 | 247.30 | 267.94 |
| रेलवे साइडिंग्स | 21,369.33 | 1,720.41 | 165.80 | 23,255.54 | 8,106.00 | 783.11 | - | 1.61 | 8,890.72 | 14,364.82 | 13,263.33 |
| संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण | 929.22 | 368.53 | - | 1,297.75 | 428.52 | 109.31 | - | - | 537.83 | 759.92 | 500.70 |
| विद्युत संस्थापन | 68,134.58 | 8,354.11 | (780.16) | 75,708.53 | 50,078.58 | 2,592.84 | - | (789.32) | 51,882.10 | 23,826.43 | 18,056.00 |
| फर्नीचर एवं फिक्सर्स | 4,402.37 | 542.74 | 59.49 | 5,004.60 | 3,310.72 | 173.95 | - | 57.78 | 3,542.45 | 1,462.15 | 1,091.65 |
| वाहन | 1,721.12 | 37.77 | (1.19) | 1,757.70 | 1,314.54 | 111.03 | - | (2.04) | 1,423.53 | 334.17 | 406.58 |
| पट्टे पर दिया हुआ | 487.17 | 282.84 | (53.49) | 716.52 | 251.12 | 96.07 | - | (34.07) | 313.12 | 403.40 | 236.05 |
| स्वयं उपयोग | 2,323.17 | 1.04 | (222.99) | 2,101.22 | 1,541.45 | 173.97 | - | (132.13) | 1,583.29 | 517.93 | 781.72 |
| कार्यालय उपकरण | 631.14 | 17.29 | 95.76 | 744.19 | 584.41 | 24.50 | - | 73.97 | 682.88 | 61.31 | 46.73 |
| जिम्स एवं फिक्सर्स | 2,194.81 | 131.01 | (17.67) | 2,308.15 | 1,676.95 | 272.10 | - | (3.87) | 1,945.18 | 362.97 | 517.86 |
| कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग यूनिट | 4,769.56 | 207.01 | 550.92 | 5,527.49 | 4,577.93 | 94.91 | - | 558.31 | 5,231.15 | 296.34 | 191.63 |
| कुल मूर्त आस्तियाँ | 120,463.59 | 11,679.70 | (333.58) | 131,809.71 | 73,663.39 | 4,750.84 | - | (195.16) | 78,219.07 | 53,590.64 | 46,800.20 |
| पिछले वर्ष | 117,985.97 | 2,585.86 | (108.24) | 120,463.59 | 68,758.92 | 4,559.91 | 490.40 | (145.84) | 73,663.39 | 46,800.20 | 49,227.05 |

(₹ लाखों में)

| विवरण | सकल ब्लाक | | | | मूल्यहास | | | | निवल ब्लाक | | |
|--|-------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.04.2015 | वर्ष के दौरान | कमी/पुनर्वर्गीकरण और समंजन | 31.03.2016 | 01.04.2015 | वर्ष के लिए | बनाई रखी कमाई के विरुद्ध समायोजन | कमी/पुनर्वर्गीकरण और समंजन | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 31.03.2015 |
| | पर | वृद्धि | वर्ष के दौरान | पर | पर | वर्ष के दौरान | वर्ष के दौरान | पर | पर | पर | |
| अमूर्त आस्तियाँ | | | | | | | | | | | |
| कंप्यूटर सॉफ्टवेयर | 1,441.80 | 944.00 | (0.01) | 2,385.79 | 1,143.92 | 161.16 | - | 0.01 | 1,305.09 | 1,080.70 | 297.88 |
| तकनीकी जानकारी | 2,937.03 | - | - | 2,937.03 | 1,819.67 | 489.50 | - | (0.01) | 2,309.16 | 627.87 | 1,117.36 |
| भूमि के विरुद्ध टीडीआर | - | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | - | - | 7.01 | - |
| कुल अमूर्त आस्तियाँ | 4,378.83 | 944.00 | 7.00 | 5,329.83 | 2,963.59 | 650.66 | - | - | 3,614.25 | 1,715.58 | 1,415.24 |
| पिछले वर्ष | 4,276.36 | 62.31 | 40.16 | 4,378.83 | 2,182.11 | 740.93 | - | 40.55 | 2,963.59 | 1,415.24 | 2,094.25 |
| कुल मूर्त व अमूर्त आस्तियाँ चालू वर्ष | 124,842.42 | 12,623.70 | (326.58) | 137,139.54 | 76,626.98 | 5,401.50 | - | (195.16) | 81,833.32 | 55,306.22 | 48,215.44 |
| कुल मूर्त व अमूर्त आस्तियाँ पिछले वर्ष | 122,262.33 | 2,648.17 | (68.08) | 124,842.42 | 70,941.03 | 5,300.84 | 490.40 | (105.29) | 76,626.98 | 48,215.44 | 51,321.30 |

क. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अधीन निर्धारित कार्यशील जीवन निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में मूल्यहास की गणना के लिए कंपनी द्वारा कार्यशील जीवन का पालन किया जाता है। जिग्स और फिक्सर्स के लिए तोड फोड के शामिल एवं तीव्र दर की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए कमी कार्यशील जीवन का पालन किया जाता है।

- ₹ 5000 से कम लागतवाले व्यक्तिगत परिसंपत्तियाँ – कार्यशील जीवन 1 वर्ष
- ₹ 5.00 लाख से अधिक पूंजीकृत जिग्स और फिक्सर्स – कार्यशील जीवन 3 वर्ष

I. लेखांकन मानक 19 (पट्टे पर लेना)

- पट्टे पर लिये गये कार्यालय परिसर :

अपने कार्यालय परिसर के पट्टे के विपणन में पट्टे संचालन के विषय में कम्पनी के महत्वपूर्ण पट्टे पर लेने की व्यवस्थाएँ हैं। उन पट्टे पर लेने की व्यवस्थाएँ, जो रद्द नहीं की जा सकती, सामान्य रूप से 5 वर्षों के लिए हैं और आपसी सहमती से अवधि बढ़ाई जा सकती है। टिप्पण सं.28 में किराये के अंतर्गत पट्टे पर दिए गए किराये का पूर्णयोग प्रकट किया गया है।

- रद्द न किए जाने के आधार पर पट्टे पर कार

| | | |
|-------|--|-------------------------------------|
| I. क) | कुल चलाई गई राशि | ₹716.52 लाख(पिछले वर्ष ₹487.17 लाख) |
| ख) | संचित मूल्यहास | ₹313.12 लाख(पिछले वर्ष ₹251.12 लाख) |
| ग) | संचित हानिकारक हानियाँ | ₹. शून्य |
| घ) | (i) लाभ एवं हानि लेखे में मान्य मूल्यहास | ₹96.07 लाख (पिछले वर्ष ₹69.07 लाख) |
| | (ii) लाभ एवं हानि लेखे में पहचानी गयी क्षति हानिकारक हानियाँ | ₹. शून्य(पिछले वर्ष ₹ शून्य) |
| | (iii) लाभ एवं हानि लेखे में प्रवर्तित क्षति हानिकारक हानियाँ | ₹. शून्य(पिछले वर्ष ₹ शून्य) |

II. भविष्य में न्यूनतम पट्टे की अदायगी ग्रे मंजूरी संचलित हानियाँ- पट्टे पर लिए कार

| | | |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------|
| (i) | एक वर्ष के बाद का | ₹47.24 लाख(पिछले वर्ष ₹53.73 लाख) |
| (ii) | एक वर्ष के बाद मगर पाँच वर्ष से कम | ₹177.76लाख(पिछलेवर्ष ₹162.76 लाख) |
| (iii) | पाँच वर्ष से बाद | ₹155.57 लाख(पिछले वर्ष ₹49.52लाख) |

| | | |
|------|--|-----------------------------------|
| III. | लाभ एवं हानि लेखा में आय के रूप में मान्य कुल किराया | ₹64.86 लाख(पिछले वर्ष ₹45.88 लाख) |
|------|--|-----------------------------------|



ग. स्वयं के वाहनों के सकल मूल्य में परीक्षण के लिए ग्राहकों को लागत रहित एवं प्रतिबद्धतारहित (एनसीएनसी) के आधार पर दिये उपकरण भी शामिल है – ₹ 132.05 लाख (डब्ल्यूडीवी – ₹ 58.62 लाख) (पिछले वर्ष ₹ 763.68 लाख (डब्ल्यूडीवी – ₹ 110.96 लाख))

घ. स्थाई परिसंपत्तियाँ

I) भवन में मुंबई और रांची में ₹33.00 लाख (पिछले वर्ष ₹33.00 लाख) मूल्यवाले इमारत की लागत शामिल है, जिसका पंजीकरण/खाता हस्तांतरण लंबित है।

ii) कंपनी ने दि.05.05.2004 के पट्टे के समझौते के अनुसार दि.28.04.2004 से प्रभाव देकर प्रारंभिक रूप में 10 वर्षों की अवधि के लिए भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड से (बीआईएफआर द्वारा समापन का आदेश के तहत कंपनी) 1109 एकड़ का भूमि तथा दो कर्मशालाओं को लिया है और इसके लिए गैर-वापसी जमा स्वरूप ₹ 100 लाख अदा की गयी है (ऋण एवं अग्रिम (टिप्पणी सं.14) में शामिल है।) पट्टे के समझौते की शर्तों के अनुसार, इस जमा को इस संपत्ति के लिए स्वामित्व अंतरण/आउटराइट बिक्री नियत किया जाएगा तथा पट्टेदार को अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के हित में नए भवन के निर्माण करने/मौजूदा इमारत में परिवर्तन करने/सड़क बनाने/फेन्स लगाने का अधिकार होगा और पट्टे की समाप्ति पर पट्टेदाता को संपत्ति को वापस सौंपने की तारीख पर प्रचलित मूल्य के आधार पर विचार करते हुए संपत्ति को वापस सौंपा जाएगा। इस भूमि पर कंपनी को भवनों के निर्माण पर ₹1452.95 लाख (डब्ल्यूडीवी – ₹1093.18 लाख) ((पिछले वर्ष य 1452.95 लाख) (डब्ल्यूडीवी – ₹1141.93 लाख)) की राशि की खर्च हुई, जिसे वर्ष के अंत के लिए स्थाई परिसंपत्तियों (टिप्पणी सं.10) के तहत सम्मिलित किया गया।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दि.09.07.2013 के आदेश द्वारा बीजीएमएल के सार्वभौमिक निविदा आमंत्रित करने के विषय पर केन्द्र सरकार के निर्णय का समर्थन करते हुए दि.28.04.2014 को समाप्त हो रहे बीईएमएल लिमिटेड द्वारा पट्टे पर लिया गया भूमि के अंश को ध्यान में रखते हुए निविदा दस्तावेज में उल्लेख किया जाए। कंपनी ने भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक वादकालीन याचिका दायर की, जिसमें सार्वभौमिक निविदा के दायरे से बीईएमएल द्वारा पट्टे पर लिया गया भूमि के बहिष्कार करने की प्रार्थना की गयी, जिसे खारिज कर दिया गया था। इस संबंध में दि.28.04.2014 को पट्टे की अवधि की समाप्ति होने के बाद भी कंपनी/सरकार के अंतिम निर्णय तक पट्टा जारी रखने का प्रावधान पट्टा करार में दिये जाने के कारण कंपनी के प्रचालन उक्त भूमि पर जारी रखा गया है। निविदा प्रक्रिया के परिणाम के आधार पर उचित लेखा कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

iii) पट्टे पर लिए गए भूमि में पट्टा प्रीमियम ₹ 2547.21 लाख (सेवा कर रहित) (पिछले वर्ष ₹ 2547.21 लाख) पर दि.01.07.2009 से प्रभाव देकर 99 वर्षों की पट्टा अवधि सहित 374.59 एकड़ का केरल औद्योगिक अंतःसंरचना विकास निगम द्वारा आबंटित पट्टे का भूमि शामिल है। वास्तव में केरल औद्योगिक अंत संरचना विकास निगम द्वारा सौंपा गया भूमि का क्षेत्र 374.16 एकड़ है और प्रदत्त संशोधित पट्टा प्रीमियम ₹ 2544.29 लाख है। केरल औद्योगिक अंतःसंरचना विकास निगम द्वारा पट्टा करार में आवश्यक संशोधन करने के बाद वित्तीय विवरणों में समायोजन किया जाएगा।

iv) पट्टे पर भूमि में केआईएडीबी (बेंगलूर एयरोस्पेस, एसईजेट पार्क) से ₹ 5126.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 5126.00 लाख) पर सदा की लीज पर लिया 101175.92 वर्ग मीटर की भूमि भी शामिल है।

v) मुफ्त भूमि में ₹ 129.41 लाख लागत का हैदराबाद भूमि शामिल है, जिसका पंजीकरण शोरूम के विकास होने के बाद पूरा किया जाएगा।

vi) तकनीकी तौर पर मूल्यांकित संपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य इन संपत्तियों के अनुरक्षण लागत से अधिक होने पर संपत्तियों की हानि के लिए आवश्यक मानकर कोई प्रावधान नहीं किया गया।

vii) मुफ्त भूमि में मैसूर स्थित 555.37 एकड़ भूमि, जिसका लागत ₹321.23 लाख शामिल है (केआईएडीबी द्वारा मांगे गये अतिरिक्त मुआवजा ₹183.57 लाख सम्मिलित है), जिसके लिए शीर्षक प्रलेख केआईएडीबी से प्राप्त होना है। केआईएडीबी

के मांग के अनुसार, 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए ₹486.60 लाख (पिछले वर्ष ₹ 464.12 लाख) का ब्याज का प्रावधान किया गया। हालांकि ब्याज से छूट देने के लिए मामले को केआईएडीबी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो केआईएडीबी में लंबित है। ब्याज और अतिरिक्त मुआवजा के लिए देयता सृजित की गई। केआईएडीबी के साथ मामले का निपटान किए जाने के बाद पंजीकरण किया जाएगा।

viii) मुफ्त रूप में प्राप्त 3.647 एकड़ भूमि को टीडीआर ₹4.58 लाख (लागत पर) के विरुद्ध बीबीएमपी को वापस किया गया। मुफ्त रूप में प्राप्त 1.937 एकड़ भूमि को बीबीएमपी को वापस किया गया, जिसके लिए टीडीआर ₹2.43 लाख (लागत पर) अभी तक प्राप्य है।

उपर्युक्त टीडीआर को आगे निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा।

ix) निम्नलिखित अचल परिसंपत्तियों के लिए शीर्ष प्रलेख प्राप्त करने हेतु कंपनी द्वारा कार्रवाई की गई है।

| | | |
|----------------------------------|---|------------|
| (1) रोशन कॉम्प, मद्रास पर फ्लाट | - | ₹4.04 लाख |
| (2) आशादीप, नई दिल्ली पर फ्लाट | - | ₹2.80 लाख |
| (3) नागपुर में कार्यालय भवन | - | ₹27.18 लाख |
| (4) सिंगरौली में पट्टेधारित भूमि | - | ₹1.75 लाख |

ड) वर्ष के दौरान अतिरिक्त संपत्तियों के चूर लागत की राशि को निम्नानुसार पूंजीकृत किया गया :-

| | | |
|--------------------|---|-------------|
| संयंत्र एवं मशीनरी | - | ₹510.51 लाख |
| भवन | - | ₹104.88 लाख |
| विद्युत संस्थापन | - | ₹17.92 लाख |
| तकनीकी जानकारी | - | ₹330.09 लाख |

टिप्पणी सं. 11 प्रगतिशील पूंजी कार्य

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| भवन | 118.43 | 1,358.02 |
| निरीक्षणधीन एवं अंतरणाधीन उपकरण | 69.67 | 59.11 |
| मशीनरी | 5,532.03 | 12,689.73 |
| अन्य | 163.30 | 888.12 |
| कुल | 5,883.43 | 14,994.98 |

टिप्पणी सं. 11 क विकासधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|--|------------------|------------------|
| उच्च क्षमता डंप ट्रक के लिए विकास व्यय | 4,504.95 | 4,174.86 |
| कुल | 4,504.95 | 4,174.86 |



टिप्पणी सं. 12 गैर-वर्तमान निवेश

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|---|------------------|------------------|
| दीर्घावधि, लागत पर अनिर्दिष्ट | | |
| व्यापार निवेश | | |
| संयुक्त उद्यम कंपनी के इक्विटी शेयरों में : | | |
| बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड में, पूर्ण रूप में प्रदत्त प्रत्येक य 10 वाले 54,22,500 इक्विटी शेयर | 542.25 | 542.25 |
| घटाएँ : बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड में, के निवेश मूल्य में हास के लिए प्रावधान | (542.25) | (542.25) |
| कुल व्यापार निवेश | - | - |
| कुल व्यापार निवेश | | |
| अन्य निवेश | | |
| सहकारी समितियों के साधारण शेयरों में निवेश-अनिर्दिष्ट, पूर्ण रूप में प्रदत्त | | |
| बीईएमएल उपभोक्ता सहकारी सोसायटी लिमिटेड, केजीएफ में | | |
| पूर्ण रूप में प्रदत्त प्रत्येक य 10 वाले 250 इक्विटी शेयर | 0.03 | 0.03 |
| गुलमोहर मॅशन अपार्टमेंट सहकारी हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, | | |
| बेंगलूरु में पूर्ण रूप में प्रदत्त प्रत्येक य 100 वाले 10 इक्विटी शेयर | 0.01 | 0.01 |
| ट्रिवन स्टार सहकारी हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, | | |
| मुम्बई में, पूर्ण रूप में प्रदत्त प्रत्येक य 50 वाले 5 इक्विटी शेयर | - | - |
| कुल अन्य निवेश | 0.04 | 0.04 |
| कुल- लागत पर अनिर्दिष्ट | 0.04 | 0.04 |

लेखांकन मानक 27(संयुक्त उद्यमों के हित संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग)

| नाम | प्रकृति | होलिंडग % | निगमन के देश |
|--------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|
| बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड | संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई | 45.00 | भारत |

(क) कंपनी कानूनी बोर्ड के समक्ष लंबित मुकदमों के कारण संयुक्त उद्यम कंपनी बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड ने 31 मार्च 2016 पर वित्तीय विवरणों की तैयारी नहीं की है, इसलिए परिसंपत्तियों, देयताओं, आय और खर्च में कंपनी के शेयर तथा आकस्मिक देयताओं में अपने शेयर के संबंध में लेखांकन मानक 27 (संयुक्त उद्यमों के हित संबंधी वित्तीय रिपोर्टिंग) के तहत प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया जा सका। संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों की अनुपस्थिति में उसे बीईएमएल के वित्तीय विवरणों के साथ समेकित नहीं किया गया।

(ख) कंपनी ने बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड में सुविधाएँ स्थापित करने में ₹ 1912.50 लाख के लिए कार्पोरेट गारंटी जारी की है। जैसा कि बीईएमएल मिडवेस्ट उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहा, संबंधित बैंक ने कार्पोरेट गारंटी को लागू करके कंपनी से दावा किया है। तो भी कंपनी ने इस तथ्य पर दावे का भुगतान करने से इनकार कर दिया कि उक्त दावा उन ठेकाओं से संबंधित है जिसका बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड के बोर्ड से अनुमोदन से प्रवेश किया है और अधिकांश शेयरधारियों ने दुर्विनियोजित किया है और बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड के बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों एवं निबंधनों को गैर-अनुपालन से जारी हुआ है। मामला अभी ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के पास निलंबित है। इस संबंध में कंपनी कोई बहिर्वाह नहीं की है।

टिप्पणी सं. 13 आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|---|------------------|------------------|
| आस्थगित कर देयताओं का विवरण (डीटीएल) | | |
| स्थाई परिसम्पत्तियों से सम्बंधित | 5,201.36 | 4,233.53 |
| विशेष औजार | 146.81 | 135.06 |
| कुल डीटीए (क) | 5,348.17 | 4,368.59 |
| आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (डीटीए) | | |
| आयकर अधिनियम, 1961 के तहत समयांतर | 15,623.96 | 14,419.80 |
| अन्य | 8.80 | 9.24 |
| उपदान/छुट्टी देयता | 46.12 | 37.47 |
| कुल डीटीए (ख) | 15,678.88 | 14,466.51 |
| निवल कुल (ख-क) | 10,330.71 | 10,097.92 |

टिप्पणी सं. 14 दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|---|------------------|------------------|
| असुरक्षित, प्राप्य मान्य | | |
| पूँजी अग्रिम | 108.34 | 126.49 |
| सुरक्षा जमा | 894.67 | 836.54 |
| अंतर कारपोरेट ऋण | 2,451.83 | 3,269.11 |
| अन्य ऋण एवं अग्रिम (नीचे टिप्पणी(क) को देखें) | 6,077.47 | 6,047.82 |
| अग्रिम आय कर भुगतान (निवल प्रावधान) | 12,630.43 | 12,499.12 |
| पूर्व प्रदत्त खर्च एवं अन्य अग्रिम | 131.82 | 83.90 |
| उप-कुल | 22,294.56 | 22,862.98 |
| संदिग्ध | | |
| अन्य ऋण एवं अग्रिम | 120.19 | 120.19 |
| घटाएँ : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान | 120.19 | 120.19 |
| उप-कुल | - | - |
| कुल | 22,294.56 | 22,862.98 |
| कंपनी के अधिकारियों द्वारा देय | 30.43 | 23.96 |

क. कंपनी ने मेसर्स खनन और एलाइड मशीनरी निगम लिमिटेड (परिसमापन के अधीन) के निर्दिष्ट संपत्ति की प्राप्ति के लिए 08.06.2010 को मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और दामोदर वैली निगम (डीवीसी) के साथ एक कंसोर्टियम समझौते में प्रवेश किया है। समझौता, अन्य बातों के साथ-साथ क्रमशः बीईएमएल, कोल इंडिया लिमिटेड और डीवीसी के बीच 48:26:26 के एक शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए भी प्रावधान प्रदान करता है। कोलकाता के माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पीरत आदेश के आधार पर कंपनी ने उक्त परिसमापन की ओर ₹10000 लाख की कुल बोली पर विचार करने के दिशा में ₹4800 लाख के अनुपात में शेयर का भुगतान किया। उक्त संपत्ति एमएमएमसी कंसोर्टियम द्वारा कब्जे में ली जाती है। इसके अलावा अनुरक्षण, सुरक्षा और अन्य संबंधित खर्च के इश कंपनी द्वारा ₹875.68 लाख (पिछले वर्ष - ₹818.55 लाख) की राशि खर्च की गई है। संयुक्त उद्यम की पूँजी में निलंबित शेयरों के आबंटन के लिए कुल राशि ₹5675.68 लाख (पिछले वर्ष - ₹5618.55 लाख) को 'अन्य ऋण और अग्रिम' शीर्ष के तहत शामिल किया गया है। कंपनी इसे लंबी अवधि के निवेश के रूप में रखने के इरादा किये जाने के कारण संपत्तियों का कोई स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया गया और निवेश के मूल्य में कमी, यदि कोई हो, को व्यवसायिक योजना की तैयारी करने तथा रक्षा मंत्रालय से शेयरधारियों की सहमति के लिए अनुमोदन प्राप्त होकर परिणामस्वरूप शेयरों का आबंटन किये जाने बाद पता लगाया जा सकता है।



टिप्पणी सं. 15 अन्य गैर-चालू संपत्तियाँ

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|----------------------|------------------|------------------|
| अन्य | | |
| मौजदा सोने के सिक्के | 9.84 | 9.57 |
| विशेष औज़ार | 424.21 | 397.35 |
| कुल | 434.05 | 406.92 |

टिप्पणी सं. 16 चालू निवेश

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|-------|------------------|------------------|
| कुल | - | - |

टिप्पणी सं. 17 मालसूचियां (न्यूनतम लागत या निवल वसूली मूल्य)

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|---|-------------------|-------------------|
| कच्चा माल और घटक | 43,106.50 | 39,014.98 |
| अव्यवहृत के लिए प्रावधान - कच्चा माल | (739.67) | (616.85) |
| अंतरणाधीन कच्चा माल और घटक | 864.42 | 3,549.18 |
| भंडार और पुर्जा | 2,045.43 | 2,268.06 |
| प्रगतिशील कार्य | 50,505.09 | 59,054.62 |
| निर्मित माल | 38,530.46 | 48,515.57 |
| अव्यवहृत के लिए प्रावधान - निर्मित माल | (1,613.68) | (1,734.71) |
| अंतरणाधीन निर्मित माल | 202.47 | 5,848.64 |
| स्टॉक-पुर्जा | 36,401.77 | 35,522.54 |
| अव्यवहृत के लिए प्रावधान - स्टॉक-पुर्जा | (2,509.66) | (2,077.02) |
| अंतरणाधीन स्टॉक-पुर्जा | 835.24 | 726.98 |
| पैटर्न एवं अन्य सामग्रियाँ | 16.63 | 12.53 |
| हस्त उपकरण | 2,031.90 | 1,789.13 |
| रद्दी माल | 599.32 | 1,040.88 |
| स्टॉक से उगाहे नहीं गये लाभ | (38.70) | (44.61) |
| कुल | 170,237.52 | 192,869.92 |

- क. उप ठेकदारों के पपास कच्चे माल एवं घटकों सहित पडी रही सामग्रियों की राशि ₹ 2100.06 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1120.21 लाख) है।
- ख. प्रगतिशील कार्य और निर्मित माल की शेषमाल मानक लागत से कम पर दर्शाया गया है, जो वास्तविक और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर अनुमानित है, वास्तविक उत्पादन लागत और मानक लागत के बीच का अंतर ध्यान देने योग्य नहीं है।
- ग. आंतरिक रूप से निर्मित के लिए बाहरी खरीदी से इनपुट की प्रकृति में परिवर्तन के कारण और इसके विपरीत से उत्पन्न मानक लागत और वास्तविक लागत के बीच अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली प्रसरणों वित्तीय अवधि के दौरान तथा माल की कीमतों में हुए उतार-चढ़ाव के कारण उत्पन्न मानक लागत और वास्तविक घटना के बीच समय का अंतर को उत्पादन की लागत में इस प्रकार समायोजित किया जाता है, बाद की वित्तीय अवधि के लिए आवधिक प्रसरण में आगे न लिया गया हो।
- घ. अप्रचलन की ओर प्रावधान प्रावधानीकरण प्रति मानदंडों लगातार पीछा किया जाता है मालसूची की उम्र बढ़ने पर आधारित है।
- ङ. निर्मित माल के अधीन ₹ 3.83 लाख (सत्यापित उत्सर्जन कमी (वीईआर)) के कार्बन क्रेडिट शामिल है। सकल वीईआर प्रमाणित है तथा वसूलीकरण के लिए 17785 नग निलंबित है। प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआर) को आईसीएआई द्वारा जारी सीईआर पर मार्गदर्शन टिप्पणी द्वारा अपेक्षित अनुसार लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

टिप्पणी सं. 18 प्रदत्त व्यापार

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| असुरक्षित, प्राप्य मान्य | | |
| छ: महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया * | 53,184.43 | 41,498.62 |
| अन्य | 67,620.67 | 57,671.05 |
| असुरक्षित, संदिग्ध मान्य | | |
| छ: महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया | 14,970.87 | 15,767.77 |
| बुरा और संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता | 14,970.87 | 15,767.77 |
| कुल | <u>120,805.10</u> | <u>99,169.67</u> |

*I. रक्षा मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम राशि पर ब्याज दर के अंतर ₹ 925.87 लाख (पिछले वर्ष ₹ 925.87 लाख)को छ: महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया - प्राप्य व्यापार में शामिल किया गया है। उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2009 - 10 के दौरान विभिन्न बिलों पर रक्षा मंत्रालय द्वारा 9.50% की दर पर वसूल की गयी ब्याज और जमा दर के बीच ब्याज दर के अंतर से संबंधित है। मामले को रक्षा मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और वह मंत्रालय के विचाराधीन है।

ii. वर्ष 2001 में रक्षा मंत्रालय के साथ डिजाइन, विकास एवं आपूर्ति के लिए प्रवेश दीर्घकालीन ठेके के संबंध में घटकों की आयात में वृद्धि तथा विनिमय दर के विरुद्ध ₹ 4899.99 लाख (पिछले वर्ष ₹ 4139.92 लाख)को छ: महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया - प्राप्य व्यापार में शामिल किया गया है। इस ठेके में वृद्धि तथा विनिमय दर के अंतर के लिए अमेरिकी डॉलर में वर्णित आयात सामग्री के लिए प्रावधान किया गया है। जैसा कि आयातीत सामग्री यूरोपियन देशों से लायी गयी है, जो लेनदेन में अपनी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में यूरो को अपनाया है, कंपनी को ठेके के तहत अपनी दायित्वों को निभाने हेतु जनवरी, 2007 से यूरो मुद्रा में आयात करने में मजबूर रही। ग्राहक द्वारा रखे गये ठेके में प्रवेश करते समय व्यापार मुद्रा स्वरूप यूरो को लेने की संकल्पना नहीं थी।

अमेरिकी डॉलर से यूरो के रूप में संशोधन तथा परिणामस्वरूप वृद्धि तथा विनिमय दर में अंतर का अनुरोध ग्राहक के पास लंबित है। कंपनी को इसके कारण कोई विशेष प्रभाव नहीं पडा है। इस संबंध में ग्राहक के साथ स्वीकार्य फार्मुला के आधार पर वृद्धि तथा विनिमय दर में अंतर के पुनर्मूल्यांकन कंपनी को किसी प्रकार के उल्लेखनीय प्रभाव का उम्मीद नहीं है।

अमेरिकी डॉलर से यूरो के रूप में संशोधन तथा परिणामस्वरूप वृद्धि तथा विनिमय दर में अंतर का अनुरोध ग्राहक के पास लंबित है। कंपनी को इसके कारण कोई विशेष प्रभाव नहीं पडा है। इस संबंध में ग्राहक के साथ स्वीकार्य फार्मुला के आधार पर वृद्धि तथा विनिमय दर में अंतर के पुनर्मूल्यांकन कंपनी को किसी प्रकार के उल्लेखनीय प्रभाव का उम्मीद नहीं है।

टिप्पणी सं. 19 : नकद एवं नकद समतुल्य

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| बैंकों से नकद शेष | 6,474.10 | 14,228.11 |
| बैंकों में शेष- दावा न किए गए लाभांश | 38.64 | 42.53 |
| मौजूदा चेक एवं ड्राफ्ट | 35.06 | 191.23 |
| मौजूदा नकद | 71.95 | 92.90 |
| कुल | <u>6,619.75</u> | <u>14,554.77</u> |



टिप्पणी सं. 20 अल्पावधि के ऋण और अग्रिम

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|---|------------------|------------------|
| असुरक्षित, प्राप्य मान्य | | |
| जनोपयोगी के लिए शेष | 4.17 | 13.77 |
| संबंधित पार्टियों को ऋण और अग्रिम(टिप्पणी सं.31(ग)का संदर्भ लें) | 131.33 | 131.54 |
| इंटर कॉर्पोरेट ऋण | 817.28 | 817.28 |
| प्राप्य सहित सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आदि के लिए सरकार के साथ के शेष | 1,249.35 | 275.40 |
| विक्रेताओं को अग्रिम | 4,499.28 | 3,447.17 |
| कर्मचारियों को अग्रिम | 360.60 | 414.29 |
| कर और शुल्क | 6,067.97 | 4,164.36 |
| सेनवैट एवं वैट | 5,794.79 | 5,857.01 |
| पूर्व प्रदत्त खर्च और अन्य अग्रिम | 1,429.86 | 978.76 |
| उप कुल | 20,354.63 | 16,099.58 |
| संदिग्ध | | |
| अन्य ऋण और अग्रिम | 4,114.66 | 4,107.14 |
| घटाएँ : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान | 4,114.66 | 4,107.14 |
| उप कुल | - | - |
| कुल | 20,354.63 | 16,099.58 |
| कम्पनी के अधिकारियों द्वारा देय | 45.61 | 160.65 |

टिप्पणी सं. 21 अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 पर | 31 मार्च 2015 पर |
|---|------------------|------------------|
| बैंक जमा पर देय ब्याज | 5.00 | 12.28 |
| प्राप्य दावा | 12,963.14 | 11,339.46 |
| बिल न की गयी प्रसियों के अग्रिम के निवल | 3,326.21 | 25,037.71 |
| उप कुल | 16,294.35 | 36,389.45 |
| संदिग्ध | | |
| प्राप्य दावा | 4,640.30 | 2,508.01 |
| घटाएँ : संदिग्ध दावे के लिए प्रावधान | 4,640.30 | 2,508.01 |
| उप कुल | - | - |
| कुल | 16,294.35 | 36,389.45 |

ख. प्राप्य दावे में शामिल हैं :-

क) समायोजन के अधीन निलंबित दर्ज दावे का मूल्य ₹ 22 16.14 लाख (पिछले वर्ष - ₹ 3 19.36 लाख) है।

ख) उत्पाद शुल्क तथा तत्संबंधी बिक्री कर दावे के लिए रेलवे बोर्ड के साथ दर्ज दावे का मूल्य ₹ 764.78 लाख (पिछले वर्ष - ₹ 1452.54 लाख) है। कंपनी को उपर्युक्त राशियों के अंतिम वसूली पर किसी प्रकार के विशेष प्रभाव पडने की प्रत्याशा नहीं है।

टिप्पणी सं. 22 उत्पाद शुल्क सहित राजस्व

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (क) उत्पादों की बिक्री : | | |
| कैस्टिंग्स | 1.50 | - |
| अर्थ मूविंग उपकरण | 97,442.24 | 100,172.42 |
| रेल व मेट्रो उत्पाद | 101,860.34 | 89,738.09 |
| रक्षा उत्पाद | 34,289.09 | 13,105.26 |
| व्यापार किये गये माल | 57.82 | 58.00 |
| खलपुर्जे | 68,932.71 | 68,399.39 |
| पवन ऊर्जा | 370.68 | 265.06 |
| उप कुल | 302,954.38 | 271,738.22 |
| (ख) सेवाओं की बिक्री : | | |
| उपकरण मरम्मत | 23,081.37 | 24,914.52 |
| उप कुल | 23,081.37 | 24,914.52 |
| (ग) अन्य परिचालन राजस्व: | | |
| निर्यात प्रोत्साहन | 310.61 | 171.31 |
| रद्दियों की बिक्री | 1,721.80 | 2,295.08 |
| उप कुल | 2,032.41 | 2,466.39 |
| उत्पाद शुल्क सहित राजस्व | 328,068.16 | 299,119.13 |

ख. कंपनी ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (डीएमआरसीएल) की मेट्रो डिब्बों की आपूर्ति के लिए तीन अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ एक संघ समझौते में प्रवेश किया है। उक्त समझौते के अनुसार, डीएमआरसीएल पर कन्सोर्टियम उद्देश्यों सहित ठेके के पूर्ण मूल्य पर बिल जुटाने के लिए कंपनी जिम्मेदार है तथा अंतिम उत्पाद शुल्क और तत्संबंधी वैट का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाता है। तदनुसार कुल आपूर्ति की कन्सोर्टियम उद्देश्यों के मूल्य सहित चालान कुल राशि निम्नवत है।

टिप्पणी सं. 22क
कंसोर्टियम आपूर्ति के मूल्य सहित बिल की गई कुल राशि निम्नवत है :

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|--|----------------------------|----------------------------|
| रेल व मेट्रो उत्पाद | 115,718.86 | 102,786.67 |
| अन्य उत्पाद, सेवाएँ और अन्य परिचालन राजस्व | 226,207.82 | 209,381.04 |
| उप कुल | 341,926.68 | 312,167.71 |
| घटाएँ: कंसोर्टियम आपूर्ति के मूल्य | 13,858.52 | 13,048.58 |
| उत्पाद शुल्क सहित राजस्व | 328,068.16 | 299,119.13 |

ii. लेखा मानक 7 (निर्माण ठेकाओं के लिए लेखांकन)

राजस्व में निम्नानुसार प्रतिशतता समापन प्रविधि पर मान्य राजस्व शामिल है।

(₹ लाखों में)

| विवरण | 2015-16 | 2014-15 |
|--|----------|----------|
| क) वर्ष के दौरान मान्य ठेका राजस्व | 1,806.80 | 1,647.16 |
| ख) 31 मार्च 2016 पर प्रगतिशील ठेके के संबंध में प्रकटीकरण | | |
| (i) शामिल लागत की औसतन राशि | 3,453.96 | 1,647.16 |
| (ii) मान्य लाभ (घटाएँ : मान्य हानि, यदि कोई हो) आकस्मिकता के लिए प्रावधान का निवल | शून्य | शून्य |
| (iii) प्राप्त अग्रिम तथा बकाया राशि | शून्य | शून्य |
| (iv) रखी गयी राशि | शून्य | शून्य |

ग) अवधि के दौरान मान्य ठेका राजस्व की गणना के लिए प्रतिशतता समापन प्रविधि का उपयोग किया जाता है। दि. 31.03.2016 तक ठेके पर हुए वास्तविक लागत से ठेके के प्राक्कलित कुल लागत के अनुपात को समाप्ति होने के चरण के आकलन के लिए उपयोग किया गया।



टिप्पणी सं. 23 अन्य आय

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ब्याज आय: | | |
| - बैंको से | 107.79 | 29.53 |
| - इंटर कॉर्पोरेट ऋण से | 456.69 | 797.33 |
| - अन्य अग्रिमों से | 126.50 | - |
| - अन्य | 66.00 | 128.79 |
| अचल संपत्ति की बिक्री पर निवल लाभ | 5.17 | 18.94 |
| बट्टे से आय | 1.78 | 0.84 |
| प्रावधान वापस लिखा | | |
| - संदिग्ध ऋण और अग्रिम | - | 243.22 |
| - अन्य | 1,387.32 | 3,272.60 |
| अन्य गैर-परिचालन आय | 1,765.49 | 1,482.28 |
| कुल | 3,916.74 | 5,973.53 |

अ. आय पर कर कटौती

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|--|----------------------------|----------------------------|
| क) बैंकों से ऑन कॉल एवं सावधि जमा पर ब्याज | 10.07 | 0.81 |
| ख) इंटर कॉर्पोरेट ऋण पर ब्याज | 45.67 | 79.72 |
| ग) अन्य | 10.59 | 8.22 |

टिप्पणी सं. 24 खपत माल की लागत

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|---|----------------------------|----------------------------|
| विनिर्मित उत्पादों के लिए सामग्री की लागत | 145,777.14 | 135,565.13 |
| स्टॉक से उगाहे नहीं गये लाभ | (5.91) | (12.72) |
| विनिर्मित उत्पादों के लिए सामग्री की लागत | 145,771.23 | 135,552.41 |

टिप्पणी सं. 24 क व्यापार माल की खरीद

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| व्यापार माल की खरीद | 51.21 | 31.90 |

टिप्पणी सं. 25 तैयार माल की सूची, प्रगतिशील कार्य और व्यापार में स्टॉक में परिवर्तन

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| आरंभिक स्टॉक | | |
| प्रगतिशील कार्य | 59,054.62 | 58,377.54 |
| निर्मित स्टॉक | 52,629.50 | 73,834.25 |
| रद्दी | 1,040.88 | 1,356.30 |
| | 112,725.00 | 133,568.09 |
| अंतिम स्टॉक | | |
| प्रगतिशील कार्य | 50,505.09 | 59,054.62 |
| निर्मित स्टॉक | 37,119.25 | 52,629.50 |
| रद्दी | 599.32 | 1,040.88 |
| | 88,223.66 | 112,725.00 |
| (वृद्धि)/कमी | | |
| प्रगतिशील कार्य | 8,549.53 | (677.08) |
| निर्मित स्टॉक | 15,510.25 | 21,204.75 |
| रद्दी | 441.56 | 315.42 |
| कुल | 24,501.34 | 20,843.09 |

टिप्पणी सं. 26 कर्मचारी हितलाभ खर्च

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| वेतन, मजदूरी व बोनस | 57,226.87 | 55,866.67 |
| छुट्टी वेतन | 4,619.56 | 5,796.34 |
| अंशदान : | | |
| - उपदान निधि | 841.77 | 3,746.26 |
| - भविष्य निधि एवं अन्य निधि | 5,783.66 | 5,748.43 |
| सेवा निवृत्ति उपरांत चिकित्सा योजना | 2,184.61 | 215.95 |
| कर्मचारी कल्याण खर्च | 7,157.32 | 6,553.33 |
| - घटाएँ : प्राप्ति | 490.53 | 429.65 |
| कर्मचारी कल्याण खर्च का निवल | 6,666.79 | 6,123.68 |
| कुल | 77,323.26 | 77,497.33 |

(क) लेखांकन मानक - 15 (कर्मचारी हितलाभ)
अ. छुट्टी वेतन

यह संशोधित लेखांकन मानक 15 के संदर्भ में अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के अधीन वर्गीकृत निधियन पारिभाषित हितलाभ योजना है। मुआवजा अनुपस्थिति के लिए परिभाषित लाभ दायित्व बीमांकिक मूल्य दिया गया है और तदनुसार दायित्व प्रदान की गई है।

| बीमांकिक अनुमान | चालू वर्ष (अनिधियक) | पिछले वर्ष (अनिधियक) |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| मृत्यु दर तालिका(आईएएलएम) | 2006-08 (एलआईसी) (मौलिक) | 2006-08 (एलआईसी) (मौलिक) |
| रियायती दरवेतन में बढ़त दर | 7.80% | 7.80% |
| वेतन में बढ़त दर | 5.00% | 5.00% |

आ. सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा योजना
(ख) कर्मचारी

कंपनी में सेवानिवृत्ति उपरांत अंशदायी चिकित्सा योजना चालू है, जिसके लिए कंपनी द्वारा एक बीमा पॉलिसी ली गयी है, जिसके अंतर्गत उक्त योजना के लिए विकल्प दिये सेवानिवृत्ति अधिकारियों/कर्मचारियों को मेडिकलेम का लाभ प्रदान किया जाता है। बीमा प्रीमियम का 2/3 हिस्सा कंपनी द्वारा भुगतान किया जाता है और शेष सेवानिवृत्ति अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है, वर्ष का दौरान योजना का बीमांकिक रूप मूल्य निर्धारित करके देयता के लिए प्रावधान किया गया है।

| बीमांकिक अनुमान | चालू वर्ष (अनिधियक) | पिछले वर्ष (अनिधियक) |
|--|------------------------|-------------------------|
| मौजूदा कर्मचारियों से प्रत्याशित अनुपात जो सेवानिवृत्ति के समय में इस योजना के लिए विकल्प देंगे। | 40.00% | 35.00% |
| रियायती दर | 7.80% | 7.80% |
| लंबी अवधि की चिकित्सा मुद्रास्फीति | 2.70% | 2.70% |

(ii) अधिकारी

वर्ष 2015-16 के दौरान अधिकारियों के लिए नई सेवानिवृत्तांपरांत चिकित्सा योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत अधिकारी अपने मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का नियत प्रतिशत को अलग निधि स्वरूप में अंशदान करना पड़ेगा और उक्त निधि सेवानिवृत्त अधिकारियों को चिकित्सा बीमा प्रदान करेगा। निधि का अंशदान करने के अलावा कंपनी का कोई दायित्व नहीं होगा। अतः उक्त योजना एक पारिभाषित अंशदान योजना है तथा कोई बीमांकित मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है।

इ. भविष्य निधि पर ब्याज दर गारंटी

कंपनी की भविष्य निधि ट्रस्ट कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा घोषित दर से कम नहीं होने की दर में भविष्य निधि पर ब्याज की घोषणा करनी चाहिए। यदि ट्रस्ट ब्याज दायित्व को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे, तो कंपनी को उस कमी को सही करने का दायित्व होगा। कंपनी को समान बीमांकिक मूल्य प्राप्त है और वर्ष के लिए प्रदान हेतु कोई अतिरिक्त दायित्व की आवश्यकता नहीं है।



| बीमांकिक अनुमान | चालू वर्ष (निधियक) | पिछले वर्ष (निधियक) |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
| रियायती दर | 7.80% | 7.84% |
| वेतन में बढत दर | 5.00% | 5.00% |
| भविष्य निधि पर ब्याज दर गारंटी | 8.75% | 8.75% |

ई. अधिकारियों की पेन्शन योजना

रक्षा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी के अधिकारियों के लिए बीईएमएल कार्यपालक अधिवर्षिता पेन्शन योजना कार्यान्वित की है। यह परिभाषित योगदान योजना और दिए गए योगदान को योगदान के वर्ष में ही प्रभारित किया जा रहा है। परिभाषित योगदान योजना होने के नाते कोई बीमांकिक मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

उ. उपदान

ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किए गए कर्मचारियों उपदान निधि योजना एवं परिभाषित हितलाभ योजना चालू है। दायित्व के वर्तमान मूल्य अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग से बिमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित है। (₹ लाखों में)

| दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
|--|------------------|-------------------|
| 1.4.2015 को दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन | 37,166.20 | 35,792.48 |
| ब्याज लागत | 2,898.96 | 3,010.43 |
| वर्तमान सेवा लागत | 724.21 | 864.21 |
| प्रदत्त हितलाभ | (5,193.03) | (5,395.48) |
| दायित्वों पर बीमांकिक(लाभ)/हानि | 145.80 | 2,894.56 |
| 31.3.2016 को दायित्व के वर्तमान मूल्य | 35,742.14 | 37,166.20 |
| योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन | | |
| 1.4.2015 को योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य | 35,828.39 | 34,398.80 |
| योजनागत परिसम्पत्तियों से प्रत्याशित प्रतिफल | 3,274.39 | 3,023.87 |
| अंशदान | 2,245.48 | 3,802.13 |
| प्रदत्त हितलाभ | (5,193.03) | (5,395.48) |
| योजनागत परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि) | (347.19) | (0.93) |
| 31.3.2016 को योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य | 35,808.04 | 35,828.39 |
| दायित्वों तथा योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य का मिलान | | |
| 31.3.2016 तक दायित्व के वर्तमान मूल्य | 35,742.14 | 37,166.20 |
| 31.3.2016 को योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य | 35,808.04 | 35,828.39 |
| निधियन स्थिति | | |
| वर्तमान दायित्व | 65.90 | (1,337.81) |
| वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त दायित्व | 65.90 | (1,337.81) |
| वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त खर्च | | |
| वर्तमान सेवा लागत | 724.21 | 864.21 |
| ब्याज लागत | 2,898.96 | 3,010.43 |
| योजनागत परिसम्पत्तियों से प्रत्याशित प्रतिफल | 3,274.39 | 3,023.87 |
| दायित्व पर बीमांकिक(लाभ)/हानि | 145.80 | 2,894.56 |
| योजनागत परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि) | (347.19) | (0.93) |
| निवल लागत | 841.77 | 3,746.26 |
| निवेश विवरण | % | % |
| भारत सरकार बाण्ड | 0 | 0 |
| अन्य | 0 | 1 |
| जीवन बीमा निगम के पास निवेश | 100 | 99 |
| बीमांकिक अनुमान | | |
| उपदान | (निधियक) | (निधियक) |
| मृत्युदर तालिका(आईएएल) | 2006-08 (एलआईसी) | 2006-08 (आईएएलएम) |
| | (मौलिक) | (मौलिक) |
| रियायती दर | 7.80% | 7.80% |
| योजनागत परिसम्पत्तियों पर प्रतिलाभ दर | 8.50% | 9.15% |
| वेतन में बढत दर | 5.00% | 5.00% |

ऊ मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए बीमांकिक मूल्यांकन में वेतन में बढत दर के अनुमान पर विचार किया गया। उक्त सूचनाओं का बीमांकिक द्वारा प्रमाणित है।

टिप्पणी सं. 27 वित्तीय लगत

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| ब्याज खर्च | | |
| क्रेडिट नकद एवं अल्पावधि ऋण पर | 1,343.66 | 3,024.51 |
| दीर्घावधि ऋण पर | 529.21 | 826.25 |
| गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों पर | 2,097.19 | 1,911.29 |
| इंटर कॉर्पोरेट ऋण पर- अन्य पर | 754.25 | 1,016.32 |
| एमएसई विक्रेताओं पर | 113.86 | 243.08 |
| अन्य | 88.23 | 53.83 |
| कुल | 4,928.40 | 7,075.28 |

लेखांकन मानक 16 (उधार लागत)

वर्ष के दौरान पूंजीगत ब्याज की राशि ₹699.97 लाख है (पिछले वर्ष-₹ 896.70लाख) इस धन-राशि में ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य) पिछले वर्ष से सम्बंधित है।

टिप्पणी सं. 28 अन्य खर्च

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|---|----------------------------|----------------------------|
| भंडार और खलपुर्जों की खपत | 655.35 | 843.10 |
| उपभोज्य औजार | 619.24 | 340.08 |
| ऊर्जा एवं ईंधन | 3,535.63 | 3,586.88 |
| मशीनिंग और फेटिलिंग प्रभार | 121.78 | 121.28 |
| मोल्डिंग प्रभार | 50.43 | 51.69 |
| किराया | 393.25 | 363.86 |
| भाड़ा प्रभार | 615.21 | 572.04 |
| मरम्मत एवं अनुरक्षण | | |
| संयंत्र एवं मशीनरी | 586.52 | 468.20 |
| भवन | 545.49 | 467.64 |
| अन्य | 939.09 | 908.02 |
| विशेष उपकरण का परिशोधन | 255.44 | 209.52 |
| लेखन सामग्री | 131.74 | 139.86 |
| बीमा | 266.30 | 932.98 |
| दर एवं कर | 610.43 | 388.59 |
| बैंक प्रभार | 706.79 | 520.73 |
| डाक, दूरभाष एवं कूरिअर आदि | 347.59 | 337.26 |
| बिक्री पर बट्टा | 53.47 | 581.43 |
| लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक (नीचे टिप्पणी 'ख' देखें) | 26.14 | 40.27 |
| कानूनी एवं व्यावसायिक प्रभार | 218.65 | 195.38 |
| यात्रा खर्च | 1,554.20 | 1,138.71 |
| प्रसार एवं जनसंपर्क खर्च | 325.24 | 199.53 |
| अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि | 19.25 | 3.20 |
| अप्रचलन | 555.45 | 702.60 |
| पट्टे खाते में डाले गये अप्राप्य ऋण | 384.95 | 146.72 |
| दोषपूर्ण एवं रद्दी माल | 37.18 | 105.04 |
| सकर्म ठेका खर्च | 4,506.02 | 3,837.13 |
| अनुरक्षण ठेका खर्च | 3,326.91 | 3,072.39 |
| विविध प्रत्यक्ष प्रभार | 1,430.08 | 2,146.23 |
| भाड़ा प्रभार | 2,857.44 | 2,913.67 |
| सीएसआर गतिविधियों पर खर्च | 459.67 | 326.70 |
| स्टॉक में वृद्धि/(कमी)पर उत्पाद शुल्क | (2,043.83) | (1,157.12) |
| संदिग्ध ऋण और अग्रिमों के लिए प्रावधान | 1,966.50 | 3,616.54 |
| वारंटी और असमाप्त दायित्व | 2,801.87 | 2,403.31 |
| बिक्री पर द्रवीकृत हानि | 129.51 | 67.01 |
| विविध खर्च (नोट 27 (क) देखें) | 8,175.70 | 8,693.29 |
| कुल | 37,164.68 | 39,283.76 |



अ. लेखांकन मानक 11 (विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव)

वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा उतार- चढ़ाव का प्रभाव ₹458.66 लाख (पिछले वर्ष ₹502.66 लाख) को विविध व्यय में शामिल किया गया है।

आ. लेखा-परीक्षकों के पारिश्रमिक का ब्रेक-अप

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (अ) लेखा-परीक्षक के रूप में | 10.07 | 10.01 |
| (आ) अर्ध वार्षिक लेखा परीक्षा शुल्क | 4.30 | 4.30 |
| (इ) कर निर्धारण के लिए | 2.70 | 4.20 |
| (ई) अन्य सेवाएँ - प्रमाणन शुल्क | 7.77 | 8.30 |
| (उ) व्यय की प्रतिपूर्ति | 1.30 | 13.46 |
| कुल | 26.14 | 40.27 |

टिप्पणी सं. 29 असाधारण वस्तुएँ

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| आय | | |
| दायित्व वापस लिखा | - | 14.66 |
| " | - | 14.66 |
| " | - | - |
| निवल आय/(व्यय) | - | 14.66 |

टिप्पणी सं. 30 पूर्वावधि मद

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| आय | | |
| निरीक्षण प्रभार | 0.39 | - |
| कार्बन क्रेडिट | 3.83 | - |
| परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति | - | 4.14 |
| " | 4.22 | 4.14 |
| मूल्यहास | 38.09 | 43.39 |
| द्रवीकृत क्षति | 55.24 | - |
| मरम्मत एवं अनुरक्षण | - | (45.80) |
| प्रारंभिक एवं पूर्व परिचालनीय व्यय | - | 65.96 |
| विविध व्यय | - | 8.46 |
| | 93.33 | 72.01 |
| निवल आय/(व्यय) | (89.11) | (67.87) |

टिप्पणी सं. 31 अन्य प्रकटन

क. मूल / कम किया हुआ प्रति शेयर अर्जन

| विवरण | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
|---|------------|------------|
| कर के बाद निवल लाभ/(हानि) | 5,309.17 | 593.00 |
| शेयरों की औसत संख्या | 41,644,500 | 41,644,500 |
| प्रति शेयर अर्जन (मूल और कम किया हुआ) | 12.75 | 1.42 |
| प्रति शेयर ₹.10/- का आंकित मूल्य (राशि ₹ में) | | |

ख. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय की अधिसूचना सं.एस.ओ.2437(ई) दि.04.09.2015 के अनुसार, बोर्ड ने दिनांक 27.05.2016 को संपन्न अपनी बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 अनुसूची III के भाग- II के अनुसार, वत्तीय वर्ष 2014-15 से लेकर वार्षिक लेखे में कंपनी को पैरा 5(ii)(a)(1), 5(ii)(a)(2), 5(iii) तथा 5 (viii) (a), (b), (c) तथा (e) के अधीन अपेक्षित सूचनाओं के गैर-प्रकटन के संबंध में अपनी सहमति दी है।

ग. लेखांकन मानक 18 (संबद्ध पार्टी लेन-देन)

(i) संयुक्त-उद्यम कम्पनी का नाम - मेसर्स बी ई एम एल मिडवेस्ट, हैदराबाद

शेयर धारण - 45% लेन-देन का विवरण

(₹ लाखों में)

| विवरण | 2015-16 | 2014-15 |
|---|----------|----------|
| बिक्री | - | - |
| खरीद | - | - |
| 31 मार्च पर वसूली योग्य अग्रिम | 131.33 | 131.54 |
| 31 मार्च पर बैंकरो के दी गई कॉर्पोरेट गारंटी (टिप्पणी 12(ख) को देखें) | 1,912.50 | 1,912.50 |
| 31 मार्च पर आपूर्ति के विरुद्ध देय राशि | 230.00 | 230.00 |
| 31 मार्च पर इक्विटी निवेश(लागत पर) | 542.25 | 542.25 |

ii. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के पारिश्रमिक

(₹ लाखों में)

| नाम | 2015-16 | 2014-15 | पदनाम |
|------------------------|---------|---------|---------------------------|
| श्री पी.द्वारकानाथ | 41.19 | 39.20 | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक |
| श्री सी.एन.दुर्गेश** | 30.38 | 33.09 | निदेशक (खनन एवं निर्माण) |
| श्री पी.आर.नाईक** | 32.40 | 32.65 | निदेशक (रक्षा) |
| श्री डी.के.होता | 35.07 | 31.95 | निदेशक (मानव संसाधन) |
| श्री प्रदीप स्वामिनाथन | 33.59 | 29.71 | निदेशक (वित्त) |
| श्री अनिरुद्ध कुमार | 29.26 | 26.28 | निदेशक (रेल व मेट्रो) |
| श्री बी.आर.विश्वनाथ** | 7.31 | - | निदेशक (खनन एवं निर्माण) |
| श्री आर.एच. मुरलीधरा** | 6.71 | - | निदेशक (रक्षा) |
| श्री एम ई वी सेल्वम | 16.09 | 14.97 | कंपनी सचिव |

* वर्ष के भाग के लिए

vi. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(76) के अधीन संबद्ध पार्टी; धारा 2(77) के अधीन संबंध और धारा 2(51) के अधीन प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की परिभाषा का व्यापक गुंजाइश पर विचार करते हुए तथा सूचीबद्ध करार और लेखांकन मानक 18 के अधीन अपेक्षितानुसार, संबद्ध पार्टी लेनदेन के संबंध में प्रकटन को आनुषंगिक/संयुक्त उद्यम/एसोसिएट कंपनियों तक और निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा घोषित कोई अन्य संबद्ध पार्टी सीमित किया गया है। तदनुसार, धारा 188, लेखांकन मानक 18 तथा सूचीबद्ध करार के अधीन संबद्ध पार्टी लेनदेन को यथासंभव कंपनी में उपलब्ध डेटा के साथ अनुपालन किया गया है।



घ. आकस्मिक देयताएं एवं प्रतिबद्धता

ख. आकस्मिक देयताएं

(क) कम्पनी के खिलाफ ऋण के रूप में स्वीकार न किये गए दावे :

- i. विवादस्पद सांविधिक मांग (सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, बिक्री कर/वैट) ₹ 57046.22 लाख (पिछले वर्ष ₹ 47797.57 लाख)
- ii. अन्य दावे -कानूनी मामले, आदि ₹ 52638.44 लाख (पिछले वर्ष ₹ 50418.47 लाख)(इसमें ₹ 38681.39 लाख की राशि दावे शामिल है, जिसमें कंपनी द्वारा दर्ज ₹ 31403.92 लाख की राशि का प्रतिदावा भी शामिल है।)

(ख) गारंटी मेसर्स बी ई एम एल मिडवेस्ट (संयुक्त-उद्यम कम्पनी) की ओर से बैंकों को जारी की गई कोर्पोरेट गारंटी ₹ 1912.50 लाख(पिछले वर्ष ₹ 1912.50 लाख) मामला अदालत में विचाराधीन है।

(ग) अन्य-प्रतिबद्धताएँ जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप में दायित्व है : ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ 11.29 लाख)

II. बाध्यताएँ :

क. पूंजी लेखा में अब तक शेष ठेके कार्यों को अनुमानित राशि ₹2270.81 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1964.44 लाख) का प्रावधान नहीं किया गया।

ख. शेयरों पर कॉल न की गई देयताएँ तथा प्रदत्त अन्य निवेश ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

ग. अन्य बाध्यताएँ (प्रकृति उल्लेख करें) ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ शून्य)

टिप्पणी :

- (1) उपर्युक्त आकस्मिक देयताओं के संबंध में कंपनी प्रकार की प्रतिपूर्ति उम्मीद नहीं करती है।
- (2) मध्यस्थता/ अपीलीय कार्यवाही के समक्ष लंबित प्रस्तावों पर ऊपर I(क)में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में नकदी प्रवाह यदि कोई हो, के समय अनुमान लगाना साध्य नहीं है।
- (3) ऊपर I(ख) में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में नकदी प्रवाह आम तौर पर 3 साल के अंदर होने की उम्मीद है। तो भी यह मामला डीआरटी के अधिनिर्णय के अधीन है।

च.अनुसंधान और विकास व्यय की कुल राशि :

(₹ लाखों में)

| विवरण | 2015-16 | 2014-15 |
|-----------------|----------|----------|
| राजस्व व्यय* | 5,589.74 | 8,244.39 |
| पूंजीगत व्यय ** | 1,072.77 | 47.17 |

*अवधि के दौरान खर्च के रूप में मान्य अनुसंधान और विकास व्यय की कुल राशि नीचे दी जाती है :

क. अनुसंधान और विकास राजस्व व्यय :

(₹ लाखों में)

| अनुसंधान और विकास खर्च में शामिल | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|---|----------------------------|----------------------------|
| सामग्री लागत | 421.90 | 277.18 |
| कर्मचारी पारिश्रमिक | 3,400.21 | 3,359.21 |
| मूल्यहास | 763.43 | 862.26 |
| बिजली एवं ईंधन | 211.79 | 166.78 |
| मरम्मत एवं अनुरक्षण | 20.72 | 17.76 |
| उपभोज्य औजार | 2.24 | 2.77 |
| यात्रा | 112.85 | 103.95 |
| अन्य खर्च | 855.53 | 653.43 |
| बेचे गए प्रोटोटाइप की बिक्री की लागत | 564.50 | 3,663.31 |
| कुल अनुसंधान और विकास राजस्व व्यय | 6,353.17 | 9,106.65 |
| घटाएं : मूल्यहास | 763.43 | 862.26 |
| निवल अनुसंधान और विकास व्यय | 5,589.74 | 8,244.39 |
| बेचे गए प्रोटोटाइप की बिक्री का मूल्य निवल बिक्री में शामिल | 1,161.00 | 5,710.02 |

** 31 मार्च, 2016 तक पूंजीगत व्यय के रूप में मान्य अनुसंधान एवं विकास व्यय की कुल राशि नीचे दी जाती है।

ख. अनुसंधान और विकास पूंजीगत व्यय :

(₹ लाखों में)

| विवरण | सकल ब्लाक | | | | मूल्यहास | | | | | निवल ब्लाक | |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|----------------|--|--|------------------|------------------|------------------|
| | 01.04.2015 पर | वर्ष के दौरान वृद्धि | वर्ष के दौरान कमी/ पुनर्वर्गीकरण और समंजन | 31.03.2016 पर | 01.04.2015 पर | वर्ष के लिए | वर्ष के दौरान बनाए रखे अर्जन के विरुद्ध समंजन | वर्ष के दौरान कमी/ पुनर्वर्गीकरण और समंजन | 31.03.2016 पर | 31.03.2016 पर | 31.03.2015 पर |
| मूर्त आस्तियाँ | | | | | | | | | | | |
| भूमि | | | | | | | | | | | |
| मुफ्त पट्टे पर | 3.29 | - | - | 3.29 | - | - | - | - | - | 3.29 | 3.29 |
| सड़कें और नालियाँ | 51.39 | - | (14.81) | 36.58 | 49.75 | 1.44 | - | (17.81) | 33.38 | 3.20 | 1.64 |
| जलापूर्ति संस्थापन | 12.60 | - | - | 12.60 | 12.48 | 0.01 | - | (0.01) | 12.48 | 0.12 | 0.12 |
| भवन | 508.92 | - | (2.62) | 506.30 | 396.97 | 19.74 | - | (6.62) | 410.09 | 96.21 | 111.95 |
| संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण | 3,998.52 | 22.56 | (374.71) | 3,646.37 | 3,438.03 | 84.65 | - | (344.31) | 3,178.37 | 468.00 | 560.49 |
| विद्युत संस्थापन | 171.04 | 9.65 | 12.49 | 193.18 | 160.52 | 1.89 | - | 14.82 | 177.23 | 15.95 | 10.52 |
| फर्नीचर एवं फिक्सर्स | 259.64 | 2.06 | 12.36 | 274.06 | 212.11 | 11.84 | - | 8.16 | 232.11 | 41.95 | 47.53 |
| परिवहन वाहन | 67.85 | 9.09 | 5.33 | 82.27 | 50.86 | 5.82 | - | (0.91) | 55.77 | 26.50 | 16.99 |
| कंप्यूटर एवं डेटा प्रसंस्करण इकाइयाँ | 779.50 | 90.71 | 338.48 | 1,208.69 | 760.27 | 20.79 | - | 319.59 | 1,100.65 | 108.04 | 19.23 |
| अमूर्त आस्तियाँ | | | | | | | | | | | |
| सॉफ्टवेयर | 1,203.95 | 938.70 | 0.32 | 2,142.97 | 1,011.08 | 127.75 | - | 0.03 | 1,138.86 | 1,004.11 | 192.87 |
| तकनीकी जानकारी | 2,937.02 | - | - | 2,937.02 | 1,819.66 | 489.50 | - | - | 2,309.16 | 627.86 | 1,117.36 |
| कुल मूर्त व अमूर्त आस्तियाँ | 9,993.72 | 1,072.77 | (23.16) | 11,043.33 | 7,911.73 | 763.43 | - | (27.06) | 8,648.10 | 2,395.23 | 2,081.99 |
| पिछले वर्ष | 9,953.72 | 47.17 | (7.17) | 9,993.72 | 7,031.97 | 862.26 | 28.86 | (11.36) | 7,911.73 | 2,081.99 | 2,921.75 |



छ. लेखांकन मानक 17 (क्षेत्रवार रिपोर्टिंग)

रक्षा उत्पादन में कार्यरत कंपनियों को लेखांकन मानक (क्षेत्रवार रिपोर्टिंग) से छूट दिए जाने संबंधी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं.जीएसआर 463(ई) दि.05.06.2015 (क्रम सं.8) को ध्यान में रखते हुए एएस-17 के अधीन अपेक्षितानुसार प्रकटन नहीं किया गया।

ज. सरकारी विभागों के साथ अग्रिम व शेष, देय एवं प्राप्य व्यापार, गैर-चालू के अंतर्गत वर्गीकृत अन्य ऋण और अग्रिम और जमा पुष्टि पर निर्भर हैं, कुछ पुरानी शेष समीक्षा/समायोजन हेतु विलंबित है। प्रबंधन को इस तरह की सुलह पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होने की उम्मीद है।

झ. चालू वर्ष की प्रस्तुति के अनुरूप जहां आवश्यक हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों का फिर से समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत बनाया गया है।

ट. सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के अधीन अपेक्षित प्रकटीकरण

सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 34(3) के अधीन अनुपालनार्थ अपेक्षित विवरण नीचे दर्शित हैं।

(₹ लाखों में)

| विवरण | राशि | | अधिकतम राशि | |
|---|------------|------------|-------------|------------|
| | 31.03.2016 | 31.03.2015 | 31.03.2016 | 31.03.2015 |
| i. ऋण की प्रकृति में ऋण एवं अग्रिम | | | | |
| क. अनुषंगिक कंपनियों को | - | - | - | - |
| ख. एसोशिएट/संयुक्त उद्यमों को | - | - | - | - |
| ग. फर्म/कंपनियाँ, जिनमें निदेशक रुचि रखते हैं | - | - | - | - |
| घ. जहाँ कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है या सात वर्ष बाद पुनर्भुगतान है या ब्याज रहित है या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अनुसार ब्याजयुक्त | - | - | - | - |
| ii. बीईएमएल या उसके सहायक कंपनियों के शेयरों में ऋणदाता (उपर्युक्तानुसार) द्वारा किये गये निवेश | - | - | - | - |

ठ. आनुषंगी तथा संयुक्त उद्यम कंपनियों के समेकन की स्थिति नीचे दी जाती है :-

| आनुषंगी/संयुक्त उद्यम का नाम | निगमित देश | स्वामित्व हिस्सेदारी का अनुपात | स्थिति |
|------------------------------------|------------|--------------------------------|---|
| आनुषंगी कंपनियाँ | | | |
| विज्ञान इण्डस्ट्रीस लिमिटेड | भारत | 96.56% | समेकित |
| एमएएमसी इण्डस्ट्रीस लिमिटेड | भारत | 100.00% | समेकित |
| बीईएमएल ब्राजिल इण्डस्ट्रीयल लिटडा | ब्राजिल | 100.00% | समेकित |
| संयुक्त उद्यम कंपनी | | | |
| बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड | भारत | 45.00% | वित्तीय विवरण उपलब्ध न होने के कारण समेकित नहीं किया गया। |

ड. वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त जानकारी (₹ लाखों में)

| सत्ता का नाम जिसमें | निवल परिसंपत्तियाँ, याने कुल परिसंपत्तियाँ - कुल दायित्व | | लाभ या हानि में शेयर | |
|------------------------------------|--|---------------|---|----------------|
| | समेकित निवल परिसंपत्तियों की प्रतिशतता के रूप में | राशि | समेकित निवल परिसंपत्तियों की प्रतिशतता के रूप में | राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| भारतीय आनुषंगी | | | | |
| विज्ञान इण्डस्ट्रीस लिमिटेड | 0.22% | 460.59 | 0.84% | 44.67 |
| एमएएमसी इण्डस्ट्रीस लिमिटेड | -0.05% | (108.42) | -0.18% | (9.45) |
| कुल | | 352.17 | | 35.22 |
| विदेशी आनुषंगी | | | | |
| बीईएमएल ब्राजिल इण्डस्ट्रीयल लिटडा | 0.03% | 62.83 | -0.26% | (13.76) |
| कुल | | 62.83 | | (13.76) |
| अल्पसंख्यक हित | | | | |
| विज्ञान इण्डस्ट्रीस लिमिटेड | | 19.04 | | 1.54 |
| एमएएमसी इण्डस्ट्रीस लिमिटेड | | - | | - |
| बीईएमएल ब्राजिल इण्डस्ट्रीयल लिटडा | | - | | - |
| संयुक्त उद्यम | | | | |
| भारतीय : | | | | |
| बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड* | | - | | - |

* संयुक्त उद्यम द्वारा वित्तीय विवरणों जैयार नहीं की गयी है, अतः संयुक्त उद्यम की वित्तीय विवरणों का समेकन नहीं किया गया।



प्रपत्र एओसी - I

भाग 'क' अनुषंगी कंपनियाँ

अनुषंगी कंपनियों के संबंध में धारा 133 सहपठित कंपनी(लेखा)नियम,2014 के नियम 5 के प्रथम उपबंध के अनुसरण में विवरण

| 1 क्रम सं. | 1 | 2 | 3 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 2 अनुषंगी कम्पनी का नाम | विज्ञान इण्डस्ट्रीस लिमिटेड | एमएमसी इण्डस्ट्रीस लिमिटेड | बीईएमएल ब्राजिल इण्डस्ट्रीयल लिटडा |
| 3 अनुषंगी कम्पनी की प्रस्तुति प्रतिवेदित कंपनी अवधि | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 31.03.2016 |
| 4 विदेशी अनुषंगी की प्रतिवेदित मुद्रा | - | - | ब्राजिलियन रियास |
| 5 31.03.2016 के अनुसार विनिमय दर | - | - | ₹18.62 प्रति ब्रा. रियास |
| 6 शेयर पूंजी (₹ लाखों में) | आरक्षित एवं अधिशेष (₹ लाखों में) | कुल परिसंपत्तियाँ (₹ लाखों में) | कुल देयताएँ (₹ लाखों में) |
| 7 निवेश (₹ लाखों में) | शून्य | शून्य | शून्य |
| 8 टर्नओवर सकल (₹ लाखों में) | - | शून्य | शून्य |
| 9 कर पूर्व लाभ (₹ लाखों में) | - | - | - |
| 10 कर के लिए प्रावधान (₹ लाखों में) | - | - | - |
| 11 कर के बाद लाभ (₹ लाखों में) | - | - | - |
| 12 प्रस्तावित लाभांश | ₹ शून्य | ₹ शून्य | ₹ शून्य |
| 13 % शेयरधारण | 96.56% | 100.00% | 100.00% |

टिप्पणी : एमएमसी इण्डस्ट्रीस लिमिटेड का संचालन अभी शुरू नहीं हुआ है ।

भाग 'ख' एसोसिएट्स एवं संयुक्त उद्यम

एसोसिएट्स कंपनियों एवं संयुक्त उद्यमों के संबंध में कंपनी अधिनियम,2013

की धारा 129(3) के अनुसरण में विवरण

| एसोसिएट्स एवं संयुक्त उद्यम का नाम | बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड |
|---|---|
| 1 अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र | - |
| 2 वर्ष के अंत में कम्पनी द्वारा धारित एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम का शेयर सं. | 5422500 |
| एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि | ₹542.25 लाख |
| होल्डिंग % का विस्तार | 45.00% |
| 3 उल्लेखनीय प्रभाव का विवरण | प्रदत्त पूंजी के 45% तक इक्विटी में निवेश तथा बीईएमएल द्वारा दी गई बैंक गारंटी को उल्लेखनीय प्रभाव माना जाता है । |
| 4 एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम को संकलित नहीं लिया जाने का कारण | सितंबर 2008 को लेकर संयुक्त उद्यम कम्पनी मेसर्स बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड की प्रतिनिधियों को पूर्ण रूप में समाप्त कर दिया गया है और संयुक्त उद्यम कम्पनी संबंधी मामला न्यायालय में निर्णयाधीन है। उपर्युक्त कारणों को ध्यान में रखकर संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा अपने लेखे की तैयारी नहीं की गई तथा उसे संकलित नहीं किया गया । |
| 5 अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र का अनुसार शेयरधारण का निश्चित किये जाने वाला निवल मूल्य | उपलब्ध नहीं है । |
| 6 वर्ष के लिए लाभ/हानि | लागू नहीं। |
| i. संकलन में विचार किया गया | संकलन में विचार नहीं किया गया । |
| ii. संकलन में विचार नहीं किया गया | |

समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट- बीईएमएल लिमिटेड

बीईएमएल लिमिटेड के सदस्यों को

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने बीईएमएल लिमिटेड (इसके पश्चात “नियंत्रक कंपनी” स्वरूप वर्णित होगा) और इसके सहायक कंपनियों (नियंत्रक कंपनी और उसके अनुषंगियों को सामूहिक रूप में ‘ग्रूप’ स्वरूप वर्णित किया गया है) और इसके संयुक्त रूप में नियंत्रित संस्थाओं के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च, 2016 का समेकित तुलन पत्र, उक्त वर्ष के अंत के लिए समेकित लाभ हानि लेखा और समेकित नकदी प्रवाह के विवरण, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ (इसके बाद “समेकित वित्तीय विवरण” स्वरूप वर्णित होगा) शामिल हैं, की लेखा परीक्षा की है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके पश्चात इ अधिनियम इ निर्दिष्ट है) की धारा 134(5) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए नियंत्रक कंपनी के निदेशक मंडल जवाबदेह है जो कि भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार नियंत्रित संस्थाओं सहित समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह के साथ-साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के सहित पठनीय अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उल्लिखित लेखा मानकों का सही और स्पष्ट विचार प्रस्तुत करता है। समूह में शामिल कंपनी के निदेशक मंडल, समूह के परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के अनुरक्षण एवं धोखाधड़ी का पता लगाने व अन्य अनियमितताओं के निराकरण के लिए, उचित लेखा नीतियों का चयन और उपयोग, उचित व विवेकपूर्ण निर्णय लेना और आकलन करना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण, जोकि लेखा रिकार्डों की यथार्थता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए पूर्व से ही प्रभावशाली रहे हों, वित्तीय विवरण की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबद्ध जोकि सही और स्पष्ट अवचार देता है एवं विषयों के गलत विवरण से मुक्त रखता हो, चाहे वह जालबाजी या गलती के कारण हो, जो उपरोक्त नियंत्रक कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण को बनाने के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया हो, के लिए उत्तरदायी हैं।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा दायित्व हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित इन समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा एवं लेखा परीक्षा के मानकों और विषयों, जिसे अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता होती है, पर ध्यान रखा है। हमने अधिनियम की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षा कार्य किया है। उन मानकों की यह अपेक्षा होती है कि हम नीतिगत आवश्यकताओं का पालन करें और योजना बनाएँ तथा उचित आश्वासन/विश्वास प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें चाहे समेकित वित्तीय विवरण अयथार्थ विवरण से मुक्त हो।

लेखा परीक्षा में समेकित वित्तीय विवरण में प्रकट की गई बातों और राशि के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त की निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। चयनित प्रक्रिया, लेखा परीक्षक के निर्णय सहित समेकित वित्तीय विवरण के अयथार्थ विवरण के जोखिमों का आकलन, चाहे वह जालसाजी हो या गलती हो, पर आधारित होती है। उन जोखिमों का आकलन करते समय, लेखा परीक्षक समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने में नियंत्रक कंपनी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करते हैं कि डिजाइन लेखा परीक्षा प्रक्रिया के क्रम में सही व उचित मत प्रकट करता है तथा जोकि परिस्थिति के अनुरूप है। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा उपयोग होनेवाली लेखाकरण नीतियों की प्रयोज्यता का मूल्यांकन तथा नियंत्रक कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा बनाए गए लेखा आकलनों की औचित्यता साथ ही साथ समेकित



वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुति/प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है तथा समेकित वित्तीय विवरणी पर हमारे लेखा परीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु उचित है।

योग्य राय के लिए आधार

जैसा कि टिप्पणी 12 में वर्णित है, बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड, एक सह-उद्यम कंपनी के वित्तीय विवरण उपलब्ध न होने के कारण उसका समेकन नहीं किया गया है। लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, सह-उद्यम द्वारा वित्तीय विवरणों को यथानुपात समेकन पद्धति का उपयोग करके समेकित किया जाना था। निवेश मूल्य में पहले ही की गई कमी के लिए निवल प्रावधान से समेकित वित्तीय विवरणों में इस कंपनी के समेकन न किये जाने के प्रभाव को अंकित नहीं किया गया।

विचार राय

हमारे राय में व हमारी पूर्ण जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, उपर्युक्त योग्य राय के लिए आधार में वर्णित मामले के प्रभाव को छोड़कर, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण यथा अपेक्षित रूप से अधिनियम द्वारा वादित जानकारी देता है और 31 मार्च, 2016 तक के ग्रुप, उसके एसोसिएट्स तथा संयुक्त रूप में नियंत्रित संस्थाओं के कार्य मामलों तथा उक्त तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए उसके समेकित लाभ व उसके समेकित नकद प्रवाह का भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही व उचित विचार देता है।

जोर देने का विषय:

निम्नलिखित मदों पर हम ध्यान आकर्षित करते हैं :

क) रक्षा मंत्रालय से प्राप्य व्यापार के संबंध में टिप्पणी सं. 18 (i) रक्षा मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम राशि पर ब्याज दर में अंतर के विरुद्ध ₹ 925.87 लाख। उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08 और 2009-10 के दौरान विभिन्न बिलों पर रक्षा मंत्रालय द्वारा 9.50% की दर पर वसूल की गयी ब्याज और जमा दर के बीच ब्याज दर के अंतर से संबंधित है। मामले को रक्षा मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और वह मंत्रालय के विचाराधीन है। रक्षा मंत्रालय से प्राप्य व्यापार के संबंध में टिप्पणी सं. 18(ii) ₹ 4899.99 लाख वर्ष 2001 में रक्षा मंत्रालय के साथ डिजाइन, विकास एवं आपूर्ति के लिए प्रवेश दीर्घकालीन ठेके के संबंध में घटकों की आयात में वृद्धि तथा विनिमय दर। इन प्राप्यों की वसूली रक्षा मंत्रालय द्वारा देय राशि के अंतिम निर्धारण पर निर्भर है।

ख) ₹ 5675.68 लाख के लिए एमएएमसी कन्सोर्टियम को दी गई अग्रिम राशि के संबंध में टिप्पणी सं. 14(क), जिसका मूल्यांकन रक्षा मंत्रालय का अनुमोदन, व्यवहार्य व्यापार की योजना और निवेश के मूल्य कमी की परिणामी मूल्यांकन, यदि कोई हो, पर निर्भर होता है।

ग) सरकारी विभागों के साथ शेष, व्यापार देनदारियाँ, प्राप्य व्यापार, अन्य ऋण तथा अग्रिम और जमा राशि के संबंध में पुराने शेष की पुष्टि न मिलने पर निलंबित समीक्षा/समायोजन के संबंध में टिप्पणी सं. 31(जी)।

हमारी राय उपर्युक्त विषय पर मान्य-योग्य नहीं है।

अन्य विषय

क) हमने सहायक कंपनी विज्ञान इण्डस्ट्रीस लिमिटेड की वित्तीय लेखा परीक्षा नहीं की है, जिसके वित्तीय विवरण से यह प्रदर्शित होता है कि 31 मार्च, 2016 तक उनकी कुल संपत्ति ₹1543.16 लाख है तथा उक्त तिथि में वर्ष की समाप्ति पर कुल लाभ

₹ 44.67 लाख है एवं निवल नकद प्रवाह ₹ 0.29 लाख है। इस वित्तीय विवरण के दूसरे लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा किया गया है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा जहाँ तक उक्त सहायक कंपनी के संबंध में सम्मिलित राशि का संबंध है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक के रिपोर्ट पर मात्र आधार है।

ख) हमने सहायक कंपनी एमएएमसी इण्डस्ट्रीस लिमिटेड का वित्तीय लेखा परीक्षा नहीं किया, जिसके वित्तीय विवरण से यह प्रदर्शित होता है कि 31 मार्च, 2016 तक उनकी कुल संपत्ति ₹ 494.13 लाख है तथा उक्त तिथि में वर्ष की समाप्ति पर कुल हानि ₹ 9.45 लाख है एवं निवल नकद प्रवाह ₹ 0.01 लाख है। इस वित्तीय विवरण के दूसरे लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा किया गया है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा जहाँ तक उक्त सहायक कंपनी के संबंध में सम्मिलित राशि का संबंध है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक के रिपोर्ट पर मात्र आधार है।

ग) हमने सहायक कंपनी बीईएमएल ब्राजिल इण्डस्ट्रीयल लिटड का वित्तीय लेखा परीक्षा नहीं किया, जिसके वित्तीय विवरण से यह प्रदर्शित होता है कि 31 मार्च, 2016 तक उनकी कुल संपत्ति ₹ 62.83 लाख है तथा उक्त तिथि में वर्ष की समाप्ति पर कुल हानि ₹ 13.76 लाख है एवं निवल नकद प्रवाह ₹ 17.89 लाख है। इस वित्तीय विवरण के दूसरे लेखा परीक्षक द्वारा ब्राजिल की स्थानीय विधि के अनुसार लेखा परीक्षा किया गया है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है तथा जहाँ तक उक्त सहायक कंपनी के संबंध में सम्मिलित राशि का संबंध है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक के रिपोर्ट पर मात्र आधार है, जिसके लाभ व हानि विवरण के संबंध में वर्ष के लिए औसत विनिमय दर के आधार पर ग्रूप द्वारा भारतीय रुपये में परिवर्तित किया गया है तथा शेयर पूँजी, जिसे नियंत्रक ग्रूप द्वारा भारतीय रुपये में वास्तविक निवेश स्वरूप में माना गया, को छोड़कर तुलन पत्र के अन्य मदों के संबंध में वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पर विनिमय दर के रूप में लिया गया।

समेकित वित्तीय विवरण पर हमारा मत एवं अन्य विधिक व विनियामक आवश्यकता जो नीचे निर्दिष्ट है, किए गए कार्य एवं अन्य लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट पर हमारे विश्वास से संबंधित उपरोक्त बातों के संबंध में हमारी रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं में संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम प्रतिवेदन देते हैं कि :
 - (क) हमारी लेखा परीक्षा उद्देश्य के लिए सारी सूचना एवं स्पष्टीकरण हमने अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास में मांगा व प्राप्त किया।
 - (ख) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित अपेक्षित कानून द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तिका रखा है तथा अन्य लेखापरीक्षकों के रिपोर्टों जैसा कि उपर्युक्त योग्य राय के लिए आधार के पैराग्राफ में उल्लिखित मद के संभाव्य प्रभाव को छोड़कर उन पुस्तिकाओं की हमारी जानकारी से प्रतीत होता तथा उचित विवरण जो हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त है।
 - (ग) समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ व हानि विवरणी और समकित नकद प्रवाह विवरण जो इस प्रतिवेदन में व्यवहार में लाया गया है, वह समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए अनुरक्षित समुचित विवरणों तथा लेखा पुस्तिकाओं के अनुरूप है।
 - (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त योग्य राय के लिए आधार के पैराग्राफ में उल्लिखित मद के संभाव्य प्रभाव को छोड़कर उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 सहपठित कंपनी (लेखा)नियम, 2014 के नियम 7 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुपालन में है।
 - (ड.) सरकारी कंपनी होने के नाते, अधिनियम की धारा 164(2), जो निदेशकों की अपात्रता से संबंधित है, लागू नहीं होती।



(च) लेखे के अनुरक्षण से संबंधित योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामलों को उपर्युक्त योग्य राय के लिए आधार के पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है।

(छ) ग्रूप के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों परिचालनीय प्रभावीकता के संबंध में कृपया “अनुबंध क” में हमारी अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें।

(ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखा परीक्षक प्रतिवेदन में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय एवं हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित है –

- i. उपर्युक्त योग्य राय के लिए आधार के पैराग्राफ में उल्लिखित मद के संभाव्य प्रभाव को छोड़कर समेकित वित्तीय विवरणी में ग्रूप तथा संयुक्त रूप में नियंत्रित संस्थाओं की वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमे के प्रभाव को प्रकट/स्पष्ट किया है— समेकित वित्तीय विवरण में टिप्पणी सं.31(घ)(I)(क)(ii) का संदर्भ लें ;
- ii. उपर्युक्त योग्य राय के लिए आधार के पैराग्राफ में उल्लिखित मद के संभाव्य प्रभाव को छोड़कर ग्रूप को दीर्घकालिक संविदा सहित व्युत्पन्न संविदा पर कोई भौतिक अनुमान्य हानि नहीं हुई थी।
- iii. उपर्युक्त योग्य राय के लिए आधार के पैराग्राफ में उल्लिखित मद के संभाव्य प्रभाव को छोड़कर ऐसी कोई राशि नहीं थी, जिसे नियंत्रक कंपनी, उसकी अग्रणी कंपनियों तथा भारत में निगमित संयुक्त रूप में नियंत्रित कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा में तथा संरक्षा निधि में अंतरित किया जाना आवश्यक था।

कृते एस.आर.आर.के.शर्मा एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण नं.003790एस

सीए एच.आर.रामस्वामी

भागीदार

सदस्यता सं.207116

स्थान : बेंगलूरु

तारीख : 27.05.2016

बीईएमएल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समदिनांक रिपोर्ट से संदर्भित “अनुबंध-क”

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2016 तक बीईएमएल लिमिटेड (इसके उपरांत इनियंत्रक कंपनी के रूप में वर्णित होगा) और इसके सहायक कंपनियों (नियंत्रक कंपनी और उसके अनुषंगियों को सामूहिक रूप में ‘ग्रूप’ स्वरूप वर्णित किया गया है) और इसके संयुक्त रूप में नियंत्रित संस्थाओं के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय विवरणों को उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ग्रूप की समेकित वित्तीय विवरणी पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

ग्रूप के प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए ग्रूप द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए जवाबदेह है। इस जवाबदेही में, ग्रूप की संपत्ति की सुरक्षा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित अनुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण, जोकि ग्रूप की नीतियों, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाना एवं रोकथाम, लेखा अभिलेखों की यथार्थता और पर्याप्तता, विश्वसनीय वित्तीय विवरणों की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय को विवेकपूर्ण एवं सशक्त रूप में संचालन सुनिश्चित करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा और दो सहायक कंपनियों से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर ग्रूप के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी राय व्यक्त करनी है। हमने अपनी लेखा परीक्षा को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी (“दशानिर्देश टिप्पणी”) तथा लेखापरीक्षा के मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होने के अनुसार किया है। उन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणियों की यह अपेक्षा होती है कि हम नीतिगत आवश्यकताओं का पालन करें और योजना बनाएँ तथा उचित आश्वासन/विश्वास प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें चाहे वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हों तथा ऐसे नियंत्रण सभी यथार्थ मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हो।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभाविकता प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, मौजूद भौतिक कमजोरियों की जोखिम का आकलन करना, आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन एवं परिचालन प्रभाविकता को मूल्यांकित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के यथार्थ गलत अनुमान की जोखिम, चाहे वह धोखा या त्रुटि से हो, का आकलन करने सहित चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर ग्रूप के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखा परीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त एवं उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की



विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। एकग्रूप के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं कि -

- (1) समुचित विवरणों के साथ सही अभिलेखों के अनुरक्षण को ग्रूप की परिसंपत्तियों के लेनदेन तथा स्वभाव को यथार्थतः एवं प्रतिबिंबित करने के संबंध में प्रदान करता है;
- (2) आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आवश्यक लेनदेन अभिलेखित किए जाने और प्रबंधन एवं ग्रूप के निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार ग्रूप की प्राप्ति एवं व्यय तैयार किए जाने का समुचित आश्वासन प्रदान करता है ; और
- (3) वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डालनेवाले ग्रूप की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण के रोकथाम या समय पर पता लगाना, उपयोग, या स्वभाव के संबंध में समुचित आश्वासन प्रदान करता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की कपटसंधि या अनुचित प्रबंधन प्रत्यादिष्टी सहित त्रुटि या धोखाधड़ी की वजह से भौतिक गलत बयान हो सकते हैं और पता लगाया नहीं जाता। इसके अलावा, भावी समय के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन के अनुमान उस जोखिम पर निर्भर होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन, या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन बिगड़ जाने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है।

राय

हमारी राय में, ग्रूप (बीईएमएल मिडवेस्ट संयुक्त उद्यमी संस्था, जो लेखे के खाते अनुरक्षित नहीं की है, तथा बीईएमएल ब्राजिल इण्डस्ट्रीयल लिटडा, जो भारत के बाहर पंजीकृत है, को छोड़कर) ने सभी यथार्थ मामलों में परिचालनीय पर्याप्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा मार्च 31, 2016 के अनुसार प्रभावी रूप से परिचालनीय वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपनाया है, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी के अधीन निर्धारित अनुसार उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए ग्रूप द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है।

कृते एस.आर.आर.के.शर्मा एसोसिएट्स

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण नं.003790एस

सीए एच.आर.रामस्वामी

भागीदार

सदस्यता सं.207116

स्थान : बेंगलूरु

तारीख : 27.05.2016

बोर्ड की रिपोर्ट के लिए परिशिष्ट

सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों के लिए कंपनी का उत्तर

| पैरा सं. | लेखा परीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणी | कंपनी का उत्तर |
|----------|--|---|
| 1 | <p>जैसा कि टिप्पणी 12 में बताया गया है, बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड, जो एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, के वित्तीय विवरण की अनुपस्थिति में इसका समेकन नहीं किया गया है. लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, इस संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों को आनुपातिक समेकन विधि का उपयोग करके समेकित किया जाना था. इस संयुक्त उद्यम के समेकन में हुई विफलता से समेकित वित्तीय विवरणों पर हुए प्रभाव स्वरूप निवेश मूल्य में पहले ही मूल्यहास के लिए किया गया निवल के प्रावधान को निर्धारित किया गया.</p> | <p>संयुक्त उद्यम मेसर्स बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड की गतिविधियाँ सितंबर 2008 से पूर्ण रूप में समाप्त हो गई हैं और संयुक्त उद्यम संबंधी मामले न्याय के निर्णयाधीन है. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए संयुक्त उद्यम ने वित्तीय विवरणों की तैयारी नहीं की है और समेकन नहीं किया जा सका. गैर-समेकन की वजह से होनेवाले प्रभाव ध्यान देने योग्य नहीं है.</p> |



31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड, बेंगलूरु के समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठनीय धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के लेखानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड, बेंगलूरु के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठनीय धारा 139(5) के अधीन भारत के लेखानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्तसांविधिक लेखापरीक्षकों की दायित्व यह है कि अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठनीय धारा 143 के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143 के अधीन उक्त वित्तीय विवरणों पर अपनी राय अभिव्यक्त करना है। उक्त कथन स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की दिनांक 27 मई, 2016 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है।

मैंने, भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठनीय धारा 143(6)(क) के अधीन मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड, बेंगलूरु के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए के समेकित वित्तीय विवरणों के अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड, बेंगलूरु तथा मेसर्स विज्ञान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, तरिकेरे और मेसर्स एमएएमसी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, दुर्गापुर के उसी तारीख को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए के वित्तीय विवरणों के अनुपूरक लेखापरीक्षा की है लेकिन मेसर्स बीईएमएल ब्राजिल इण्डस्ट्रीयल लिटडा, ब्राजिल और मेसर्स बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड, हैदराबाद के वित्तीय विवरणों के अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं की है। इसके अलावा, निजी संस्था/संबंधित कानूनों के तहत विदेश में निगमित होने के कारण मेसर्स बीईएमएल मिडवेस्ट लिमिटेड, हैदराबाद तथा मेसर्स बीईएमएल ब्राजिल इण्डस्ट्रीयल लिटडा, ब्राजिल पर सांविधि लेखा परीक्षक या अनुपूरक लेखा परीक्षा के आयोजन संबंधी अधिनियम की धारा 139(5) और धारा 143(6)(ख) लागू नहीं होता। उक्त अनुपूरक लेखापरीक्षा, बिना सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यात्मक दस्तावेजों के, स्वतंत्र रूप में की गयी तथा प्रधानतया कम्पनी कार्मिकों तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की पूछताछ और लेखा रिकार्डों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है।

मुझसे की गयी लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे संज्ञान में कोई महत्वपूर्ण ऐसा मुद्दा नहीं पाया गया, जिससे सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर या उसके अनुपूरक में कुछ टिप्पणी की जा सके।

भारत के लेखा नियंत्रक तथा महा लेखापरीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

(ई.पी. निवेदिता)

वाणिज्य लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक

बेंगलूरु

19 जुलाई 2016

वार्षिक रिपोर्ट 2014-15

52 वीं

विज्ञान इंडस्ट्रीस लिमिटेड

(सीआईएन U5110KA1963PLC001510)
(बीईएमएल लिमिटेड, बंगलूरु की सहायक कम्पनी)
हलियूर, बी.एच.रोड़, तरिकेरे पोस्ट - 577 228

| विषय सूची | पृष्ठ सं. |
|---|-----------|
| निदेशक मण्डल | 141 |
| कॉर्पोरेट दूरदर्शिता, लक्ष्य एवं उद्देश्य | 142 |
| अध्यक्ष का पत्र | 142 |
| वित्तीय आंकड़े | 143 |
| बोर्ड की रिपोर्ट | 144 |
| सामूहिक शासन पर रिपोर्ट | 149 |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ | 164 |
| तुलन पत्र | 168 |
| लाभ व हानि लेखा विवरण | 169 |
| नक़द प्रवाह विवरण | 170 |
| वित्तीय विवरणों पर लेखा संबंधी टिप्पणियाँ | 171 |
| स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट | 185 |
| भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा टिप्पणियाँ | 192 |

निदेशक मण्डल

श्री बी आर विश्वनाथ

नामित निदेशक / बोर्ड के अध्यक्ष

प्रो.एस. सडगोपन

स्वतंत्र निदेशक

श्री जी सुधीन्द्र

स्वतंत्र निदेशक

डॉ एस. वेंकटेश्वरन

स्वतंत्र निदेशक

श्री आर एच मुरलीधरा

नामित निदेशक

कंपनी सचिव

श्री एस वी रविशेखर राव

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स एच एस शिवराम एण्ड को.,
सनदी लेखाकार, बंगलूरु

बैंकर

स्टेट बैंक आफ़ मैसूर
तरिकेरे

पंजीकृत कार्यालय और कार्य

हलियूर गाँव, बी. एच.रोड़, तरिकेरे - 577 228

चिक्कमगलूर जिल्ला, कर्नाटक

फ़ोन : (08261) 222252/222313 फ़्याक्स : (08261) 222236

अध्यक्ष का पत्र.....

प्रिय शेयरधारकों,

आपकी कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष के ₹30.67 करोड़ की तुलना में इस वर्ष में ₹32.18 करोड़ की कुल बिक्री हासिल की है, जो पिछले वर्ष की कुल बिक्री की तुलना में लगभग 4.92% की वृद्धि दर्शाती है। पिछले वित्तीय वर्ष के उत्पादन मूल्य ₹31.50 करोड़ की तुलना में इस वर्ष में उत्पादन मूल्य ₹30.88 करोड़ रहा, और पिछले वर्ष की 0.85 करोड़ की हानि की तुलना में इस वर्ष में ₹0.85 करोड़ का कर पूर्व लाभ हुआ। मेल्टिंग स्क्रेप की कमी के अलावा क्रेन, 2-टन मेल्टिंग भट्टी के ब्रेकडाउन के कारण उत्पादन में कमी आयी। तो भी बाजार में कैस्टिंग्स के प्रचलित कीमतों के आधार पर कैस्टिंग्स के बिक्री कीमत में वृद्धि लाने के कारण इस वर्ष के दौरान कंपनी के कार्यनिष्पादन में सुधार हुई।

आपकी कंपनी ने मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी पर निर्भरता कम करने के लिए योजना बनाई है। तो भी बीईएमएल से रक्षा से संबंधित टी-72 तथा टाट्रा वेरियन्ट, रेल व्यवसाय से संबंधित एक्सल बक्स, बफर एसेंबली और खनन एवं विनिर्माण व्यवसाय के लिए नए कैस्टिंग्स मिश्रधातु ग्रेड कैस्टिंग के लिए बाजार में मांग पर विचार करते हुए आवश्यक उत्पादन एवं विकास योजना बनाई गई है। आपकी कंपनी को मिधानि, जो हैदराबाद स्थित एक और रक्षा उपक्रम है, से ₹1.35 करोड़ उच्च मैंगनीस यू-2 स्टील कैस्टिंग्स के 100 मेट्रिक टन की तैयारी एवं आपूर्ति करने का आदेश प्राप्त हुआ। योजना के परिप्रेक्ष्य में परिकल्पित अनुसार आपकी कंपनी वर्ष 2020-21 तक ₹74 करोड़ हासिल करने में उक्त प्रस्ताव सहायक सिद्ध होंगे।

दिनांक 01.04.2016 के अनुसार आदेश बुक की स्थिति 1739 मेट्रिक टन है। इसके अलावा, बीईएमएल और अन्य ग्राहकों से भावी कास्टिंग आवश्यकताएँ प्रत्याशित है। इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों से आपकी कंपनी ने जल्द ही फ्लोभूत होने का पूरा विश्वास है। इन योजनाओं तथा प्राथमिकताओं के साथ आपकी कंपनी चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए इंतजार कर रही है।

आपकी कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम -2010 के लिए जारी सामूहिक शासन पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को कार्यान्वित किया गया है। इसके अलावा सामूहिक शासन मानकों के पालन करने में आपकी कंपनी को 'उत्कृष्ट' की दर्जा प्राप्त की गई। उक्त मार्गदर्शनों के अपेक्षित अनुसार प्रबंधन परिचर्या और विश्लेषण रिपोर्ट सहित जारी सामूहिक शासन पर एक रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की गयी है।

इसके अलावा, कार्यनिष्पादन मानकों पर बीईएमएल के साथ समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षरित अनुसार किये गये आत्ममूल्यांकन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए आपकी कंपनी को 'अपर्याप्त' की दर्जा प्रदान की है।

अंत में, कंपनी की ओर से, मैं नियंत्रक कंपनी और हमारे मूल्यावान ग्राहक मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड तथा बोर्ड की सहयोगियों को उनके द्वारा अर्पित सलाह, मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं अन्य ग्राहकों, बैंकरों, लेखापरीक्षकों तथा अन्य पणधारियों को भी उनके द्वारा अर्पित सहयोग एवं समर्थन के लिए धन्यवाद अर्पित करता हूँ।

मैं कंपनी की प्रगति के लिए आत्मसमर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करके अपने महत्वपूर्ण योगदान तक दिए सभी स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी अपनी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।

सादर,
ह./-

(बी आर विश्वनाथ)
बोर्ड के अध्यक्ष

कार्पोरेट दूरदर्शिता, लक्ष्य एवं उद्देश्य

क) दूरदर्शिता :

लौह कैस्टिंग्स, स्टेनलेस स्टील कैस्टिंग्स के प्रमुख आपूर्तिकता बनने हेतु संगठन को परिवर्तित करना।

ख) लक्ष्य :

उच्च गुणवत्तावाले कैस्टिंग्स का विनिर्माण एवं आपूर्ति करना तथा लाभदायिकता पर जोर देते हुए खनन एवं विनिर्माण, रेलवे एवं रक्षा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों पर प्रधान रूप में ध्यान देकर धातु- उद्योग संबंधी समाधान प्रदान करना।

ग) उद्देश्य :

- 1) पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में कम से कम 10% की वृद्धि हासिल करना।
- 2) पिछले वर्ष की तुलना में कैस्टिंग्स की अस्वीकृति में कम से कम 1% तक कमी लाना।
- 3) गैर-बंदी ग्राहकों से बिक्री में कम से कम 5% हासिल करना।
- 4) पिछले वर्ष की तुलना में प्रति कर्मचारी आउटपुट में 5% की वृद्धि हासिल करना।

वित्तीय आंकड़े

(₹ लाखों में)

| | 2015-16 | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 | 2009-10 | 2008-09 | 2007-08 | 2006-07 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| पूँजी : | | | | | | | | | | |
| इन्विटी पूँजी | 278.97 | 278.97 | 278.97 | 278.97 | 278.97 | 278.97 | 278.97 | 278.97 | 278.97 | 278.97 |
| निवल मूल्य | 460.59 | 415.92 | 445.33 | 542.12 | 812.64 | 730.87 | 904.12 | 713.32 | 584.50 | 540.32 |
| बी ई एम एल से ऋण | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.46 |
| बैंकों तथा अन्यो से ऋण | 179.27 | 193.24 | 187.07 | 152.17 | 377.48 | 626.15 | 729.76 | 145.47 | 78.77 | 67.01 |
| सकल ब्लाक | 1,693.85 | 1,673.42 | 1,657.16 | 1,657.16 | 1,655.34 | 1,651.88 | 1,626.69 | 693.75 | 687.38 | 646.91 |
| मालसूचियाँ | 644.38 | 794.74 | 926.77 | 1,482.38 | 1,502.85 | 895.04 | 737.81 | 530.80 | 565.20 | 554.87 |
| प्राप्य व्यापार | - | 0.02 | - | 0.45 | 3.34 | - | 75.84 | 66.03 | 146.18 | 19.36 |
| कार्यशील पूँजी | (304.27) | (422.90) | (558.30) | (485.45) | (262.89) | (154.58) | 583.26 | 455.41 | 376.72 | 337.49 |
| नियोजित पूँजी | 485.59 | 417.49 | 351.41 | 500.64 | 724.23 | 979.89 | 1,769.23 | 760.32 | 702.20 | 639.60 |
| राजस्व : | | | | | | | | | | |
| बिक्री | 3,218.08 | 3,066.72 | 3,675.12 | 2,747.03 | 3,920.77 | 3,384.00 | 3,591.34 | 3,527.12 | 3,328.89 | 2,451.47 |
| उत्पादन मूल्य | 3,087.98 | 3,150.01 | 3,073.11 | 2,567.28 | 4,529.36 | 3,569.98 | 3,746.17 | 3,564.53 | 3,240.66 | 2,617.14 |
| मूल्यवर्धित | 1,520.45 | 1,430.35 | 1,447.64 | 1,255.35 | 2,214.37 | 1,676.87 | 1,982.12 | 1,888.40 | 1,705.86 | 1,423.36 |
| मूल्यहास एवं ब्याज पूर्व लाभ | 126.07 | 17.11 | (46.16) | (104.82) | 207.72 | (13.09) | 378.73 | 237.97 | 218.68 | 182.38 |
| मूल्यहास एवं परिशोधन खर्च | 70.96 | 77.86 | 76.38 | 76.90 | 76.77 | 76.69 | 51.88 | 26.94 | 25.58 | 31.10 |
| ब्याज एवं कर पूर्व लाभ | 55.11 | (60.75) | (122.54) | (181.72) | 130.95 | (89.78) | 326.85 | 211.03 | 193.10 | 151.28 |
| वित्तीय खर्च | 23.49 | 23.85 | 22.23 | 46.10 | 66.31 | 70.36 | 34.96 | 5.06 | 9.12 | 6.81 |
| कर पूर्व लाभ | 31.62 | (84.60) | (144.77) | (227.82) | 64.64 | (160.14) | 291.89 | 205.97 | 183.98 | 144.47 |
| कर संबंधी खर्च | 13.05 | (62.92) | (47.97) | 42.70 | (17.13) | 13.10 | 120.83 | 74.64 | 71.79 | 40.90 |
| कर के बाद लाभ | 44.67 | (21.68) | (96.80) | (270.52) | 81.77 | (173.24) | 171.06 | 131.33 | 112.19 | 103.57 |
| लाभांश (कर रहित) | - | - | - | - | - | - | 20.92 | 20.92 | 13.95 | - |
| उत्पादन (मेट्रिक टनों में) | 2,204 | 2,240 | 2,326 | 1,974 | 4,085 | 4,120 | 4,254 | 4,276 | 3,527 | 3,362 |
| बिक्री (मेट्रिक टनों में) | 2,285 | 2,211 | 2,726 | 2,181 | 3,608 | 3,932 | 4,095 | 4,444 | 4,054 | 3,030 |
| खपत बिजली (लाख यूनिटों में) | 38.41 | 39.62 | 41.93 | 36.79 | 64.32 | 63.76 | 62.24 | 61.79 | 55.68 | 50.51 |
| अनुपात : | | | | | | | | | | |
| बिक्री के लिए कर पूर्व लाभ | 0.98 | (2.76) | (3.94) | (8.29) | 1.65 | (4.73) | 8.13 | 5.84 | 5.53 | 5.89 |
| निवल मूल्य के लिए कर के बाद लाभ | 9.70 | (5.21) | (21.74) | (49.90) | 10.06 | (23.70) | 18.92 | 18.41 | 19.19 | 19.17 |
| उत्पादन मूल्य के दिनों की संख्या में मालसूची | 76 | 92 | 110 | 211 | 121 | 92 | 72 | 54 | 64 | 77 |
| बिक्री के दिनों की संख्या में प्राप्य व्यापार | - | - | - | 0.1 | 0.3 | - | 8 | 7 | 16 | 3 |

बोर्ड की रिपोर्ट

आपके निदेशक, कम्पनी के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष की 52वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखा का परीक्षित विवरण सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

वित्तीय नतीजे

(₹ लाखों में)

| विवरण | 2015-16 | 2014-15 |
|--|---------|---------|
| बिक्री | 3218.08 | 3066.72 |
| उत्पादन मूल्य | 3087.98 | 3150.01 |
| जमा मूल्य | 1520.45 | 1430.35 |
| मूल्यहास, ब्याज एवं कर पूर्व लाभ | 126.07 | 17.11 |
| मूल्यहास | 70.96 | 77.86 |
| ब्याज एवं कर पूर्व लाभ | 55.11 | (60.75) |
| ब्याज | 23.49 | 23.85 |
| कर पूर्व लाभ | 31.62 | (84.60) |
| कर संबंधी व्यय (डीटीएल-एमएटी में कमी) | 13.05 | (62.92) |
| कर के बाद लाभ | 44.67 | (21.68) |
| सामान्य आरक्षित को अंतरण (मूल्यहास की पद्धति में हुए परिवर्तन के कारण) | - | (7.73) |
| विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ | 171.44 | 126.77 |
| विनियोजन : लाभ एवं हानि लेखा | 171.44 | 126.77 |
| निवल मूल्य | 460.59 | 415.92 |

कुल बिक्री एवं लाभदायिकता

वर्ष 2015-16 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹30.67 करोड़ के विरुद्ध ₹32.18 करोड़ की कुल बिक्री हासिल की है, जो पिछले वर्ष की कुल बिक्री की तुलना में 4.92% की वृद्धि दर्शाती है। पिछले वित्तीय वर्ष के उत्पादन मूल्य ₹31.50 करोड़ एवं हानि ₹0.85 करोड़ की तुलना में उत्पादन मूल्य ₹30.88 करोड़ एवं ₹0.32 करोड़ कर पूर्व लाभ हुआ। वर्ष के दौरान, कंपनी के का रोबार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के अंत 31.3.2016 से रिपोर्ट तैयार करने की तारीख तक कंपनी की वित्तीय स्थिति में बाधा डालने वाली कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन/दायित्व नहीं था।

भावी दृष्टिकोण

आपकी कम्पनी होल्डिंग कम्पनी बीईएमएल पर निर्भरता को लगातार कम करने हेतु नए अवसरों को ढूँढ निकालने की योजना करती है। तो भी, रक्षा व्यवसाय से संबंधित टी-72 तथा टाट्रा वेरियन्ट, जैसे उच्च धातुमिश्र गुणता कैस्टिंग्स, रेल व्यवसाय से संबंधित धुरा बक्स, बफर असेंबली और खनन एवं विनिर्माण व्यवसाय के लिए बीईएमएल के आदेशों की अपेक्षा में

आवश्यक विकास एवं उत्पादन की योजना की गई है। आपकी कंपनी य1.35 करोड़ मूल्यवाले 100 मेट्रिक टन उच्च मैंगनीस यू-2 स्टील कैस्टिंग्स की आपूर्ति हेतु मिधानि, जो हैदराबाद स्थित एक और रक्षा उपक्रम है, से आदेश प्राप्त करने में समर्थ रही। उपर्युक्त योजनाओं द्वारा कंपनी अपनी परिप्रेक्ष्य योजना परिकल्पित अनुसार वर्ष 2020-21 तक य74 करोड़ हासिल करने में सहायता मिलेगी।

दिनांक 01.04.2016 के अनुसार आदेश बुक की स्थिति 1739 मेट्रिक टन रही। बीईएमएल के अलावा अन्य ग्राहकों से भी कास्टिंग की अपेक्षाएँ होने की उम्मीद है। इसके साथ आपकी कम्पनी वर्ष 2016-17 के दौरान अच्छे परिणामों की ओर आगे बढ़ने में दृढ़ विश्वास रखती है।

सं.ज्ञा. की तुलना में कार्यनिष्पादन :

नियंत्रक कंपनी बीईएमएल लिमिटेड के साथ हस्ताक्षरित एवं भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये गये समझौता ज्ञापन के अनुसार आपकी कम्पनी निष्पादन वर्ष 2014-15 के लिए 'अपर्याप्त' रहा तथा इसका रेटिंग आत्म-मूल्यांकन पर आधारित है और वर्ष 2015-16 के लिए भी 'अपर्याप्त' रेटिंग ही जारी है।

इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए परिचालनों से राजस्व के लिए (उत्पाद शुल्क का निवल) ₹33.36 करोड़ तथा कर पूर्व लाभ (अन्य आय, असाधारण एवं असामान्य मदों को छोड़कर) ₹0.68 करोड़ लक्ष्य नियत किया गया है।

गुणवत्ता

आपकी कम्पनी ने गुणवत्ता प्रणाली के लिए ब्यूरो वेरिटास क्वालिटी इंटरनेशनल से मान्यता प्राप्त हुई तथा आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन से पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा आपकी कंपनी को अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन द्वारा श्रेणी 'क' फाउंड्री के रूप में प्रमाणित किया गया है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण एवं विदेशी मुद्रा आय और खर्च

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण एवं विदेशी मुद्रा आय और खर्च की अतिरिक्त सूचना अनुबंध - I में संलग्न है।

वित्त :

कार्यकारी पूँजी की आवश्यकताओं को आंतरिक स्रोतों और

स्टेट बैंक ऑफ मैसूर से नक़द उधार सुविधाओं से पूरा किया गया है। बैंक की पूंजी और/या ब्याज की कोई अतिदेय किस्त नहीं थी।

वर्ष के दौरान कम्पनी के राजकोष के लिए पिछले वर्ष के अंशदान ₹4.94 करोड़ के विरुद्ध ₹5.18 करोड़ का अंशदान उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर, सेवा कर, उपकर, आय कर, आदि के रूप में अदा किया गया।

सावधि जमा

वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कोई भी जमा स्वीकार नहीं की गई। दि.31.03.2016 के अनुसार कोई बकाया जमा और/या जमा राशि पर ब्याज नहीं है।

उद्यम जोखिम प्रबंधन

सामूहिक शासन पर डी पी ई मार्गदर्शनों के अनुपालन में, कंपनी के संचालन के साथ जुड़े जोखिम को कम करने के लिए जोखिम प्रबंधन तंत्र पर कार्य करने हेतु एक आंतरिक समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थापना प्रगति के अधीन है।

संबद्ध पार्टी संव्यवहार लेन-देन

वर्ष 2015-16 के दौरान होल्डिंग कंपनी मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड के साथ सभी संबद्ध पार्टी संव्यवहार लेन-देन निष्पक्ष, पारदर्शी एवं संभाव्य आधार पर रहा तथा कंपनी के व्यवसाय का सामान्य तरीका भी रहा। इसके अलावा, निदेशक या शीर्ष प्रबंधन कार्मिक या उनके संबंधियों के साथ अति आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण संबद्ध पार्टी संव्यवहार लेन-देन नहीं किया है, जो कंपनी के हित में संभत: विपरीत है। लेखा परीक्षा समिति द्वारा उक्त संबद्ध पार्टी संव्यवहार लेन-देन पर विचार किया गया तथा अनुमोदित किया गया।

सतर्कता

होल्डिंग कंपनी मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड के सतर्कता विभाग ने कंपनी में सतर्कता गतिविधियों का संचालन करने के लिए एक अधिकारी को तैनात किया है।

वर्ष के दौरान, विभाग द्वारा भंडार की अचानक जांच, उच्च मूल्य के क्रयादेशों, बिल देनदारियों, मेडिकल बिल, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दावों और संपत्ति विवरण के यादृच्छिक/चयनात्मक आधार पर सत्यापन किया गया।

‘सुशासन के एक उपकरण के रूप में निवारक सतर्कता’ विषय के साथ दि.26.10.2015 से 31.10.2015 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2015 मनाया गया।

सूक्ष्म, लघु एवं माध्यमिक उद्योग

आपकी कंपनी द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को लगातार सहायता एवं प्राथमिकता दी जा रही है। वर्ष के दौरान, आपकी कम्पनी ने उद्यम के संवर्ग में ₹1.96 लाख तक माल की खरीद की है, जो ₹15.43 लाख मूल्यवाली कुल खरीद का 12.70% है।

व्हीसल ब्लोअर पॉलिसी

डीपीई दिशानिर्देश के पैरा 4.2.12 के संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति की भूमिका में व्हीसल ब्लोअर तंत्र की गतिविधियों की समीक्षा शामिल होगी। तदनुसार, आपकी कंपनी ने अनैतिक, व्यवहार वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, या कंपनी से संबंधित मामलों के उल्लंघन को प्रबंधन के समक्ष रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को ढांचा उपलब्ध कराने के लिए ‘व्हीसल ब्लोअर पॉलिसी’ तैयार की है। उक्त पॉलिसी को कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 धारा 4(1)(ख) के अनुसार नागरिकों को सूचना प्रदान करने हेतु संबंधित अपीलों तथा पूछताछ के निपटान हेतु आपकी कंपनी ने एक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं अपील प्राधिकारी का नामांकन किया है। वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी द्वारा छः आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें मानव संसाधन, उत्पाद शुल्क तथा भविष्य निधि से संबंधित सूचनाओं की माँग की गई थी और वे सब निपटाए गए।

राजभाषा

सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग लगातार प्रभाविक रूप से कार्यान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है।

सामूहिक प्रशासन

भारत सरकार सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी सीपीएसई-2010 के लिए सामूहिक प्रशासन से संबंधित मार्गदर्शनों को आपकी कंपनी द्वारा कार्यान्वित कर दिया गया है और वर्ष 2015-16 के लिए अनुपालन में “उत्कृष्ट” रेटिंग प्राप्त किया गया है।

उक्त मार्गदर्शनों में अपेक्षित अनुसार सामूहिक शासन पर एक रिपोर्ट में प्रबंध विचार विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षकों द्वारा अनुवर्ती प्रमाण पत्र साथ अनुबंध-II संलग्न किया जाता है।

जनशक्ति

पिछले वर्ष के 113 की तुलना में 31.03.2016 को जनशक्ति 95 तक बनी रही। इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 11 भी शामिल हैं।

मानव संसाधन विकास एवं औद्योगिक संबंध

प्रचालन के सभी क्षेत्रों, विशेषतया शॉप फ्लोर, में कार्य संस्कृति चलाने के प्रदर्शन करने में सकारात्मक परिवर्तन लाने तथा कर्मचारियों के तकनीकी/पेशेवर ज्ञान और कुशलता के निरंतर उन्नयन हेतु मानव संसाधन विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पहचान किया गया है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा 543 मानव दिवस युक्त कई आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

वर्ष के दौरान समस्त औद्योगिक संबंध संतोषजनक और हार्दिक बने रहे।

कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीडन

कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। हालांकि वर्ष 2015-16 के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत कोई मामला दर्ज/रिपोर्ट नहीं हुआ है।

पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण

पर्यावरण संतुलन हेतु कारखाना परिसर और आसपास में वृक्षारोपण किया गया। कारखाने के आसपास के स्थलों में पारिस्थिति के संतुलन हेतु विभिन्न प्रकार के 250 वृक्षों/फूलवाले पेड़ों/पौधों को लगाया गया। इसके अलावा, फाउंड्री के आसपास मौजूदा पेड़-पौधों और जीवजंतुओं को किसी प्रकार के बाधाहित संरक्षण हेतु कदम उठाये गये हैं।

कर्मचारियों का ब्यौरा

कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के अंतर्गत किसी भी कर्मचारी ने निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।

सांविधिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा मेसर्स एच.एस. शिवराम एण्ड को., चार्टरित लेखाकार, बंगलूर को वर्ष 2015-2016 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

लेखों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में की गयी टिप्पणियों, यदि कोई हो, के लिए निदेशक मंडल द्वारा दिया गया उत्तर रिपोर्ट के परिशिष्ट में उल्लिखित है।

नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों, जो शून्य है, को वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 56 पर जोड़ा जाता है।

निदेशक

(i) स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा का कथन :

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में निहित के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों ने उनकी स्वतंत्रता की शर्तों को पूरी करने संबंधी घोषणा नहीं दी है।

(ii) निदेशकों को पारिश्रमिक :

नियंत्रक कंपनी के नामित निदेशकों को बैठक शुल्क सहित कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।

स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/समिति की बैठक में भाग लेने पर ₹10,000/- प्रति बैठक के रूप में बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है तथा अगर एक ही दिन में एक से अधिक बैठकों में भाग लेने पर ऐसे प्रत्येक अतिरिक्त बैठक के लिए ₹5000/- प्रति बैठक के रूप में बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। कंपनी द्वारा बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए परिवहन खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(iii) निदेशकों का परिवर्तन :

श्री सी एन दुर्गेश के स्थान पर दि.01.02.2016 से प्रभाव देकर कंपनी के होल्डिंग कंपनी मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड के श्री बी. आर. विश्वनाथ, निदेशक (खनन और निर्माण व्यवसाय) को कंपनी के

बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नामित किया गया है। श्री प्रदीप स्वामीनाथन के स्थान पर दि.19.05.2016 से प्रभाव देकर मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड के श्री आर. एच. मुरलीधर, निदेशक (रक्षा व्यवसाय) को कंपनी के बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नामित किया गया है। निदेशक मंडल श्री सी एन दुर्गेश तथा श्री प्रदीप स्वामीनाथन द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं को अत्याधिक सराहना करते हुए अभिलिखित कर दिया है।

(iv) निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या :

वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल की 5 बैठकें, दि.21.05.2015, 05.08.2015, 03.11.2015, 12.01.2016 तथा 28.01.2016 को बुलाई गयीं। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 तथा सीपीएसई-2010 के लिए सामूहिक शासन पर डीपीई मार्गदर्शनों के पैरा 3.3.1 के अनुसार बैठकों की अपेक्षित संख्या एवं आवृत्ति को पूर्ण रूप में अनुपालन किया गया।

(v) निदेशकों के उत्तरदायित्वों का विवरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुरूप में, प्रबंधन द्वारा प्राप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर आपके निदेशकों द्वारा यह सूचना प्रस्तुत की जाती है कि :

- (क) 31.03.2016 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखा तैयार करने में मुख्य व्यवहार से संबंधित प्रयोज्य लेखा मानकों का पालन समुचित स्पष्टीकरण के साथ किया गया है ;
- (ख) ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया गया है और उनका अनुकूल प्रयोग किया गया है तथा तदनुसार निर्णय लिया गया है ताकि आंकलन करते समय वे समुचित एवं विवेकपूर्ण हो एवं दि.31.03.2016 को कंपनी के कार्य मामलों की स्थिति एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी के लाभ का सही एवं उचित रूप स्पष्ट हो सके ;
- (ग) कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं बचाव,

धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं का पता लगाने व उनके रोकथाम के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार यथेष्ट लेखा अभिलेखों के रख-रखाव हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानियाँ बरती हैं ;

- (घ) चलित उपक्रम आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया गया है ;
- (ङ.) सभी प्रयोज्य कानूनों, प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली विकसित की गई है, जो कि पर्याप्त है तथा संगत व प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के साथ सहपठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के अनुसरण में वार्षिक विवरणी का सार निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध - III में संलग्न है।

आभार स्वीकृति

आपके निदेशक मण्डल भारत सरकार, कर्नाटक राज्य सरकार, नियंत्रित कम्पनी बी ई एम एल (नियंत्रक कंपनी एवं प्रमुख ग्राहक) और अन्य ग्राहकों और स्टेट बैंक आफ मैसूर के प्रति उनके बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक, वाणिज्य लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षक बोर्ड, सांविधिक लेखा परीक्षक, संभरकों और शेयरधारियों के प्रति उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए आपके निदेशक मण्डल अपना आभार व्यक्त करते हैं।

इस अवसर पर इस कम्पनी की प्रगति में सभी स्तर के कर्मचारियों के बहुमूल्य योगदान एवं सहयोग के लिए आपके निदेशक मंडल उनकी हार्दिक सराहना करते हैं।

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से
ह0/-

बेंगलूरु
19.05.2016

बी आर विश्वनाथ
बोर्ड के अध्यक्ष

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण तथा विदेशी मुद्रा आय और व्यय :**(क) ऊर्जा संरक्षण****(क) ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम**

- (i) 25 सीएफएल के उपयोग से ₹0.17 लाख मूल्यवाले 2250 की यूनिट विद्युत शक्ति की बचत हुई।
- (ii) कार्यहीन समय पर एयर कंप्रेसरों को बंद करते हुए ₹21.75 लाख मूल्यवाले 2,94,030 यूनिट (2550 घंटे) विद्युत शक्ति की बचत हुई।

(ख) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम

शून्य

(ग) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश

शून्य

(ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण

- (i) तकनीकी समावेश की दिशा में किए गए प्रयास
कंपनी केवल पारंपरिक ढलाई प्रौद्योगिकी अपनाती है।
- (ii) उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद या आयात प्रतिस्थापन जैसे अर्जित लाभ
लागू नहीं
- (iii) आयातित प्रौद्योगिकी(वित्त वर्ष की शुरुआत से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित)
शून्य
- (iv) अनुसंधान और विकास पर खर्च
शून्य

(ग) विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कैस्टिंग्स की रासायनिक संरचना की जाँच के लिए मेसर्स ब्रूकर, जर्मनी से उत्सर्जन स्पेक्ट्रोमीटर की खरीद से 25,500 यूरो खर्च किया गया।

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से
ह0/-

बी आर विश्वनाथ
बोर्ड के अध्यक्ष

बेंगलूरु
19.05.2016

सामूहिक शासन पर एक रिपोर्ट

सीपीएसई-2010 के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के मार्गदर्शनों के अनुसार सामूहिक शासन पर प्रावधानों सहित अनुपालन संबंधी रिपोर्ट नीचे दी जाती है:

1. कम्पनी का तत्व ज्ञान

अपने सभी हितकारों के हितों की रक्षा करने तथा बढ़ावा देते हुए ईमानदारी, निष्ठा, जवाबदेही, पर्याप्त खुलासे तथा कानूनी/सांविधिक अनुपालन के सिद्धांतों के आधार पर कंपनी के कारपोरेट शासन का तत्व ज्ञान है। व्यापार गतिविधियों के सभी में नैतिकता उच्चतम मानक अपनाने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए कंपनी निरंतर प्रयासरत है। निर्णय लेने में अधिक स्तर पर पारदर्शिता अपनाने के लिए प्रयास किया जाता है तथा हितों के टकराव से बचा जाता है। पेशेवर दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, कंपनी सामूहिक शासन के नीतिवचनों को अक्षरशः कार्यान्वित करती है।

2. निदेशक मण्डल

(i) संगठन

31 मार्च, 2016 के अनुसार निदेशक मण्डल में पाँच निदेशक हैं, जिसमें नियंत्रक कंपनी द्वारा प्रतिनिधित्व करनेवाले दो निदेशक और तीन स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। कंपनी के निदेशक मंडल कोई कार्यकारी निदेशक नहीं है।

(ii) बैठकें एवं उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मण्डल की पाँच बैठकें, दि.21.05.2015, 05.08.2015, 03.11.2015, 12.01.2016 तथा 28.01.2016 को बुलाई गयीं। डी पी ई मार्गदर्शनों के पैरा 3.3.1 के अनुसार बैठकों की अपेक्षित संख्या एवं आवृत्ति को पूर्ण रूप में अनुपालन किया गया।

निदेशक मण्डल की बैठकों, वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति तथा उनके द्वारा अन्य निदेशकशिप संबंधी विवरण नीचे दिये जाते हैं।

| क्रम. सं. | निदेशक का नाम (निदेशक पहचान सं.) | पदनाम एवं संवर्ग | निदेशक के रूप में नियुक्त होने के बाद बोर्ड बैठकों/ कुल बैठकों में उपस्थिति | वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति (हाँ/नहीं) | अन्य डायरेक्टर शिप की संख्या |
|-----------|--|------------------------------------|---|---|------------------------------|
| 1 | श्री बी आर विश्वनाथ [§] (डीआईएन 07363486) | निदेशक गैर -कार्यकारी | -/- | -- | 1 |
| 2 | प्रो.एस.सङ्गोपन (डीआईएन (00118285) | निदेशक गैर -कार्यकारी | 4/5 | हाँ | 3 |
| 3 | श्री जी सुधीन्द्रा डीआईएन 06565237) | निदेशक गैर -कार्यकारी | 3/5 | हाँ | -- |
| 4 | डॉ.एस वेंकटेश्वरन (डीआईएन 06822317) | निदेशक गैर -कार्यकारी | 5/5 | हाँ | -- |
| 5 | श्री सी.एन. दुर्गेश [#] (डीआईएन 03487810) | बोर्ड के अध्यक्ष गैर -कार्यकारी | 5/5 | हाँ | -- |
| 6 | श्री प्रदीप स्वामिनाथन [@] (डीआईएन 06565229) | बोर्ड के अध्यक्ष गैर -कार्यकारी | 5/5 | हाँ | 1 |

§. 01.02.2016 से प्रभाव देकर निदेशक के रूप में नियुक्त। #. 29.01.2016 को निदेशक पद समाप्त। @. 03.05.2016 को निदेशक पद समाप्त।

(iii) रोटेशन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे निदेशक

श्री जी सुधीन्द्रा और डॉ.एस वेंकटेश्वरन रोटेशन आधार पर सेवानिवृत्त होनेवाले हैं, आगामी वार्षिक आम बैठक में स्वयं पुनःनियुक्ति होने के लिए प्रस्ताव रखने के लिए अर्ह हैं। अवकाश ग्रहण करने वाले निदेशकों की पुनर्नियुक्ति पर बोर्ड द्वारा सराहना की जाती है।

(iv) निदेशकों की शेयरधारिता

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक निदेशक नियंत्रक कंपनी मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप में ₹5000/- के अंकित मूल्यवाले अर्ह शेयरों का धारण करते हैं।

(v) नियमों की अनुपालन की समीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा डी पी ई मार्गदर्शनों के पैरा 3.3.3 के अनुसार बोर्ड द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी पर लागू विभिन्न नियमों से संबंधित अनुपालन रिपोर्टों की समीक्षा की गई तथा गैर-अनुपालन संबंधी कोई घटना नहीं हुई।

(vi) निदेशक मंडल के निदेशकों के लिए प्रशिक्षण

डी पी ई मार्गदर्शनों के पैरा 3.7 के अनुसार “बोर्ड के नए सदस्यों का प्रशिक्षण देने की नीति” कार्यान्वित की गयी है। इसके एक अंश के रूप में, उन्हें व्यवसाय के जोखिम रूपरेखा, सामूहिक शासन, संबंधित निदेशकों के दायित्व और उक्त दायित्वों का वहन करने के तरीके सहित कंपनी के व्यवसाय मॉडल पर प्रशिक्षण दिलाया गया।

(vii) आचार संहिता

बेहतर सामूहिक शासन तथा निष्पक्ष/पारदर्शी प्रथाओं के लिए कम्पनी द्वारा “निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों को आचार संहिता” बनाया गया है। इसकी एक प्रति सर्वसंबंधितों को परिचालित की गयी है। वर्ष 2015-16 के लिए बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों, यानी निदेशक और महाप्रबंधकों द्वारा आचार संहिता का अनुपालन पुष्टि की है। डी पी ई मार्गदर्शनों के पैरा 3.4.2 के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दिये जाते हैं।

मेसर्स विज्ञान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों के लिए, मैं, बी आर विश्वनाथ, कंपनी के बोर्ड के अध्यक्ष एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि दि.31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मण्डल और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों द्वारा कंपनी की आचरण संहिता का अनुपालन निश्चयपूर्वक किया गया।

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

ह0/-

बंगलूरु

19.05.2016

बी आर विश्वनाथ

बोर्ड के अध्यक्ष

(viii) व्हीसल ब्लोअर पॉलिसी

डीपीई दिशानिर्देश के पैरा 4.2.12 के संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति की भूमिका में व्हीसल ब्लोअर तंत्र की गतिविधियों की समीक्षा शामिल होगी। तदनुसार, आपकी कंपनी ने अनैतिक, व्यवहार वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, या कंपनी से संबंधित मामलों के उल्लंघन को प्रबंधन के समक्ष रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को ढांचा उपलब्ध कराने के लिए ‘व्हीसल ब्लोअर पॉलिसी’ तैयार की है। उक्त पॉलिसी को कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है।

3. बोर्ड की समितियाँ :**(i) लेखा परीक्षा समिति :**

सामूहिक शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के मार्गदर्शन के अध्याय 4 के प्रावधानों की अनुवर्ती में बोर्ड द्वारा गठित लेखापरीक्षा समिति कंपनी अधिनियम के लागू प्रावधानों के अधीन संदर्भित शर्तों को तथा समय समय पर किए गए संशोधन के अनुसार सामूहिक शासन पर डी पी ई के मार्गदर्शनों का अनुपालन करती है तथा निदेशक मण्डल, रक्षा उत्पादन विभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों का भी पालन करती हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें 21.05.2015, 05.08.2015, 03.11.2015 तथा 28.01.2016 को हुई तथा बैठकों की संख्या तथा आवृत्ति पर

पूर्ण अनुपालन किया गया। लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों तथा निदेशकों की उपस्थिति संबंधी विवरण नीचे दिये जाते हैं।

| क्रम सं. | निदेशक का नाम | संवर्ग | उपस्थिति |
|-----------|------------------------|-----------------|----------|
| अध्यक्ष : | | | |
| 1 | श्री जी सुधीन्द्रा | स्वतंत्र निदेशक | 3/4 |
| सदस्य: | | | |
| 2 | प्रो.एस.सञ्जोपन | स्वतंत्र निदेशक | 3/4 |
| 3 | डॉ.एस.वेंकटेश्वरन | स्वतंत्र निदेशक | 4/4 |
| 4 | श्री प्रदीप स्वामिनाथन | नामित निदेशक | 4/4 |

कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष ने 51वाँ वार्षिक आम बैठक में भाग लेकर कंपनी के लेखों से संबंधित शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर दिया।

(ii) पारिश्रमिक समिति

सामूहिक शासन पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के मार्गदर्शन के अध्याय 5 के प्रावधानों की अनुवर्ती में बोर्ड की पारिश्रमिक समिति निम्नांकित रूप से गठित की गई।

| क्रम सं. | निदेशक का नाम | संवर्ग |
|-----------|------------------------|-----------------|
| अध्यक्ष : | | |
| 1. | प्रो.एस.सञ्जोपन | स्वतंत्र निदेशक |
| सदस्य: | | |
| 2. | श्री जी सुधीन्द्रा | स्वतंत्र निदेशक |
| 3. | श्री प्रदीप स्वामिनाथन | नामित निदेशक |

संदर्भ की शर्तों के अनुसार वार्षिक बोनस/परिवर्तनीय वेतन पूल और निर्धारित समयावधि के अधीन कार्यपालकों को एवं गैर-एकीकृत पर्यवेक्षकों के बीच इसके वितरण के संबंध में नीति पारिश्रमिक समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है।

(iii) शेयर अंतरण समिति

शेयरों के स्थानांतरण/संचरण, नाम निकालना, नकली शेयर प्रमाणपत्र जारी करना, आदि के मुद्दे पर सदस्यों से प्राप्त अनुरोध के निराकरण के लिए निम्नलिखित सदस्यों के साथ शेयर अंतरण समिति गठित है।

कंपनी सचिव अनुपालन अधिकारी स्वरूप कार्य करते हैं।

| क्रम सं. | निदेशक का नाम | संवर्ग |
|-----------|------------------------|--------------|
| अध्यक्ष : | | |
| 1. | श्री प्रदीप स्वामिनाथन | नामित निदेशक |
| सदस्य: | | |
| 2. | श्री बी आर विश्वनाथ | नामित निदेशक |

4. निदेशकों को पारिश्रमिक

होलडिंग कंपनी के नामित निदेशक को किसी प्रकार के बैठक शुल्क भुगतान नहीं किया जाता है।

स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/समिति की बैठक में भाग लेने पर ₹10,000/- प्रति बैठक के रूप में बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है तथा अगर एक ही दिन में एक से अधिक बैठकों में भाग लेने पर ऐसे प्रत्येक अतिरिक्त बैठक के लिए ₹5000/- प्रति बैठक के रूप में बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। कंपनी द्वारा बोर्ड/समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए वास्तविक परिवहन खर्च की प्रतिपूर्ति की जाती है। वर्ष 2015-16 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क का विवरण निम्नानुसार है :

| क्रम सं. | निदेशक का नाम | बैठक शुल्क (राशि ₹ में) |
|----------|--------------------|-------------------------|
| 1 | प्रो.एस.सञ्जोपन | 55,000 |
| 2 | श्री जी सुधीन्द्रा | 45,000 |
| 3 | डॉ. एस.वेंकटेश्वरन | 70,000 |
| | कुल | 1,70,000 |

निदेशकों को न कोई कमीशन का भुगतान किया जाता है और न ही उनके लिए किसी भी शेयर विकल्प योजना प्रस्तावित है।

5. वार्षिक आम बैठकें

पिछले तीन वार्षिक आम बैठकों से संबंधित विवरण निम्नानुसार है :-

| वर्ष | स्थान | तारीख व समय |
|---------|--------------------------------|------------------------------|
| 2014-15 | तरिकेरे स्थित पंजीकृत कार्यालय | 03.09.2015- प्रातः 11.30 बजे |
| 2013-14 | तरिकेरे स्थित पंजीकृत कार्यालय | 27.08.2014- प्रातः 11.30 बजे |
| 2012-13 | तरिकेरे स्थित पंजीकृत कार्यालय | 06.09.2013- प्रातः 11.30 बजे |

वर्ष 2012-13 के दौरान दि.06.09.2013 को संपन्न 49वाँ वार्षिक आम बैठक में डी पी ई मार्गदर्शनों के अनुपालन में शेयरों की पुर्नखरीद से संबंधित अनुच्छेद सं. 16(क) को जोड़ते हुए अर्टिकल ऑफ एसोशियेशन में बदलाव किया गया। पिछले वर्ष कोई भी प्रस्ताव डाक मतपत्र द्वारा नहीं डाला गया।

6. उद्यम जोखिम प्रबंधन

सामूहिक शासन पर डी पी ई मार्गदर्शनों के अनुपालन में, कंपनी के संचालन के साथ जुड़े जोखिम को कम करने के लिए जोखिम प्रबंधन तंत्र पर कार्य करने हेतु एक आंतरिक समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थापना प्रगति के अधीन है।

7. प्रकटीकरण

सामूहिक शासन पर डी पी ई मार्गदर्शनों के अध्याय 7 के अनुसार, निम्न प्रकार प्रकटीकरण किये गये।

- वर्ष 2015-16 के दौरान होल्डिंग कंपनी मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड के साथ सभी संबंध पार्टी संव्यवहार लेन-देन निष्पक्ष, पारदर्शी एवं संभाव्य आधार पर रहा तथा कंपनी के व्यवसाय का सामान्य तरीका भी रहा। इसके अलावा, निदेशक या शीर्ष प्रबंधन कार्मिक या उनके संबंधियों के साथ अति आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण संबंध पार्टी संव्यवहार लेन-देन नहीं किया है, जो कंपनी के हित में संभवतः विपरीत है। लेखांकन मानक नियम, 2006 के अधीन जारी लेखा मानक-18 के अनुसार संबंध पार्टी संव्यवहार लेन-देन संबंधी विवरण वित्तीय विवरणों के अंश स्वरूप टिप्पणियों में टिप्पणी सं.24(ख) में दिया जाता है और लेखापरीक्षा समिति द्वारा उसपर विचार किया गया तथा अनुमोदित किया गया।
- भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा समय समय पर जारी किए गए लागू लेखा मानकों के आधार पर कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।
- पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-अनुपालन का कोई मामला नहीं रहा और किसी सांविधिक प्राधिकार द्वारा या सरकार द्वारा जारी किए किसी मार्गदर्शनों के संबंध में किसी विषय पर न तो कोई अर्थदण्ड लगाया गया और न ही कोई कटु आलोचना की गई है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184(2) और 188 के अनुसार कंपनी ने ऐसे कोई ठेके या व्यवस्था

में प्रवेश नहीं किया है, जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं।

- वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने बोर्ड को इस बात की पुष्टि की है सभी संभाव्य वित्तीय एवं वाणिज्यिक लेनदेन से कंपनी के हित पर कोई संभाव्य विपरीत स्थिति नहीं हुई।

8. संचार माध्यम

कंपनी के वेबलिंग www.bemlindia.com/vignyan.php में प्रबंधन, दूरदर्शिता, मिशन, वित्तीय परिणाम, पिछले 3 वर्षों के लिए वार्षिक रिपोर्ट तथा निवेशकों की सूचना संबंधी जानकारी दी जाती है।

9. सामान्य शेयरधारी सूचना

- (i) वर्ष 2015-16 के लिए 52वीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, दिनांक 01 सितंबर, 2016 के अपराह्न 12.00 बजे को तरिकेरे स्थित पंजीकृत कार्यालय में नियत की गई है।
- (ii) शेयर अंतरण प्रणाली :
शेयरों को केवल भौतिक रूप में जारी एवं निपटारा जाता है। शेयरों का अंतरण, नकली शेयर प्रमाण पत्र जारी करना, पते का परिवर्तन, आदि के अनुरोध शेयर अंतरण समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तथा अंतरण की पूर्ति किये जाने के उपरांत शेयरधारियों को सूचना दी जाएगी।
- (iii) 31.03.2016 पर शेयरधारण पैटर्न

| वर्ग | शेयरों की संख्या | इक्विटी के प्रति% |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| बीईएमएल लिमिटेड व्यक्ति | 2,69,376 | 96.56 |
| | 9,590 | 3.44 |
| कुल | 2,78,966 | 100.00 |

- (iv) लावारिस लाभांश :

कंपनी अधिनियम, 1956 का प्रावधानों के तहत, हस्तांतरण की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के लिए लावारिस बने रहे अवैतनिक लाभांश खाते की किसी भी राशि को केन्द्रीय सरकार द्वारा पोषित निवेशक

शिक्षा और संरक्षण निधि (आईपीएफ) में अंतरित किया जाता है।

संबंधित वर्षों के लिए लावारिस लाभांश की राशि नीचे दी जाती है :-

| किस वर्ष के लिए | घोषणा की तारीख | 31.03.2016 को लावारिस (₹ लाखों में) | अंतरण के लिए नियत तिथि |
|-------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|
| 2008-09 | 13.08.2009 | 0.52 | 17.09.2016 |
| 2009-10 | 06.08.2010 | 0.53 | 10.09.2017 |
| कुल (ब्याज सहित) | | 1.05 | |

सदस्य, जो लाभांश वारंट को नकदीकरण नहीं किया है, कंपनी को लिखकर ऐसी लाभांश राशि विधिवत् दावा करके प्राप्त कर सकते हैं।

(v) पत्राचार के लिए पता:

मेसर्स विज्ञान इंडस्ट्रीस लिमिटेड
हलियूर गाँव, बी.एच.रोड़,
तरिकेरे- 577 228,
चिक्कमगलूर जिला, कर्नाटक राज्य
दूरभाष : 08261-222313 / 222252
ई-मेल आईडी: v.vil@beml.co.in

10. सामूहिक शासन के अधीन अनुपालन

- (i) आपकी कंपनी द्वारा तिमाही के समाप्त होने से 15 दिन के भीतर निर्धारित प्रपत्र में रक्षा मंत्रालय (रक्षा मंत्रालय) को सामूहिक शासन पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।
- (ii) इसके अलावा, आपकी कंपनी द्वारा रक्षा मंत्रालय के साथ सामूहिक शासन संबंधी अनुपालन पर एक ग्रेडिंग रिपोर्ट और सार्वजनिक उद्यम विभाग के साथ तिमाही आधार पर और वार्षिक आधार पर एक वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है। वर्ष 2015-16 के लिए ग्रेडिंग रिपोर्टिंग के अनुसार लगभग 95% के तिमाही औसतन स्कोर के साथ सामूहिक शासन के अनुपालन में आपकी कंपनी को झू-उत्कृष्ट ग्रेड से रेट किया गया।

सामूहिक प्रशासन अनुपालन प्रमाण पत्र

सामूहिक पहचान सं. : U51101KA1963PLC001510
नामिनल पूंजी : ₹ 400 लाख

मेसर्स विज्ञान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों को,

मैंने 31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सामूहिक प्रशासन के शर्तों तथा सार्वजनिक उद्यम-2010 के लिए सामूहिक प्रशासन पर डीपीई मार्गदर्शनों के अनुपालन प्रमाणित करने के उद्देश्य में विज्ञान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण किया है। मैंने उक्त प्रमाणन के लिए अपनी जानकारी एवं विश्वास में आवश्यक माने गये सभी विवरणों तथा सूचनाओं को प्राप्त किया है।

सामूहिक प्रशासन के शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरा परीक्षण सामूहिक प्रशासन के शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कंपनी द्वारा अपनायी गयी कार्यविधियों तथा कार्यान्वयन प्रक्रियाओं तक सीमित है।

यह प्रमाण पत्र कंपनी की भावी व्यवहार्यता के लिए आश्वासन नहीं है, न ही कंपनी के प्रबंधन द्वारा अपने कारोबार संबंधी व्यवहार में किये गये कार्यों की साधना या सामर्थ्य को दर्शाता है।

मुझे दी गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों तथा संबंधित दस्तावेजों पर मेरे परीक्षण के आधार पर मैं प्रमाणित करता हूँ कि सार्वजनिक उद्यम-2010 के लिए सामूहिक प्रशासन पर डीपीई मार्गदर्शनों के अनुरूप में उल्लिखित आवश्यक अनिवार्यता पूरा किया है।

कृते वेलचेटी एण्ड को
सनदी लेखाकार

ह./-

सी ए वी विजय राघव राव

साझेदार

एम.नं.028453

एफआर एन: 004588एस

बेंगलूरु

18.05.2016

प्रबंधन द्वारा विचार- विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

(सीपीएसई-2010 के लिए सामूहिक शासन पर डीपीई दिशानिर्देश के पैरा 7.5 के संदर्भ में)

(i) उद्यम संरचना एवं विकास :

आपकी कम्पनी को निजी प्रमोटर्स द्वारा दि.25.09.1963 को निगमित किया गया था। अक्टूबर 1984 के दौरान कम्पनी की 69% की प्रदत्त शेयर पूँजी का अधिग्रहण करते हुए मेसर्स बी ई एम एल लिमिटेड ने नियंत्रण लिया है। वर्तमान में, बी ई एम एल द्वारा कम्पनी 96.56% की प्रदत्त शेयर पूँजी का अधिग्रहण किया जाता है। इंजीनियरिंग, खनन, रेलवे और ढांचागत उद्योगों के लिए कम्पनी उपयुक्त स्टील कास्टिंग बनाती है।

संगठन :

कम्पनी की एकमात्र विनिर्माण सुविधा तरिकेरे में स्थित है। आपकी कम्पनी मुख्य रूप से होल्डिंग कम्पनी मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड को विभिन्न मानकों के स्टील कास्टिंग की आपूर्ति करती है। 31.03.2016 के अनुसार कम्पनी की मानवशक्ति 95 है।

वर्ष 2015-16 के दौरान विकास और प्रदर्शन :

वर्ष 2015-16 के दौरान, भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पिछले वर्ष की 7.2% की तुलना में इस वर्ष में 7.6% के रूप में प्रवृत्ति हुई है। अर्थव्यवस्था में प्रचलित समग्र सुस्ती के कारण विनिर्माण क्षेत्रों विशेषकर खनन एवं उत्खनन में निर्माण अपने विकास के दर पर दबाव देखा जा रहा है। सतत वैश्विक आर्थिक मंदी और उच्च घरेलू ब्याज दर से सभी प्रमुख विनिर्माण उद्योगों के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ा है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद पर भी असर पड़ा है। हालांकि, आपकी कम्पनी ने पिछले वर्ष में ₹30.67 करोड़ रुपए की तुलना में ₹32.18 करोड़ रुपये की कुल बिक्री दर्ज की है।

(ii) क्षमता और कमजोरियाँ :

(क) क्षमता :

- 1000 कि.ग्राम तक विभिन्न रेंज के कैस्टिंग्स बनाने की क्षमता।
- तरिकेरे में राष्ट्रीय राजमार्ग में संयंत्र स्थित होने के कारण परिवहन की सुविधा।
- आईएसओ तथा आरडीएसओ श्रेणी 'ए' फाउंडरी मान्यता की गुणवत्ता प्रणाली में स्थिरता।

(ख) कमजोरियाँ :

- ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य रूप में होनेवाली अनियमित विद्युत प्रवाह की कटौती।
- मेल्टिंग एवं फेंदलिंग खण्डों में कुशल मानव शक्ति की कमी।
- पुराने एवं प्राचीन उपकरण, जिनके प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश की अपेक्षा है।
- कैस्टिंग्स के प्रूफ मशीनिंग/तैयार मशीनिंग के लिए मशीनिंग सुविधाओं की कमी।

(iii) अवसर और आशंका:

(क) अवसर :

- रक्षा एवं रेलवे व्यावसायिक क्षेत्रों में कैस्टिंग्स के लिए संवृद्ध मांग।
- उच्च धातुमिश्रण कैस्टिंग्स के लिए संभावित व्यापार।
- एसेम्बलियों सहित धातु फार्मिंग क्षेत्रों में अवसर।

(ख) आशंका :

- फाउंडरी मिट्टी, बेन्टोनाइट तथा धातु स्क्रेप आदि जैसे कच्चा मालों की कमी एवं अनुपलब्धता।
- कच्चा माल दाम में लगातार और तीव्र वृद्धि।
- कठोर एवं सख्त पर्यावरणीय मानदंड।
- एकल या तैयार आग रोक आकार पर महत्वपूर्ण निर्भरता एवं फाउंडरी मिट्टी की अनुपलब्धता।

(iv) वर्ष 2015-16 के दौरान क्षेत्रवार अथवा उत्पादवार निष्पादन :

कम्पनी व्यवसाय के एक क्षेत्र में परिचालित है, अतः उत्पाद के प्रदर्शन इस रिपोर्ट के क्रम सं. (viii) में दिया जाता है।

(v) दृष्टिकोण :

आपकी कम्पनी होल्डिंग कंपनी बीईएमएल पर निर्भरता को लगातार कम करने हेतु नए अवसरों को ढूँढ निकालने की योजना करती है। तो भी रक्षा व्यवसाय से संबंधित टी-72, तथा टाट्रा वेरियंट जैसे उच्च धातुमिश्र गुणता कैस्टिंग्स, रेल व्यवसाय से संबंधित धुरा बक्स, बफर असेम्बली और खनन एवं विनिर्माण व्यवसाय के लिए बीईएमएल से आदेशों की अपेक्षा में आवश्यक विकास एवं उत्पादन की योजना की गई है। आपकी कंपनी ₹1.35 करोड़ मूल्यवाले 100 मेट्रिक टन उच्च मैंगनीस यू-2 स्टील कैस्टिंग्स की आपूर्ति हेतु मिथानि से आदेश प्राप्त करने में समर्थ रही। कंपनी ने रेल कोचों के लिए अपेक्षित धुरा बक्स आंतरिक कैस्टिंग्स की आपूर्ति के लिए सवारी डिब्बे कारखाने से विस्तार प्राप्त किया है। उपर्युक्त योजनाओं द्वारा कंपनी अपनी परिप्रेक्ष्य योजना परिकल्पित अनुसार वर्ष 2020-21 तक ₹74 करोड़ हासिल करने में सहायता मिलेगी।

होल्डिंग कंपनी तथा अन्य ग्राहकों से प्रत्याशित कैस्टिंग्स अपेक्षाओं सहित दिनांक 01.04.2016 के अनुसार आदेश बुक की स्थिति 1739 मेट्रिक टन है। इसके साथ आपकी कंपनी वर्ष 2016-17 के दौरान अच्छे परिणामों की ओर बढ़ने में दृढ़ विश्वास रखती है।

(vi) जोखिम एवं चिंताएँ :

कंपनी से जुड़े मोखिक और रिटर्न की गहन चर्चा और विश्लेषण के बाद सभी प्रमुख व्यवसायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया कंपनी द्वारा अपनायी जाती है। इस दृष्टिकोण के माध्यम से कंपनी के भविष्य के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकनेवाले प्रतिकूल जोखिमों को कम करते हुए संगठनात्मक मूल्यों में वृद्धि लाने के अवसरों को पहचान करने का प्रयास किया जाता है। कंपनी द्वारा सामना की जा रही प्रमुख चिंताएँ इस प्रकार हैं :-

- (क) पर्यावरणीय एवं सामाजिक मुद्दों को हल करने में होनेवाली देरी के कारण विशेष रूप में खनन क्षेत्र में अनिश्चितता।
- (ख) इन्पुट लागत के उच्च स्तर।
- (ग) प्रतिस्पर्धियों का मुकाबला करने के लिए अभिनव विपणन रणनीतियाँ।
- (घ) कुशल मानवशक्ति को बनाए रखना।

तो भी, उपर्युक्त चुनौतियों का सामना करने तथा पहले के जैसा संभाव्य वृद्धि के साथ व्यवसाय सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रकार की कार्य योजनाएँ तथा रणनीतियाँ कार्यान्वित की जा रही हैं।

(vii) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

कम्पनी के पास एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, जो आशावादी होने और स्रोतों की सुरक्षा, वित्त की गुणवत्ता और विश्वसनीयता और परिचालन अनुसरण का साथ लागू होनेवाली सांविधिक और सामूहिक नितियों के प्रति उच्च श्रेणी की सुनिश्चितता उपलब्ध कराती है। यह कम्पनी का प्रयत्न है कि इन का सभी प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को श्रेष्ठ व्यापक प्रयोग के साथ सम्मिलित किया जाए।

आंतरिक लेखा परीक्षक प्रक्रिया कम्पनी के सभी संचालनों के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की व्यवस्था और प्रणाली में आंतरिक नियंत्रण जांच की पर्याप्तता का पुनरीक्षण करने के लिए प्रारूपित किया गया है। आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग जोखिम आधार के परीक्षकों का निष्पादन करते हैं, जो आंतरिक परीक्षण योजना के आधार पर होता है, जिसकी पुनरीक्षा प्रतिवर्ष सांविधिक लेखापरीक्षकों और लेखा परीक्षक समिति के साथ विचार विमर्श से की जाती है।

आपकी कंपनी ने पूरे उद्यम के लिए ईआरपी का कार्यान्वयन कर दिया है। इसमें संपूर्ण रूप में एसएपी प्लैटफार्म की वयवस्था भी है, जो कई उभरते बाजार की जरूरतों से लाभ उठाने हेतु मजबूत आधार प्रदान करता है।

(viii) संचालन निष्पादन के प्रति वित्तीय निष्पादन पर विचार विमर्श :

वर्ष 2015-16 के दौरान आपकी कंपनी ने ₹30.67 करोड़

(₹ लाखों में)

| विवरण | | 2015-16 | 2014-15 |
|-------|---|---------|---------|
| क) | बिक्री | 3218.08 | 3066.72 |
| ख) | उत्पादन मूल्य | 3087.88 | 3150.01 |
| ग) | कर पूर्व लाभ | 31.62 | (84.60) |
| घ) | कर के बाद लाभ | 44.67 | (21.68) |
| ङ.) | निवल सम्पत्ति | 460.59 | 415.92 |
| च) | मालसूची | 644.38 | 794.74 |
| छ) | प्राप्य व्यापार | - | 0.02 |
| | % कर पूर्व लाभ/बिक्री ग/क*100) | 0.98 | (2.76) |
| | % कर के बाद लाभ/निवल सम्पत्ति (घ/ङ.*100) | 9.70 | (5.21) |
| | उत्पादन मूल्य के दिवसों में कुल मालसूची (च/ख*365) | 76 | 92 |
| | कुल प्राप्य/बिक्री दिवसों में (छ/क*365) | - | 0.002 |

के विरुद्ध ₹32.18 करोड़ की कुल बिक्री हासिल की है, जो पिछले वर्ष की कुल बिक्री की तुलना में 4.92% की वृद्धि दर्शाती है। पिछले वित्तीय वर्ष के उत्पादन मूल्य ₹31.50 करोड़ एवं हानि ₹0.85 करोड़ की तुलना में उत्पादन मूल्य ₹30.85 करोड़ और कर पूर्व लाभ ₹0.32 करोड़ रहा।

(ix) नियोजित लोगों की संख्या सहित मानव संसाधन/औद्योगिक सम्बंध व्यवहार में महत्वपूर्ण विकास :

कम्पनी ने जनशक्ति के प्रशिक्षण और विकास पर अपनी एकाग्रता बढ़ायी है। वर्ष के दौरान मध्य प्रबंध स्तर के प्रशिक्षण और विकास पर ध्यान दिया गया है। कम्पनी के प्रमुख स्थानों पर संरचनात्मक दृष्टिकोण के जरिए सक्षम प्रबंध को प्रारंभ किया है। सभी कर्मचारियों सहित विभिन्न मदों पर पुनर्निवेशन के विषय पर व्यापक रूप से कम्पनी में संयुक्त सर्वेक्षण किया गया है। कम्पनी विभिन्न आंतरिक मंचों के माध्यम से सभी स्तर और वर्गों के कर्मचारियों से अपना संचारण को तीव्र गति से बढ़ाया है। कम्पनी द्वारा प्रशिक्षुओं और श्रमिकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी लगातार श्रेष्ठ कार्य निभायी गयी है।

औद्योगिक सम्बंध सुव्यवस्थित और सौहार्दिक बने रहे। पिछले वर्ष के 113 की तुलना में दिनांक 31.03.2016 तक जनशक्ति 95 तक बनी रही। वर्ष के दौरान 543 प्रशिक्षण के

मानवदिवस को कर्मचारियों की कार्य कुशलता में गति लाने और उनके ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया।

(x) पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, अक्षय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण :

इससे संबंधित सूचना बोर्ड की रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई है।

सजग कथन : कम्पनी के उद्देश्यों, अनुमानों, दृष्टिकोण, अपेक्षाएँ, प्राक्कलन तथा अन्यो से संबंधित प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट के कुछ विवरणों से लागू कानूनों और नियमों के अर्थ में 'आगे देख विवरण' का गठन किया जा सकता है। वास्तविक परिणाम ऐसे अनुमानों, अपेक्षाओं तथा अन्यो से, चाहे व्यक्त या निहित हो, भिन्न हो सकते हैं। कई कारक कम्पनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण अंतर बना सकता है। इनमें जलवायु परिस्थितियों तथा मांग और आपूर्ति, सरकार के नियमों और कराधान प्रभावित करनेवाली आर्थिक स्थिति, प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं, जिनपर कम्पनी कोई सीधा नियंत्रण नहीं रख सकती।

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से
ह0/-

बेंगलूरु
19.05.2016

बी आर विश्वनाथ
बोर्ड के अध्यक्ष

प्रपत्र सं.-एमजीटी 9
वार्षिक विवरणी का सार

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

किंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 का नियम 12(1) के अनुसरण में

I. पंजीयन तथा अन्य विवरण :

- i) सीआईएन : U51101घअ1963झडउ001510
- ii) पंजीयन तिथि : 25/09/1963
- iii) कम्पनी का नाम : विज्ञान इंडस्ट्रीस लिमिटेड
- iv) कम्पनी की श्रेणी/उप-श्रेणी : शेयर द्वारा लिमिटेड कम्पनी
- v) पंजीकृत कार्यालय का पता व सम्पर्क विवरण : हलियूर गाँव, बी.एच. रोड,
तरिकेरे पोस्ट - 577 228
चिक्कमगलूरु जिला, कर्नाटक
- vi) क्या सूचीपद्ध कम्पनी है : नहीं
- vii) पंजीयक और हस्तांतरित अभिकर्ता का नाम,
पता और विवरण सम्पर्क विवरण, यदि कोई हो, : लागू नहीं

II. कम्पनी के मुख्य व्यवसाय संबंधी कार्यकलाप :

कम्पनी के कुल उत्पादन का 10% या उससे अधिक का योगदान देने समस्त व्यवसाय संबंधी कार्यकलाप इसप्रकार है :-

| क्रम सं. | मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम व विवरण | उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड | कम्पनी का कुल उत्पादन का प्रतिशत |
|----------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1. | स्टील कैस्टिंग्स | 27310 | 100% |

III. नियंत्रक, अनुषंगी और सहयोगी कम्पनियों का विवरण :

| क्रम सं. | कम्पनी का नाम व पता | सीआईएन/जीएलएन | नियंत्रक/ अनुषंगी/ सहायक | रखे गए शेयर का प्रतिशत | प्रयोज्य खण्ड |
|----------|---|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| 1. | मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड बेमल सौधा, 23/1, चौथा मेन, एस.आर.नगर, बेंगलूर-560027 | L35202KA1964GOI001530 | नियंत्रक कंपनी | 96.56% | 2(46) |

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत रूप में इक्विटी शेयर केपिटल का ब्योरा):
i) श्रेणीवार शेयरधारण

| शेयरधारकों की श्रेणी | वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों की संख्या | | | | वर्ष के अंत में रखे गए शेयरों की संख्या | | | | वर्ष के दौरान परिवर्तन % |
|-------------------------------------|---|--------|--------|-----------------|---|--------|--------|-----------------|--------------------------|
| | डिमेंट | भौतिक | कुल | कुल शेयरों की % | डिमेंट | भौतिक | कुल | कुल शेयरों की % | |
| क. प्रवर्तक | | | | | | | | | |
| (1) भारतीय | | | | | | | | | |
| (क) व्यक्तिगत/एचयूएफ | | | | | | | | | |
| (ख) केन्द्रीय सरकार | | | | | | | | | |
| (ग) राज्य सरकार | | | | | | | | | |
| (घ) निकाय निगम | - | 269376 | 269376 | 96.56 | - | 269376 | 269376 | 96.56 | - |
| (ङ) बैंक/वित्तीय संस्था | | | | | | | | | |
| (च) कोई अन्य उप-योग (क) (1) | - | 269376 | 269376 | 96.56 | - | 269376 | 269376 | 96.56 | - |
| (2) विदेशी | | | | | | | | | |
| (क) एनआरआई-व्यक्ति | | | | | | | | | |
| (ख) अन्य-व्यक्ति | | | | | | | | | |
| (ग) निकाय निगम | | | | | | | | | |
| (घ) बैंक/वित्तीय संस्था | | | | | | | | | |
| (ङ) कोई अन्य उप-योग (क) (2) | | | | | | | | | |
| प्रवर्तक के कुल शेयरधारण(क)= | | | | | | | | | |
| (क)(1)+(क)(2) | - | 269376 | 269376 | 96.56 | - | 269376 | 269376 | 96.56 | - |
| ख. सार्वजनिक शेयरधारण | | | | | | | | | |
| 1. संस्थान | | | | | | | | | |
| (क) म्यूचुल फंड | | | | | | | | | |
| (ख) बैंक/वित्तीय संस्थान | | | | | | | | | |
| (ग) केन्द्रीय सरकार | | | | | | | | | |
| (घ) राज्य सरकार (रें) | | | | | | | | | |
| (ङ) उद्यम पूंजी निधि | | | | | | | | | |
| (च) बीमा कंपनियां | | | | | | | | | |

| शेयरधारकों की श्रेणी | वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों की संख्या | | | | वर्ष के अंत में रखे गए शेयरों की संख्या | | | | वर्ष के दौरान परिवर्तन % |
|---|---|---------------|---------------|-----------------|---|---------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| | डिमेट | भौतिक | कुल | कुल शेयरों की % | डिमेट | भौतिक | कुल | कुल शेयरों की % | |
| (छ)एफआईआई (ज)विदेशी आम पूंजी निधि (झ)अन्य स्पष्ट करें उपयोग(ख)(1) | | | | | | | | | |
| 2. गैर संस्थान | | | | | | | | | |
| (क)निकाय निगम | | | | | | | | | |
| i) भारतीय | | | | | | | | | |
| ii) समुद्रपार | | | | | | | | | |
| (ख) व्यक्तिगत | | | | | | | | | |
| i) हर-एक शेयरधारक द्वारा 1 लाख रुपए तक के रखे गए नाममात्र/ आंशिक शेयर पूंजी | - | 5965 | 5965 | 2.14 | - | 5965 | 5965 | 2.14 | - |
| ii) हर-एक शेयरधारकों द्वारा 1 लाख रुपए से अधिक के रखे गए नाममात्र/ आंशिक शेयर पूंजी | - | 3625 | 3625 | 1.30 | - | 3625 | 3625 | 1.30 | - |
| (ग) अन्य स्पष्ट करें | | | | | | | | | |
| उप-योग (ख)(2) | - | 9590 | 9590 | 3.44 | - | 9590 | 9590 | 3.44 | - |
| कुल सार्वजनिक शेयरधारण (ख)= (ख)(1)+(ख)(2) | - | 9590 | 9590 | 3.44 | - | 9590 | 9590 | 3.44 | - |
| ग.जीडीआर एवं एडीआर के लिए संरक्षक द्वारा धारित | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| महायोग(क+ख+ग) | - | 278966 | 278966 | 100.00 | | 278966 | 278966 | 100.00 | - |

(ii) प्रवर्तकों का शेयरहोल्डिंग:

| क्र म सं. | अंशधारकों की श्रेणी | वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों की संख्या | | | वर्ष के अंत में रखे गए शेयरों की संख्या | | | वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन का प्रतिशत |
|-----------|---------------------|---|---------------------------|--|---|---------------------------------|--|--|
| | | शेयरों की संख्या | कम्पनी के कुल शेयरों का % | कुल शेयरों में से रेहन/भारित शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | कुल शेयरों में से रेहन/भारित शेयरों का प्रतिशत | |
| 1 | बीईएमएल लिमिटेड | 269376 | 96.56 | 0 | 269376 | 96.56 | 0 | शून्य |
| | कुल | 269376 | 96.56 | 0 | 269376 | 96.56 | 0 | शून्य |

(iii) प्रवर्तकों के शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन :

| | वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों की संख्या | | वर्ष के दौरान संचित शेयरहोल्डिंग | |
|---|---|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | शेयरों की संख्या | कम्पनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कम्पनी के कुल शेयरों का % |
| वर्ष के प्रारंभ में | 269376 | 96.56 | 269376 | 96.56 |
| वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के शेयरहोल्डिंग में दिनांकवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात आबंटन/अंतरण/ बोनस/स्वैट इक्विटी आदि) | लागू नहीं | | | |
| वर्ष की समाप्ति पर | | | 269376 | 96.56 |

(iv) शीर्षस्थ दस अंशधारकों का शेयरहोल्डिंग पैटर्न (निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर व एडीआर धारक के अलावा):

| प्रत्येक शीर्षस्थ दस अंशधारकों हेतु | वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों की संख्या | | वर्ष के दौरान संचित | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| | शेयरों की संख्या | कम्पनी के कुल शेयरों का % | शेयरों की संख्या | कम्पनी के कुल शेयरों का % |
| वर्ष के प्रारंभ में | | | | |
| 1. श्री एम एस मंजप्पा | 500 | 0.18 | 500 | 0.18 |
| 2. श्रीमती जयंतीमाला एस हेगडे | 445 | 0.16 | 445 | 0.16 |
| 3. श्रीमती पुष्पवती शेड्डी | 400 | 0.14 | 400 | 0.14 |
| 4. श्री वी एस चेतन | 360 | 0.13 | 360 | 0.13 |
| 5. श्री टी नागप्पा | 300 | 0.11 | 300 | 0.11 |
| 6. श्रीमती डी पर्वतम्मा | 274 | 0.09 | 274 | 0.09 |
| 7. प्रो.पी शिवाजी शेड्डी | 250 | 0.08 | 250 | 0.08 |
| 8. डॉ.एस सुरेश | 250 | 0.08 | 250 | 0.08 |
| 9. श्री बी के कृष्णाय्या | 200 | 0.07 | 200 | 0.07 |
| 10. श्रीमती लक्ष्मी शेड्डी | 200 | 0.07 | 200 | 0.07 |

| वर्ष के दौरान शेयरधारण में वृद्धि/कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें (अर्थात वर्ष की समाप्ति पर (या पृथक्कीकरण की तारीख पर, यदि वर्ष के दौरान पृथक् हुए हो तो) | लागू नहीं | |
|---|-----------|------|
| 1. श्री एम एस मंजप्पा | 500 | 0.18 |
| 2. श्रीमती जयंतीमाला एस हेगडे | 445 | 0.16 |
| 3. श्रीमती पुष्पवती शेड्धी | 400 | 0.14 |
| 4. श्री वी एस चेतन | 360 | 0.13 |
| 5. श्री टी नागप्पा | 300 | 0.11 |
| 6. श्रीमती डी पर्वतम्मा | 274 | 0.09 |
| 7. प्रो.पी शिवाजी शेड्डी | 250 | 0.08 |
| 8. डॉ.एस सुरेश | 250 | 0.08 |
| 9. श्री बी के कृष्णाय्या | 250 | 0.08 |
| 10. श्रीमती लक्ष्मी शेड्धी | 200 | 0.07 |

(v) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का शेयरधारण :

| प्रत्येक निदेशकों एवं केएमपी के लिए | वर्ष के प्रारंभ में रखे गए शेयरों | | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारण | |
|--|--|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | शेयरों की संख्या | कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत | शेयरों की संख्या | कम्पनी के कुल शेयरों का प्रतिशत |
| वर्ष के प्रारंभ में | कंपनी के निधान नियमों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल के कभी 5 निदेशकों द्वारा होल्डिंग कंपनी मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड के साथ सम्मिलित रूप में प्रत्येक के औसतन मूल्य ₹5,000/- के 50 अर्हता शेय रों का धारण किया जाता है । कंपनी सचिव, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी की पूँजी में कोई शेयर धारण नहीं कि या गया है । | | | |
| वर्ष के दौरान प्रवर्तकों के शेयरधारण में तारीखवार वृद्धि/कमी तथा वृद्धि/ कमी के कारणों को भी स्पष्ट करें. (अर्थात आबंटन/अंतरण/ बोनस/स्वैट इक्विटी आदि) | | | | |
| वर्ष की समाप्ति पर | | | | |

V. ऋणग्रस्तता :

कम्पनी की ऋणास्तता सहित बकाया/प्रौद्भूत ब्याज किंतु जिसका भुगतान देय नहीं है ।

(₹)

| | प्रतिभूति ऋण जिसमें जमा शामिल नहीं है | अप्रतिभूति ऋण | जमा | त्रणग्रस्तता |
|---|---------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| दि.01.04.2015 पर वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता : | | | | |
| i) मूलधन राशि | | | | |
| ii) देय ब्याज किंतु जिसका भुगतान नहीं किया गया | 19323903 | - | 2895999 | 22219902 |
| iii) प्रौद्भूत ब्याज किंतु जो देय नहीं | - | - | - | - |
| कुल (i+ii+iii) | 19323903 | - | 2895999 | 22219902 |

(₹)

| | | | | |
|--|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन | | | | |
| - वृद्धि | - | - | 616432 | 616432 |
| - कमी | 1397146 | - | - | 1397146 |
| निवल परिवर्तन | 1397146 | - | 616432 | 780714 |
| दि.31.03.2016 पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऋणग्रस्तता : | | | | |
| i) मूलधन राशि | 17926757 | - | 3512431 | 21439188 |
| ii) देय ब्याज किंतु जिसका भुगतान नहीं किया | - | - | - | - |
| iii) गया | - | - | - | - |
| कुल (i+ii+iii) | 17926757 | - | 3512431 | 21439188 |

VI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक :

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधकों को पारिश्रमिक लागू नहीं।

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक :

| स्वतंत्र निदेशक | | | | |
|--|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|
| पारिश्रमिक का विवरण | निदेशकों का नाम | | | कुल राशि रुपये में |
| | प्रो.एस सडगोपन | श्री जी सुधीन्द्रा | डॉ.एस वेंकटेश्वरन | |
| ● बोर्ड के समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क | 55,000/- | 45,000/- | 70,000/- | 1,70,000/- |
| ● कमीशन | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| ● अन्य, कृपया स्पष्ट करें | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| कुल (1) | 55,000/- | 45,000/- | 70,000/- | 1,70,000/- |
| अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक | | | | |
| पारिश्रमिक का विवरण | निदेशकों का नाम | | | कुल राशि रुपये में |
| | श्री पी.स्वामिनाथन | श्री बी.आर. विश्वनाथ | -- | |
| बीईएमएल लिमिटेड के नामित निदेशकों (होलडिंग कम्पनी) | | | | |
| ● बोर्ड के समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क | -- | -- | -- | -- |
| ● कमीशन | -- | -- | -- | -- |
| ● अन्य, कृपया स्पष्ट करें | -- | -- | -- | -- |
| कुल (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल (ख)=(1+2) | 55,000/- | 45,000/- | 70,000/- | 1,70,000/- |
| कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक | 55,000/- | 45,000/- | 70,000/- | 1,70,000/- |
| अधिनियम के अनुसार समस्त उच्चतम | लागू नहीं | | | |

ग. एम.डी./प्रबंधक/डब्ल्यू.टी.डी. के इतर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक: लागू नहीं।

VII. दंड/जुर्माना/दोष के लिए आरोपित : लागू नहीं।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. लेखांकन का आधार :

ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत लेखाओं को तैयार किया गया है तथा अन्यथा सूचितों को छोड़कर ये लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर, भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप है। जीएएपी में जहाँ तक संभव है, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानक एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान शामिल हैं तथा इन्हें लगातार लागू किया गया है।

2. अनुमानों का उपयोग :

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी में यह आवश्यकता है कि प्रबंध द्वारा अनुमान एवं प्राक्कलन की तैयारी की जाती है, जिससे परिसंपत्तियों एवं देयताओं की रिपोर्ट की गई राशि, वित्तीय विवरणों की तारीख पर अकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय की रिपोर्ट की गई राशि पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि सभी उपलब्ध जानकारियों के साथ उचित एवं विवेकपूर्ण रूप में इस तरह के अनुमान तैयार किये जाने पर भी, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अंतर हो सकता है तथा ऐसे मतभेदों को उक्त अवधि में मान्यता दी गई है जिसमें पीरिणाम का पता लगाया गया है।

3. स्थायी परिसम्पत्तियाँ :

अ. पूंजीकरण :

- क. स्थायी परिसंपत्ति के मूल्य लागत पर है।
- ख. स्थायी परिसम्पत्ति लागत में इसकी खरीद कीमत और परिसम्पत्तियों को छोड़कर उद्देशित उपयोगार्थ काम करने की स्थिति में लाने का किसी प्रकार का लागत शामिल है।
- ग. भूमि विकास पर हुए खर्च को पूंजीकृत किया गया है।
- घ. परिसम्पत्तियों की प्रमुख मरम्मत, पुनर्निर्माण, सुधार पर किए गए खर्च का पूंजीकरण सिर्फ

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर की गयी, जो प्रचलित परिसम्पत्तियों से भविष्य में पिछले मानक मूल्यांकन निष्पादन की तुलना में आगे हो (क्षमता में वृद्धि या जीवनकाल या कार्यकुशलता या उत्पादकता)।

- ड. ₹0.50 लाख और उसके ऊपर के यूनिट मूल्यवाले जिगस और फिक्स्चरों को पूंजीकृत किया जाता है और ₹0.50 लाख से कम यूनिट मूल्यवाले जिगस और फिक्स्चरों को ग्रहण के वर्ष में बंद कर दिया जाता है।

आ. मूल्यहास

- (क) कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के अनुसार निर्धारित दरों (या प्रबंध की राय में जो दर उचित हो) की सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्यहास प्रभारित है, जिसे पूंजीकरण महीने के अगले महीने से हिसाब में लाया जाता है। वर्तमान परिसम्पत्तियों के जोड़ या विस्तार पर मूल्यहास का प्रावधान किया गया है ताकि वर्तमान परिसम्पत्ति के अभिन्न अंग या परिसम्पत्ति के उपयोग जीवन काल पर स्वतंत्र रूप में उपयोगार्थ सक्षम हो जाने पर मूल सम्पत्ति के जीवन काल के साथ सह-समाप्त किया जा सके।
- (ख) संपत्ति जिसका यूनिट लागत ₹5000/- से अधिक नहीं है, उनका मूल्यहास पूंजीकरण के वर्ष में 100% की दर से उपलब्ध कराया जाता है।
- (ग) पट्टाधृत भूमि की कीमत यथानुपात आधार पर पट्टे की अवधि में ऋण चुकाया जाता है।
- (घ) पूंजीकृत किया गया जिगस और फिक्स्चरों को तीन वर्ष की अवधि तक मूल्यहास किया जाता है।

इ. उधार लेने की लागत

योग्य स्थाई परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण सीधे उधार लेने की लागत को संपत्ती की लागत का एक अंश स्वरूप पूंजीकृत किया गया है।

ई. परिसम्पत्तियों का अपक्षयन

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर परिसम्पत्तियों के अपक्षयन पर मूल्य निर्धारण करती है। अपक्षयन पर हानियों, यदि हो तो, को तदनुसार खाते में दर्शाया गया है।

4. अमूर्त परिसंपत्तियाँ :

क) साफ्टवेयर

आंतरिक उपयोग के लिए आंतरिक रूप से उत्पन्न/खरीदा गया साफ्टवेयर की लागत, जो संबंधित हार्डवेयर का समग्र भाग नहीं है, को अमूर्त परिसम्पत्ति स्वरूप मान्यता दी गई है तथा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर इसका परिशोधन सीधी पंक्ति प्रक्रिया के रूप में दस वर्षों के अंदर की अवधि में किया गया है। साफ्टवेयर, जो संबंधित हार्डवेयर का एक समग्र भाग है, को हार्डवेयर के साथ पूंजी में परिणत किया गया है।

ख) तकनीकी जानकारी

तकनीकी जानकारी संबंधी खर्च को अमूर्त परिसम्पत्तियाँ के रूप में मान्यता दी गई है और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर इसका परिशोधन सीधी पंक्ति प्रक्रिया के रूप में दस वर्षों के अंदर की अवधि में किया गया है।

उपर्युक्त क्रम सं.(क) तथा (ख) के लिए परिसम्पत्तियों के उपयोग में न लाने के महीने के अगले महीने से परिशोधन प्रारंभ होगा।

5. माल सूची मूल्य निर्धारण

i) कच्चे माल, घटकों, भण्डार और स्पेयरों का लागत मूल्य, न्यून भारित औसत मूल्य या अनुमानित कुल वसूली का मूल्य, से लगाया गया है।

ii) प्रगतिशील कार्य को सामग्री, श्रम और यथोचित ऊपरी खर्च के न्यून लागत को प्रमाणक क्षमता पर या अनुमानित उगाही मूल्य के आधार पर अथवा संतुलित निवल उगाही मूल्य पर आंका गया है।

iii) तैयार माल का न्यून मूल्य अथवा अनुमानित निवल वसूलीय मूल्य पर लिया जाता है।

iv) जब भी वास्तविक लागत उपलब्ध न हो, अनुमानित लागत को मान लिया जाता है।

v) विशिष्ट शिनाख्त पर लिखे गए मूल्य के आधार से मूल्य में गिरावट के लिए लागत का समंजन किया जाता है। अप्रचलन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाती हैं।

vi) तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, तैयार माल के पुनर्वैधीकरण/पुनर्विनीकरण करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं।

vii) अनुमानित वसूलीय मूल्य पर रद्दी माल का मूल्यांकन किया गया है।

6. ग्राहकों से पेशगियाँ

ग्राहकों से प्राप्त पेशगियाँ, जिसमें मांग पत्र/बिक्री संविदाओं से प्राप्त पेशगी/प्रगामी भुगतान शामिल है, ग्राहकों को उनके संविदा पत्र के अनुसार भेजने के बाद निवल समंजन के अंतर्गत ली जाती हैं।

7. बिक्री /अन्य आय

(i) अनुबंध के शर्तों के अनुसार जोखिम और स्वामित्व ग्राहक को दिये जाने पर उत्पादों जैसे उपकरण, एग्रीगेट्स, एटेचमेंट, पुर्जे और सहायक उत्पादों आदि की बिक्री की मान्यता दी जाती है।

(ii) जहाँ बिक्री मूल्य स्थापित नहीं होते, वहाँ वसूलीय संभावित मूल्यों पर अस्थायी रूप में बिक्री की मान्यता दी जाती है।

- (iii) बिक्री में जहाँ कहीं लागू हो उत्पाद शुल्क शामिल है, मगर बिक्री कर शामिल नहीं है।
- (iv) निर्यात पर शुल्क वापसी संबंधी दावों को प्रधानता देकर लेखाकृत किया गया है।
- (v) ठेके में प्रदान किए गए वृद्धि सूत्र के अनुसार वृद्धि के दावों का पहचान किए जाते हैं। ठेके में यदि कोई वृद्धि का प्रावधान न किया गया हो तो, उसके लिए दावे ग्राहक की स्वीकृति पर मान्यता प्राप्त है।

8. कर्मचारी हितलाभ

- i) वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में बट्टारहित पर खर्च के स्म में अल्पकालीन कर्मचारी हितलाभ को मान्यता दी गई है जो उनके द्वारा की गई सेवा से संबंधित है।
- ii) वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में खर्च के स्म में नियोजित पद और अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ को मान्यता दी गई है जो उनके द्वारा की ई-सेवा से सम्बंधित है। बीमांकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए निर्धारित की गई वर्तमान मूल्य की देय राशि पर खर्च को मान्यता दी गई है। नियोजित पद और अन्य दीर्घकालीन हितलाभ के प्रति बीमांकिक लाभ एवं हानियों के प्रभार लाभ एवं हानि लेखा में किया गया है।

9. विदेशी मुद्रा

- i) विदेशी मुद्रा सौदों को रुपयों में अभिलेखित किया गया है जो सौदों के समय विद्यमान विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के अनुसार लगाए गए या अग्रवर्ती संविदा दरों पर जहाँ कहीं भी लागू हो।
- ii) विदेशी मुद्रा सौदों से सम्बंधित चालू परिसम्पत्ति, चालू देयताएँ और दीर्घावधि देयताएँ जो लेखा रुपयों के आधार पर किया गया है जो तुलन पत्र या अग्रवर्ती संविदा दरों की

तारीख से या बाकी शेष की तारीख से जो भी लागू है उस प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर है।

- iii) पुनर्नवीनीकरण/निपटान से हुए विदेशी दरों के अंतर को आय व्यय के रूप में लिया गया है।
- iv) मुद्रा ठेकों को आगे बढ़ाने के मामलों में, ठेका प्रारंभ करने पर उत्पन्न होनेवाली बीमा-क्रिस्त या छूट ठेका अंत होने तक को लेखा में लिया जाता है। इस प्रकार रिपोर्ट करने की अवधि में विनिमय दरों में बदली होने पर उस ठेके को लाभ एवं हानि के लेख में मान्यता दी जाती है।

10. संविदागत दायित्व

ग्राहकों को बेचे गए उपस्करों के प्रति वारंटी देयता संविदात्मक दायित्व के लिए वार्षिकतकनीकी मूल्यांकन के आधार पर निश्चित की जाती है।

11. अनुसंधान एवं विकास

भारग्रहण वर्ष में अनुसंधान एवं विकास का खर्च प्रभार मुक्त है। नए उत्पादों के विकास पर खर्च को बिक्री के लिए इरादा रखने पर मालसूची के अंतर्गत लिया जाता है। जबकि यह बिक्री के लिए है। पूंजीकृत व्यय का परिशोधन सीधी पंक्ति प्रक्रिया के रूप में दस वर्षों के अंदर की अवधि के लिए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। परिशोधन परिसम्पत्ति का उपयोग किये जाने के महीने के अगले महीने से शुरू किया जाता है। अनुसंधान एवं विकास से सम्बंधित स्थायी परिसम्पत्ति का खर्च पूंजीकृत किया गया है।

12. पूर्व अवधि मद

पूर्व अवधि समंजन वह समंजन है, जिसमें प्रत्येक मामले में य1 लाख से ऊपर समंजन की पूर्व अवधि समंजन के लिए है, जो पिछले वर्षों की छूट और गलतियों के सुधार से पैदा हुए हैं।

13. लागत का कम/अधिक समावेशन

कार्य का कम या अधिक लागत का समंजन अगर कुल बिक्री के एक प्रतिशत से अधिक हो तो कम या अधिक की वसूली होगी।

14. आय पर कर

कर व्यय में वर्तमान कर एवं आस्थगित कर शामिल हैं। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारणीय लाभ की गणना के आधार पर वर्तमान कर के लिए प्रावधान सुनिश्चित किया जाता है। वित्तीय विवरणों में मर्दों की मान्यता देने तथा वर्तमान आय कर प्रावधान अनुमनित करने से उत्पन्न सर्वसमय अंतर पर आस्थगित कर मान्यता दी जाती है बशर्ते आस्थगित कर संपत्तियों के संबंध में विवेकपूर्ण विचार के अधीन है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर आस्थगित कर संपत्ति/देयता की आगे ले जानेवाली राशि की समीक्षा की जाती है।

15. पट्टागत संपत्तियाँ

पट्टे के अधीन दी गई संपत्तियों से प्राप्य पट्टे किराया को लाभ व हानि लेखा में मान्यता दी गई है। प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को भारग्रण पर व्यय किया जाता है।

16. निवेश

दीर्घावधि निवेश लागत पर लिए जाते हैं। स्थायी रूप से इस प्रकार के निवेशों के मूल्यों में गिरावट को मान्यता दी जाती है। चालू निवेशों, कम लागत और अच्छे मूल्य पर लिए जाते हैं।

17. प्रावधान, आकस्मिक देनदार और आकस्मिक संपत्तियाँ

प्रावधान की मान्यता तब दी जाती है, जब

- अतीत घटनाओं के परिणामस्वरूप में वर्तमान दायित्व पैदा हुआ है।
- यह संभव है कि विश्वसनीय अनुमान किए जाने की स्थिति पर संबंधित दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए संसाधनों की बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।

तुलन पत्र की तारीख पर दायित्वों को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा अनुमान के आधार पर प्रावधानों को निर्धारण करना आवश्यक है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और सबसे बेहतर वर्तमान अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं की मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन टिप्पणियों में प्रकट किए गए हैं।

आकस्मिक संपत्तियों की न तो मान्यता प्राप्त है और न ही वित्तीय विवरण में प्रकट किए गए हैं।

18. अन्य

- i) विशेष औजार जिनका यूनिट मूल्य ₹5000 से अधिक नहीं है, उनको ग्रहण वर्ष में बंदकर दिया जाता है और ₹5000 से अधिक होने पर तीन वर्ष की अवधि तक ऋण चुकाया जाता है।
- ii) हस्त औजारों को जारी करते समय खर्च में दिखाया जाता है।
- iii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के व्यय को आस्थगित राजस्व व्यय को ग्रहण किया जाता है।



| विवरण | नोट सं. | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|---------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| ख. इक्विटी एवं देयताएँ | | | |
| 1. शेयरधारियों की निधि | | | |
| (क) शेयर पूंजी | 1 | 278.97 | 278.97 |
| (ख) आरक्षित और अधिशेष | 2 | 181.62 | 136.95 |
| (2) आबंटन के लिए लंबित शेयर आवेदन रकम | - | - | |
| (3) अप्रचलित देयताएँ | | | |
| (क) आस्थगित कर देयताएँ (निवल) | 3 | 20.86 | 39.93 |
| (ख) दीर्घावधि व्यवस्थाएं | 4 | 83.84 | 34.81 |
| (4) चालू देयताएँ | | | |
| (क) अल्पावधि ज़ूर | 5 | 179.27 | 193.24 |
| (ख) अदा किये जानेवाले व्यापार | | | |
| (क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यम | 6 | 24.75 | 1.62 |
| (ख) अन्य | 6 | 318.05 | 255.62 |
| (ग) अन्य चालू देयताएँ | 7 | 289.43 | 681.09 |
| (घ) अल्पावधि व्यवस्थाएं | 8 | 166.37 | 150.10 |
| कुल | | 1,543.16 | 1,772.33 |
| II. परिसम्पत्तियाँ | | | |
| (1) अप्रचलित परिसम्पत्तियाँ | | | |
| (क) स्थाई परिसम्पत्तियाँ | | | |
| (i) मूर्त परिसम्पत्तियाँ | 9 | 789.86 | 840.39 |
| (ii) प्रगतिशील पूंजी कार्य | 10 | - | - |
| (ख) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम | 11 | 79.70 | 73.17 |
| (2) वर्तमान परिसम्पत्तियाँ | | | |
| (क) मालसूचियाँ | 12 | 644.38 | 794.74 |
| (ख) प्राप्य व्यापार | 13 | - | 0.02 |
| (घ) नकद एवं नकद समतुल्य | 14 | 1.30 | 1.59 |
| (च) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम | 15 | 22.92 | 57.42 |
| (छ) अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियाँ | 16 | 5.00 | 5.00 |
| कुल | | 1,543.16 | 1,772.33 |

इसके साथ संलग्न टिप्पणी सं. 1 से 24 तक और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ वित्तीय विवरणों का एक अंश है।

संलग्न हमारी समदिनांक रिपोर्ट देखें
कृते एच.एस. शिवराम एण्ड को
सनदी लेखाकार

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

एच.एस. शिवराम
सदस्यता सं.021369

आर.एच. मुरलीधरा
निदेशक
(डीआईएन 07363484)

बी.आर. विश्वनाथ
बोड के अध्यक्ष
(डीआईएन 07363486)

बेंगलूरु
19.05.2016
168

एस.वी. रविशेखर राव
कंपनी सचिव



लाभ व हानि विवरण

(₹ लाखों में)

| विवरण | नोट सं. | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|---------|--|--|
| राजस्व : | | | |
| परिचालनों से राजस्व - सकल | 17 | 3,218.08 | 3,066.72 |
| घटाएँ - उत्पाद शुल्क | | 355.05 | 334.96 |
| परिचालनों से राजस्व - निवल | | 2,863.03 | 2,731.76 |
| अन्य आय | 18 | 7.50 | 13.40 |
| कुल राजस्व | | 2,870.53 | 2,745.16 |
| खर्च : | | | |
| सामग्रियों की खपत | 19 | 1,567.53 | 1,719.66 |
| निर्मित माल, प्रगतिशील कार्य तथा व्यापार में स्टॉक की मालसूचियों में परिवर्तन | 20 | 130.10 | (83.29) |
| कर्मचारी हितलाभ खर्च | 21 | 534.19 | 585.94 |
| वित्तीय लागत | 22 | 23.49 | 23.85 |
| मूल्यहास एवं परिशोधन खर्च | 9 | 70.96 | 77.86 |
| अन्य खर्च | 23 | 512.64 | 505.74 |
| कुल खर्च | | 2,838.91 | 2,829.76 |
| असामान्य एवं असाधारण पूर्वावधि मद एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि) | | 31.62 | (84.60) |
| जोड़ें/(घटायें) : असामान्य मद | | - | - |
| असाधारण मद एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि) | | 31.62 | (84.60) |
| जोड़ें/(घटायें) : असाधारण मद | | - | - |
| पूर्वावधि समंजन पूर्व लाभ/(हानि) | | 31.62 | (84.60) |
| जोड़ें/(घटायें) : पूर्वावधि समंजन | | - | - |
| कर के पूर्व लाभ/(हानि) | | 31.62 | (84.60) |
| कर संबंधी खर्च | | | |
| (1) चालू कर - न्यूनतम वैकल्पिक कर | | (6.02) | |
| (2) आस्थगित कर - क्रेडिट | | 19.07 | 45.59 |
| (3) पिछले वर्ष के अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखा अवधि के लिए लाभ/(हानि) | | 44.67 | (21.68) |
| प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (₹) | | | |
| (1) मूल एवं कम किया हुआ | 24अ | 16.01 | (7.77) |

इसके साथ संलग्न टिप्पणी सं. 1 से 24 तक और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ वित्तीय विवरणों का एक अंश है।

संलग्न हमारी समदिनांक रिपोर्ट देखें

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

कृते एच.एस. शिवराम एण्ड को

सनदी लेखाकार

आर.एच. मुरलीधरा

बी.आर. विश्वनाथ

निदेशक

बोर्ड के अध्यक्ष

एच.एस. शिवराम

(डीआईएन 07363484)

(डीआईएन 07363486)

सदस्यता सं.021369

एस.वी. रविशेखर राव

बेंगलूरु

कंपनी सचिव

19.05.2016



नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए |
|--|--|--|
| क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह | | |
| कर पूर्व निवल लाभ और असामान्य मद समंजन के लिए | 31.62 | (84.60) |
| मूल्यहास | 70.96 | 77.86 |
| ब्याज व्यय | 23.49 | 23.85 |
| अन्य प्राप्त ब्याज | (5.00) | (8.79) |
| अन्य गैर-परिचालनीय गैर-नकद समायोजन | - | 17.33 |
| कार्यकारी पूँजी में परिवर्तन आने से पहले संचालित लाभ/(हानि) | 121.07 | 25.65 |
| समंजन के लिए | | |
| मालसूचियाँ | 150.36 | 132.03 |
| विविध देनदार | 0.02 | (0.02) |
| अन्य चालू परिसंपत्तियाँ | - | (0.75) |
| ऋण एवं अग्रिम | 27.96 | 73.46 |
| संबंधित पार्टियों को देय राशि | (387.08) | (173.59) |
| देय व्यापार | 85.56 | (35.58) |
| अन्य देयताएँ | (4.57) | 5.07 |
| प्रावधान | 59.28 | (1.01) |
| अन्य देय | (68.47) | (0.39) |
| परिचालनों से नकद प्रवाह | 52.60 | 25.26 |
| प्रदत्त/वापसी प्रत्यक्ष कर | - | - |
| परिचालन गतिविधियों से/में प्रयुक्त निवल नकद प्रवाह | 52.60 | 25.26 |
| ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह | | |
| मूर्त स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद | (20.43) | (16.26) |
| अन्य ब्याज | 5.00 | 8.79 |
| निवेश गतिविधियों से/में प्रयुक्त निवल नकद प्रवाह | (15.43) | (7.47) |
| ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह | | |
| अल्पावधि ऋण से धनागम | (13.97) | 6.17 |
| अल्पावधि ऋण का पुनर्भुगतान | - | - |
| बैंक ऋण पर ब्याज व्यय | (23.49) | (23.85) |
| इक्विटी शेयरों पर प्रदत्त लाभांश | - | - |
| इक्विटी शेयरों पर प्रदत्त लाभांश वितरण कर | - | - |
| वित्तीय गतिविधियों से/में प्रयुक्त निवल नकद प्रवाह | (37.46) | (17.68) |
| नकद एवं नकद समतुल्यों के विदेशी मुद्रा प्रभाव | - | - |
| नकद एवं नकद समतुल्यों की निवल वृद्धि/कमी | (0.29) | 0.11 |
| नकद एवं नकद समतुल्यों के अधिशेष | 1.59 | 1.48 |
| नकद एवं नकद समतुल्यों के इतिशेष | 1.30 | 1.59 |

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का एक अंश है।

संलग्न हमारी समदिनांक रिपोर्ट देखें

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

कृते एच.एस. शिवराम एण्ड को

सनदी लेखाकार

आर.एच. मुरलीधरा

बी.आर. विश्वनाथ

निदेशक

बोर्ड के अध्यक्ष

एच.एस. शिवराम

(डीआईएन 07363484)

(डीआईएन 07363486)

सदस्यता सं.021369

एस.वी. रविशेखर राव

कंपनी सचिव

बेंगलूरु

19.05.2016

170

टिप्पणियाँ जो वित्तीय विवरणों का एक अंश हैं

वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार

कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची तख में निर्धारित कम्पनी के सामान्य परिचालन चक्र तथा अन्य निर्धारकों के अनुसार सभी परिसंपत्तियों तथा देयताओं को चालू तथा गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों की प्रकृति तथा परिसंपत्तियों के अभिग्रहण के प्रोसोसिंग तथा उसके नकद या नकद समतुल्य के रूप में वसूलीकरण के बीच के समय के आधार पर कंपनी ने परिसंपत्तियों तथा देयताओं के चालू-गैर चालू वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए अपने परिचालन चक्र को 12 महीनों के रूप में निश्चित किया है। जहाँ कहीं अपेक्षित है, आंकड़ों का ग्रूपिंग एवं रीग्रूपिंग किया गया है।

टिप्पणी सं. 1 शेयर पूंजी

(₹ लाखों में)

| | 31 मार्च 2016 के अनुसार | | 31 मार्च 2015 के अनुसार | |
|---|-------------------------|---------------|-------------------------|--------|
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| प्राधिकृत: | | | | |
| प्रति शेयर ₹ 100/- के इक्विटी शेयर | 380,000 | 380.00 | 380,000 | 380.00 |
| प्रति य 100/- के 9.5% प्रतिदेय सह अधिमान्य शेयर | 20,000 | 20.00 | 20,000 | 20.00 |
| निर्गत : | | | | |
| प्रति शेयर ₹ 100/- के इक्विटी शेयर | 283,500 | 283.50 | 283,500 | 283.50 |
| अभिदत्त : | | | | |
| प्रति शेयर ₹ 100/- के इक्विटी शेयर | 278,966 | 278.97 | 278,966 | 278.97 |
| प्रदत्त : | | | | |
| प्रति शेयर ₹ 100/- के इक्विटी शेयर | 278,966 | 278.97 | 278,966 | 278.97 |
| शेयर पूंजी | 278,966 | 278.97 | 278,966 | 278.97 |

टिप्पणी सं. 1ख

इक्विटी शेयरों से जुड़ी हुई शर्तें/निबंधन :

कंपनी के पास प्रतिशेयर ₹ 100/- अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर वर्ग ही है। इक्विटी शेयर के प्रत्येक शेयरधारी को प्रति शेयर को एक वोट करने के अधिकार है। कंपनी के द्रवीकरण के संदर्भ में, प्रत्येक शेयरधारी को सभी अग्रता शेयरों की राशि में वितरण के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने का अधिकार होगा। शेयरधारियों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में इसका वितरण किया जाएगा।

टिप्पणी सं. 1घ

(₹ लाखों में)

| अवधि की शुरुआत और अंत में बकाया शेयरों का मिलान विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | | 31 मार्च 2015 के अनुसार | |
|--|-------------------------|---------------|-------------------------|--------|
| | शेयरों की संख्या | राशि | शेयरों की संख्या | राशि |
| प्रारंभिक तारीख पर बकाया | 278966 | 278.97 | 278966 | 278.97 |
| अंतिम तारीख पर बकाया | 278966 | 278.97 | 278966 | 278.97 |

टिप्पणी सं. 1 ड.

5% या उससे अधिक धारित शेयरधारी के इक्विटी शेयर

(₹ लाखों में)

| शेयरधारी का नाम | 31 मार्च 2016 के अनुसार | | 31 मार्च 2015 के अनुसार | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | शेयरों की संख्या | होल्डिंग % | शेयरों की संख्या | होल्डिंग % |
| बीईएमएल लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) | 269376 | 96.56 | 269376 | 96.56 |

टिप्पणी सं. 2 आरक्षित एवं अधिशेष

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| पूँजी आरक्षित | | |
| अद्यशेष | 0.16 | 0.16 |
| इतिशेष | 0.16 | 0.16 |
| प्रतिभूति प्रीमियम लेखा | | |
| अद्यशेष | 0.02 | 0.02 |
| इतिशेष | 0.02 | 0.02 |
| पूँजी प्रतिदान आरक्षित | | |
| अद्यशेष | 10.00 | 10.00 |
| इतिशेष | 10.00 | 10.00 |
| लाभ व हानि लेखों में शेष | | |
| अद्यशेष | 126.77 | 156.18 |
| वर्ष के दौरान जमा/(घटाव) | 44.67 | (21.68) |
| वर्ष के दौरान कटौती | - | (7.73) |
| इतिशेष | 171.44 | 126.77 |
| आरक्षित एवं अधिशेष | 181.62 | 136.95 |

टिप्पणी सं. 3 : आरक्षित कर (निवल)

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|--|----------------------------|----------------------------|
| आस्थगित कर देयताएँ (डीटीएल) स्थायी परिसम्पत्तियों से सम्बंधित मूल्यांकन में परिवर्तन का प्रभाव | 75.78 | 86.64 |
| | - | - |
| कुल डीटीएल (क) | 75.78 | 86.64 |
| आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (डीटीए) मूल्यांकन में परिवर्तन का प्रभाव | - | 3.34 |
| छुट्टी नकदीकरण | 0.38 | 1.00 |
| वेतन संशोधन | 8.80 | 5.90 |
| उपदान देयता | 45.74 | 36.47 |
| कुल डीटीएल (ख) | 54.92 | 46.71 |
| निवल कुल (क-ख) | 20.86 | 39.93 |

टिप्पणी सं. 4 : दीर्घकालीन प्रावधान

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|--|----------------------------|----------------------------|
| कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान उपदान के लिए | 83.84 | 34.81 |
| कुल | 83.84 | 34.81 |

टिप्पणी सं. 5 : अल्पावधि उधार

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|---|----------------------------|----------------------------|
| बैंकों से ऋण (सुरक्षित) | | |
| नकद ऋण | 179.27 | 193.24 |
| (मालसूची, बुक ऋण और अन्य सभी चल परिसंपत्तियों के दृष्टिबंधक के माध्यम सह प्रथम प्रभार पर सुरक्षित) | | |
| कुल | 179.27 | 193.24 |

टिप्पणी सं. 6 : सूक्ष्म एवं लघु उद्यम

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा पहचाने गए कुछ विक्रेताओं को कुछ हद तक एमएसएमईडी अधिनियम के अधीन सूचनाएँ प्रकट की गईं। विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत एमएसई प्रमाण पत्रों के आधार पर राशि का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|--|----------------------------|----------------------------|
| देय राशि एवं वर्ष के अंत तक प्रदत्त | | |
| - मूलधन | 24.75 | 1.62 |
| - उक्त मूलधन पर ब्याज | - | - |
| वर्ष के दौरान नियत दिन से परे प्रदत्त भुगतान | | |
| - मूलधन | 170.88 | - |
| - ब्याज | - | - |
| ब्याज और पहले ही प्रदत्त मूलधन के लिए देय | 1.46 | - |
| वर्ष के अंत तक अप्रदत्त एवं अर्जित ब्याज | 1.46 | - |

टिप्पणी सं. 7 : अन्य चालू देयताएँ

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| लावारिस लाभांश* | 1.05 | 1.35 |
| अन्य देय | | |
| क. कर्मचारी से संबंधित देय राशि | 37.11 | 18.76 |
| ख. वैधानिक बकाया राशि | 12.35 | 42.59 |
| ग. प्राप्त जमा एवं ईएमडी | 35.12 | 28.96 |
| घ. बीईएमएल लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) | 202.26 | 589.34 |
| ङ अन्य देय | 0.08 | 0.09 |
| च. एमएसई को देय ब्याज | 1.46 | - |
| कुल | 289.43 | 681.09 |

* लेखे में दावा न किया गया लाभांश और अर्जित ब्याज शामिल है।

टिप्पणी सं. 8 : अल्पावधि-प्रावधान

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|--|----------------------------|----------------------------|
| कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान | | |
| उपदान के लिए | 64.19 | 83.22 |
| छुट्टी वेतन के लिए | 1.24 | 3.22 |
| वेतन संशोधन के लिए प्रावधान | 94.92 | 63.66 |
| आयकर के लिए प्रावधान | 6.02 | - |
| कुल | 166.37 | 150.10 |

कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान में प्रचलन

(₹ लाखों में)

| विवरण | 01.04.2015 पर | जमा | उपयोगिता | 31.03.2016 पर |
|-------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| उपदान | 118.03 | 55.70 | 25.70 | 148.03 |
| छुट्टी वेतन | 3.22 | 10.13 | 12.11 | 1.24 |
| वेतन संशोधन | 63.66 | 31.26 | - | 94.92 |
| कुल | 184.91 | 97.09 | 37.81 | 244.19 |

टिप्पणी सं. 9 : स्थाई परिसंपत्तियाँ

(₹ लाखों में)

| | सकल ब्लाक | | | | | मूल्यहास | | | | | निवल ब्लाक | |
|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| | 31.03.2015 पर | वृद्धि | कमी/पुनर्वर्गीकरण और समंजन | अंतर प्रभागीय अंतरण | 31.03.2016 पर | 31.3.2015 पर | वर्ष के लिए | कमी/पुनर्वर्गीकरण और समंजन | सामान्य आरक्षित को अंतरण (टिप्पणी 23इ. को देखें) | 31.03.2016 पर | 31.03.2016 पर | 31.3.2015 पर |
| | 31.03.2015 | वर्ष के दौरान | वर्ष के दौरान | वर्ष के दौरान | 31.03.2016 | 31.3.2015 | वर्ष के दौरान | वर्ष के दौरान | वर्ष के दौरान | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 31.3.2015 |
| मूल्य आस्तियाँ | | | | | | | | | | | | |
| भूमि* | 0.56 | - | - | - | 0.56 | - | - | - | - | - | 0.56 | 0.56 |
| सड़कें और नालियाँ | 16.62 | - | - | - | 16.62 | 3.15 | 3.05 | - | - | 6.20 | 10.42 | 13.47 |
| जलापूर्ति संस्थापन | 4.38 | - | - | - | 4.38 | 4.37 | - | - | - | 4.37 | 0.01 | 0.01 |
| भवन | 154.87 | - | - | - | 154.87 | 80.46 | 4.52 | - | - | 84.98 | 69.89 | 74.41 |
| संयंत्र, मशीनरी एवं उपकरण | 1,419.73 | 20.02 | - | - | 1,439.75 | 670.05 | 61.76 | - | - | 731.81 | 707.94 | 749.68 |
| फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स | 13.76 | - | - | - | 13.76 | 13.47 | 0.25 | - | - | 13.72 | 0.04 | 0.29 |
| वाहन | 23.48 | - | - | - | 23.48 | 21.86 | 1.21 | - | - | 23.07 | 0.41 | 1.62 |
| कार्यालय उपकरण | 40.02 | 0.41 | - | - | 40.43 | 39.67 | 0.17 | - | - | 39.84 | 0.59 | 0.35 |
| कुल मूल्य आस्तियाँ | 1,673.42 | 20.43 | - | - | 1,693.85 | 833.03 | 70.96 | - | - | 903.99 | 789.86 | 840.39 |
| प्रिसले वर्ष | 1,657.16 | 16.26 | - | - | 1,673.42 | 747.45 | 77.86 | - | 7.73 | 833.03 | 840.39 | 909.71 |

* मेसर्स श्री शारदा इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड को 30 वर्षों की अवधि (सन् 1998 से) के लिए पट्टे पर लिये गये 3 एकड़ भूमि शामिल है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार "उपयोगी जीवन" को अपनाते हुए सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यहास प्रभाषित है (अथवा ऐसे कम उपयोगी जीवन, जो प्रबंधन की राय में जिन आस्तियों की यूनिट लागत ₹5000/- से अधिक न हो, को छोड़कर, उचित रूप में पूंजीकरण के वर्ष में शत प्रतिशत की दर पर मूल्यहास प्रभाषित है।)

टिप्पणी सं. 10 : प्रगतिशील पूंजी कार्य

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|--|-------------------------|-------------------------|
| निर्माणाधीन मशीनरी | 8.79 | 8.79 |
| कुल | 8.79 | 8.79 |
| घटाएँ : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान | 8.79 | 8.79 |
| कुल | - | - |

टिप्पणी सं. 11 : दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|--|-------------------------|-------------------------|
| असुरक्षित, प्राप्य मान्य पूंजी अग्रिम* | 5.12 | 5.12 |
| सुरक्षा जमा | 55.57 | 55.57 |
| अन्य ऋण एवं अग्रिम | 7.35 | 7.35 |
| अग्रिम कर भुगतान | 10.64 | 4.60 |
| डिडविटियों से प्राप्य टीडीएस | 1.02 | 0.53 |
| कुल | 79.70 | 73.17 |

* अतिरिक्त भूमि के आबंधन के लिए किए गए अग्रिम के विरुद्ध सुरक्षा जमा मेसर्स केआईएडीबी, बेंगलूर से प्राप्त वापसी में कमी

टिप्पणी सं. 12 : मालसूचियाँ

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|------------------|-------------------------|-------------------------|
| कच्चा माल और घटक | 107.52 | 143.40 |
| भंडार और पुर्जा | 54.08 | 42.56 |
| प्रगतिशील कार्य | 445.97 | 559.75 |
| निर्मित माल | 20.18 | 36.50 |
| पैटर्न | 16.34 | 12.24 |
| कॉटन वस्तुएँ | 0.29 | 0.29 |
| कुल | 644.38 | 794.74 |

- क. प्रगतिशील कार्य में उप ठेकदारों के पास पड़े हुए माल ₹ 12.68 लाख (पिछले वर्ष ₹ 19.21 लाख) शामिल है, जिसके लिए पार्टियों से पूर्ण रूप में पुष्टीकरण प्राप्त किया गया है।
- ख. प्रगतिशील कार्य और निर्मित माल की शेषमाल मानक लागत से कम पर दर्शाया गया है, जो वास्तविक और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर अनुमानित है। वास्तविक उत्पादन लागत और मानक के बीच का अंतर ध्यान देने योग्य नहीं है।
- ग. माल सूची में ग्राहकों से मूफ्त में प्राप्त सामग्रियों के मूल्य सामिल नहीं है तथा उनके उत्पादों के निर्माण में उपयोग किया गया।

टिप्पणी सं. 13 : प्रदत्त व्यापार

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| असुरक्षित, प्राप्य मान्य | | |
| छ: महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया | - | - |
| अन्य | - | 0.02 |
| कुल | - | 0.02 |

टिप्पणी सं. 14 : नकद एवं नकद समतुल्य

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| बैंकों में शेष- दावा न किए गए लाभांश* | 1.05 | 1.35 |
| मौजूदा नकद | 0.25 | 0.24 |
| कुल | 1.30 | 1.59 |

*बैंकों में शेष- दावा न किए गए लाभांश के शेष लेखे में ब्याज शामिल है।

टिप्पणी सं. 15 : अल्पावधि के ऋण और अग्रिम

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|---|----------------------------|----------------------------|
| असुरक्षित, प्राप्य मान्य | | |
| प्राप्य सहित सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आदि के लिए सरकारी विभागों के साथ के शेष | 9.23 | 38.11 |
| अन्य ऋण और अग्रिम | | |
| कर्मचारियों को अग्रिम* | 2.49 | 3.96 |
| पूर्व प्रदत्त खर्च और अन्य अग्रिम | 11.10 | 15.35 |
| नकद स्वरूप या अन्य रूप में वसूलीय अग्रिम | 0.10 | - |
| कुल | 22.92 | 57.42 |

*कर्मचारियों को अग्रिम में अधिकारियों द्वारा देय ₹0.39 लाख शामिल है।

टिप्पणी सं. 16 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| मेस्कॉम जमा पर अर्जित ब्याज | 5.00 | 5.00 |
| कुल | 5.00 | 5.00 |

लाभ व हानि विवरण पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी सं. 17 : परिचालनों से राजस्व

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|--|--|
| (क) उत्पादों की बिक्री : | | |
| कैस्टिंग्स की बिक्री (अस्वीकृत कैस्टिंग्स का निवल) | 3,218.08 | 3,066.72 |
| उत्पाद शुल्क सहित राजस्व | 3,218.08 | 3,066.72 |
| घटाएँ : उत्पाद शुल्क | 355.05 | 334.96 |
| परिचालनों से राजस्व | 2,863.03 | 2,731.76 |

टिप्पणी सं. 18 : अन्य आय

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए |
|----------|--|--|
| विविध आय | 7.50 | 13.40 |
| | 7.50 | 13.40 |

टिप्पणी सं. 19 ; खपत माल की लागत

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए |
|----------------------------|--|--|
| आरंभिक स्टॉक | | |
| - कच्चा माल एवं घटक | 185.96 | 399.20 |
| | 185.96 | 399.20 |
| जोड़ें : क्रय | | |
| - कच्चा माल एवं घटक | 1,543.17 | 1,506.42 |
| | 1,543.17 | 1,506.42 |
| अंतिम स्टॉक | | |
| - कच्चा माल एवं घटक | 161.62 | 185.96 |
| | 161.62 | 185.96 |
| खपत माल की कुल लागत | 1567.53 | 1719.66 |



टिप्पणी सं. 20 : निर्मित माल की मालसूची में परिवर्तन प्रगतिशील कार्य एवं व्यापार में स्टॉक (₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---------------------|--|--|
| आरंभिक स्टॉक | | |
| प्रगतिशील कार्य | 559.75 | 448.32 |
| निर्मित स्टॉक | 36.50 | 64.64 |
| | 596.25 | 512.96 |
| अंतिम स्टॉक | | |
| प्रगतिशील कार्य | 445.97 | 559.75 |
| निर्मित स्टॉक | 20.18 | 36.50 |
| | 466.15 | 596.25 |
| वृद्धि/(कमी) | | |
| प्रगतिशील कार्य | 113.78 | (111.43) |
| निर्मित स्टॉक | 16.32 | 28.14 |
| कुल | 130.10 | (83.29) |

टिप्पणी सं. 21 : कर्मचारी हितलाभ खर्च (₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए |
|-----------------------------|--|--|
| वेतन, मजदूरी व बोनस | 384.84 | 457.32 |
| छुट्टी वेतन | 10.13 | 6.53 |
| अंशदान : | | |
| - उपदान | 55.70 | 26.48 |
| - भविष्य निधि एवं अन्य निधि | 30.80 | 34.18 |
| कर्मचारी कल्याण खर्च | 52.72 | 61.43 |
| कुल कर्मचारी हितलाभ | 534.19 | 585.94 |

वेतन एवं मजदूरी में ₹94.92 लाख (पिछले वर्ष ₹63.66 लाख) शामिल है, जो दि.01.01.2013 से देय वेतन संशोधन के लिए प्रावधान व्यय से संबंधित है।

(क) लेखांकन मानक - 15 (संशोधित) (कर्मचारी हितलाभ)**अ. छुट्टी वेतन**

यह संशोधित लेखांकन मानक 15 के संदर्भ में अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के अधीन वर्गीकृत निधियन पारिभाषित हितलाभ योजना है। मुआवजा अनुपस्थिति के लिए पारिभाषित लाभ दायित्व बीमांकिक मूल्य दिया गया है और तदनुसार दायित्व प्रदान की गई है।

(₹ लाखों में)

| दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
|--|--------------------|-----------------|
| वर्ष के प्रारंभ में दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन | 38.17 | 37.24 |
| ब्याज लागत | 2.98 | 2.91 |
| वर्तमान सेवा लागत | 2.09 | 2.10 |
| प्रदत्त हितलाभ | (16.46) | (8.70) |
| दायित्वों पर बीमांकिक(लाभ)/हानि | 7.90 | 4.63 |
| वर्ष के अंत में दायित्व के वर्तमान मूल्य | 34.68 | 38.17 |
| योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन | | |
| वर्ष के प्रारंभ में योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य | 34.95 | 37.45 |
| योजनागत परिसम्पत्तियों से प्रत्याशित प्रतिफल | 2.85 | 3.10 |
| अंशदान | 3.10 | 3.10 |
| प्रदत्त हितलाभ | (7.46) | (8.70) |
| योजनागत परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि) | (0.00) | (0.00) |
| वर्ष के अंत में योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य | 33.44 | 34.95 |
| दायित्वों तथा योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य का मिलान | | |
| वर्ष के अंत में दायित्व के वर्तमान मूल्य | 34.68 | 38.17 |
| वर्ष के अंत में योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य | 33.44 | 34.95 |
| निधियन स्थिति | (1.24) | (3.22) |
| वर्तमान दायित्व | - | - |
| वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त दायित्व | 1.24 | 3.22 |
| वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त खर्च | | |
| वर्तमान सेवा लागत | 2.09 | 2.10 |
| ब्याज लागत | 2.98 | 2.91 |
| योजनागत परिसम्पत्तियों से प्रत्याशित प्रतिफल | (2.67) | (3.10) |
| दायित्व पर बीमांकिक(लाभ)/हानि | 7.74 | 4.63 |
| अंशदान | - | - |
| निवल लागत | 10.13 | 6.53 |
| निवेश विवरण | | |
| जीवन बीमा निगम के पास निवेश | 100 | 100 |
| बीमांकिक अनुमान | | |
| | छुट्टी वेतन | |
| | चालू वर्ष | चालू वर्ष |
| | (निधियक) | (निधियक) |
| मृत्युदर तालिका(एलआईसी) | आईएएलएम 2006-08 | आईएएलएम 2006-08 |
| | (मौलिक) | (मौलिक) |
| रियायती दर | 7.80% | 7.80% |
| योजनागत परिसम्पत्तियों पर प्रतिलाभ दर | 7.80% | 9.00% |
| वेतन में बढ़त दर | 5.00% | 3.50% |

मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए बीमांकिक मूल्यांकन में वेतन में बढ़त दर के अनुमान पर विचार किया गया। उक्त सूचनाओं का बीमांकिक द्वारा प्रमाणित है।

ख. उपदान

ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित किए गए कर्मचारियों उपदान निधि योजना एवं परिभाषित हितलाभ योजना चालू है। दायित्व के वर्तमान मूल्य अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि का उपयोग से बिमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित है।

(₹ लाखों में)

| दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन | चालू वर्ष | पिछले वर्ष |
|--|-----------------|-----------------|
| वर्ष के प्रारंभ में दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन | 291.42 | 312.52 |
| ब्याज लागत | 22.73 | 24.38 |
| वर्तमान सेवा लागत | 9.19 | 9.80 |
| प्रदत्त हितलाभ | (92.66) | (63.14) |
| दायित्वों पर बीमांकिक(लाभ)/हानि | 35.74 | 7.85 |
| वर्ष के अंत में दायित्व के वर्तमान मूल्य | 266.43 | 291.42 |
| योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन | | |
| वर्ष के प्रारंभ में योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य | 173.39 | 195.14 |
| योजनागत परिसम्पत्तियों से प्रत्याशित प्रतिफल | 11.96 | 15.56 |
| अंशदान | 25.70 | 25.83 |
| प्रदत्त हितलाभ | (92.66) | (63.14) |
| योजनागत परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि) | - | - |
| वर्ष के अंत में योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य | 118.39 | 173.39 |
| दायित्वों तथा योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य का मिलान | | |
| वर्ष के अंत में दायित्व के वर्तमान मूल्य | 266.43 | 291.42 |
| वर्ष के अंत में योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य | 118.39 | 173.39 |
| निधियन स्थिति | (148.03) | (118.03) |
| वर्तमान दायित्व | - | - |
| वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त दायित्व | 148.03 | 118.03 |
| वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त खर्च | | |
| ब्याज लागत | 22.73 | 24.38 |
| वर्तमान सेवा लागत | 9.19 | 9.80 |
| योजनागत परिसम्पत्तियों से प्रत्याशित प्रतिफल | (11.38) | (15.56) |
| दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि) | 35.16 | 7.85 |
| अंशदान | - | - |
| निवल लागत | 55.70 | 26.48 |
| निवेश विवरण | % | % |
| जीवन बीमा निगम के साथ निवेश | 100 | 100 |
| बीमांकिक अनुमान | उपदान | |
| | चालू वर्ष | चालू वर्ष |
| | (निधियक) | (निधियक) |
| मृत्युदर तालिका(एलआईसी) | आईएएलएम 2006-08 | आईएएलएम 2006-08 |
| | (मौलिक) | (मौलिक) |
| रियायती दर | 7.80% | 7.80% |
| योजनागत परिसम्पत्तियों पर प्रतिलाभ दर | 7.80% | 9.00% |
| वेतन में बढत दर | 5.00% | 3.50% |

मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बंधित घटकों को ध्यान में रखते हुए बीमांकिक मूल्यांकन में वेतन में बढत दर के अनुमान पर विचार किया गया। उक्त सूचनाओं का बीमांकिक द्वारा प्रमाणित है।

टिप्पणी सं. 22 : वित्तीय लागत

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए |
|--------------------------------|--|--|
| ब्याज खर्च | | |
| - बैंकों पर ब्याज | | |
| क्रेडिट नकद एवं अल्पावधि ऋण पर | 21.62 | 22.03 |
| - अन्य पर ब्याज | 1.87 | 1.82 |
| कुल ब्याज लागत | 23.49 | 23.85 |

टिप्पणी सं. 23 : अन्य खर्च

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए |
|------------------------------|--|--|
| मशीनिंग/फेटिलिंग प्रभार | 121.78 | 121.28 |
| ऊर्जा एवं ईंधन | 283.57 | 282.12 |
| मोल्डिंग प्रभार | 50.43 | 51.69 |
| मरम्मत एवं अनुरक्षण | | |
| संयंत्र एवं मशीनरी | 5.00 | 1.20 |
| भवन | 0.60 | 0.19 |
| अन्य | 0.81 | 0.87 |
| लेखन सामग्री | 1.34 | 1.49 |
| बीमा | 1.98 | 0.73 |
| दर एवं कर | 3.14 | 3.18 |
| बैंक प्रभार | 0.27 | 0.94 |
| डाक, तार, दूरभाष एवं टैलेक्स | 2.13 | 3.60 |
| बिक्री व्यय | 18.51 | 19.07 |
| लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक | 1.11 | 1.03 |
| कानूनी एवं व्यावसायिक प्रभार | 4.99 | 4.73 |
| यात्रा खर्च | 6.47 | 5.55 |
| निदेशक खर्च | 1.70 | 2.35 |
| प्रसार एवं जनसंपर्क खर्च | 0.13 | - |
| वाहन मरम्मत | 4.56 | 4.95 |
| निदेशक मंडल बैठक खर्च | 0.04 | - |
| अतिथि गृह मरम्मत | 0.27 | 0.12 |
| सीएसआर गतिविधियों पर खर्च | - | 0.06 |
| विविध खर्च | 2.63 | 1.65 |
| संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान | - | - |
| एसआरएन पर बिक्री कर | 2.99 | 0.28 |
| एफजीआई पर ईडी | (1.81) | (1.34) |
| कुल अन्य व्यय | 512.64 | 505.74 |

आ. लेखा-परीक्षकों के पारिश्रमिक का ब्रेक-अप

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए |
|--------------------------------|--|--|
| (अ) लेखा-परीक्षा की ओर | 0.66 | 0.60 |
| (आ) अर्ध वार्षिक सीमित समीक्षा | 0.30 | 0.30 |
| (इ) यात्रा तथा जेब खर्च | 0.15 | 0.13 |
| कुल | 1.11 | 1.03 |

टिप्पणी सं. 24 : अन्य प्रकटन
क. मूल और कम किया हुआ प्रति शेयर अर्जन

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|--|--|
| कर के बाद निवल लाभ/(हानि) (₹ लाखों में) | 44.67 | (21.68) |
| शेयरों की औसत संख्या | 278,966 | 278,966 |
| प्रति शेयर अर्जन (मूल और कम किया) प्रति शेयर ₹.100/- का आंकित मूल्य (राशि ₹ में) | 16.01 | (7.77) |

ख) लेखांकन मानक 18 (संबद्ध पार्टी लेन-देन)
होलिडिंग कम्पनी का नाम - मेसर्स बीईएमएल लिमिटेड
लेन-देन का विवरण

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|--|--|
| बिक्री | 3,216.58 | 3,221.85 |
| खरीद | 677.25 | 837.57 |
| वीआईएल में प्रतिनियुक्त बीईएमएल कर्मियों के लिए प्रभारित वेतन | 61.55 | 54.87 |
| आपूर्तियों की ओर देय राशि - इतिशेष | 202.26 | 589.34 |

ग. आकस्मिक देयताएँ
टिप्पणी :

कंपनी और मेसर्स शारदा इंजीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच निलंबित मामले के विरुद्ध आकस्मिक देयता ₹8,86,000/- है, जिसे लेखे के खाते में दर्शायी नहीं गयी।

कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार लेखे के लिए अतिरिक्त जानकारी

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|---|----------------------------|----------------------------|
| i) विशाल शीर्ष के अधीन खरीद माल | | |
| 1. रद्दी माल | 707.80 | 761.34 |
| 2. अन्य कच्चा माल(निर्दिष्ट करें) | 575.11 | 514.44 |
| 3. अवयव और पुर्जे | 260.26 | 230.64 |
| बाहर से खरीद (खरीद माल के मूल्य के 10% से अधिक) अधिक मूल्यवाले मदों का नाम को अलग से उल्लेख करें) | | |
| कुल | 1543.17 | 1506.42 |
| ii) विशाल शीर्ष के अधीन खपत किए गए रद्दी माल | | |
| 1. रद्दी माल | 740.53 | 869.73 |
| 2. अन्य कच्चा माल(निर्दिष्ट करें) | 580.34 | 637.34 |
| 3. अवयव और पुर्जे | 246.66 | 212.59 |
| बाहर से खरीद माल की खपत के मूल्य के 10% से अधिक) अधिक मूल्यवाले मदों का नाम को अलग से उल्लेख करें) | | |
| कुल (लाभ व हानि लेखे के अनुसार खपत किए गए माल की लागत के साथ मिलान) | 1567.53 | 1719.66 |
| iii) विशाल शीर्ष के अधीन व्यापार के लिए खरीद | | |
| 1. उत्पाद क | | |
| 2. उत्पाद ख | | |
| कुल (लाभ और हानि लेखे के अनुसार स्टॉक की खरीद के साथ मिलान) | शून्य | शून्य |
| iv) विशाल शीर्ष के अधीन प्रगतिशील कार्य | | |
| 1. अर्थ मूविंग उपकरण | 402.59 | 516.37 |
| 2. रेल और मेट्रो उत्पाद | 15.54 | 15.54 |
| 3. रक्षा उत्पाद | 27.84 | 27.84 |
| 4. कारोबार उत्पाद | | |
| 5. विनिर्माण कलपुर्जे | | |
| 6. अन्य (उल्लेख करें) | | |
| कुल (लेखे के अनुसार प्रगतिशील कार्य के अंतिम स्टॉक के साथ मिलान) | 445.97 | 559.75 |
| v) सीआईएफ - आयात का मूल्य | | |
| 1. रद्दी माल | - | - |
| 2. अवयव और पुर्जे | - | - |
| 3. पूंजीगत वस्तुएं | 18.82 | - |
| 4. अन्य | - | - |
| कुल | 18.82 | - |

(₹ लाखों में)

| विवरण | 31 मार्च 2016 के अनुसार | 31 मार्च 2015 के अनुसार |
|--|----------------------------|----------------------------|
| vi) विदेशी मुद्रा में व्यय | | |
| 1. रॉयल्टी | | |
| 2. तकनीकी जानकारी शुल्क | | |
| 3. कमीशन | | |
| 4. विदेश यात्रा | | |
| 5. ब्याज | | |
| 6. सेवा शुल्क | | |
| 7. व्यावसायिक और परामर्श | | |
| 8. अन्य | | |
| कुल | शून्य | शून्य |
| vii) आयातित मूल्य तथा खपत स्वदेशी वस्तुएं | उपकुल | उपकुल |
| | का% | का% |
| 1.कच्चा माल | | |
| आयातित | 0.00 | 0.00 |
| स्वदेशी | 100% 1320.87 | 100% 1507.07 |
| उप कुल | 1320.87 | 1507.07 |
| 2.अवयव और कलपुरजें | | |
| आयातित | 0.00 | 0.00 |
| स्वदेशी | 100% 246.66 | 100% 212.59 |
| उप कुल | 246.66 | 212.59 |
| 3.अन्य | | |
| आयातित | 0.00 | 0.00 |
| स्वदेशी | 0.00 | 0.00 |
| उप कुल | 0.00 | 0.00 |
| कुल (लाभ और हानि लेखे का अनुसार कुल खपत के साथ मिलान) | 1567.53 | 1719.66 |
| viii) विदेशी मुद्रा में अर्जन | | |
| 1. माल में निर्यात (एफओबी) | | |
| 2. सेवाओं का निर्यात | | |
| 3. कमीशन | | |
| 4. रॉयल्टी | | |
| 5. तकनीकी जानकारी शुल्क | | |
| 6. व्यावसायिक परामर्श शुल्क | | |
| 7. ब्याज | | |
| 8. लाभांश | | |
| 9. अन्य(प्रकृति निर्दिष्ट किया जाए) | | |
| कु ल | शून्य | शून्य |
| ix) लाभांश की ओर से विदेशी मुद्रा में प्रेषित राशि | शून्य | शून्य |
| 1.अनिवासी शेयरधारकों की कुल संख्या | | |
| 2.उनके द्वारा धारित शेयरों की कुल संख्या | | |
| 3.देय लाभांश की राशि | | |
| 4.वर्ष जो लाभांश संबंधित है | | |

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

विज्ञान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, तरिकेरे-577228 के सदस्यों को,

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6)(क) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई अभ्युक्तियों के अनुसरण में वर्ष 2015-16 के लिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुबंध-क के पैरा (ii), (vi) और (vii) (क) और (ख) की टिप्पणियों को शामिल करते हुए रिपोर्ट को संशोधित किया गया है। यह रिपोर्ट हमारे दिनांक 23.05.2016 की रिपोर्ट को अधिक्रमण करती है। हमारा कथन निम्नानुसार है:-

हमने मेसर्स विज्ञान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, तरिकेरे (कंपनी) की संलग्न वित्तीय विवरणी, जिसके अंतर्गत 31 मार्च, 2016 तक के तुलन पत्र तथा उसी समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि विवरणी और नकदी प्रवाह विवरणी एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचना समाविष्ट हैं, का लेखा परीक्षा किया है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए जवाबदेह हैं, जो कि भारत में सामान्य रूप में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह के साथ-साथ अधिनियम की धारा 133 सहपठित कंपनी (लेखा) नियम, 1924 के नियम 7 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा मानकों की सही और स्पष्ट विचार प्रस्तुत किया है। इस जवाबदेही, कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखा अभिलेखों का पर्याप्त रख-रखाव तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाना एवं रोकथाम, समुचित लेखा नीतियों का चयन एवं विनियोग, उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेना और आकलन करना, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण, जोकि लेखा अभिलेखों की यथार्थता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए पूर्व से ही प्रभावशाली रहा हो, वित्तीय विवरण एवं प्रस्तुति से संबद्ध जो सही और स्पष्ट विचार देता है एवं विषयों के गलत विवरण से मुक्त रहता है, चाहे वह जालसाजी या गलती के कारण हो, शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा दायित्व हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा एवं लेखा परीक्षा के मानकों और विषयों, जिसे अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने की आवश्यकता होती है, पर ध्यान रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षा कार्य किया है। उन मानकों की यह अपेक्षा होती है कि हम नीतिगत आवश्यकताओं का पालन करें और योजना बनाएँ तथा उचित आश्वासन/विश्वास प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें चाहे वित्तीय विवरण यथार्थ विवरण से मुक्त हो।

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरण में प्रकट की गई बातों और राशि के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। चयनित प्रक्रिया, लेखा परीक्षक के निर्णय सहित वित्तीय विवरण के अयथार्थ विवरण के जोखिमों का आकलन, चाहे वह जालसाजी हो या गलती हो, पर आधारित होती है। उन जोखिमों का आकलन करते समय, लेखा परीक्षक वित्तीय विवरण को तैयार करने में कंपनी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करते हैं कि डिजाइन लेखा परीक्षा प्रक्रिया के क्रम में सही व उचित मत प्रकट करता है तथा जोकि परिस्थिति के अनुरूप है। लेखा परीक्षा में प्रबंधन द्वारा उपयोग होनेवाली लेखाकरण नीतियों की प्रयोज्यता का मूल्यांकन तथा कंपनी के प्रबंधक एवं निदेशक मंडल द्वारा बनाए गए लेखा आकलनों की औचित्यता साथ ही साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुति/प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य एकल वित्तीय विवरणी पर हमारे लेखा परीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त एवं उचित है।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के निबंधन में केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक प्रतिवेदन) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा यथा अपेक्षित, हम आदेश के पैराग्राफ 3 व 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर विवरण “अनुबंध क” & “अनुबंध ख” में देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित, हम प्रतिवेदन देते हैं कि :
 - (क) हमारी लेखा परीक्षा उद्देश्य के लिए, जो भी आवश्यक था वह सारी सूचना एवं स्पष्टीकरण हमने अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास में मांगा व प्राप्त किया ;
 - (ख) हमारी राय में, कंपनी के कानून द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तिका रखा है जैसा कि उन पुस्तिकाओं की हमारी जानकारी से प्रतीत होता तथा उचित विवरण जो हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त है ;
 - (ग) तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरणी और नकद प्रवाह विवरण जो इस प्रतिवेदन में व्यवहार में लाया गया है, वह लेखा पुस्तिकाओं के अनुरूप है ;
 - (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 सहपठित कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुपालन में है ;
 - (ङ.) दिनांक 31 मार्च, 2016 के अनुसार निशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों, जिन्हें निदेशक मंडल द्वारा अभिलेखित किया गया, के आधार पर अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2016 पर निदेशक के रूप में नियुक्त होने से कोई भी निदेशक को अनर्ह घोषित नहीं किया गया है ;
 - (च) हमारी राय में, कंपनी के पास सभी मामलों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रणाली है और दिनांक 31 मार्च, 2016 के अनुसार कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मानदंड के अनुसार ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप में परिचालित हैं ; तु
 - (छ) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय एवं हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, निम्नलिखित है –
 - i. कंपनी के पास वित्तीय विवरणी पर प्रभाव डालनेवाले कोई मुकदमा निलंबित नहीं है ;
 - ii. कंपनी को दीर्घकालिक संविदा सहित व्युत्पन्न संविदा पर कोई भौतिक अनुमान्य हानि नहीं हुई थी।
 - iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी, जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा में तथा संरक्षा निधि में अंतरित किया जाना आवश्यक था ।
3. अधिनियम की धारा 143(5) द्वारा यथा अपेक्षित, हम “अनुबंध ग” में हमारी अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

कृते एच.एस. शिवराम एण्ड को

ह./-

एच.एस. शिवराम
सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण नं.005298एस

सदस्यता सं.0216369

तारीख : 25.06.2016

वर्ष 2015-16 के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से संदर्भित “अनुबंध-क”

(हमारी समदिनांक रिपोर्ट के “अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन” के शीर्ष के अधीन पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

- (i) (क) कंपनी द्वारा स्थाई परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित संपूर्ण विवरण दर्शानेवाले उचित अभिलेखों का अनुरक्षण किया जा रहा है।
- (ख) सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम के अनुसार स्थाई परिसंपत्तियों पर प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया, जो हमारी राय से, उचित अंतराल पर सभी स्थाई परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए प्रदान करता है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे सत्यापन पर कोई मूर्त विसंगतियों नहीं पाई गई हैं।
- (ग) 31 मार्च, 2016 के अनुसार कंपनी अपनी नाम पर अचल संपत्तियों रखती है।
- (ii) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर प्रगतिशील कार्य को छोड़कर मालसूची का भौतिक सत्यापन किया गया है और ऐसे सत्यापन पर कोई मूर्त विसंगतियों नहीं पाई गई हैं। जैसे कि हमें सूचित किया गया, प्रगतिशील कार्य का भौतिक सत्यापन अप्रैल 2016 के पहले समताह के दौरान किया गया है तथा आंकड़ों का संकलन करना अभी बाकी है। इसलिए वर्ष के लिए खातों पर उसका प्रभाव सुनिश्चित योग्य नहीं है।
- (iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए रखे रजिस्टर में दर्ज कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कंपनी ने किसी प्रकार का ऋण, गारंटी और सुरक्षित या असुरक्षित प्रतिभू नहीं दिया है।
- (iv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया, निवेश नहीं किया, गारंटी या प्रतिभू नहीं दिया है।
- (v) अधिनियम की धारा 73, 74, 75 तथा 76 के अधीन तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी ने जनता से किसी प्रकार की जमाराशि स्वीकार नहीं की है।
- (vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित और संशोधित कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के अनुसरण में कंपनी को लागत अभिलेख बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।
- (vii) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई कंपनी के अभिलेखों की जांच के अनुसार, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, उपकर और उपयुक्त प्राधिकारियों को लागू अन्य सांविधिक देय राशि निर्विवाद सांविधिक देय राशि को कंपनी द्वारा नियमित रूप जमा किया जाता है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई कंपनी के अभिलेखों की परीक्षा के अनुसार कंपनी ने आय कर, या सेवा कर, या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्यवर्धित कर में किसी भी विवाद के लिए कंपनी किसी भी मात्रा में कोई राशि जमा नहीं किया है।
- (viii) हमारे द्वारा की गई कंपनी के अभिलेखों की परीक्षा के अनुसार तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, तुलन पत्र की तारीख पर कंपनी द्वारा किसी भी वित्तीय संस्था, बैंक, सरकार को ऋण या उधार या बकाया राशि चुकौती में कोई चूक नहीं किया गया है।
- (ix) हमारे द्वारा की गई कंपनी के अभिलेखों की परीक्षा के अनुसार तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने पिछले वर्ष

में पब्लिक ऑफर के माध्यम से पैसा नहीं उठाया गया है और वर्ष के दौरान कैश क्रेडिट नहीं लिया है, जिस उद्देश्य के लिए वह उत्पन्न हुए थे।

- (x) हमारी सर्वोत्तम जानकारी का अनुसार कथित वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर उसका अधिकारियों या कर्मचारियों को द्वारा कोई धोखाघड़ी नहीं हुई है।
- (xi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी की अभिलेखों पर हमारी जांच के अनुसार प्रबंधन पारिश्रमिक लागू नहीं है।
- (xii) कंपनी के एक निधि कंपनी नहीं है तथा इसलिए आदेश के खंड 3(xii) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं है।
- (xiii) हमारे द्वारा की गई कंपनी की अभिलेखों की परीक्षा के अनुसार तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, जहां लागू हो, संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षितानुसार तत्संबंधी वित्तीय विवरण आदि, में बताया गया है।
- (xiv) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का किसी भी तरजीही आबंटन और प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है। अतः खंड 3(xiv) कंपनी के लिए लागू नहीं होता।
- (xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, तथा कंपनी की अभिलेखों पर हमारी जांच के अनुसार कंपनी का निदेशकों या उनके साथ जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ गैर-लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है, तदनुसार, आदेश का खंड 3(xv) कंपनी के लिए लागू नहीं होता।
- (xvi) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-1 के तहत कंपनी पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं।

कृते एच.एस. शिवराम एण्ड को

ह./-

एच.एस. शिवराम
सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण नं.005298एस
सदस्यता सं.0216369
तारीख : 25.06.2016

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए विज्ञान इण्डस्ट्रीस लिमिटेड के लेखे पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से संदर्भित “अनुबंध-ख”

कंपनी अधिनियम, 2013 (“अधिनियम”) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2016 तक विज्ञान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय विवरणों को उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की एकल वित्तीय विवरणी पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी के प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए जवाबदेह है। इस जवाबदेही में, कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित अनुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण, जोकि कंपनी की नीतियों, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाना एवं रोकथाम, लेखा अभिलेखों की यथार्थता और पर्याप्तता, विश्वसनीय वित्तीय विवरणों की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय को विवेकपूर्ण एवं सशक्त रूप में संचालन सुनिश्चित करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी राय व्यक्त करनी है। हमने अपनी लेखा परीक्षा को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी (“दिशा निर्देश टिप्पणी”) तथा लेखापरीक्षा के मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित अनुसार भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू होने के अनुसार किया है। उन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणियों की यह अपेक्षा होती है कि हम नीतिगत आवश्यकताओं का पालन करें और योजना बनाएँ तथा उचित आश्वासन/विश्वास प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करें चाहे वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हों तथा ऐसे नियंत्रण सभी यथार्थ मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हो।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभाविकता प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को समझना, मौजूद भौतिक कमजोरियों की जोखिम का आकलन करना, आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन एवं परिचालन प्रभाविकता को मूल्यांकित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के यथार्थ गलत अनुमान की जोखिम, चाहे वह धोखा या त्रुटि से हो, का आकलन करने सहित चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है।

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारे लेखा परीक्षा राय के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त एवं उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ सम्मिलित हैं कि – (1) समुचित विवरणों के साथ सही अभिलेखों के अनुरक्षण को कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन तथा स्वभाव को यथार्थतः एवं प्रतिबिंबित करने के संबंध में प्रदान करता है; (2) आमतौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आवश्यक लेनदेन अभिलेखित किए जाने और प्रबंधन एवं कंपनी के निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार कंपनी की प्राप्ति एवं व्यय तैयार किए जाने का समुचित आश्वासन प्रदान करता है ; और (3) वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डालनेवाले कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण के रोकथाम या समय पर पता लगाना, उपयोग, या स्वभाव के संबंध में समुचित आश्वासन प्रदान करता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की कपटसंधि या अनुचित प्रबंधन प्रत्यादिष्टी सहित त्रुटि या धोखाधड़ी की वजह से भौतिक गलत बयान हो सकते हैं और पता लगाया नहीं जाता। इसके अलावा, भावी समय के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के मूल्यांकन के अनुमान उस जोखिम पर निर्भर होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन, या नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन बिगड़ जाने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ङ्गभौतिक कमजोरीङ्ग एक कमी होती है, अथवा कमियों का संयोजना होता है, ताकि वह उचित संभाव्यता हो कि प्रभाग के वार्षिक या अंतिक वित्तीय विवरण की भौतिक अपकथन को समय के आधार पर रोका नहीं जाएगा या पता नहीं लगाया जाएगा ।

हमारी राय में, कंपनी ने सभी यथार्थ मामलों में परिचालनीय पर्याप्त वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा मार्च 31, 2016 के अनुसार प्रभावी रूप से परिचालनीय वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपनाया है, जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी के अधीन निर्धारित अनुसार उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है।

कृते एच.एस. शिवराम एण्ड को

ह./-

एच.एस. शिवराम
सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण नं.005298एस
सदस्यता सं.0216369
तारीख : 25.06.2016

वर्ष 2015-16 के लिए विज्ञान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, तरिकेरे के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से संदर्भित “अनुबंध-ग”

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत अपेक्षित अनुसार रिपोर्ट

| क्रम सं. | दिशा-निर्देशा | टिप्पणियाँ |
|----------|---|--|
| 1 | क्या कंपनी के पास मुफ्त और पट्टे की आस्तियों के लिए स्पष्ट शीर्षक विलेख/पट्टा विलेख है? अगर नहीं तो, उन मुफ्त और पट्टे की आस्तियों का विवरण दें, जिसके लिए शीर्षक विलेख/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं ? | कंपनी का पास मुफ्त और पट्टे की आस्तियों के लिए स्पष्ट शीर्षक विलेख/पट्टे विलेख उपलब्ध हैं । |
| 2 | क्या ऋण/उधार/ब्याज आदि में छूट देने/ खारिज करने के किसी प्रकार का मामला है? अगर हाँ तो, इसमें शामिल राशि सहित कारण का उल्लेख करें । | हमें सूचित किये अनुसार वर्ष 2015-16 के दौरान ऋण/उधार/ब्याज आदि में छूट देने/ खारिज करने का कोई मामला नहीं है । |
| 3 | क्या तीसरी पार्टी के पास पड़ी मालसूचियों तथा सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के लिए उचित रिकॉर्ड रखा जाता है ? | हमारी राय में, द्वारा तीसरी पार्टी को जारी एवं प्राप्त मालसूचियों के लिए पर्याप्त रिकॉर्ड रखा जाता है और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार के रूप में कोई संपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है । |

कृते एच.एस. शिवराम एण्ड को

ह./-

एच.एस. शिवराम
सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण नं.005298एस
सदस्यता सं.0216369
तारीख : 25.06.2016

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स विज्ञान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, तरिकेरे के लेखे पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए **मेसर्स विज्ञान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, तरिकेरे** के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के लेखानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों की दायित्व यह है कि अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143 के अधीन उक्त वित्तीय विवरणों पर अपनी राय अभिव्यक्त करना है। उक्त कथन स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की दिनांक **23 मई, 2016 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा दिनांक 25 जून, 2016** की संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कहा गया है।

मैंने, भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन मेसर्स विज्ञान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, तरिकेरे के 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए के वित्तीय विवरणों के अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। उक्त अनुपूरक लेखापरीक्षा, बिना सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यात्मक दस्तावेजों के, स्वतंत्र रूप में की गयी तथा प्रधानतया कम्पनी कार्मिकों तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों की पूछताछ और लेखा रिकार्डों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है। **अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान उल्लिखित मेरी लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों के परिणामस्वरूप अनुबंध क के (ii), (iv), (vii) (क), (vii) (ख) और स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश एवं तत्संबंधी अनुपालन निहित अनुबंध ग को शामिल करने पर किए गए संशोधन को ध्यान में रखते हुए मुझे अधिनियम की धारा 143(6) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुपूरक पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है।**

भारत के नियंत्रक तथा महा लेखापरीक्षक
के लिए तथा उनकी ओर से

ह./-

(ई.पी. निवेदिता)

वाणिज्य लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक

स्थान : बेंगलूरु

दिनांक : 15 जुलाई 2016

सामूहिक सूचना *

निदेशक मण्डल :

कार्यात्मक निदेशक

श्री डी के होता

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री अनिरुद्ध कुमार

निदेशक(रेल एवं मेट्रो व्यवसाय)

श्री.बी आर विश्वनाथ

निदेशक(खन एवं निर्माण व्यवसाय)

श्री.आर एच मुरलीधरा

निदेशक(रक्षा व्यवसाय)

सरकारी नामित निदेशक

श्रीमती सुरीना राजन

अतिरिक्त सचिव(रक्षा उत्पादन)

रक्षा मंत्रालय

श्री.संजय प्रसाद

संयुक्त सचिव(भू-प्रणाली)

रक्षा उत्पादन विभाग

रक्षा मंत्रालय

स्वतंत्र निदेशक

श्री सुधीर कुमार बेरी

श्री एम जी रघुवीर

श्री बी पी राव

कम्पनी सचिव

श्री.एम.ई.वी.सेल्वम

मुख्य सर्तकता अधिकारी

श्रीमती कविता केस्तूर

कार्यकारी निदेशक

(1) श्री उमेश चन्द्रा

(2) श्री हलधर ए के

(3) श्री प्रसाद एस

मुख्य महा प्रबंधक

(4) श्री रवि एस

(5) श्री नागराज कुमार पी वी

(6) श्री पन्नीर सेल्वम आर

(7) श्री रामचन्द्रा राव. सी

(8) श्री राजेन्द्रन.एस

(9) श्री मंजुनाथ बी एल

(10) श्री रवि चन्द्र जी

(11) श्री सुरेश एस वस्त्रद

(12) श्री हसैनब्बा, यूके

(13) श्री शास्त्री एन वी एस

(14) श्री कृष्णा बी.एस

(15) श्री शंकर बी

(16) श्री शरद कुमार के. कलगी

(17) श्री शिवकुमार पी

(18) श्री अमीद बैनेर्जी

(19) श्री राधाकृष्ण के आर

(20) श्री राजशेखर एम वी

महा प्रबंधक

(21) श्री दोशी टी के

(22) श्री जो पुल्लिकेल

(23) श्री सतीश, एन वी

(24) श्री विनोद कुमार पारीक

(25) श्री कुमरेसन एस

(26) श्री कन्यान नारायण भट्ट

(27) श्री नारायण हासनदका

(28) श्री श्रीनिवासलु रेड्डी.एस

(29) श्री विश्वेश्वर राव एम

(30) श्री नागराज राव एस आर

(31) श्री रंगनाथ एच एस

(32) श्री मुत्तवलवन आर

(33) श्री पाराशर आर आर

(34) श्री मल्लार् आइपी

(35) श्री उमाशंकर

(36) श्री सत्येश सिम्हा

(37) श्री अजित कुमार श्रीवास्तव

(38) श्री नागराज पी

(39) श्री शिवशंकर राव पी

(40) श्री मोहनवेलन ई

(41) श्री संजये सोम

(42) श्री मिहिर किरोन रोई

(43) श्री जसकन हेमराम

(44) श्री सुमंत कुमार साहा

(45) श्री संतोष कुमार मल्लिक

(46) श्री इलंगोवन के

(47) श्री श्रीनिवासन जी

(48) श्री सौमित्र सेन

(49) श्री सुन्दर राज के

(50) श्री उमेश ओ आर

(51) श्री कण्णन पी

(52) श्री बासुदेव मिश्र

(53) श्री बेल्ले अशोक कुमार

(54) श्री शेखर वी

(55) श्री रमेश के एन

(56) श्री तमिलसेल्वन ए एस

(57) श्री शशिकांत के सी

(58) श्री श्रीनिवासा आर

(59) श्री रमेश के सी

(60) श्री.विवेक वी नायक

बैंकर

(1) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

(2) केनरा बैंक

(3) स्टेट बैंक ऑफ़ मैसूर

(4) स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला

(5) बैंक ऑफ़ इंडिया

(6) बैंक ऑफ़ बरोड़ा

(7) यूनिनियन बैंक ऑफ़ इंडिया

(8) स्टेट बैंक ऑफ़ हैदराबाद

(9) इण्डियन बैंक

(10) एक्सिस बैंक

(11) एक्जिम बैंक

(12) एच डी एफ सी बैंक

(13) आई डी बी आई बैंक

(14) डयूशी बैंक

विधि सलाहकार

मेसर्स जस्ट ला, बेंगलूरु

मेसर्स सुन्दरस्वामी एण्ड रामदास
बेंगलूरु



जस्टीस के ए स्वामी, बेंगलूर
नेशनल ला स्कूल आफ इंडिया
यूनिवर्सिटी, बेंगलूर

कर सलाहकार

मेसर्स किंग एण्ड पैट्रिड्ज, बेंगलूर
मेसर्स लक्ष्मी कुमरन एवं श्रीधरन
बेंगलूर

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स एस.आर.आर.के.शर्मा
एसोसिएट्स
चार्टरित लेखाकार, बेंगलूर

लागत लेखा परीक्षक

मेसर्स मूर्ति एण्ड को, एलएलपी,
लागत लेखाकार, बेंगलूर

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स एस.एन.एसोशिएट्स
पेशवेर कंपनी सचिव, बेंगलूर

डिबेंचर ट्रस्टी

मेसर्स एसबीईकैप ट्रस्टी कंपनी
लिमिटेड
टिबेंचर ट्रस्टी, मुंबई

कार्यालय

पंजीकृत/सामूहिक कार्यालय
अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय प्रभाग एवं
प्रौद्योगिकी प्रभाग
बेमल सौधा, 23/1, चौथा
मेन, संपंगिरामनगर
बेंगलूर - 560 027

व्यापार और विपणन प्रभाग

पाँचवाँ तल, यूनिटी बिल्डिंग्स
जे.सी रोड, बेंगलूर- 560 002

इकाइयाँ

बेंगलूर कॉम्प्लेक्स

पी बी संख्या 7501, नया तिप्पेसंद्र
पोस्ट, बेंगलूर- 560 075

के जी एफ कॉम्प्लेक्स

बी ई एम एल न गर
कोलार गोल्ड फ़िल्डस - 563 115

मैसूर कॉम्प्लेक्स

बेलवाडी पोस्ट, मैसूर - 570 018

पालक्काड कॉम्प्लेक्स

किनफ्रा पार्क
मेनोन पारा रोड, कांजिकोड पूर्व
पालक्काड-678007

सहायक कम्पनी

विज्ञान इंडस्ट्रीस लिमिटेड
पी.बी.सं. 4
बी एच रोड, तरिकेरे - 577 228

एमएमसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

35/1-ए तारातला रोड
कोलकाता-700 088

सह-उद्यम कम्पनी

बी ई एम एल मिडवेस्ट लिमिटेड
श्रीनीवासा निलैयम
8-2-684/3-55,
बनजरा ग्रीन कालोनी
रोड नं.12, बनजरा हिलस
हैदराबाद-500 034

क्षेत्रीय कार्यालय

- (1) बेंगलूर
- (2) बिलासपूर
- (3) चैन्नई
- (4) धनबाद
- (5) हैदराबाद

- (6) कोलकाता
- (7) मुंबई
- (8) नागपूर
- (9) नई दिल्ली
- (10) रांची
- (11) संबलपूर
- (12) सिंगरौली

जिला कार्यालय

- (1) अहमदाबाद
- (2) असनसोल
- (3) बचेली
- (4) भिलाई
- (5) भोपाल
- (6) भुवनेश्वर
- (7) चंद्रापूर
- (8) गुवाहाटी
- (9) होस्पेट
- (10) जम्मू
- (11) कोची
- (12) कोतगूडम
- (13) लेह
- (14) मदुरै
- (15) नेयवेली
- (16) पंजिम
- (17) रामगुंडम
- (18) उदयपूर
- (19) विजयवाडा
- (20) विशाखपट्टनम

नागपूर, वैश्विक सेवा मुख्यालय

समुद्रपार कार्यालय

ब्राजिल
इण्डोनेशिया



श्री प्रणव मुखर्जी, माननीय राष्ट्रपति तथा श्री अनंत गीते, सार्वजनिक भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम के केन्द्रीय मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन-विशिष्ट संस्थागत संवर्ग (टर्न एराउण्ड) के सर्वोत्तम एवं उत्कृष्ट योगदान के श्री पी.द्वारकनाथ, तात्कालीन सीएमडी को स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करते हुए।

मुम्बई में संपन्न “मेक इन इण्डिया” कार्यक्रम में श्री द्वारकनाथ, तात्कालीन सीएमडी और श्री दीपक कुमार होता, सीएमडी के साथ चर्चा करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी, माननीय प्रधान मंत्री।



वर्ष 2012-13 के दौरान उत्तम कार्यनिष्पादन के लिए, संस्थागत पुरस्कार संवर्ग के अंतर्गत 'उत्कृष्टता के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार' प्रदान करते हुए श्री मनोहर पारीकर, माननीय रक्षा मंत्री। कंपनी की ओर से श्री पी द्वारकानाथ, तात्कालीन सीएमडी उक्त पुरस्कार को प्राप्त कर रहे हैं।



माननीय रक्षा मंत्री श्री मनोहर पार्रिकर, श्री सुरेश प्रभु, माननीय रेल मंत्री, श्री लक्ष्मीकांत यशवंत पार्रिकर, माननीय मुख्य मंत्री, गोवा और श्री अशोक कुमार गुप्ता, सचिव(रक्षा उत्पादन) के साथ चर्चा करते हुए श्री पी. द्वारकानाथ, तात्कालीन सीएमडी एवं श्री दीपक कुमार होता, सीएमडी

केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त श्री के वी चौधरी अपने संदर्शन के दौरान श्री पी. द्वारकानाथ तात्कालीन सीएमडी एवं श्री दीपक कुमार होता, सीएमडी, श्री अनिरुद्ध कुमार, निदेशक(रेल व मेट्रो), श्रीमती कविता केस्तूर, मुख्य सतर्कता अधिकारी के साथ बीईएमएल विनिर्माण सुविधाओं को देख रहे हैं।



गोवा में सम्पन्न डिफएक्सपो-2016 पर बीईएमएल स्टॉल का शुभारंभ करते हुए श्री पी. द्वारकानाथ, तात्कालीन सीएमडी। श्री डी.के. होता, सीएमडी, श्री प्रदीप स्वामिनाथन, तात्कालीन निदेशक (वित्त) और श्री आर.एच. मुरलीधरा, निदेशक (रक्षा व्यवसाय) भी साथ उपस्थित हैं।



स्वच्छा भारत अभियान के प्रति बीईएमएल की प्रतिबद्धता के एक अंश के रूप में श्री पी. द्वारकानाथ, तात्कालीन सीएमडी एवं श्री दीपक कुमार होता, सीएमडी तथा श्री बी आर विश्वनाथ, निदेशक(खनन एवं विनिर्माण) अन्यों साथ स्वच्छता अभियान में लगे हुए दिखते हैं ।

आईएमई- 2016 के साथ मेल खाते हुए कोलकाता में संपन्न छठा खनन कांग्रेस की संगोष्ठी में मुख्य भाषण देते हुए श्री दीपक कुमार होता, सीएमडी ।



बीईएमएल आधारित स्कूल के बच्चों द्वारा किए गए स्वच्छ भारत अभियान पर जागरूकता रैली।



कम्पनी सचिव

बी ई एम एल लिमिटेड

(CIN : L35202 KA1964 GOI 001530)

(रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार की मिनी रत्न श्रेणी-I कंपनी)

“बेमल सौधा”, 23/1, चौथा मेन, संपंगिरामनगर, बेंगलूरु - 560 027, कर्नाटक, भारत

दूरभाष : +91-80-2296 3142 / 2296 3240 ई-मेल : cs@beml.co.in वेबसाइट - www.bemlindia.com